

आय-कर विधान तथा लेखे

(INCOME-TAX LAW & ACCOUNTS)

लेखक

एच सी मेहरोत्रा, एम कॉम, पी-एच डी
एसोसिएट प्रोफेसर आफ कॉमस
बलवंत राजपूत कॉलेज, आगरा

१९६५



साहित्य भवन, आगरा-३

साहित्य भवन, हास्पिटल रोड, आगरा-३

[This book can also be had in English Version, priced at Rs 7 50]

चतुर्थ मन्वन्तरण १९६५



मूल्य सात रुपये पचास पैसे

प्रस्तुत (चतुर्थ) सस्करण की भूमिका

इस पुस्तक के तृतीय सस्करण का विषय के अध्यापको एव विद्यार्थियो ने अति उपयोगी पाया है। यह चतुर्थ सस्करण वित्त अधिनियम, १९६५ के आधार पर पूणतया सशोधित कर दिया गया है तथा वास्तव म यह सस्करण अधिकाशत पुन लिखा गया है। चापिकी जमा योजना (Annuity Deposit Scheme) से सम्बन्धित उदाहरण भी 'कर की गणना के अध्याय मे लिये गये हैं। पुस्तक के अन्त मे दिये हुए हल सहित प्रश्ना का भिन्न भिन्न शीपको के आधार पर वर्गीकरण कर दिया गया है तथा कुछ नये प्रश्न भी जोडे गये है। विभिन्न विश्वविद्यालयो की १९६५ की बी० काम० तथा एम० काम० की परीक्षाओ मे पूछे गये प्रमुख क्रियात्मक प्रश्न भी दिये गये है।

मुझे पूण आशा है कि विद्यार्थीगण इस चतुर्थ सस्करण का अधिक उपयोगी पायेंगे।

दुर्गा भवन, माईयान,
आगरा

—एच० सी० मेहरोत्रा

विषय-सूची =

1207

अध्याय

पृष्ठ

१	विषय प्रवेश	१
२	कर-दायित्व ✓	१५
३	पूजी और भाय	२६
४	कर से छूटें	३३
५	आय के शीपक—वेतन (१) ✓	५५
६	प्रतिभूतियों पर ब्याज (२) ✓	८२
७	मकान सम्पत्ति से आय (३) ✓	६२
८	व्यापार अथवा पेशे के लाभ (४) ✓	११५
९	ह्रास तथा विकास सम्बन्धी छूट ✓	१४१
१०	पूजी लाभ (५)	१५६
११	अन्य साधनों से आय (६)	१७२
१२	कुल आय, हानियों की पूर्ति एवं उन्हें आगे ले जाना ✓	१८०
१३	आय-कर पदाधिकारी तथा उनके अधिकार	१८६
१४	व्यक्तियों का कर निर्धारण ✓	२००
१५	हिन्दू अविभाजित परिवार का कर निर्धारण	२०८
१६	फर्म तथा व्यक्तियों के अन्य समुदाय का कर निर्धारण ✓	२१७
१७	कर निर्धारण करने की काय विधि	२४१
१८	कर को एकत्र, वसूल एवं वापस करना	२५८
१९	अपील तथा पुनर्विचार	२७०
२०	कर की गणना	२७७
	हल सहित क्रियात्मक प्रश्न	१ ५१

Appendix

विषय प्रवेश

[INTRODUCTION]

आय कर सरकार की आय का एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण साधन है। वतमान युग में सरकार द्वारा आर्थिक समानता स्थापित करने की नीति के कारण इसका महत्व बहुत बढ़ गया है।

भारत में आय-कर का संक्षिप्त इतिहास

भारत में प्रथम बार यह कर सन् १८६० में सन् १८५७ के सैनिक विद्रोह के कारण हुई हानियों की पूर्ति करने के लिए सर जेम्स विलसन (Sir James Wilson) द्वारा लगाया गया था। तत्पश्चात् सन् १८६३, १८६७, १८७१, १८७३ और १८७८ में इसमें विभिन्न प्रकार के संशोधन हुए। अंत में, सन् १८८६ में एक नया बिल विधानसभा में पेश किया गया जिसके फलस्वरूप आय-कर भारतीय कर व्यवस्था का स्थायी रूप बन गया। यह अधिनियम सन् १९१७ तक लागू रहा परन्तु बीच-बीच में इसमें संशोधन भी हीत रहे। सन् १९१८ में एक नया आय कर अधिनियम स्वीकृत हुआ, परन्तु सन १९१९ में Government of India Act, 1919 के अनुसार आय-कर के द्रीय आयों की सूची में सम्मिलित कर लिया गया। अंत में १९२० में एक नया आय कर अधिनियम पास किया गया। इस अधिनियम के अंतगत सन् १९२४ में Central Board of Revenue की स्थापना हुई। यद्यपि यह अधिनियम १९६१-६२ कर-निर्धारण वर्ष तक लागू रहा परन्तु इसमें समय-समय पर संशोधन होते रहे। सन १९३६ में इस अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन किये गये और संशोधित आय कर अधिनियम, १९३६ पास किया गया।

आय कर अधिनियम, १९२० में जनेव बार संशोधन हावे से यह अधिनियम बहुत जटिल हो गया था। अतः इसे सरल एवं स्पष्ट करने के लिए तथा कर की चोरी को गोरने के लिए सन १९५६ में भारत सरकार ने आय कर अधिनियम को Law Commission के गुपुद किया। Law Commission ने अपनी रिपोर्ट सितम्बर १९५८ में दी परन्तु इसी बीच में सरकार ने कर्-दानाभा की कठिनाइयाँ एक कर की चोरी को नूनतम करने के लिए Direct

Taxes Administration Enquiry Committee नियुक्त की। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सन १९५६ में दी।

Law Commission और Direct Taxes Administration Enquiry Committee की रिपोर्टों पर विचार करने के लिए Central Board of Revenue ने अपने उच्च अधिकारियों की एक कमेटी नियुक्त की, जिसने विधि मंत्रालय से परामर्श करते हुए इन रिपोर्टों पर विचार किया और अंत में २४ अप्रैल, १९६१ को Income Tax Bill, 1961 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। १ मई, १९६१ का यह बिल Select Committee के सुपुत्र कर दिया गया जिसकी रिपोर्ट लोकसभा में १० अगस्त, १९६१ को रखी गयी और आय कर अधिनियम, १९६१, सितम्बर १९६१ में स्वीकृत हो गया।

आय-कर अधिनियम, १९६१, १ अप्रैल, १९६२ से लागू किया गया है। यह सम्पूर्ण भारत (जम्मू व काश्मीर सहित) में लागू होता है। तत्पश्चात् आय कर अधिनियम में वित्त अधिनियम १९६२, १९६३, १९६४ व १९६५ द्वारा महत्वपूर्ण संशोधन किये गये हैं। इसके अतिरिक्त The Taxation Laws (Amendment) Act, 1962, Income-Tax (Amendment) Act, 1963, Direct Taxes (Amendment) Act 1964 तथा Income Tax (Amendment) Act 1965 द्वारा भी आय-कर अधिनियम में संशोधन किये गये हैं।

यस पुस्तक में संशोधित आय कर अधिनियम १९६१ की धाराओं का उल्लेख है।

प्रमुख परिभाषाएँ (Important Definitions)

आय कर अधिनियम, १९६१ की धारा २ व ३ में प्रमुख शब्दों की परिभाषाएँ दी गयी हैं उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं

१ कृषि-आय (Agricultural Income)

यह आय उस जमीन की आय होती है जो (अ) कृषि के कामों में वायी जाती है, और (ब) जिस पर भारत में लगान दिया जाता है या कोई स्थानीय कर लगता है जो सरकारी अफसरों द्वारा निर्धारित एव वसूल किया जाता है। उस भूमि की आय जो इन दाना शर्तों को पूरा नहीं करती कृषि आय नहीं कही जा सकती, अर्थात् किसी आय को कृषि-आय बनाने के लिए यह आवश्यक है कि वह उपर्युक्त दोनों शर्तों को पूरा करती हो।

(अ) कृषि के कामों में प्रयोग करना—इसका आशय यह है कि भूमि को जोना गया हो, पानी दिया गया हो तथा बीज बोया गया हो, आदि। भूमि पर स्वतः जो पेड़ पौधे उग आते हैं उनसे होने वाली आय कृषि आय नहीं कही

जा सकती, क्योंकि उनके पैदा करने में कृषि की कोई क्रिया नहीं की गयी है। उदाहरणार्थ, जंगली घास या बास से, जो अपने आप उग आते हैं, प्राप्त होने वाली आय कृषि-आय नहीं कही जा सकती।

(ब) जित्त पर भारत में लगान अथवा कोई स्थानीय कर दिया जाता हो—इसका आशय यह है कि वह भूमि भारत में स्थित हो और उस पर लगान दिया जाता हो। भारत के बाहर स्थित भूमि पर यदि किसी विदेशी सरकार को लगान अथवा भूमि कर दिया जाता है, तो उस भूमि से प्राप्त आय कृषि आय नहीं कही जा सकती। इसी प्रकार स्थानीय कर से आशय उस कर से है जो सरकारी अफसरों द्वारा निर्धारित एक वसूल किया जाता है तथा स्थानीय सरकार के हित के लिए होता है।

जमीन के मालिक, किरायेदार अथवा भूमि बंधक रखने वालों का ही भूमि में हित होता है, अतः उन्हीं की जमीन पर कृषि करने से हुई आय को कृषि आय कहा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी की खड़ी फसल को खरीदकर उसे काटकर बंध देता है तो इससे प्राप्त हुई आय कृषि आय नहीं मानी जाती।

कृषि-आय के प्रकार (Kinds of Agricultural Income)—कृषि आय पांच प्रकार की होती है—(१) जमीन से प्राप्त किराया अथवा लगान, (ख) जमीन पर खेती करने से प्राप्त हुई आय, (ग) ऐसी कृषि क्रिया करने से आय जो एक किसान अपनी पैदावार को बेचने योग्य बनाने के लिए साधारणतया करता हो, (घ) किसान द्वारा जमीन की उपज को बेचने से आय, और (ङ) कृषि के कार्य के सम्बन्ध में प्रयोग आने वाली इमारत से आय।

(क) जमीन से प्राप्त किराया अथवा लगान—जब कोई जमींदार अपनी भूमि को किसी अथ व्यक्ति को कृषि-कार्य में प्रयोग करने के लिए देता है तो उसके ऐसे प्रयोग के बदले में जमींदार को जो किराया अथवा लगान प्राप्त होता है वह कृषि आय में सम्मिलित किया जाता है।

(ख) जमीन पर खेती करने से प्राप्त हुई आय—जब किसी जमीन पर खेती की जाती है, अर्थात् खेत जोता, बीज बोया व पानी दिया जाता है और अन्य कृषि सम्बन्धी कार्य किये जाते हैं तो ऐसी जमीन की उपज से होने वाली आय कृषि आय कहलाती है। निम्न प्रकार की आय यद्यपि जमीन में सम्बन्धित है तथापि यह जमीन के कृषि-कार्य में प्रयोग न होने के कारण कृषि आय नहीं कही जा सकती

- (i) हाट बाजारों से होने वाली आय,
- (ii) पत्थरों की खानों से प्राप्त होने वाली आय,
- (iii) गाना की Royalty में आय,

- (iv) वृषि उपज को मरहटन करने के लिए भण्डार के रूप में प्रयोग में लायी हुई भूमि से आय,
- (v) सिंचाई के लिए पानी देने में आय,
- (vi) उस Dairy की आय जहाँ जानवरा को चांग मोल खरीदकर दिया जाता है,
- (vii) मछली क्षेत्रों से होने वाली आय,
- (viii) उस भूमि की आय जो इट्टे बनाने के लिए बेच दी गयी है,
- (ix) वृषि फाम के मैनेजर को मिलने वाला पारिश्रमिक, तथा
- (x) लाख की रोती से होने वाली आय ।

(ग) ऐसी कृषि क्रिया करने से आय जो एक किसान अपनी पदाधार को बेचने योग्य बनाने के लिए साधारणतया करता हो—यह आय वृषि आय होती है । उदाहरणार्थ, बाफी, तम्बाकू रई आदि बचने योग्य बनाने की क्रिया ।

(घ) किसान द्वारा जमीन की उपज को बेचने से आय—किसान ने जिस उपज को स्वयं पैदा किया हो उसे यदि वह नियमित रूप से दूकान लेकर भी बेचता है तो वह वृषि-आय कहलाती है ।

(ङ) कृषि के काय के सम्बन्ध में प्रयोग में आने वाली इमारत से आय—यदि कोई मकान गेत से लगा हुआ है और किसान अपने खेत के कारण उसमें रहता है या उपज रखने के लिए प्रयोग करता है तो उस मकान की आय कृषि आय कहलाती है ।

अंशत कृषि आय (Partly Agricultural Income)—ऐसी आय की दशा में जो धारा २ (१) के अनुसार अंशत कृषि आय है तथा अंशत ऐसी आय है जो व्यापार अथवा पेशे के शीपक में कर योग्य है, कर-योग्य आय के अंश की गणना करने के लिए कर दाता द्वारा की हुई ऐसी कृषि उपज का बाजार मूल्य, जो उसके व्यापार में कच्चे माल के रूप में उपयोग हुई हो, घटा दिया जायगा, परंतु इस सम्बन्ध में कृषि करने का कोई व्यय नहीं घटाया जायगा ।

उपयुक्त नियम के सम्बन्ध में 'बाजार मूल्य' से निम्न आशय है

(अ) यदि वह कृषि उपज साधारणतया बाजार में विक्रती है तो गत वर्ष में उसका औसत बाजार मूल्य, अथवा

(आ) यदि वह कृषि उपज साधारणतया बाजार में नहीं विक्रती है तो निम्न का योग उसका बाजार मूल्य माना जायगा

(i) उपज करने के व्यय

(ii) जिस भूमि पर यह उपज की गयी है उसका लगान, तथा

(iii) उचित लाभ, जो आय कर अधिकारी की सम्मति में उचित हो ।

उदाहरण—ऐसे चीनी के कारखानों की आय, जो अपने स्वयं के खेतों पर ईख पैदा करके चीनी बनाते हैं, अशत कृषि आय मानी जाती है। ईख साधारणतया बाजार में विक्रिती है। कृषि आय का अंश कुल आय में स पृथक् करने के लिए ईख का औसत बाजार मूल्य खर्च के रूप में घटा दिया जाता है और ईख पैदा करने के व्यय पर ध्यान नहीं दिया जाता। इस प्रकार प्राप्त की हुई आय कर योग्य होती है।

चाय के उत्पादन से आय (Income from the manufacture of tea)—भारत में विक्रेता द्वारा चाय पैदा करके बचने से होने वाली आय का ६०% कृषि आय माना जाता है और ४०% कर-योग्य माना जाता है।

ऐसी आय की गणना करने के लिए एस पौधे लगाने का व्यय घटा दिया जाता है जो मर हुए पौधों के स्थान में लगाये गये हों।

आय कर अधिनियम के अनुसार कृषि आय पर न आय कर लगता है और न ही यह आय कुल आय में जोड़ी जाती है।

२ व्यक्ति (Person)

आय-कर अधिनियम की धारा २ (३१) के अनुसार 'व्यक्ति' शब्द में

(i) एक व्यक्ति, (ii) हिंदू अविभाजित परिवार, (iii) बम्पनी, (iv) फर्म, (v) व्यक्तियों का समुदाय, (vi) स्थानीय सरकार, तथा (vii) प्रत्येक कृत्रिम व्यक्ति जो उपयुक्त वर्गों में नहीं आता, सम्मिलित है। स्थानीय सरकार में नगरपालिका, नगर महापालिका, जिला परिषद, आदि आते हैं।

३ कर-दाता (Assessee)

धारा २ (७) के अनुसार कर दाता उस व्यक्ति को कहते हैं जो आय कर अधिनियम के अंतर्गत कोई कर अथवा अन्य कोई धन राशि सरकार को देने का दायी होता है। यह आवश्यक नहीं है कि कर-दाता अपनी ही आय पर कर देता हो। कभी-कभी वह दूसरे व्यक्ति की आय पर भी कर देने का दायी होता है। उदाहरणार्थ, (i) एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका कानूनी उत्तराधिकारी उसकी उस आय व सम्बन्ध में कर-दाता माना जाता है जिस पर वह मृत्यु से पहले कर न चुका पाया हो। (ii) इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई धन राशि दान समय उससे आय-कर काटने का उत्तरदायी है और वह यह कर नहीं काटता या काटकर सरकारी कोष में जमा नहीं करता तो वह व्यक्ति इस कर के लिए कर दाता समझा जाता है। (iii) प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति जो किसी विदेशी, अवयस्क अथवा पागल की आय के सम्बन्ध में कर-दाता माना जाता है।

४ आय (Income)

यह शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आय-कर आय पर ही लगता है। पर तु आय कर अधिनियम में इस शब्द की कोई परिभाषा नहीं दी गयी है, केवल धारा २ (२४) में यह दिया गया है कि आय में क्या-क्या सम्मिलित है।

धारा २ (२४) के अनुसार 'आय' में निम्न सम्मिलित है

(i) लाभ,

(ii) लाभांश,

(iii) अनुलाभ (Perquisites) या वेतन के बदले में मिले हुए लाभ (Profits in lieu of salary) जो धारा १७ के अनुसार कर योग्य है,

(iv) किसी कम्पनी के संचालक द्वारा या अथवा किसी व्यक्ति द्वारा जिसका उस कम्पनी में समुचित हित हो, अथवा संचालक या ऐसे व्यक्ति के रिश्तेदार द्वारा कम्पनी से प्राप्त किया हुआ लाभ या अनुलाभ,

(v) वह धन जो धारा २८ (ii) व (iii), धारा ४१ और ५६ के अंतर्गत कर योग्य है,

(v 1) धारा २८ (iv) के अंतर्गत कर योग्य सुविधा अथवा अनुलाभ का मूल्य

(vi) पूजा लाभ जो धारा ४५ के अनुसार कर योग्य है,

(vii) एक पारस्परिक बीमा कम्पनी (Mutual Insurance Co) या सहकारी समिति (Co operative Society) के बीमा व्यवसाय का लाभ जिनकी गणना धारा ४४ के अनुसार की गयी है, तथा

(viii) धारा २८०D के अंतर्गत प्राप्त वार्षिकी (annuity)।

आय की उपयुक्त परिभाषा सम्पूर्ण नहीं है। इसमें अथवा ऐसी प्राप्तियाँ भी सम्मिलित की जाती हैं जो साधारणतया आय मानी जाती हैं। वास्तव में 'आय' शब्द का तात्पर्य उस मौद्रिक आय से है जो कुछ नियमितता के साथ निश्चित साधना से प्राप्त होती है। ये निश्चित साधन वेतन, प्रतिभूतियाँ का व्याज, मकान सम्पत्ति की आय, व्यापार या पेशे के लाभ, पूजा लाभ तथा अथवा साधना से आय, है। यदि प्राप्ति का उपयुक्त साधना में से कोई साधन नहीं है तो वह प्राप्ति इस अधिनियम के अनुसार कर योग्य आय नहीं कही जा सकती। उदाहरणार्थ, यदि किसी व्यक्ति को महक पर पड़ा हुआ ₹,०००) का बटुआ मिल जाय तो यह उसकी आय नहीं कही जा सकती, क्योंकि उसकी प्राप्ति का कोई निश्चित साधन नहीं है।

इसके अतिरिक्त आय में सम्बन्धित कुछ अथवा निम्न महत्वपूर्ण नियम हैं

(1) कोई आय चाहे कानूनी ढंग से कमायी गयी हो चाहे गैर-कानूनी ढंग

से, दोनों ही आय कर की दृष्टि से कर-योग्य आय होती है, बशर्ते कि वह अ य प्रकार से कर योग्य आय है।

(ii) यह आवश्यक नहीं है कि आय नियमिन रूप से साप्ताहिक, मासिक त्रैमासिक हो प्राप्त हो। इन्होंने मिली हुई रकम भी आय हा सकती है, बशर्ते कि वह अ य सिद्धांता के अनुसार आय हा।

(iii) आय बाहर से प्राप्त होनी चाहिए। किसी सस्था मे अपन सदस्यो से च द की आय उसके व्यय स अधिक हो ता वह आधिक्य कर योग्य आय नहीं कहा जा सकता, क्याकि यह च द आपन म सदस्या न ही दिया था और उही के हिन के लिए निय गये व्यया का आधिक्य है, अत यह आधिक्य कही बाहर से प्राप्त नहीं हुआ है।

(iv) यह आवश्यक नहीं है कि आय द्रव्य के रूप म ही प्राप्त हा। द्रव्य तुल्य वस्तु के रूप म प्राप्ति भी आय हा सकती है।

(v) कोई प्राप्ति आय है अथवा नहीं, यह उमी समय निश्चित हो जाता है जब यह सबप्रथम प्राप्त होती है। यदि कोई रकम प्राप्त करते समय आय नहीं है और बाद मे परिस्थिति परिवतन से यदि वह आय बन जाती है तो भी आय-कर की दृष्टि से वह आय नहीं समझी जा सकती। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति बेचने का सोदा पक्का करते समय कुछ धन अग्रिम रूप म प्राप्त करता है और बाद म क्रेता सोदा पूरा नहीं करना चाहता ता वह अग्रिम धन बिन्नेता जव्त कर लेता है। यह जव्त किया हुआ धन वास्तव म विक्रेता की आय हो गयी परन्तु आय-कर की दृष्टि से चूकि यह रकम प्राप्त होते समय आय नहीं थी अत बाद म भी आय नहीं कही जा सकती।

(vi) एक कर दाता ने यदि कोई आय कमा ली है परन्तु वास्तव म प्राप्त नहीं की है तो चूकि उसे उस आय को प्राप्त करने का अधिकार है, अत बिना प्राप्त किय हुए भी उस धन को कर दाता की आय माना जा सकता है।

५ उचित बाजार मूल्य (Fair Market Value)

पूजी सम्पत्ति के सम्ब ध म उचित बाजार मूल्य से तिम्न अभिप्राय है

(i) सम्ब धित तिथि को पूजी सम्पत्ति जिस मूल्य पर बाजार मे बची जा सकती है तथा

(ii) यदि उपयुक्त मूल्य ज्ञात न हो सके ता वह मूल्य जो इस अधि नियम के अंतगत बने हुए नियमो द्वारा निर्धारित हो सके।

६ उपार्जित आय (Earned Income)

वित्त अधिनियम, १९६५ की धारा २ (७) (ii) के अनुसार उपार्जित आय स आशय, एक व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार, अनरजिस्टर्ड फर्म अथवा व्यक्तियों के अ य समुदाय (जो एक कम्पनी, स्थानीय सत्ता, रजिस्टर्ड

फम अथवा आय कर अधिनियम की धारा १८३ (ब) के अंतगत कर लगे हुए फम न हो) की उस आय से है

(अ) जा 'वेतन' शीपब म कर योग्य है, अथवा

(आ) जा 'व्यापार अथवा पेशे के लाभ' के शीपब म कर योग्य है यदि वह व्यापार कर दाता द्वारा संचालित होता है अथवा फम की दशा म वह कर दाता फम का सामोदार है और फम के व्यापार अथवा पेशे के कार्यों म लगा रहता है, अथवा

(इ) जा 'अथ साधनो से आय' के शीपब म कर-योग्य ह और यह कर दाता क व्यक्तिगत परिश्रम से प्राप्त हुई है अथवा यह पेंशन सुपरगनुएशन या कोई अन्य भत्ता है जा कर-दाता का किसी मृतक व्यक्ति की सवाजा क सम्बन्ध म प्राप्त हुआ ह, अथवा यह धारा २८० (डी) के अंतगत प्राप्त वापिकी की रकम ह ।

उपयुक्त परिभाषा के अनुसार उपाजित आय वह होती है जो शारारिक अथवा मानमिक परिश्रम करन से प्राप्त हुई हो ।

७ अनुपाजित आय (Unearned Income)

वित्त अधिनियम, १८६५ की धारा २ (७) (iii) के अनुसार अनुपाजित आय से आशय ऐसी आय से है जो उपाजित आय न हो । निम्नलिखित आय अनुपाजित जाये है

- (i) प्रतिभूतिया का षाज,
- (ii) मजान सम्पत्ति से आय,
- (iii) लाभाश,
- (iv) पूजी लाभ ।

८ उपाजित आय की छूट (Earned Income Relief)

यह छूट उपाजित आय से सम्बन्धित है । यह छूट १९५६-५७ कर निर्धारण बष तक दी जाता थी । १९५७-५८ कर निर्धारण बष मे यह छूट बसल वेतन पर दी गयी थी तत्पश्चात् १९५८-५९ कर निर्धारण बष से उपाजित आय की छूट देना बन्द कर दिया गया है । उपाजित आय की छूट बसल आय कर से मिलती थी । उपाजित आय का $\frac{1}{2}$ अथवा ४,००० रुपय तक (जो दोना म कम हो) कुल आय म से घटा दिया जाता था और शेष पर आम कर लगता था । अधि कर (Supcr tax) के लिए यह छूट नहीं थी ।

१९५८-५९ से १९६३-६४ कर निर्धारण बष तक यह छूट उपाजित आय पर अनुपाजित आय की अपक्षा कम दर से सरचाज लगाने क रूप म दी जाती थी । उपाजित आय के सम्बन्ध म यह रिआयत आय-कर तथा अधि कर दोना पर ही मिलती थी । उपाजित आय के सम्बन्ध म बेबल ५ प्रतिशत साधारण

सरचाज लगता था परन्तु अनुपाजित आय के सम्बन्ध में ५ प्रतिशत साधारण सरचाज के अनिश्चित १५ प्रतिशत स्पेशल सरचाज भी लगता था। वित्त अधिनियम, १९६१ के अनुसार एक लाख रुपये से अधिक की उपाजित आय के कर पर ५ प्रतिशत के स्थान में १५ प्रतिशत सरचाज लगाया जाता था और एक लाख रुपये तक की उपाजित आय के कर पर केवल ५ प्रतिशत सरचाज ही लगता था। १९६४-६५ कर निर्धारण वर्ष में १,००,००० रु० तक की उपाजित आय पर कोई सरचाज नहीं लगता था और इससे अधिक उपाजित आय पर देय आय-कर तथा अधि-कर पर १० प्रतिशत सरचाज लगता था, परन्तु अनुपाजित आय की दशा में केवल १०,००० रु० की अनुपाजित आय तक सरचाज नहीं लगता था, परन्तु यदि यह आय १०,००० रु० से अधिक होती थी तो ऐसी सम्पूर्ण आय पर देय आय कर तथा अधि-कर पर सरचाज लगता था।

वित्त अधिनियम, १९६५ द्वारा इस सम्बन्ध में कुछ संशोधन किये गये हैं। उपाजित आय की दशा में १ लाख रुपये तक की आय पर कोई सरचाज नहीं लगता है लेकिन अगले १ लाख रुपये की आय पर देय आय कर का ५ प्रतिशत सरचाज लगता है। इससे अगले १ लाख रुपये की आय पर देय आय कर का १० प्रतिशत और शेष आय पर देय आय कर का १५ प्रतिशत सरचाज लगता है। अनुपाजित आय की दशा में १५,००० रु० तक की आय पर सरचाज नहीं लगता है। इससे अधिक अनुपाजित आय होने की दशा में प्रथम १५,००० रु० पर देय आय कर पर कोई सरचाज नहीं लगता है। अगले ३५,००० रु० की आय पर देय आय कर का २० प्रतिशत और शेष ऐसी आय पर देय आय कर का २५ प्रतिशत सरचाज लगता है। व्यक्तिगत तथा हिन्दू अविभाजित परिवार की दशा में सरचाज लगाने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों का ब्याज उपाजित आय माना जायगा और उस पर उपाजित आय की तरह से ही सरचाज लगगा।

६ कर-निर्धारण वर्ष (Assessment Year)

धारा २ (६) के अनुसार कर निर्धारण वर्ष का आशय १२ महीने की उस अवधि से है जो प्रति वर्ष १ अप्रैल का शुरु होती है। इसे वित्तीय वर्ष (financial year) भी कहा जाता है।

१० गत वर्ष (Previous Year)

आय कर अधिनियम की धारा ३ के अनुसार गत वर्ष से आशय उस वित्तीय वर्ष से है जो कर निर्धारण वर्ष से ठीक पहले समाप्त हुआ हो। वित्तीय वर्ष १ अप्रैल से ३१ मार्च तक होता है। अतः गत वर्ष से आशय उन १२ महीनों से है जो कर निर्धारण वर्ष से ठीक पहले ३१ मार्च को समाप्त होते हैं। यदि किसी कर-दाता ने अपना हिसाब किताब उस वित्तीय वर्ष में किसी अन्य

तिथि का घन्द किया है तो कर-दाता की इच्छानुसार उस तिथि का समाप्त होने वाले १२ महीन की अवधि का ही उसका गत वष माना जायेगा, उदाहरणार्थ, दिवाली वष, दशहरा वष, सम्बत वष, वलेण्डर वष आदि । अतः ऐसे कर-दाताओं के लिए गत वष से जाशय १२ महीन की उस अवधि से है जो कर निर्धारण वष से ठीक पूर्व वित्तीय वष में किसी तिथि का समाप्त हुए हा । यदि कोई व्यक्ति उक्त दाना में स कोई भी तरीका नहीं अपनाता तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डाइरेक्ट टैक्सेज (Central Board of Direct Taxes) या उसके द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी उसकी गत वष की अवधि निश्चित कर सकता है ।

कर निर्धारण वष से पूर्व वित्तीय वष में स्थापित किये गये नये व्यापारों अथवा पेशों के लिए गत वष उनक व्यापार प्रारम्भ करने की तिथि से शुरू हाता है और

(i) उस वित्तीय वष के साथ समाप्त हुआ माना जाता है, अथवा

(ii) यदि कर दाना न उस वित्तीय वष में किसी अन्य तिथि को हिसाब बन्द कर दिया है तो उसकी इच्छानुसार उसी तिथि तक की अवधि का गत वष माना जाता है, अथवा

(iii) Central Board of Direct Taxes या उसके द्वारा अधिकृत अन्य किसी अधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि का समाप्त होने वाली अवधि का गत वष माना जाता है ।

(iv) कर निर्धारण वष से पूर्व वित्तीय वष के ठीक पहले १२ महीनों में यदि कोई नया व्यापार या पेशा प्रारम्भ किया जाता है तो यदि कर-दाता अपना हिसाब किताब कर निर्धारण वष से पूर्व के वित्तीय वष में किसी तिथि को बन्द करता है और व्यापार प्रारम्भ करने की तिथि से उक्त तिथि तक की अवधि १२ महीन में अधिक नहीं होती है तो इस अवधि को, कर दाना की इच्छानुसार, गत वष माना जा सकता है ।

यदि कर दाता किसी फर्म में साझेदार है तो फर्म के लाभ हानि क उसके हिस्से के लिए उसका गत वष वही माना जायेगा जो फर्म का गत वष होगा ।

आय के विभिन्न मदों के लिए एक कर दाता अपनी इच्छानुसार भिन्न भिन्न गत वष रख सकता है अथवा सब साधनों के लिए एक ही गत वष भी रख सकता है ।

किसी भी आय विशेष के लिए एक बार गत वष निश्चित करने क बाद उसे बिना आय-कर अधिकारियों की पूर्व स्वीकृति के बदला नहीं जा सकता ।

यदि किसी कर दाता न किसी कर निर्धारण वष से पूर्व के वित्तीय वष में नया व्यापार या पेशा स्थापित किया है और उसने अपना हिसाब (जो १२

महीन की अवधि से अधिक का नहीं है) कर निर्धारण वष म किसी तिथि को बद किया है तो कर-दाता की इच्छानुसार उस कर निर्धारण वष के लिए कोई गत वष नहीं होगा ।

उपयुक्त समस्त विवरण से यह स्पष्ट है कि गत वष कर निर्धारण वष से पूव ३१ माच तक अवश्य समाप्त हा जाना चाहिए पर तु यदि किसी कर-दाता का हिसाबी वष कर निर्धारण वष मे ३० अप्रैल तक समाप्त हाता है तो Central Board of Direct Taxes ने इनकम टैक्स कमिश्नर को अधिकार दे दिया है कि वह कर निर्धारण वष की ३० अप्रैल तक समाप्त होने वाले हिसाबी वष को इसी कर निर्धारण वष का गत वष मान सकता है । उदाहरणार्थ, यदि कर-दाता का वष १० अप्रैल, १९६४ से प्रारम्भ हाता है और ९ अप्रैल, १९६५ का समाप्त होता है ता कमिश्नर को अधिकार है कि अगर वह चाहे तो १९६५ ६६ कर-निर्धारण वष के लिए १० अप्रैल, १९६४ से ९ अप्रैल १९६५ तक की अवधि का गत वष मान सकता है, यद्यपि साधारण नियमो के अनुसार १० अप्रैल, १९६४ से ९ अप्रैल, १९६५ तक की अवधि १९६६ ६७ कर निर्धारण वष के लिए गत वष होती, क्योंकि कर दाता का हिसाबी वष १९६५ ६६ कर निर्धारण वष से पूव की ३१ माच तक समाप्त नहीं हो रहा है ।

इसके अतिरिक्त Central Board of Direct Taxes ने इनकम टैक्स कमिश्नर का यह भी अधिकार दिया है कि वह १२ महीने से कम या अधिक अवधि के हिसाबी वष को भी गत वष मान सकता है बशर्ते कि वह ११ महीने से कम व १३ महीने से अधिक न हो ।

गत वष की परिभाषा निम्न उदाहरणो से अति सरलतापूर्वक समझी जा सकती है

(१) पुराने व्यापार की दशा मे

हिसाबी वष या गत वष (Accounting year or Previous year)	कर निर्धारण वष (Assessment year)
१ जनवरी, १९६४ से ३१ दिसम्बर, १९६४ तक	१९६५ ६६
१ अप्रैल, १९६४ से ३१ माच, १९६५ तक	१९६५-६६
दीपावली १९६३ से दीपावली १९६४ तक	१९६५-६६
दशहरा १९६३ से दशहरा १९६४ तक	१९६५-६६
१ जुलाई, १९६३ से ३० जून, १९६४ तक	१९६५-६६
१० अप्रैल, १९६४ से ९ अप्रैल, १९६५ तक	१९६५-६६

(२) नये व्यापार की दशा में पहले बंध कर दाता अपनी इच्छानुसार हिसाब बंद कर सकता है जिसके कुछ निम्न उदाहरण हैं

हिसाबी बंध या गत बंध	कर निर्धारण बंध	टिप्पणी
(i) १ अप्रैल, १९६४ से प्रारम्भ तथा ३१ मार्च १९६५ का बंध	१९६४-६६	यह पूरा १२ महीने की अवधि है। यही हिसाबी बंध भविष्य में रहेगा।
(ii) १ अप्रैल, १९६४ से प्रारम्भ तथा ३१ दिसम्बर, १९६४ का बंध	१९६५-६६	भविष्य में इसका हिसाबी बंध १ जनवरी से ३१ दिसम्बर तक रहेगा।
(iii) १ जनवरी, १९६४ से प्रारम्भ तथा ३१ दिसम्बर, १९६४ का बंध	१९६५-६६	यह पूरा १२ महीने की अवधि है। यही हिसाबी बंध भविष्य में रहेगा।
(iv) १ जनवरी १९६४ से प्रारम्भ तथा ३१ मार्च, १९६४ का बंध	१९६४-६५	भविष्य में इसका हिसाबी बंध १ अप्रैल से ३१ मार्च तक रहेगा।
(v) १ जुलाई १९६३ से प्रारम्भ तथा ३० जून १९६४ का बंध	१९६४-६६	यह पूरा १२ महीने की अवधि है। यही हिसाबी बंध भविष्य में रहेगा।
(vi) १ जुलाई १९६३ से प्रारम्भ तथा ३१ मार्च १९६४ का बंध	१९६४-६५	भविष्य में इसका हिसाबी बंध १ अप्रैल से ३१ मार्च तक रहेगा।
(vii) १ जुलाई १९६३ से प्रारम्भ तथा ३१ दिसम्बर १९६३ का बंध	१९६४-६५	भविष्य में इसका हिसाबी बंध १ जनवरी से ३१ दिसम्बर तक रहेगा।

उदाहरण (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) में १९६४-६५ कर निर्धारण बंध के लिए ३१ मार्च १९६५ तक की अवधि में १९६४-६५ का बंध लागू है।

आय कर गत वर्ष की आय पर लगता है, अतः इसकी परिभाषा ठीक प्रकार से समझना आवश्यक है। इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं। निम्न लिखित दशाओं में करदाता पर आय कमाने वाले वर्ष में ही कर लग जाता है

- (i) विदेशियों की समुद्री जहाज द्वारा व्यापार से आय। [धारा १७२]
- (ii) भारत को छोड़कर जाने वाले व्यक्तियों की आय। [धारा १७४]
- (iii) यदि आय कर अधिकारी की सम्मति में कोई करदाता अपनी सम्पत्ति को टैक्स बचाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतर करने वाला है। [धारा १७५]
- (iv) किसी व्यापार या पेशे के बन्द होने पर उस वर्ष की आय। [धारा १७६]

QUESTIONS

- 1 Discuss the evolution of Income-Tax Law in India
भारत में आय कर विधान के विकास का वर्णन कीजिए।
- 2 Explain the following terms
(i) Agricultural Income, (ii) Previous year, (iii) Assessee
(iv) Income, (v) Earned Income
निम्नलिखित की समझाकर लिखिए
(i) कृषि आय, (ii) गत वर्ष, (iii) करदाता (iv) आय, (v) उपा-
जित आय।
- 3 What will be the Assessment Year for the following
Accounting years
(i) 1st April, 1964 to 31st March, 1965
(ii) 1st January 1964 to 31st December, 1964
(iii) 1st July, 1964 to 30th June, 1965,
(iv) Dewali 1963 to Dewali 1964,
(v) Dusehra 1963 to Dusehra 1964 and
(vi) 10th April, 1964 to 9th April 1965
निम्नलिखित हिमावी वर्षों के लिए कर-निर्धारण वर्ष कौन सा होगा ?
(i) १ अप्रैल, १९६४ से ३१ मार्च, १९६५ तक,
(ii) १ जनवरी, १९६४ से ३१ दिसम्बर १९६४ तक,
(iii) १ जुलाई, १९६४ से ३० जून, १९६५ तक,
(iv) दिवाली १९६३ में दिवाली १९६४ तक,
(v) दशहरा १९६३ से दशहरा १९६४ तक, तथा
(vi) १० अप्रैल, १९६४ से ९ अप्रैल, १९६५ तक।

4 In the case of a newly established business what will be the Assessment Year if the assessee

- (1) Commences his business on 1st April, 1964 and closes his accounts on 31st March, 1965
- (ii) Commences his business on 1st July, 1963 and closes his accounts on 31st March 1964
- (iii) Commences his business on 1st July 1963 and closes his accounts on 30th June, 1964

एक नवीन स्थापित व्यापार की दशा में कर निर्धारण वर्ष कौन सा होगा यदि कर दाना

- (1) अपना व्यापार १ अप्रैल, १९६४ को प्रारम्भ करता है और ३१ मार्च, १९६५ को अपना हिसाब बंद करता है,
- (ii) अपना व्यापार १ जुलाई, १९६३ को प्रारम्भ करता है और ३१ मार्च, १९६४ को अपना हिसाब बंद करना है, तथा
- (iii) अपना व्यापार १ जुलाई, १९६३ को प्रारम्भ करता है और ३० जून, १९६४ का अपना हिसाब बंद करता है।

कर-दायित्व

[TAX LIABILITY]

आय कर अधिनियम की धारा ४ के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति पर किसी कर निर्धारण वर्ष में आय कर उस वर्ष के वित्त अधिनियम (Finance Act) में दी हुई दरों के अनुसार उसकी गत वर्ष की आय पर लगाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति की कुल आय आय कर अधिनियम की धाराओं के अनुसार निश्चित की जाती है किन्तु कर वित्त अधिनियम (Finance Act) के अनुसार लगाया जाता है जो प्रति वर्ष माच में लोकसभा द्वारा स्वीकृत किया जाता है। यह अधिनियम किसी वर्ष यदि १ अप्रैल तक पारित न हो पाये तो आय कर अधिनियम की धारा २६४ के अनुसार जब तक नया वित्त अधिनियम पारित न हो, तो कर निर्धारण या तो गत वर्ष के वित्त अधिनियम के आधार पर या प्रस्तावित वित्त बिल के आधार पर (इनमें से जो भी कर दाता के हितार्थ हो) किया जायगा।

कर-दाताओं का निवास स्थान (Residence of Assessee)

आय कर अधिनियम की धारा ५ में कुल आय के क्षेत्र का वर्णन किया गया है जो गत वर्ष में कर दाता के निवास स्थान पर निर्भर होता है।

निवास-स्थान के आधार पर कर-दाता निम्न तीन श्रेणियों में विभाजित किये गये हैं

- (१) वे व्यक्ति जो भारत में निवासी हैं (Persons who are resident in India)।
- (२) वे व्यक्ति जो भारत में असाधारण निवासी हैं (Persons who are not ordinarily resident in India)।
- (३) वे व्यक्ति जो विदेशी हैं (Persons who are non resident)।

भिन्न भिन्न प्रकार के कर-दाताओं का निवास स्थान निम्न प्रकार के लिए भिन्न भिन्न नियम हैं। वे कर-दाता व्यक्ति, समुक्त हिन्दू परिवार, फर्म अथवा व्यक्तियों का कोई अन्य समुदाय तथा कम्पनी हैं।

व्यक्ति (Individuals)

एक व्यक्ति के निवास स्थान का निर्णय निम्न नियमों के आधार पर हाता है

निवासी (Resident)—धारा ६ (१) के अनुसार एक व्यक्ति गत वर्ष में निवासी होता है यदि

- (अ) वह गत वर्ष में कुल मिलाकर १८२ दिन या इससे अधिक अवधि के लिए भारत में रहा हो, या
- (ब) गत वर्ष में उसने अपने रहने के लिए कोई स्थान भारत में कुल मिलाकर १८२ दिन या उससे अधिक अवधि के लिए रखा हो और वह उस वर्ष में ३० दिन या इससे अधिक भारत में रहा हो, या
- (ग) गत वर्ष से पूर्व के चार वर्षों में वह कुल मिलाकर ३६५ दिन या इससे अधिक अवधि के लिए भारत में रहा हो और गत वर्ष में वह ६० दिन या इससे अधिक भारत में रहा हो।

वास्तव में एक व्यक्ति को निवासी बनने के लिए उपर्युक्त 'अ', 'ब' और 'ग' में से कम से कम कोई एक शर्त पूरी करने के साथ साथ निम्न दोनों शर्तें भी पूरी करनी होती हैं

- (i) वह गत वर्ष से पूर्व १० वर्षों में कम से कम ६ वर्ष भारत में निवासी के रूप में रहा हो तथा
- (ii) वह गत वर्ष से पूर्व ७ वर्षों में कुल मिलाकर ७३० दिन या इससे अधिक भारत में रहा हो।

असाधारण निवासी (Not Ordinarily Resident)—यदि कोई व्यक्ति 'निवासी' की 'अ' 'ब' और 'ग' में से कम से कम कोई एक शर्त पूरी कर देता है परन्तु निम्न दोनों शर्तें पूरी नहीं करता तो वह असाधारण निवासी (not ordinarily resident) कहलायेगा—

- (i) वह गत वर्ष से पूर्व १० वर्षों में कम से कम ६ वर्ष भारत में निवासी के रूप में रहा हो, तथा
- (ii) वह गत वर्ष से पूर्व ७ वर्षों में कुल मिलाकर ७३० दिन या इससे अधिक भारत में रहा हो।

विदेशी (Non Resident)—यदि कोई व्यक्ति 'निवासी (resident) की शर्तों में से कोई एक शर्तें 'अ' 'ब' तथा 'ग' में से कम से कम कोई एक शर्त पूरी नहीं करता है तो वह 'विदेशी' (non resident) कहलायेगा।

उदाहरण—(१) एक व्यक्ति भारत में १५ वर्ष तक रहने के बाद मई १९६० में जर्मनी चला गया और फिर मार्च, १९६५ में भारत वापस आ गया तो १९६४-६५ गत वर्ष में वह न तो भारत में १८२ दिन रहा, न ही

उसने १८२ दिन अपने रहने के लिए कोई मकान भारत में रखा और गत वर्ष के पूर्व चार वर्षों में वह कुल मिलाकर ३६५ दिन भारत में रहा था लेकिन गत वर्ष में वह ६० दिन भारत में नहीं रहा, अतः वह १९६४-६५ गत वर्ष के लिए 'विदेशी' कहलायेगा।

(२) एक व्यक्ति भारत में १५ वर्ष तक रहने के बाद मार्च १९६२ में जर्मनी चला गया और ३० सितम्बर, १९६४ को भारत वापस आ गया तो १९६४-६५ गत वर्ष में वह १८२ दिन से अधिक भारत में रहा लेकिन वह गत वर्ष १९६४-६५ से पूर्व के दस गत वर्षों (१९५४-५५ से १९६३-६४ तक) में ९ वर्ष भारत में 'निवासी' नहीं रहा था, अतः वह गत वर्ष १९६४-६५ के लिए असाधारण निवासी (not-ordinarily resident) कहलायेगा, यद्यपि वह गत वर्ष से पूर्व के ७ वर्षों में कुल मिलाकर ७३० दिन से अधिक भारत में रहा था। निवासी होने की पहली शर्त उसने सन्तुष्ट नहीं की, अतः यह 'असाधारण निवासी' हुआ।

(३) एक बंगाली व्यक्ति जो कलकत्ते का रहने वाला है १५ वर्ष से ढाका (पाकिस्तान) में व्यापार करता है उसका अपना रहने का एक पैतृक मकान कलकत्ते में है और वह भारत में प्रति वर्ष तीन माह के लिए आता है। इस व्यक्ति के पास गत वर्ष में भारत में रहने का मकान १८२ दिन से अधिक रहा है तथा वह उस वर्ष में ३० दिन से अधिक भारत में रहा है। इसके अतिरिक्त यह व्यक्ति अन्य दोनों शर्तें पूरी नहीं करता अर्थात् वह गत वर्ष से पूर्व १० वर्षों में ९ वर्ष भारत में 'निवासी' रहा है परन्तु वह गत वर्ष से पूर्व ७ वर्षों में कुल मिलाकर ७३० दिन भारत में नहीं रहा। अतः यह व्यक्ति 'असाधारण निवासी' हुआ।

(४) उपर्युक्त उदाहरण में यदि यह बंगाली व्यक्ति प्रति वर्ष भारत में चार माह के लिए आता होता तो वह गत वर्ष के लिए 'निवासी' कहलाता, क्योंकि फिर वह अन्य दोनों शर्तें भी पूरी कर देगा अर्थात् वह गत वर्ष से पूर्व ७ वर्षों में कुल मिलाकर ७३० दिन से अधिक भारत में रहा होता।

(५) एक व्यक्ति भारत में सर्वप्रथम जून, १९६० में आया और १ जुलाई १९६३ को भारत से बाहर चला गया। वह पुनः जनवरी, १९६४ में भारत वापस आ गया। वह गत वर्ष १९६४-६५ में पूर्व के चार वर्षों में (१९६०-६१ से १९६३-६४ तक) कुल मिलाकर ३६५ दिन से अधिक भारत में रहा था और गत वर्ष में ६० दिन से अधिक भारत में रहा है परन्तु चूँकि वह गत वर्ष से पूर्व के १० वर्षों में ९ वर्ष भारत का निवासी नहीं रहा है, अतः वह १९६४-६५ गत वर्ष के लिए 'असाधारण निवासी' हुआ।

(६) एक व्यक्ति पाकिस्तान का रहने वाला है। उसने भारत में एक

मकान किराये पर लिया हुआ है जिसमें उसके पिता व पुत्र रहत ह। यह व्यक्ति सवप्रथम गत वष १९६४ ६५ में अपने पिता व पुत्र से मिलने के लिए भारत आया और ३ माह रहा। १९६४ ६५ गत वष के लिए यह व्यक्ति विदेशी कहलायेगा, क्योंकि यह मकान उसने अपने लिए ही नहीं रखा है वल्कि अपने पिता व पुत्र के लिए रखा है। अत यह व्यक्ति गत वष में न १८० दिन भारत में रहा, न उसने कोई मकान अपने रहने के लिए भारत में रखा, न वह गत वष में पूव ४ वर्षों में कुल मिलाकर ३६५ दिन भारत में रहा है। अत यह निवासी की एक भी शत पूरी नहीं करता।

सयुक्त हिंदू परिवार, फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय (Hindu Undivided Family, Firm of Other Association of Persons)

निवासी (Resident)—ये किसी भी गत वष में हमेशा निवासी माने जाते हैं जब तक कि उस वष में इनका नियंत्रण एवं प्रबंध पूणतया भारत के बाहर स्थित न हो, अर्थात् यदि किसी गत वष में इनका नियंत्रण एवं प्रबंध कुछ अंश में भी भारत में स्थित है तो ये निवासी बहे जायेंगे।

इस सम्बन्ध में वाक्यांश 'नियंत्रण एवं प्रबंध' का स्पष्टीकरण आवश्यक है। जिस स्थान पर किसी व्यापार को चलाने की नीति बनायी जाती है तथा जहाँ से इस सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते हैं उस स्थान से उस व्यापार का नियंत्रण एवं प्रबंध होना माना जाता है। अत यह आवश्यक नहीं है कि जहाँ व्यापार चलता हो वही से उसका नियंत्रण एवं प्रबंध होवे। व्यापार का म्यान नियंत्रण के स्थान से भिन्न हो सकता है।

असाधारण निवासी (Not Ordinarily Resident)—फर्म तथा व्यक्तियों का अन्य समुदाय असाधारण निवासी नहीं हो सक्ने।

एक सयुक्त हिंदू परिवार गत वष में भारत में असाधारण निवासी (not ordinarily resident) होना है यदि

(१) उसका कर्त्ता (manager) गत वष से पूव १० गत वर्षों में ९ वष भारत में निवासी न रहा हो, या

(२) उसका कर्त्ता गत वष से पूव ७ गत वर्षों में कुल मिलाकर ७३० दिन या इसमें अधिक भारत में न रहा हो।

इस सम्बन्ध में कर्त्ता (manager) के भारत में रहने की अवधि पर ध्यान देना है न कि भारत से बाहर रहने की अवधि पर।

विदेशी (Non Resident)—ये विदेशी उस दशा में होंगे जब उनका सम्पूर्ण नियंत्रण एवं प्रबंध भारत के बाहर से होता है।

कम्पनियाँ (Companies)

निवासी (Resident)—एक कम्पनी किसी गत वष में भारत में निवासी कही जाती है यदि

(1) वह भारतीय कम्पनी हो, या

(ii) उस वष उसका नियंत्रण एवं प्रबंध पूणतमा भारत में स्थित हो।

असाधारण निवासी (Not Ordinarily Resident)—एक कम्पनी असाधारण निवासी नहीं होती है।

विदेशी (Non Resident)—यदि कोई कम्पनी निवासी की शर्तों को पूरा नहीं करती है तो वह विदेशी (non resident) कहलाती है।

धारा ६ (५) के अंतगत आय के एक साधन के लिए निवासी समझा जाने वाला कर दाता अथ सभी साधन के लिए भी निवासी माना जायगा।

Illustration 1

State what will be the residential status under the Indian Income-Tax Act of the following persons for the assessment year 1965-66 giving reasons for your answer

- (a) Ramchandra came to India for the first time from the U S A on 30th June, 1958. He stayed here at a stretch for 3 years and left for Japan on 1st July, 1961. He returned to India on 1st April, 1962 and remained in India till 31st July, 1963 when he went back to the U S A. He again came to India taking an employment with an American concern on 30th January, 1965.
- (b) Seeta Ram individual, a resident of Amritsar, left India for England for higher studies on 1st August, 1961. He, however, maintained a dwelling place for him at Amritsar throughout the period when he was abroad. During the winter vacation he came to India twice, once on 20th December, 1962, and again on 20th December, 1963, and stayed at the dwelling place maintained at Amritsar. During the year ended 31st March 1965 he did not come to India at all.
- (c) X & Co is an Indian company carrying on business in India as well as in British East Africa. The control and management of its affairs was wholly situated in India during the year ended 31st March, 1965. Its income accruing or arising in British East Africa in that year far exceeded its income accruing or arising in India.
- (d) Regarding (b) above what difference would it make if Sri Seeta Ram had been in India during the year ended 31st March 1965 on a visit say, for 30 days.

Solution

- (a) Ramchandra was in India for more than 365 days during the four years preceding the previous year 1964-65 and was in India for 60 days during the previous year 1964-65. Hence he will be a resident for the assessment year 1965-66. But, since he was not resident in India for 9 out of 10 preceding years he will be a 'not ordinarily resident' for the assessment year 1965-66.
- (b) Seeta Ram did not come to India at all during the previous year ended 31st March, 1965. Hence he will be a non-resident for the assessment year 1965-66.
- (c) Since X & Co. is an Indian company it is a sufficient ground to make it a resident company. It is immaterial whether its foreign income exceeded the Indian income or vice versa.
- (d) Seeta Ram maintained a dwelling house in India for more than 182 days during the previous year 1964-65 and came to India for 30 days during the said previous year. Further, assuming the winter vacations to be of at least 30 days each year, Seeta Ram was resident in India for at least 9 out of 10 years preceding the previous year and he remained in India for a period amounting in all to more than 730 days during the 7 years preceding the previous year. Hence he will be resident for the assessment year 1965-66.

**निवास-स्थान के आधार पर कुल आय का क्षेत्र या कर-भार
(Scope of Total Income on the Basis of Residence
or Incidence of Tax)**

निवासी (Resident)—आय कर अधिनियम की धारा ५ (१) के अनुसार एक निवासी की किसी गत वर्ष की सब साधना से आय उसकी कुल आय में सम्मिलित की जाती है जो

- (अ) उस वर्ष में उसे भारत में प्राप्त हुई हो या प्राप्त की हुई समझी जावे,
 (ब) उस वर्ष में भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई हो अथवा उपार्जित या उदय हुई समझी जावे तथा
 (स) उस वर्ष में भारत के बाहर उपार्जित अथवा उदय हुई हो।

असाधारण निवासी (Not Ordinarily Resident)—एक असाधारण निवासी की कुल आय में निम्न प्रकार की वह सब आय सम्मिलित की जाती है जो गत वर्ष में

- (अ) उसे भारत में प्राप्त हुई हो या प्राप्त की हुई समझी जावे

- (ब) भारत में उपाजित अथवा उदय हुई है अथवा उपाजित या उदय हुई समझी जावे, तथा
- (स) भारत के बाहर उपाजित अथवा उदय हुई है यदि वह भारत में निर्यात किसी व्यापार से अथवा भारत में स्थापित किसी पक्ष से पैदा हुई हो।

विदेशी (Non Resident)—एक विदेशी व्यक्ति की किसी गत वर्ष की कुल आय में किसी भी साधन से प्राप्त निम्न प्रकार की आय सम्मिलित की जाती है

- (अ) जो आय उस वर्ष में उसने भारत में प्राप्त की है या जो उसे प्राप्त हुई समझी जावे
- (ब) उसकी जो आय उस वर्ष भारत में उपाजित हुई है या उदय हुई है अथवा उपाजित हुई या उदय हुई समझी जावे।

उपयुक्त नियमों में "प्राप्त हुई हो" शब्दों का आशय प्रथम बार प्राप्ति से है। किसी आय के प्राप्त करने का स्थान वह होता है जहाँ वह आय सर्वप्रथम प्राप्त की गयी है न कि जहाँ यह वाद में भेजने पर प्राप्त की गयी है। इस प्रकार एक विदेशी की विदेशी आय कर योग्य नहीं होगी चाहे भले ही वह भारत में भेजी गयी है जब तक कि वह सर्वप्रथम भारत में ही प्राप्त न हुई है।

उपयुक्त नियमों में "प्राप्त की हुई समझी जावे" शब्दों का प्रयोग हुआ है। इनका अर्थ यह है कि वह आय वास्तव में प्राप्त नहीं हुई हो लेकिन आय कर अधिनियम के अनुसार प्राप्त की हुई मान ली जावे। उदाहरणार्थ एक कर्मचारी जो Recognised Provident Fund का सदस्य है उसके Provident Fund में वार्षिक वृद्धि (Annual Accretion) यद्यपि कर्मचारी को वास्तव में प्राप्त नहीं होती है परंतु वह उसको "प्राप्त हुई मानी जाती है।"

इसी प्रकार "उपाजित या उदय हुई मानी जावे" शब्दों का प्रयोग भी हुआ है जिनका अर्थ है कि वह आय वास्तव में उपाजित नहीं हुई है किंतु अधिनियम के अनुसार उसे उपाजित हुआ माना जाता है। उदाहरणार्थ, (i) वह वेतन जो भारत में कमाया गया हो चाहे प्राप्त कहीं भी हो, (ii) एक सरकारी कर्मचारी को जो भारत का नागरिक है विदेश में सेवा करते समय जो धन "वतन" शीपक के अंतर्गत दिया जाता है। ये आयें सन्नियम द्वारा भारत में उपाजित मानी गयी हैं।

Illustration 2

The following are the incomes of Sri Ram Prasad for the previous year 1961-65

- X(a) Profit from business in Iran received in India Rs 5,000,
- X(b) Income from house property in Iran received in India Rs 500
- X(c) Income from house property in Pakistan deposited in a bank there Rs 1,000,

- (d) Profits of business established in Pakistan deposited in a bank there Rs 1,000—this business is controlled in India
 (e) Accrued in India but received in England Rs 2,000, and
 (f) Profit earned from business in Kanpur Rs 6 000

From the above particulars ascertain the taxable income of Sri Ram Prasad for the previous year 1964 65 if Sri Ram Prasad is (i) a resident, (ii) a not ordinarily resident and (iii) a non resident

Solution

Taxable Income of Sri Ram Prasad for the Previous Year 1964 65

	(i) Resident Rs	(ii) Not ordinarily resident Rs	(iii) Non resident Rs
<i>Income accrued and received in India</i>			
(f) Profit earned from business in Kanpur	6 000	6 000	6,000
<i>Income accrued in India but received outside India</i>			
(e) Accrued in India but received in England	2 000	2 000	2,000
<i>Income accrued outside India but received in India</i>			
(a) Profit from business in Iran received in India	5 000	5 000	5,000
(b) Income from house property in Iran received in India	500	500	500
<i>Income accrued outside India and not received in India</i>			
(c) Income from house property in Pakistan deposited in a bank there	1 000	—	—
(d) Profits of business established in Pakistan deposited in a bank there the business being controlled in India	1 000	1 000	—
Total Taxable Income Rs	<u>15 500</u>	<u>14 500</u>	<u>13 500</u>

Illustration 3

During the financial year 1964 65 income earned by Mr A is as under

	Rs
(a) Salary earned and payable at Kanpur	12,000
(b) Profits from a business carried on at Bangkok but controlled from India (out of Rs 20,000 a sum of Rs 12,000 is brought into account)	20 000
(c) Income from agriculture in the United Kingdom—it is all spent on the education of children in London	4 000
(d) Profit of a business at New York but not controlled in India (out of this amount, Rs 11 000 are remitted to India)	15 000

Compute the income of Mr A for the assessment year 1965 66, if he is—

- (i) resident,
- (ii) not ordinarily resident,
- (iii) non resident

11751
3141200

Solution

Computation of Income of Mr A for the Assessment Year 1965 66

	(i) Resident Rs	(ii) Not ordinarily resident Rs	(iii) Non resident Rs
<i>Income accrued and received in India</i>			
(a) Salary earned and payable at Kanpur	12,000	12 000	12 000
<i>Income accrued outside India but not received in India</i>			
(b) Profits from a business carried on at Bangkok but controlled from India	20,000	20,000	—
(c) Income from agriculture in the United Kingdom	1,000	—	—
(d) Profit of a business at New York but not controlled in India	15 000	—	—
Total income	Rs 51 000	32 000	12 000

QUESTIONS

- 1 What are the different categories into which the assessee are divided with regard to residence? Give a brief account of each of them

निवास स्थान के आधार पर कर दाताओं का किन किन श्रेणियों में विभाजित किया गया है? प्रत्येक का संक्षिप्त विवरण दीजिए।

2 How is residence of assessee determined for income tax purposes? Explain the incidence of residence on tax liability

आय कर के लिए कर दाताओं का निवास स्थान किन प्रकार निर्धारित किया जाता है? निवास स्थान का कर दायित्व पर भार समझाइए।

3 Explain how you would decide the question of residence of an assessee for income tax purposes? Give illustrations

आय कर के लिए एक कर दाता का निवास स्थान आप किस प्रकार निश्चित करेंगे, समझाकर लिखिए? उदाहरण दीजिए।

- 4 The residence of an assessee is determined according to the provisions of Section 6 of the Income Tax Act. Discuss these provisions as briefly and clearly as possible

एक कर दाता का निवास स्थान आय कर अधिनियम की धारा ६ के अनुसार निर्धारित किया जाता है। इस धारा का यथाशक्ति स्पष्टतया तथा संक्षेप में वर्णन कीजिए।

- 5 State clearly the difference between the assessment of

- (i) a resident
- (ii) a not ordinarily resident
- (iii) a non resident

निम्न के कर निर्धारण के सम्बन्ध में अंतर बताइए

- (i) निवासी,
- (ii) असाधारण निवासी
- (iii) विदेशी।

- 6 Explain how the tax liability of an assessee is determined with reference to his residence?

समझाकर लिखिए कि एक कर-दाता का कर दायित्व उसके निवास स्थान के आधार पर किस प्रकार निर्धारित किया जाता है?

- 7 Following are the incomes of Mohan

- (a) Received Rs 1000 in India, which accrued in England
- (b) Rs 2000 earned in India but received in England
- (c) Rs 10000 earned in Africa, received in Africa but brought to India

- (d) Rs 8,000 were earned and received in Japan from a business which was controlled and managed in Japan, and this amount was not brought to India ,
- (e) Rs 6,000 was untaxed foreign income of 1936, which was brought to India in previous year

Which of the above incomes are taxable when Mohan is (a) resident (b) not ordinarily resident (c) non resident

मोहन की आय निम्नलिखित है

- (क) १,००० रु० भारत में प्राप्त हुआ जा इंग्लैण्ड में उपाजित था,
 (ख) २,००० रु० भारत में उपाजित किया गया पर इंग्लैण्ड में प्राप्त हुआ, (ग) १०,००० रु० अफ्रीका में उपाजित एवं प्राप्त किया गया पर भारत में लाया गया, (घ) ८,००० रु० जापान में एक ऐसे व्यापार से उपाजित एवं प्राप्त किया गया जा जापान में ही निर्यात, व्यवस्थित एवं संचालित था तथा यह राशि भारत में नहीं लायी गयी,
 (ङ) ६,००० रु० सन् १९३६ की विदेशी आय थी, जिस पर कर नहीं लगा था और जो पूरे वर्ष में भारत में लायी गयी थी।

उपयुक्त आयों से में कौन सी आय कर योग्य है, यदि मोहन (अ) निवासी (ब) असाधारण निवासी, (स) विदेशी है ?

- 8 Section 6 of the Indian Income Tax Act, 1961 deals with the 'residence' of the assessee. Explain in detail the provisions in the Act in this connection

आय कर अधिनियम, १९६१ की धारा ६ में कर-दाताओं के निवास स्थान का वर्णन है। इस सम्बन्ध में अधिनियम के आयोजना का विस्तार से समझाइए।

पूँजी और आय

[CAPITAL AND REVENUE]

आय-कर अधिनियम में पूँजी और आय के भेदों के सम्बन्ध में कोई विशेष धाराएँ नहीं दी गयी हैं परन्तु आय-कर के विषय का ठीक प्रकार से समझने के लिए पूँजी तथा आय का भेद जानना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि आय-कर आय पर लगता है न कि पूँजी पर, और जो पूँजीगत लाभों पर कर लगता भी है ता उसकी पद्धति साधारण आय पर कर लगाने की पद्धति से बिल्कुल भिन्न है।

कई दशाओं में पूँजी और आय का भेद करना कठिन होता है। इसके नियमों की सीमा की कोई स्थायी तथा स्पष्ट रखाएँ नहीं हैं। एक ही प्रकार की प्राप्ति कभी पूँजीगत होती है तो कभी आयगत हो जाती है। इस सम्बन्ध में बहीखाता के जो नियम हैं वह पूँजी और आय का भेद करने में केवल सहायक हैं, यद्यपि उनमें अन्तिम त्रिणय नहीं हो पाता। भिन्न भिन्न न्यायालयों के निर्णयों के आधार पर भी इनका भेद किया जाता है।

सुविधा के लिए इस विषय के अध्ययन का निम्न तीन भागों में बाटा गया है

- (१) प्राप्तिया (Receipts),
- (२) व्यय (Expenditures), और
- (३) हानिया (Losses)।

(I) प्राप्तियाँ (Receipts)

प्राप्तियाँ दो प्रकार की होती हैं, पूँजीगत तथा आयगत। इनका भेद करना सरल कार्य नहीं है परन्तु कुछ प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं जिनके आधार पर इनका भेद किया जा सकता है

पूजीगत प्राप्तियाँ	आयगत प्राप्तियाँ
<p>(१) स्थायी पूजी (Fixed Capital) अथवा स्थायी सम्पत्ति (Fixed Assets) के सम्बन्ध में जो राशि प्राप्त होती है वह पूजीगत प्राप्ति कहलाती है, जैसे (i) एक कम्पनी अपने अश निगमित करके जो राशि प्राप्त करती है वह पूजीगत प्राप्ति है, (ii) एक कपड़े का व्यापारी अपनी माटर बेचकर जो राशि प्राप्त करता है वह पूजीगत प्राप्ति है।</p>	<p>(१) चालू पूजी (Circulating Capital) अथवा चल सम्पत्ति (Floating Assets) के सम्बन्ध में जो राशि प्राप्त होती है वह आयगत प्राप्ति कहलाती है, जैसे एक मोटर का व्यापारी माटर बेचकर जो राशि प्राप्त करता है, वह आयगत प्राप्ति है।</p>
<p>(२) आय के साधन के बन्द हो जाने के सम्बन्ध में क्षति पूर्ति के लिए जो राशि प्राप्त होती है, पूजीगत प्राप्ति कहलाती है। उदाहरणार्थ, एक कर्मचारी को अपने मालिक से सेवाएँ समाप्त कर देने के कारण मिली हुई राशि पूजीगत प्राप्ति होती है, क्योंकि यह आय का साधन बन्द हो जाने के सम्बन्ध में क्षति-पूर्ति की रकम है, परन्तु यह कर-योग्य है।</p>	<p>(२) केवल आय की प्रतिस्थापना (substitution) में प्राप्त की हुई राशि आयगत प्राप्ति होती है। उदाहरणार्थ, एक कर्मचारी द्वारा अपने मालिक से प्राप्त इनाम (reward) जो उसे अपनी पूर्व सेवाओं के प्रतिफल में मिलता है आयगत प्राप्ति होती है।</p>
<p>(३) यदि एक व्यक्ति का किसी प्रसविदे के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों को त्यागने के सम्बन्ध में कोई रकम मिलती है तो वह पूजीगत प्राप्ति होगी, क्योंकि अधिकार 'एक पूजी सम्पत्ति' होती है, जिसे त्यागने के कारण यह राशि मिली है। उदाहरणार्थ, यदि एक कम्पनी और उसके संचालक के बीच हुए प्रसविदे के अनुसार, वह संचालक कम्पनी से अपनी सेवाएँ समाप्त हो जाने के बाद, कम्पनी द्वारा होने वाले व्यापार की तरह का व्यापार करने के अपने अधिकारों को त्याग</p>	<p>(३) यदि किसी प्रसविदे के अंतर्गत एक व्यक्ति को भावी लाभों की हानि की क्षति पूर्ति के सम्बन्ध में कोई राशि प्राप्त हो तो वह आयगत प्राप्ति होगी। उदाहरणार्थ, एक कोयले की खान के मालिक को कोयले के एक व्यापारी से ५ वर्ष तक एक निश्चित मात्रा में कोयला खरीदने का प्रसविदा किया, परन्तु कुछ समय बाद उस व्यापारी ने यह प्रसविदा तोड़ दिया और इस प्रसविदे के अनुसार खान के मालिक ने इसका बदले में कुछ रकम ले ली तो इस प्रकार प्राप्ति की गयी रकम</p>

दता है तो इस अधिकार को त्यागने व प्रतिफल में उम कम्पनी से जो रकम मिलेगी, वह पूजोगत प्राप्ति होगी।

(४) कोई प्राप्ति पूजोगत है अथवा आयगत यह मामला प्राप्तकर्ता के हाथ में प्राप्ति की प्रकृति पर निर्भर है (रकम देन वाला स इमका वाइ सम्बन्ध नहीं है)। यदि किसी व्यक्ति को कोई रकम पूजी के रूप में मिलती है तो वह पूजोगत प्राप्ति कहलायेगी चाहे देने वाले के यहाँ रकम आयगत व्यय के रूप में ही क्यों न हो। उदाहरणार्थ, किसी कम्पनी के समापन पर अशुधारी का कम्पनी की सम्पत्ति का जो हिस्सा मिलता है वह पूजोगत प्राप्ति है चाहे वह सम्पत्ति कम्पनी के पास पूजी के रूप में हो, चाहे लाभ के रूप में। वैसे आय वर अधिनियम के अनुसार चुकता पूजी से अधिक बँटी हुई रकम अशुधारियों के हाथ में लाभान मानकर उस पर कर लिया जाता है।

(५) यदि कोई सम्पत्ति किसी व्यक्ति के व्यापार में प्रयोग होती है अथवा वह विनियोग के रूप में रखी है तो उसके बेचने से प्राप्त होने वाली रकम पूजोगत प्राप्ति कहलायेगी। जत व्यापार में प्रयोग होने वाला टक्कन यत्र (typewriter) अथवा विनियोग के उद्देश्य से खरीदे हुए अथवा अथवा प्रतिभूतियों को बेचने से होने वाली प्राप्ति पूजोगत प्राप्ति मानी जायगी।

(६) एक मुश्त रकम प्राप्त होने के बजाय यदि कोई रकम किस्तों में

आयगत प्राप्ति होगी क्योंकि यह भावी लाभों की हानि की क्षति पूर्ति के रूप में है।

(४) यदि किसी व्यक्ति को कोई रकम आय के रूप में मिलती है तो वह आयगत प्राप्ति मानी जायेगी चाहे देने वाले ने यह रकम अपनी पूजी में से ही क्यों न दी हो। उदाहरणार्थ, एक तय स्थापित व्यापार का मालिक अपने मनेजर का प्रारम्भ में जो वेतन देता है वह यदि उसने अपनी पूजी में से दिया है तो भी यह प्राप्ति मनेजर के लिए आयगत प्राप्ति होगी क्योंकि यह उसका वेतन है चाहे भल ही देन वाले ने इस अपनी पूजी में से दिया हो।

(५) यदि कोई सम्पत्ति किसी व्यक्ति में लाभ पर पुन बेचने के लिए खरीदी है तो उसके बेचने से प्राप्त होने वाली रकम आयगत प्राप्ति कहलायेगी। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति अशो या प्रति भूतियों के क्रय विक्रय से लाभ करने के उद्देश्य से अशो या प्रति भूतिया खरीदकर उहे पुन बेचता है तो विक्रय की राशि आयगत प्राप्ति मानी जायगी।

(६) एक मुश्त रकम प्राप्त होने का आशय यह नहीं होता है कि

प्राप्त हो तो क्या वह आयगत प्राप्त हो जायेगी ? नहीं । उदाहरणार्थ, एक स्थायी सम्पत्ति की बिक्री के दाम एक मुश्त मिलने की बजाय यदि मासिक किस्ता में मिले तो भी वह पूजागत प्राप्त ही कहलायेगी क्योंकि यह प्राप्त स्थायी सम्पत्ति की बिक्री के सम्बन्ध में है ।

वह हमेशा पूजागत प्राप्त ही होगी । उदाहरणार्थ, भविष्य की रॉयल्टी (royalty) की रकम के स्थान में प्राप्त एक मुश्त रकम आयगत प्राप्त है, क्योंकि royalty एक आय है ।

(II) व्यय (Expenditure)

व्यय दो प्रकार के होते हैं—पूजागत तथा आयगत । इन्हें संक्षेप में पूजा व्यय तथा आय व्यय कहा जाता है । पूजा व्यय पूजा के सम्बन्ध में होता है और वह व्यापार की सकल आय में से कर योग्य आय निकालने के लिए घटाया नहीं जाता, लेकिन आय व्यय घटा दिया जाता है । अतः इन दोनों का अंतर समझना अत्यंत आवश्यक है । इनके नियमों की भी कोई स्थायी तथा स्पष्ट रेखाएँ नहीं हैं । किसी व्यय के सम्बन्ध में जब तक उसकी पूर्ण परिस्थितियों की ध्यान में नहीं रखा जाता तब तक उसका ठीक ठीक निणय नहीं हो सकता कि वह पूजागत व्यय है या आयगत व्यय । फिर भी निम्न लिखित कुछ ऐसे नियम हैं जिनके आधार पर साधारणतया पूजा व्यय तथा आय व्यय में अंतर किया जाता है

पूजा व्यय

- (१) एक स्थायी सम्पत्ति की लागत तथा उसके लाने व लगाने के सम्बन्ध में किये गये व्यय पूजागत व्यय होते हैं, जस एक मशीन या क्रय मूल्य तथा उसे लाने व फक्टरी में लगाने तक का व्यय तथा व्यापार के लिए कोई स्थायी लाभ प्राप्त करने के सम्बन्ध में किया गया व्यय भी पूजागत व्यय होता है ।
- (२) पूजागत दायित्व से मुक्त होने के सम्बन्ध में दी गयी रकम पूजागत व्यय कहलाता है । उदाहरणार्थ यदि एक कर दाता न एक

आय व्यय

- (१) व्यापार में पुनः बँचने के उद्देश्य से क्रय किये गये माल की लागत तथा उसे क्रय करने के सम्बन्ध में अथवा व्यय साधारणतया व्यय होते हैं ।
- (२) आयगत दायित्व से मुक्त होने के सम्बन्ध में दी गयी रकम आयगत व्यय कहलाती है । उदाहरणार्थ एक व्यक्ति के पास किसी

फैक्टरी स्थापित करने के लिए भवन बनवाने का किसी को ठेका दे दिया है और बाद में उसका फैक्टरी स्थापित करने का इरादा नहीं रहता, अतः वह भवन बनवाने के ठेके का रद्द करना चाहता है तो इस सम्बन्ध में यदि ठेकेदार को कोई रकम हर्जाने के रूप में देनी पड़ती है तो यह पूँजीगत व्यय होगा क्योंकि इसका देने से कर-दाता भवन की कुल लागत के दायित्व से मुक्त हो जाता है।

- (३) आय कमाने का साधन, अर्थात् व्यापार, नौकरी आदि प्राप्त करने के सम्बन्ध में किया गया व्यय पूँजीगत व्यय माना जाता है।
- (४) स्थायी सम्पत्ति में उन्नति करके व्यापार की आय कमाने की शक्ति को बढ़ाने के सम्बन्ध में किया गया व्यय पूँजीगत व्यय कहलाता है।
- (५) कोई व्यय यदि व्यय करने वाले के यहाँ पूँजीगत है तो वह पूँजीगत व्यय ही कहलायेगा चाहे भले ही प्राप्तकर्ता के हाथ में वह आयगत प्राप्ति ही क्यों न हो।
- (६) साधारणतया एक स्थायी सम्पत्ति के सम्बन्ध में किया गया व्यय पूँजीगत व्यय होता है।

सम्पत्ति विभाग में ५ वर्ष तक कोई वस्तु निश्चित दर पर देने (supply) का ठेका है, यदि ३ वर्ष बाद वस्तु के दाम बहुत बढ़ जाने के कारण वह व्यक्ति ठेका तोड़ना चाहता है तो इस सम्बन्ध में यदि उसे कोई रकम देनी पड़ती है तो यह आयगत व्यय होगी क्योंकि इस रकम के देने से वह ठेकेदार अपने भविष्य के ३ वर्ष के माल देने के दायित्व से छुटकारा पा जायेगा (जो एक आयगत दायित्व है)।

- (३) आय कमाने के सम्बन्ध में किया गया व्यय आयगत व्यय माना जाता है।
- (४) स्थायी सम्पत्ति को अच्छी हालत में बनाये रखने के सम्बन्ध में किया गया व्यय आयगत व्यय कहलाता है।
- (५) कोई व्यय यदि व्यय करने वाले के यहाँ आयगत व्यय है तो वह आयगत व्यय ही कहलायेगा चाहे भले ही प्राप्तकर्ता के हाथ में वह पूँजीगत प्राप्ति ही क्यों न हो।
- (६) साधारणतया व्यापार के माल के सम्बन्ध में किया गया व्यय लाभगत व्यय होता है।

(III) हानियाँ (Losses)

आय-कर अधिनियम में एक कर-दाता की आय की गणना करने का तरीका लिखा है। कुल सकल (gross) आय में से स्वीकृत व्यय घटाने के बाद कर योग्य आय बच रहती है। यद्यपि हानि निकालने का तरीका नहीं लिखा है तथापि यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि व्यय सकल (gross) आय से अधिक हो तो यह आधिव्यय हानि होती है। पूँजीगत हानि और आयगत हानि में भेद

करता अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि पूजीगत हानि किसी अथवा पूजी लाभ में ही समायोजित (adjust) हो सकती है। इन दोनों में अंतर करने का काम सरल नहीं है, क्योंकि इनके भी कोई स्पष्ट तथा स्थायी नियम नहीं है। परन्तु फिर भी एक आयगत हानि वह होती है जो व्यापार के माल को बेचने से हो या माल के नष्ट हो जाने से हो अथवा व्यापार के सम्बन्ध में किसी प्राप्य रकम के न बसूल होने से हो, आदि। माधारणतया पूजी सम्पत्ति के सम्बन्ध में हुई हानि पूजीगत हानि होती है। इसमें अतिरिक्त भिन्न भिन्न 'यायालयों के तिणया के अनुसार भी कुछ पूजीगत व आयगत हानियाँ होती हैं जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं

(१) पूजी सम्पत्ति के विक्रय से होने वाली हानि पूजीगत हानि है परन्तु व्यापार के माल के विक्रय से होने वाली हानि आयगत हानि है।

(२) एक कर्मचारी द्वारा किये गये गवन (embezzlement) के कारण हुई हानि आयगत हानि होती है।

(३) एक कर-दाता के त्रिल्ली स्थित व्यापार का उसका एक मुनीम प्रबंध करता था जिसे बैंक के खाते में से रुपया निकालने का अधिकार था। मुनीम ने कर-दाता के बैंक खाते में से कुछ धन निकालकर उसका अनुचित प्रयोग किया। यह हानि पूजीगत हानि मानी गयी, क्योंकि कर दाता के बैंक खाते में रकम जमा होने के बाद वह रकम कर दाता के पास पहुँची हुई मानी जाती है, अतः यह हानि व्यापार की हानि नहीं मानी जा सकती।

(४) एक व्यापार का कर्मचारी व्यापार के रुपये को बैंक में जमा कराने के लिए जा रहा था। रास्ते में रुपया चुरा लिया गया। यह हानि आयगत हानि नहीं मानी गयी, क्योंकि यह व्यापार का लाभ कमाने के सम्बन्ध में नहीं हुई थी।

(५) एक कर्मचारी द्वारा व्यापार का काय चलने के समय में की गयी चोरी में हानि वाली हानि आयगत हानि है, क्योंकि यह व्यापार से सम्बंधित है परन्तु व्यापार का काय बंद होने के बाद किसी कर्मचारी द्वारा ताला तोड़ कर चोरी करने से हुई हानि आयगत हानि नहीं मानी जाती, क्योंकि इस प्रकार की चोरी तो एक अनजान व्यक्ति द्वारा की गयी चोरी के समान है जो पूजीगत हानि मानी जाती है।

(६) एक व्यक्ति द्वारा एक निमाण कम्पनी में एजेन्सी लेन के लिए कोई रकम जमानत के रूप में जमा की गयी। यदि उस कम्पनी के दिवालिया घोषित हो जान के फलस्वरूप इस व्यक्ति का जमानत का धन मारा जाता है तो यह पूजीगत हानि होगी।

(७) एक कर दाता कई वस्तुओं का व्यापार करता था। व्यापार के सम्बन्ध में उसने रेंवे में कुछ वस्तुएँ देने का ठेका लिया। ठेके को मुचारे रूप

से सम्पूर्ण करने की जमानत के लिए उसने कुछ धन जमा किया। बाद में वह कर दाता प्रसविदे के अनुसार ठेका पूरा न कर सका। अतः उसकी जमानत की रकम जन्त कर ली गयी। इस सम्बन्ध में यह निगम दिया गया कि चूँकि कर दाता ने यह ठेका अपने पहले से चलते हुए व्यापार के सम्बन्ध में लिया था और यह जमानत की रकम व्यापार के सम्बन्ध में लाभ कमाने के उद्देश्य से जमा की गयी थी, अतः यह हानि आयगत हानि मानी गयी।

QUESTIONS

1. What are the main tests to distinguish a capital expenditure from a revenue expenditure? In the light of the tests above, would you allow as revenue expenditure the amount spent by a bank in opening new branches?

पूजीगत व्यय तथा आयगत व्यय में अंतर करने के लिए कौन कौन सी प्रमुख कमीटियाँ हैं? उपर्युक्त कमीटियों को ध्यान में रखते हुए एक बैंक द्वारा नयी शाखाएँ खोलने के सम्बन्ध में किये गये व्यय को, क्या आप आयगत व्यय की तरह स्वीकार करेंगे?

2. State the principles on which distinction is made generally between capital and revenue expenditure

The owner of a brick kiln has acquired a plot of land on payment of Rs 10 000 for the purpose of establishing and operating a second kiln. The terms provide that the land thus acquired will revert to the seller after a period of 10 years. There is no restriction on the quantum of earth that may be extracted during this period. Is the brick kiln owner entitled to set off all or any part of this expenditure against his receipts from the sale of bricks? If so when and to what extent?

साधारणतया जिन सिद्धांतों के आधार पर पूजीगत और आयगत व्ययों में अंतर किया जाता है उनकी व्याख्या कीजिए।

एक इटों के भट्टे के मालिक ने एक दूसरा भट्टा स्थापित करने के लिए एक जमीन १०,००० रुपये में प्राप्त की। प्रसविदे के अनुसार १० वर्ष बाद यह जमीन पुनः उसके विक्रेता को वापस मिल जायेगी। इस अवधि में जमीन से कितनी मिट्टी खोली जाये इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। क्या इटों के भट्टे के मालिक को इटों की बिक्री से प्राप्त रकम में से उक्त व्यय पूणतया अथवा आंशिक रूप में घटाने का अधिकार है? यदि है तो कब और कितना?

3. How would you distinguish a Capital Loss from a Revenue Loss? Give a few illustrations of both types of losses

पूजीगत हानि और आयगत हानि में आप किस प्रकार अंतर करेंगे? दोनों प्रकार की हानियों के कुछ उदाहरण दीजिए।

कर से छूटे

[EXEMPTIONS FROM TAX]

कर-मुक्त आय से आशय उस आय से है जिस पर आय कर नहीं लगता। कुछ आयें ऐसी होती हैं जो कुल आय में नहीं जोड़ी जाती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो कुल आय में तो जोड़ी जाती हैं परन्तु बाद में उन पर आय कर की औसत दर से छूट दी जाती है।

(I) ऐसी आयें जो न कुल आय में जोड़ी जाती हैं और न उन पर आय-कर लगता है (Incomes which are neither included in Total Income nor Income tax is payable on them)

आय-कर अधिनियम की धारा १० के अनुसार किसी व्यक्ति की गत वर्ष की कुल आय में निम्न प्रकार की आयें सम्मिलित नहीं की जाती और न उन पर कर लगता है

(१) कृषि आय,

(२) हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य द्वारा प्राप्त परिवार की आय में से कोई धन राशि,

(३) आकस्मिक आय जो—

(i) धारा ४५ के अनुसार कर योग्य पूजा लाभ न हो अथवा

(ii) व्यापार अथवा वेशे से उदय हुई प्राप्तियाँ न हो, अथवा

(iii) एक कर्मचारी के पारिश्रमिक के अतिरिक्त प्राप्तियाँ न हो।

आकस्मिक आय से तात्पर्य ऐसी आय से है जो सयागवश, बिना किसी आशा के अनिश्चित समय पर मिल जाय। उदाहरणार्थ, कोई धन या कीमती वस्तु सड़क पर पड़ी हुई मिल जाय शत जीतने पर मिलने वाली रकम, लॉटरी का इनाम, अपने जन्मदिवस पर या विवाह की बपगाठ पर, मित्रों अथवा सम्बन्धियों से प्राप्त भेट, किसी खोये हुए बच्चे को ढूँढकर लाने वाले को मिला हुआ इनाम, आदि।

(४) विदेशियों द्वारा प्राप्त ऐसी प्रतिभूतियों का ध्याज जो इस सम्बन्ध

मे केन्द्रीय सरकार द्वारा गजट मे प्रकाशित कर दी गयी हो तथा ऐसे ऋण पत्रो (bonds) का ब्याज या उनके विमोचन पर दी गयी प्रम्याजि (Premium on Redemption) जो केन्द्रीय सरकार या किसी औद्योगिक उद्यम (Industrial Undertaking) या वित्त निगम (Financial Corporation) ने अपने तथा अन्तरराष्ट्रीय बैंक (International Bank) या संयुक्त राज्य के विकास ऋण फण्ड (Development Loan Fund) के बीच हुए ऋण सविदे के अतगत निगमित किये हा और जिन पर ब्याज का भुगतान केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत (Guaranteed) हो, यदि यह ऋण पत्र एक निवासी के पास है तो उसको इस आय पर कर देना होता है ।

(४ अ) एक विदेशी की ब्याज की ऐसी आय जो उसे भारत मे किसी बैंक मे विदेशी खाते मे जमा की गयी रकम पर प्राप्त हुआ हो वशत कि यह Foreign Exchange Regulation Act, 1947 के अनुसार हो ।

(५) के द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अतगत किसी कमचारी द्वारा, जो भारत का नागरिक है उसके मालिक से, छुट्टी पर भारत मे अपने घर जाने के लिए उसके स्वयं के उसकी पत्नी अथवा बच्चो के लिए मिली हुई यात्रा व्यय सम्बन्धी सहायता ।

(६) ऐसे व्यक्ति के लिए जो भारत का नागरिक नहीं है

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अतगत उसे अपने मालिक से छुट्टी पर अपने विदेश स्थित घर जाने के लिए, उसका, उसकी पत्नी अथवा उसके बच्चो का प्राप्त यात्रा व्यय, जववा याना व्यय म सहायता,

(ii) वह पारिश्रमिक जो उसे एम्बेसेडर, हाई कमिश्नर, म त्री, सचिव के पद पर काम करने का उसके देश से प्राप्त हाना है,

(iii) उपर्युक्त अधिकारियो मे से किसी क कार्यालय मे काम करने वाले सदस्यो को प्राप्त पारिश्रमिक यदि वह उस देश का नागरिक है जिसका यह कार्यालय है तथा वह भारत मे कोई अन्य व्यापार, पेसा अथवा सेवा नहीं करता है

(iv) किसी विदेशी सस्या के कमचारी को भारत मे रहते हुए प्राप्त पारिश्रमिक यदि (अ) उस सस्या का भारत मे कोई व्यापार नहीं है, (ब) वह व्यक्ति गत वर्ष म कुल मिलाकर ६० दिन से अधिक भारत मे नहीं ठहरता, (स) यह पारिश्रमिक मालिक की उस आय मे मे कटने योग्य नहीं है जो इस अधिनियम के अतगत कर लगने योग्य है,

(v) विदेशी प्रविधितो (Technicians) को घेतन शीपक की वह आय, जो उन्होने भारत मे सरकार, स्थानीय अधिकारी विशेष अधिनियम के

अन्तर्गत स्थापित निगम अथवा भारत में चलते हुए व्यापार की सेवाएँ करने के प्रतिफल के रूप में प्राप्त की हों, कुछ सीमित समय तक मुक्त है, यदि वह जिस वित्तीय वर्ष में भारत में आया है उससे ठीक पूर्व चार वित्तीय वर्षों में किसी वर्ष भी भारत का निवासी न रहा हो। मुक्ति के समय की सीमा निम्न प्रकार है

(अ) यदि उसकी सेवा का प्रसविदा सेवा प्रारम्भ होने से पूर्व अथवा प्रारम्भ होने के बाद एक वर्ष के अन्दर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित हो गया हो तो उसका वेतन निम्न समय के लिए मुक्त होगा

(1) एक ऐसे विदेशी प्रविधिज्ञ (Foreign Technician) की दशा में, जिसे औद्योगिक अथवा व्यापारिक प्रबंध सम्बन्धी कला का विशेष ज्ञान एवं अनुभव है उसके भारत में आने के ६ महीने बाद तक का वेतन मुक्त होगा है।

(ii) अन्य विदेशी प्रविधिज्ञों की दशा में भारत में आने के ३६ महीने बाद तक का वेतन कर मुक्त होता है। यदि वह व्यक्ति इन ३६ महीने के बाद भारत में सेवा जारी रखता है तथा उसकी सेवा की अवधि में वृद्धि करने की अनुमति केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष की १ जक्टूबर से पूर्व प्राप्त कर ली गयी है और उसकी वेतन शीपक की आय पर कर उसके मालिक द्वारा केन्द्रीय सरकार को भुगतान कर दिया जाता है तो मातृ द्वारा चुकाया हुआ यह कर उस प्रविधिज्ञ की कुल आय में उपयुक्त ३६ महीने के बाद, अधिक से अधिक ६० माह तक नहीं जोड़ा जायेगा।

(ब) यदि विदेशी प्रविधिज्ञ का प्रसविदा केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं है और वह Technician औद्योगिक अथवा व्यापारिक प्रबंध सम्बन्धी कला का विशेषण एवं अनुभवी नहीं है तो भारत में आने के दिन से ३६५ दिन तक का वेतन।

(vi) एक विदेशी द्वारा जो भारत का नागरिक नहीं है, एक विदेशी समुद्री जहाज पर नौकरी करने के फलस्वरूप प्राप्त वेतन बशर्त कि वह गत वर्ष भारत में ६० दिन से अधिक नहीं ठहरता है।

(vii) एक प्रोफेसर या अन्य अध्यापक की वेतन शीपक में कर योग्य आय जो उसे किसी विश्वविद्यालय अथवा अन्य शिक्षा संस्था में सेवा करने के प्रतिफल में भारत में आने के बाद ३६ माह तक मिली हो अथवा प्राप्य हो। यदि यह व्यक्ति इन ३६ महीने के बाद भारत में सेवा जारी रखता है और उसकी वेतन शीपक की आय पर कर सम्बन्धित विश्वविद्यालय अथवा अन्य

शिक्षा समिती द्वारा के द्रीय सरकार को भुगतान कर दिया जाता है तो ऐसी चुकायी गयी कर की रकम उस व्यक्ति की कुल आय में, उपयुक्त ३६ माह के बाद अधिक से अधिक २४ माह तक, नहीं जोड़ी जायेगी। कर की यह छूट निम्न शर्तों पूरी होने पर ही दी जायेगी

(अ) यह व्यक्ति जिस वित्तीय वर्ष में भारत में आया हो उससे ठीक पूर्व ४ वित्तीय वर्षों में, वह कभी निवासी नहीं रहा था, तथा

(ग) (1) एक ऐसे प्राफेसर अथवा अथ अध्यापक की दशा में जिसकी सेवाएँ १ अप्रैल, १९६४ से पूर्व प्रारम्भ हो गयी हो उसकी सेवा का अनुबन्ध १ अक्टूबर, १९६४ तक के द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत हो, अथवा

(11) अथ किसी प्राफेसर या अध्यापक की दशा में उसकी सेवाएँ प्रारम्भ होने से पूर्व अथवा प्रारम्भ होने के बाद एक वर्ष के अन्दर उसकी सेवा का अनुबन्ध के द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत हो गया हो।

(viii) एक व्यक्ति द्वारा, भारत में अनुसन्धान करने के लिए भारत में आने के बाद २४ माह तक, प्राप्त अथवा प्राप्य धन कर मुक्त है बशर्ते कि निम्न शर्तें पूरी हो जायें

(अ) यह अनुसन्धान का कार्य एक ऐसी अनुसन्धान योजना के अन्तर्गत है जो के द्रीय सरकार द्वारा सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष की १ अक्टूबर तक स्वीकृत हो गयी है, तथा

(ब) यह धन किसी विदेशी सरकार अथवा भारत के बाहर स्थापित समिती द्वारा दिया गया है।

(७) एक भारतीय नागरिक को विदेश में सेवा करते हुए भारत सरकार द्वारा दिये जाने वाले भत्ते, आदि।

(८) Co operative Technical Assistance Programme के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति भारत में काम कर रहा है तो विदेशी सरकार से प्राप्त उसका वेतन।

(९) उपयुक्त प्रकार के व्यक्ति के साथ भारत में आये हुए उसके परिवार के किसी सदस्य की भारत से बाहर उपाजित की गयी आय, यदि उस आय पर विदेशी सरकार को आय-कर देय है।

(१०) के द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सत्ता अथवा के द्रीय अथवा राज्य अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किसी निगम द्वारा देय काई Death-cum Retirement Gratuity की रकम अथवा अथ कोई प्रेच्युइटी की रकम जो

नौकरी के प्रति वष पर $\frac{1}{2}$ माह के बतन¹ के हिसाब से अथवा २४ हजार रुपये से अथवा १५ माह के वेतन से अधिक नहीं हानी चाहिए। प्रत्येक आधे माह के वेतन की गणना करन के लिए ग्रेज्युइटी मिलाने वाले कलेण्डर वष से पूर्व व ३ कलेण्डर वर्षों में मिले हुए बतन का मासिक औसत लिया जायगा।

(११) वैधानिक प्रावीडेण्ट फण्ड में से प्राप्त कोई रकम।

(१२) स्वीकृत प्रावीडेण्ट फण्ड में एकत्रित रकम का शेष जो एक वमचारी को दिय है।

(१३) अनुमोदित सुपरएनुशन फण्ड (Approved Superannuation Fund) से प्राप्त रकम।

(१३-अ) एक कर दाता द्वारा अपन मालिक से मिला हुआ विशेष भत्ता जो उस अपने रहन के मकान के किराय का व्यय करने व सम्बन्ध में प्राप्त हुआ हो, अर्थात् House Rent Allowance। यह भत्ता उस सीमा तक कर मुक्त होगा जो ब्रोड द्वारा निर्धारित की जाय परंतु यह सीमा किसी भी दशा में ३०० रु० मासिक की दर से अधिक नहीं होगी।

इस सम्बन्ध में Central Board of Direct Taxes ने निम्न नियम बनाया है

उपयुक्त वर्णित विशेष भत्ते के सम्बन्ध में निम्न में से जो सबसे कम रकम हो वह कर दाता की कुल आय में शामिल नहीं की जायगी

(अ) सम्बन्धित अवधि के लिए कर दाता द्वारा प्राप्त इस भत्ते की वास्तविक रकम, अथवा

(आ) वह रकम जिससे कर दाता द्वारा अपने रहन के मकान के सम्बन्ध में दिया गया किराया उसकी सम्बन्धित अवधि के वेतन के $\frac{1}{4}$ भाग से अधिक है, अथवा

(इ) (i) यदि यह रहने का मकान बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली अथवा मद्रास में स्थित है तो कर-दाता की सम्बन्धित अवधि के वेतन के $\frac{1}{4}$ भाग की रकम, तथा

(ii) यदि यह रहने का मकान अथ किसी स्थान में स्थित है तो कर दाता की सम्बन्धित अवधि के वेतन के $\frac{1}{4}$ भाग की रकम, अथवा

¹ इस आशय के लिए केवल मासिक बतन लिया जायगा। वेतन के अतिरिक्त मिले हुए भत्ते, अनुलाभ, बोनस अथवा ग्रेज्युइटी वेतन में शामिल नहीं किय जायेंगे। [Vide Board's Circular No 4 P (LVIII 22) of 1964 dated 6 8 1964]

(ई) ३०० १० मासिक की दर से सम्बन्धित अवधि की रकम ।

स्पष्टीकरण— (१) इस नियम के लिए वेतन से आशय उस वेतन से है जिसमें महंगाई भत्ता शामिल है (यदि सेवा की शर्तों में ऐसा आयोजन है) परन्तु अन्य कोई भत्ता अथवा अनुलाभ शामिल न हो ।

(११) सम्बन्धित अवधि से आशय उस अवधि से है जिसमें कर-दाता उस रहने के मकान में गन बप म रहा है ।

(१४) एक कर्मचारी या अन्य किसी व्यक्ति को मनोरंजन भत्ते के अतिरिक्त प्राप्त कोई विशेष भत्ता जो उसी पूर्णतया अपने कर्तव्य पालन के सम्बन्ध में व्यय किया है परन्तु यह भत्ता उतना ही मुक्त है जितना कि वास्तव में खर्च किया है और शेष कर योग्य है ।

(१५) (१) निम्नलिखित प्रतिभूतियों का व्याज

- (अ) ट्रेजरी सेविंग्स डिपॉजिट सर्टीफिकेट,
- (आ) पोस्ट ऑफिस सैविंग्स सर्टीफिकेट,
- (इ) पोस्ट ऑफिस नेशनल सविंग्स सर्टीफिकेट,
- (ई) नेशनल प्लान सर्टीफिकेट,
- (उ) १० वर्षीय नेशनल प्लान सविंग्स सर्टीफिकेट,
- (ऊ) १० वर्षीय डिफेंस डिपॉजिट सर्टीफिकेट,
- (ए) भारत सरकार के डिफेंस सर्टीफिकेट,
- (ऐ) १० वर्षीय नेशनल डिफेंस सर्टीफिकेट,
- (ओ) उन सब प्रतिभूतियों का व्याज जो लका के केंद्रीय बैंक के निगमन विभाग के पास है,
- (जी) प्रीमियम प्राइज बॉण्ड्स, १९६३ ।

(११) पोस्ट ऑफिस सविंग्स बैंक में जमा की गयी राशि पर व्याज ।

(१११) ऐसा व्याज जो निम्न प्रकार के ऋणों पर दिया जाता है

- (अ) सरकार अथवा स्थानीय अधिकारियों द्वारा भारत के बाहर के स्रोतों से लिये हुए ऋणों पर,
- (आ) किसी भारतीय औद्योगिक उद्यम द्वारा विदेश में स्थित एमी वित्त सस्था से लिये हुए ऋणों पर व्याज जो केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित हो,
- (इ) किसी भारतीय औद्योगिक उद्यम (Industrial undertaking) द्वारा भारत के बाहर मशीन, माल अथवा पूंजी खरीदने के सम्बन्ध में लिये हुए ऋण

अथवा उधार का ब्याज केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत ब्याज की दर तक ।

(iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्गमित १५ वर्षीय वार्षिकी सर्वोफिकेट का मासिक भुगतान ।

(१६) छात्रवृत्तियाँ जो शिक्षा के व्यय के लिए मिलती हैं ।

(१७) लोकसभा या विधानसभा या इनकी किसी कमिटी के सदस्यो को जो दैनिक भत्ते मिलते हैं ।

(१८) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा दिये गये "वीरता पुरस्कार" (Gallantry Awards) ।

(१९) भूतपूर्व भारतीय रियासतों के राजाओं को प्रीवी पर्स (Privy Purse) के रूप में मिलती हुई आय ।

(२०) स्थानीय सत्ता की वह आय जो उसे उसकी सीमा में किये हुए कार्यों से प्राप्त होती है । उसके क्षेत्र के बाहर किये कार्यों से प्राप्त लाभ वर योग्य होते हैं ।

(२१) वित्तीय अनुसंधान सघ की आय, यदि यह आय पूणतया सघ के उद्देश्यो के लिए प्रयोग की जाती है ।

(२२) किसी विश्वविद्यालय अथवा अन्य शिक्षा संस्था की आय, बशर्ते कि उसका उद्देश्य लाभ वमाना नहीं है ।

(२३) खेल कूद की ऐसी संस्थाओ तथा सघो की आय जो भारत में स्थापित हैं और जिनका उद्देश्य भारत में क्रिकेट, हॉकी, फुटबाल, टेनिस अथवा अन्य ऐसे खेलो का नियंत्रण तथा प्रोत्साहन करना हो जो केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी गजट में घोषित कर दिये जायें । यह आय तभी मुक्त होती है जबकि यह आय सघ के उद्देश्यो की पूर्ति के लिए अथवा इस सघ से मायता प्राप्त सघो का दी गयी सहायता के लिए प्रयोग की जाय । ये सघ केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित होने चाहिए ।

(२४) एस ट्रेड यूनियनो के विनियोग से प्राप्त आय जो भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम, १९२६ द्वारा रजिस्टर्ड है । यह ट्रेड यूनियन मालिका व श्रमिको के सम्बन्ध का नियमित रखने के लिए बन होने चाहिए ।

(२५) (i) वैधानिक प्रावीडेण्ट फण्ड के अन्तर्गत ली हुई प्रतिभूतिया का ब्याज तथा उनके वेचने से हुआ पूजा लाभ,

(ii) स्वीकृत प्रावीडेण्ट फण्ड तथा अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड के ट्रस्टिया द्वारा फण्ड के सम्बन्ध में प्राप्त आय ।

(२६) शिड्यूलड ट्राइब्स (Scheduled Tribes) के उन सदस्यो की आय

जो ट्राइबल क्षेत्र (Tribal Areas) में अथवा मनीपुर व त्रिपुरा में रहते हैं और सरकारी कर्मचारी न हों।

(२७) पशु पालन, मुर्गी अथवा दुग्धशाला के व्यापार की वह आय जो १ अप्रैल, १९६५, १९६६ अथवा १९६७ को प्रारम्भ होने वाले कर निर्धारण वर्ष में कर योग्य है।

(२८) कर जमा पत्रा (Tax Credit Certificates) के सम्बन्ध में प्राप्त अथवा समायोजित रकम।

पुण्यार्थ अथवा धार्मिक ट्रस्टों तथा संस्थाओं की आय (Income of Charitable or Religious Trusts and Institutions)

कुल आय में न जोड़ी जान वाली आयों की उपयुक्त सूची के अतिरिक्त धारा ११ व १२ में कुछ पुण्यार्थ अथवा धार्मिक संस्थाओं की आय का भी कुल आय में जोड़ने से मुक्त किया गया है।

एक ट्रस्ट के पास रखी हुई सम्पत्ति से आय—धारा ११ व अनुसार इस सम्पत्ति से आय, जो पूणतया पुण्यार्थ अथवा धार्मिक उद्देश्यों वाले ट्रस्ट के पास है, आय प्राप्त करने वाले की कुल आय में नहीं जोड़ी जायगी बशर्ते कि ऐसी आय इन उद्देश्यों के लिए भारत में प्रयोग की गयी हो।

यदि इस आय का २५ प्रतिशत अथवा दस हजार रुपये (जो दोनों में अधिक हो) तक इन्हीं उद्देश्यों के लिए पृथक् रूप से एकत्रित कर लिया जाय तो वह भी उसकी कुल आय में नहीं जोड़ा जायगा। परन्तु उपयुक्त सीमा से अधिक आय को एकत्रित करने पर आधिक्य पर कर लगेगा। उपयुक्त सीमा से अधिक सुरक्षित रखी गयी आय भी कर मुक्त हो सकती है बशर्ते कि इस आय का एकत्रित करने के उद्देश्य विशेष की सूचना आय कर अधिकारी को लिखित रूप में तथा निर्धारित ढंग में दे दी गयी है तथा यह सुरक्षित रखा गया धन, किसी सरकारी प्रतिभूति में अथवा ऐसी प्रतिभूति में जो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित हो, विनियोग कर दिया गया है। आय बमाने वाले वर्ष का शामिल करने हुए यह आय अधिक से अधिक दस वर्ष तक एकत्रित रखी जा सकती है। यदि इन दस वर्षों के अंतिम वर्ष में आने वाला वर्ष तक यह एकत्रित धन उन उद्देश्यों के लिए न प्रयोग किया जाय जिन उद्देश्यों के लिए यह एकत्रित किया गया था तो उस वर्ष में यह कुल आय में जोड़ लिया जायगा। इसी प्रकार यदि इन १० वर्षों के अंदर यह धन किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग कर लिया जाय तो यह उसी वर्ष की कुल आय में जोड़ लिया जायगा जिस वर्ष में उसका अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किया गया है।

यदि कोई ट्रस्ट इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व स्थापित हो गया हो तो ऐसी सम्पत्ति की आय जो उस ट्रस्ट के पास हो जो पुण्यार्थ अथवा धार्मिक

कार्यों के लिए केवल आशिक रूप में हो, इन कार्यों के लिए भारत में प्रयोग किये गये अथवा कुल आय में नहीं जोड़ी जाती और यदि यह आय धार्मिक अथवा पुण्याय कार्यों के लिए पृथक सुरक्षित रख दी जाती है तो इस सम्पत्ति की आय का २५ प्रतिशत कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। ऐसी आय के २५ प्रतिशत से अधिक सुरक्षित रखी गयी रकम भी कर मुक्त हो सकती है बशर्त कि इस आय को एकत्रित करने के उद्देश्य विशेष की सूचना आय कर अधिकारी को लिखित रूप में तथा निर्धारित ढंग में दे दी गयी है तथा यह सुरक्षित रखा गया धन, किसी सरकारी प्रतिभूति में अथवा ऐसी प्रतिभूति में जो इस सम्बन्ध में के द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है, विनियोग कर दिया गया है।

१ अप्रैल १९६२ को अथवा उसके बाद स्थापित हुए ट्रस्ट की दशा में यदि सम्पत्ति केवल आशिक रूप में पुण्याय अथवा धार्मिक उद्देश्या के लिए रखी हुई है तो इस सम्बन्ध में कोई छूट नहीं मिलेगी।

इस धारा के सम्बन्ध में 'सम्पत्ति' में व्यापार भी सम्मिलित है।

स्वेच्छानुकूल दिये गये चर्दों से आय—धारा १२ के अनुसार पुण्याय अथवा धार्मिक उद्देश्या के लिए बना हुआ ट्रस्ट अथवा सस्था की वह आय, जो उसे स्वेच्छानुकूल दिये गये चर्दों से प्राप्त हुई हो और जो केवल पुण्याय अथवा धार्मिक कार्यों के लिए ही प्रयोग की जाय, कुल आय में नहीं जोड़ी जायेगी।

अपवाद—धारा १३ के अनुसार इन ट्रस्टों अथवा सस्थाओं की निम्न लिखित आय कुल आय में जोड़ी जायेगी

(अ) ऐसी सम्पत्ति की आय जो व्यक्तिगत धार्मिक उद्देश्यों के लिए बने हुए ट्रस्ट के पास है और जो जनता के हित की पूर्ति नहीं करती है।

(ब) ऐसे ट्रस्ट अथवा पुण्याय सस्था की आय जो १ अप्रैल, १९६२ को अथवा उसके बाद स्थापित हुई हो।

(i) यदि वह ट्रस्ट अथवा सस्था किसी विशेष जाति अथवा धर्म के हित के लिए बनी हो, या

(ii) यदि उस ट्रस्ट अथवा सस्था के नियमों के अनुसार उसकी आय का कोई अंश भी उस ट्रस्ट अथवा सस्था के बनाने वाले अथवा उसके किसी रिश्तेदार के हित के लिए प्रयोग किया जाय।

(II) कुल आय की गणना करने के लिए स्वीकृत कटौतियाँ

(अ) जीवन-बीमा प्रीमियम, वार्षिकी, प्रॉबीडेण्ट फण्ड में अशदान, आदि के सम्बन्ध में कटौती

(ऐसे बर-दाता के लिए जिसकी कुल आय में बतन शीपन की बर-योग्य आय नहीं है)

एक व्यक्ति अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार की कुल आय की गणना करने के लिए निम्न रकमा के योग के प्रथम ५,००० रुपये का ६० प्रतिशत तथा शेष रकम का ५०% उसकी कुल आय में से घटा दिया जायगा

(क) यदि कर दाता एक व्यक्ति है तो उसके द्वारा गत वर्ष में अपना कर योग्य आय में से चुकायी गयी निम्न रकम—

- (1) अपने जीवन पर अथवा अपनी पत्नी अथवा पति के जीवन पर कराय गये बीमे का प्रीमियम, अथवा
- (ii) अपने जीवन पर अथवा अपनी पत्नी अथवा पति के जीवन पर Deferred Annuity के लिए अशदान, अथवा
- (iii) वैधानिक प्रॉवीडेण्ट फण्ड में कमचारी का अशदान ।

(ख) यदि कर दाता एक हिन्दू अविभाजित परिवार है तो उसके द्वारा गत वर्ष में अपनी कर-योग्य आय में से चुकायी गयी प्रीमियम की रकम, जो परिवार के किसी पुरुष सदस्य अथवा उसकी पत्नी के जीवन बीमे के सम्बन्ध में है ।

(ग) एक सरकारी कमचारी के वतन में से, Deferred Annuity के लिए अथवा उसकी पत्नी अथवा बच्चों के लिए आयाजन करने के लिए, गत वर्ष में काटी गयी कोई रकम उसके वतन के $\frac{1}{2}$ भाग तक ।

(घ) गत वर्ष में प्रमाणित प्रावीडेण्ट फण्ड में दिया गया कमचारी का अशदान उसके वेतन के $\frac{1}{2}$ भाग तक अथवा ८,००० रुपये तक, जो भी दाना में कम हो ।

(ङ) गत वर्ष में अनुमादित निर्वात कोष (Approved Superannuation fund) में दिया गया कमचारी का अशदान ।

(च) एक व्यक्ति द्वारा गत वर्ष में अपनी कर योग्य आय में से डाकखाने के १५ वर्षीय अथवा १० वर्षीय खाते में जमा की गयी रकम ।

नोट—एक व्यक्ति अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार द्वारा गत वर्ष में दी गयी कुल प्रीमियम की रकम पालिसी की रकम के १० प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

उपर्युक्त रकमों के योग की अधिकतम सीमा—उपर्युक्त (क) से (च) तक वर्णित रकमों का याग उपर्युक्त कटौती की गणना करने के लिए निम्न से अधिक नहीं होना चाहिए ।

(1) एक ऐसे व्यक्ति की दशा में जो लेखक, नाटक लेखक, कलाकार, गायक अथवा अभिनेता है और जिसे अपने अथवा अपनी पत्नी अथवा अपने पति के जीवन पर बीमा १ मार्च १९६४ से पूर्व करा लिया है और गत वर्ष में ऐसे बीमे का प्रीमियम दिया है तो उसकी कुल आय का वह प्रतिशत अथवा

वह रकम जो Central Board of Direct Taxes द्वारा इस सम्बन्ध में निर्धारित है।

(ii) अथ किसी व्यक्ति की दशा में (लेखक, नाटक लेखक, कलाकार, गायक अथवा अभिनेता सहित जिन पर उपयुक्त (i) के आयोजन लागू नहीं होते हैं) कुल आय का २५ प्रतिशत अथवा १२,५०० रु०, जो दोनों में कम हो।

(iii) हिंदू अविभाजित परिवार की दशा में कुल आय का २५ प्रतिशत अथवा २५,००० रुपये, जो दोनों में कम हो।

उपयुक्त तीनों दशाओं में कुल आय से आशय उस कुल आय से है जिसमें से इस शीपक के अंतर्गत दी गयी कटौतियाँ अथवा वापि की जमा की रकम न घटायी गयी हो।

कटौती घटाने का क्रम

उपयुक्त (अ) के सम्बन्ध में कटौती निम्न क्रम से दी जायेगी

(i) वेतन शीपक की कर योग्य आय में से,

(ii) यदि वेतन शीपक में कोई आय न हो अथवा कटौती की रकम वेतन की आय से अधिक हो तो कटौती की सम्पूर्ण रकम अथवा शेष बची हुई रकम अथ किसी उपाजित आय में से घटायी जायेगी, तथा

(iii) यदि अथ किसी शीपक में कोई उपाजित आय न हो अथवा कटौती की रकम ऐसी उपाजित आय से अधिक हो तो कटौती की सम्पूर्ण रकम अथवा शेष बची हुई रकम किसी भी अथ कर योग्य आय में से दी जायेगी।

(ब) असमर्थ आश्रितों की देख रेख व चिकित्सा के सम्बन्ध में कटौती

(१) एक व्यक्ति अथवा हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा, जो भारत में निवासी है, अपने किसी असमर्थ आश्रित रिश्तेदार की चिकित्सा व देख रेख पर गत वर्ष में किये गये निम्न व्यय उसकी कुल आय की गणना करने के लिए घटा दिये जायेंगे

(i) यदि असमर्थ आश्रित गत वर्ष में १८२ दिन अथवा इससे अधिक अवधि के लिए अस्पताल अथवा नर्सिंग हॉम में भरती रहा है तो २,४०० रुपये, अथवा

(ii) अथ किसी दशा में, ६०० रुपये।

असमर्थ आश्रित की गत वर्ष में यदि कोई आय है तो उपर्युक्त कटौती की रकम उसकी आय की रकम से कम कर दी जायेगी और यदि असमर्थ आश्रित की आय २,४०० रुपये अथवा ६०० रुपये (जैसी भी दशा हो) से अधिक है तो उपयुक्त कटौती नहीं दी जायेगी।

(२) यदि कर-दाता न गत वर्ष में उपर्युक्त व्यय एक से अधिक असमर्थ

आश्रित के सम्बन्ध में किया है तो उपर्युक्त कटौती केवल एक असमय आश्रित के सम्बन्ध में दी जायेगी। इस सम्बन्ध में कर दाना का अधिकार होगा कि वह जिस असमय आश्रित के सम्बन्ध में कटौती लेना चाहें उसे स्वयं चुन ले। कटौती घटाने का क्रम

उपयुक्त (ब) के सम्बन्ध में कटौती निम्न क्रम से दी जायेगी

- (1) आय क किसी भी शीपक में कर-दाता की कर योग्य उपाजित आय में से, तथा
- (ii) यदि कोई उपाजित आय नहीं है अथवा कटौती की रकम उपाजित आय से अधिक हो तो कटौती की सम्पूर्ण रकम अथवा शेष बची हुई रकम कर-दाता की किसी भी शीपक की अनुपाजित आय में से दी जायेगी।
- (स) निवृत्ति वापिकियों (Retirement Annuities) की व्यवस्था के लिए किये गये भुगतानों के सम्बन्ध में कटौती

(१) एस भारतीय नागरिक जो भारत में निवासी है तथा जो उन रजिस्टर्ड फर्मों में साझेदार है जो चाटर्ड एकाउण्टेण्ट, वास्तुशिल्पी (architect) सालिसिटर अथवा बकीलो का पेशा करती है गत वर्ष में अपनी कर योग्य आय में से किसी स्वीकृत वापिकी योजना (approved annuity contract) के अन्तर्गत प्रीमियम देते हैं अथवा किसी अनुमोदित वाप (approved fund) में अपना अंशदान देते हैं, जो वृद्धावस्था में निवृत्ति वापिकिया (retirement annuities) की व्यवस्था के लिए दिये गये हैं, तो उनकी कुल आय की गणना करने में निम्न रकम की कटौती दी जायेगी

वह रकम जो उस व्यक्ति की कुल आय के $\frac{1}{5}$ भाग अथवा ५,००० रु० (दोना में जो कम हो) से अधिक न हो।

(२) उपर्युक्त के सम्बन्ध में कुल आय से आशय उन कुल आय से है जिसमें से इस शीपक के अन्तर्गत दी गयी कटौतियाँ अथवा वापिकी जमा की रकम न घटी हो परन्तु जीवन साथी तथा अवयस्क बच्चे की वह आय जो कर दाता की कुल आय में शामिल होनी है, छाड़ दी जायेगी।

(३) निम्न दशाओं में उस व्यक्ति को इस सम्बन्ध में कोई कटौती नहीं दी जायेगी

- (1) जिसकी कुल आय में १,००० रुपये से अधिक अनुपाजित आय शामिल है, अथवा
- (ii) जो किसी पेंशन का अधिकारी है अथवा पेंशन या सुपरएनुएशन की किसी योजना में भाग ले रहा है।
- (४) यह कटौती कर-दाता की उपाजित आय में से दी जायेगी लेकिन

कटौती की रकम किसी भी दशा में कर दाता के व्यापार अथवा पक्ष के लाभ से अधिक नहीं होगी।

(५) (क) यदि वापिकी इसी व्यक्ति को देय हो तो यह उस सीमा तक उपाजित आय मानी जायेगी जहाँ तक यह कटौती के रूप में स्वीकार कर दी गयी है, तथा

(घ) यदि वापिकी इस व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को देय हो तो यह उस सीमा तक अनुपाजित आय मानी जायगी जहाँ तक यह कटौती के रूप में स्वीकार कर दी गयी है।

(III) ऐसी आयें जो कुल आय में जोड़ी जाती हैं परन्तु आय-कर की औसत दर से अथवा २५ प्रतिशत की दर से (जो दोनों में कम हो) कर-मुक्त हैं (Incomes which are included in the Total Income but which are exempt from Income-tax at the average rate of income tax or at the rate of 25%, whichever is less)

ऐसी आयें निम्न हैं

(१) ऐसी प्रतिभूतियों पर व्याज जो केन्द्रीय सरकार द्वारा आय कर से मुक्त घोषित कर दी गयी है।

(२) ऐसी प्रतिभूतियों पर व्याज जो राज्य सरकार द्वारा आय-कर से मुक्त निर्गमित की गयी हो और जिनका जाय कर राज्य सरकार द्वारा देय हो।

(IV) ऐसी आयें जो आय-कर की औसत दर से कर-मुक्त हैं परन्तु कुल आय में सम्मिलित की जाती हैं (Incomes which are exempt from Income tax at the average rate, but which are included in Total Income)

नीचे लिखी हुई आयें आय-कर से मुक्त हैं परन्तु दर निकालने के लिए कुल आय में जोड़ी जाती हैं

(१) एक सहकारी समिति द्वारा प्राप्त निम्न आयों पर आय कर नहीं विया जाता

(क) अपने व्यापार के लाभ पर यदि वह समिति (i) अपने सदस्यों की साख की सुविधाएँ देने का अथवा बैंक का काम करती है या (ii) कुटीर उद्योग का काम करती है या (iii) अपने सदस्यों की धृषि उपज को बेचने का काम करती है या (iv) अपने सदस्यों

को देने के लिए खेती करों के औजार, बीज, जानवर आदि खरीदती है, या (v) अपने सदस्यों की कृषि उपज की विधियों (processing) में लगी हो और शक्ति का प्रयोग न करती है, या (vi) एक ऐसी प्रारम्भिक समिति है जो अपने सदस्या द्वारा एकत्रित किये हुए दूध को समुक्त दूध मूहकारी समिति को देने का कार्य करती है।

यदि कोई समिति उपयुक्त कार्यों के अतिरिक्त कोई अन्य काम भी करती है तो उन अन्य कार्यों द्वारा १५,००० रुपये से अधिक के लाभ पर यह नियम लागू नहीं होगा, अर्थात् अन्य कार्यों के १५,००० रुपये से अधिक लाभ कर योग्य है।

- (ख) उपर्युक्त समितियों के अतिरिक्त अन्य समितियाँ के व्यापार से १५,००० रुपये तक के लाभ पर।
- (ग) किसी अन्य सहकारी समिति में किये गये विनियोगों से प्राप्त व्याज तथा लाभांश पर।
- (घ) वस्तुओं को भण्डार करने के लिए अथवा विधियों के लिए अथवा विपणन (marketing) में सहायता देने के लिए दिये गये गोदामों अथवा भण्डारखानों के किंगये पर देने से प्राप्त हानि वाली आय पर।
- (ङ) यदि समिति की कुल आय २०,००० रुपये से अधिक नहीं है तो प्रतिभूतियों के व्याज तथा मकान सम्पत्ति से आय पर, बशर्ते कि वह समिति मकान बनाने वाली या नगर में स्थापित उपभोक्ता समिति या यानायात का व्यापार करने वाली समिति या शक्ति के प्रयोग से वस्तुओं निमित्त करने वाली समिति नहीं है।

(२) एक सहकारी समिति के सदस्य द्वारा समिति से प्राप्त लाभांश।

(३) किसी अधिनियम के अंतर्गत वस्तुओं के विपणन (marketing of commodities) के लिए स्थापित किसी सत्ता की वह आय जो उसे गोदाम या भण्डारखाना को भण्डार कराने अथवा वस्तुओं के विपणन में सहायता देने अथवा विधियों (processing) के लिए किराये पर उठाने से प्राप्त हो।

(४) धारा ८४ के अंतर्गत एक नये उद्योग उद्यम अथवा नये होटल में लगी हुई पूँजी के ६ प्रतिशत तक का लाभ आय कर से मुक्त है।

धारा ८४ उन उद्योग उद्यमों पर लागू होती है जो निम्न शर्तें पूरी करती हैं—(i) किसी पुराने व्यापार के तोड़ने अथवा पुनर्गठन से न बने हो, (ii) पहले से प्रयोग होती हुई कोई मशीन, इमारत आदि के हस्तांतरण से न बने हो (iii) १ अप्रैल १९४८ के बाद १८ वर्ष के अंदर भारत में वस्तुओं

का निर्माण प्रारम्भ कर दें, तथा (iv) जहा शक्ति का प्रयोग होता है वहा १० श्रमिको से अधिक और जहाँ शक्ति का प्रयोग नही होता वहा २० श्रमिको से अधिक श्रमिक निर्माण काय मे लगे ही ।

धारा ८४ उन होटलो पर लागू होती है जो

- (i) १ अप्रैल, १९६१ के बाद स्थापित हुए हा और किसी पुराने होटल के तोडने अथवा पुनगठन अथवा पहने से प्रयाग होती हुई इमारत, मशीन अथवा यंत्र के हस्तांतरण से न बना हो,
- (ii) जिमका स्वामित्व एव व्यवस्था भारत मे रजिस्टर्ड एक ऐसी कम्पनी के पास हो जिसकी चुकता पूजी कम से कम ५ लाख रुपये हो,
- (iii) कम्पनी की स्वय की इमारत मे होटल चलता हा,
- (iv) होटल मे इतने व इस प्रकार के अतिथियो के कमरे है जितने व जिस प्रकार के निर्धारित किये गये है । जिस स्थान मे होटल हो वहा की आबादी को तथा वहा आने वाले पर्यटको (tourists) को ध्यान मे रखते हुए आराम की सुविधाए देता हो,
- (v) वह होटल केन्द्रीय सरकार द्वारा इस धारा के लिए अनुमोदित हो ।

यह धारा उस कर निर्धारण वष से लागू होती है जिमके सम्बन्धित गत वष मे उसका काय प्रारम्भ हुआ हा तथा उसके बाद के चार कर निर्धारण वषों तक लागू होती है, अर्थात् इनके स्थापित होने के बाद के पाच वषों मे ये उद्योग उद्यम तथा हाटल आय-कर से मुक्त हैं ।

(५) एक अशुधारी द्वारा प्राप्त उतना लाभ जो धारा ८४ लागू होने वाले नये उद्योग उद्यम अथवा नये होटल द्वारा उस लाभ मे से बाटा गया हो जिस पर आय कर देय नही है ।

(६) एक अनरजिस्टर्ड फर्म के साझेदार का लाभ का हिस्सा यदि फर्म की कुल आय पर आय कर देय है ।

(७) किसी अन्य जगमण्डल (other association of persons) के सदस्य को प्राप्त उनका लाभ का हिस्सा यदि जनमण्डल ने स्वय अपनी कुल आय पर आय कर दे दिया है ।

(८) धारा ८६ (ii) के अन्तगत यदि कोई कर-दाता रजिस्टर्ड फर्म का साझेदार है और यदि रजिस्टर्ड फर्म ने स्वय आय कर दिया है तो फर्म की कुल आय मे उसके हिस्से की रकम तथा आय-कर घटाने के बाद बची हुई कुल आय मे मे उसके हिस्से की रकम का अन्तर आय-कर से मुक्त होता है अर्थात् रजिस्टर्ड फर्म द्वारा दिये गये आय कर के उस साझेदार के हिस्से पर

साक्षदार को अपने व्यक्तिगत वर निर्धारण में औसत दर से आय-कर की छूट दी जाती है।

(६) सब कर दाताओं को, उन कम्पनियों को छोड़कर जो भारत में लाभांश नहीं बांटती है,

(i) भारत के बाहर निर्यात (export) किये हुए माल से प्राप्त आय पर लगे हुए आय कर के $\frac{1}{2}$ भाग की छूट दी जाती है,

(ii) यदि कर-दाता निर्माता है और वह अपने द्वारा निर्मित किसी ऐसी वस्तु का निर्यात गत वर्ष में करता है, जो Industries (Development and Regulation) Act, 1951 की प्रथम अनुसूची में दिये हुए उद्योगों में से किसी में निर्मित हुई हो (कपड़ा, चीनी, सीमेंट, वनस्पति तेल, सिगरेट आदि को छोड़कर), तो उसे ऐसे निर्यात से मिली हुई विक्रय राशि के २ प्रतिशत पर आय कर की औसत दर से छूट दी जायगी। यह छूट उपर्युक्त (i) में वर्णित छूट के अतिरिक्त है, तथा

(iii) यदि उपर्युक्त (ii) में वर्णित वस्तु का निर्माता गत वर्ष में उस वस्तु का भारत में किसी व्यक्ति को बेच देता है और वह प्रथम ब्रेता उसका गत वर्ष में भारत के बाहर निर्यात कर देता है तो निर्माता को निर्यातकर्ता (exporter) से मिली हुई विक्रय राशि के २ प्रतिशत पर आय-कर की औसत दर से छूट दी जायगी।

(V) वे व्यय जो कुल आय में से घटाये नहीं जाते परन्तु आय कर की औसत दर से कर-मुक्त हैं (Expenses which are not deducted from the Total Income but are exempt from Income tax at the average rate of tax)

[नोट—भाग (A) में दिये हुए धारा ८७ के निम्न आयोजना केवल ऐसे कर दाता की दशा में लागू होंगे जिसकी कुल आय में वेतन शीपक की वर-योग्य आय सम्मिलित है तथा यह आयोजना १९६५-६६ कर निर्धारण वर्ष के बाद लागू नहीं होगी।]

(A) (१) धारा ८७ के अंतर्गत एक कर दाता अपने अथवा अपनी पत्नी या पति के जीवन पर हिन्दू अविभाजित परिवार की दशा में परिवार के किसी पुरुष सदस्य या उसकी पत्नी के जीवन पर जो बोना करता है उसके प्रीमियम की रकम आय कर से मुक्त है, परन्तु उसकी कुल आय में से घटायी नहीं जाती है। प्रीमियम की रकम पॉलिसी की रकम के १० प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा यदि कर दाता व्यक्ति है तो प्रीमियम की रकम उसकी कुल आय के $\frac{1}{2}$ अथवा १०,००० रुपये तक (जो भी कम हो) आय-कर से

मुक्त है और यदि वह एक हिन्दू अविभाजित परिवार है तो प्रीमियम की रकम उसकी कुल आय के $\frac{1}{2}$ अथवा २०,००० रुपये तक (जो भी कम हो) आय कर से मुक्त है। यह आय-कर की छूट तभी दी जाती है जब यह प्रीमियम कर योग्य आय में से दिया गया हो।

(२) एक कर्मचारी द्वारा घटानिक प्रावीडेण्ट फण्ड में दिया गया चढ़ा उसकी कुल आय के $\frac{1}{2}$ अथवा १०,००० रुपये तक (जो भी कम हो) आय कर से मुक्त है।

(३) एक स्वीकृत प्रावीडेण्ट फण्ड में कर्मचारी द्वारा दिया गया चढ़ा उसके वेतन के $\frac{1}{2}$ अथवा ८,००० रुपये तक (जो भी कम हो) आय-कर से मुक्त है।

(४) एक कर्मचारी द्वारा अनुमोदित निवृत्ति कोष (Approved Superannuation Fund) में दिया गया चढ़ा आय कर से मुक्त है।

(५) एक सरकारी कर्मचारी के वेतन में से उसकी वार्षिकी (Deferred Annuity) देन के लिए अथवा उमके स्त्री बच्चों के आयोजन के लिए काटी हुई रकम उसके वेतन के $\frac{1}{2}$ भाग तक आय कर से मुक्त है।

(६) गत वर्षों में एक व्यक्ति द्वारा Post Office Savings Bank (Cumulative Time Deposits) Rules, 1959 के अंतर्गत दसवर्षीय या पंद्रहवर्षीय खाते में जमा की हुई रकमों आय-कर से मुक्त हैं।

अधिकतम सीमा (Maximum Limit)

(१) किसी भी दिशा में उपर्युक्त सब रकमों का जोड़ जिस पर आय-कर की बटौती स्वीकृत है निम्न से अधिक नहीं होगा

(क) एक ऐसे व्यक्ति की दशा में जो लेखक, नाटक लेखक, कलाकार, गायक अथवा अभिनेता है तथा जिसने अपने अथवा अपनी पत्नी अथवा अपने पति के जीवन पर १ मार्च, १९६४ से पूर्व धीमा करा लिया है तथा गत वर्ष में उसने ऐसे धीमे का कोई प्रीमियम दिया है तो ऐसे पक्षों की आय का $३३\frac{1}{3}\%$ तथा शेष आय २५% अथवा १०,००० रु० को ऐसे पक्षों की आय का $८\frac{1}{2}\%$ से बढ़ाकर जो रकम आये (बशर्ते कि यह बढ़ी हुई रकम किसी भी दशा में १५,००० रु० से अधिक न हो) जो भी दोनों में कम हो,

(ख) अथ किसी व्यक्ति की दशा में (लेखक, नाटक लेखक, कलाकार, गायक अथवा अभिनेता सहित जिन पर उपर्युक्त (क) में वर्णित नियम न लागू होता हो) कुल आय का २५% अथवा १०,००० रु०, जो भी दोनों में कम हो,

(ग) एक हिन्दू अविभाजित परिवार की दशा में कुल आय का २५% अथवा २५,००० रु०, जो भी दोनों में कम हो।

(११) उपर्युक्त (A) में वर्णित (१) से ६ तक की रकमों पर मुक्त कुल

आय कर की रकम किसी भी दशा में (१) से (६) तक वर्णित रकमों के जोड़ के आधे से अधिक नहीं हो सकती है।

(B) शिक्षा सम्बन्धी व्ययों पर छूट (Rebate on educational expenses in certain cases)—धारा ८७ A के अन्तर्गत यदि

(i) कर दाता एक ऐसा निवासी व्यक्ति है जो भारत का नागरिक नहीं है,

(ii) कर दाता पर आश्रित उमका कोई बच्चा अथवा बच्चे भारत के बाहर किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल अथवा अथ किसी शिक्षा संस्था में पढ़ रहे हैं

(iii) बच्चे की आयु २१ वर्ष से अधिक नहीं है, तथा

(iv) गत वर्ष में कर दाता ने अपने उपयुक्त वर्णित बच्चे अथवा बच्चों की शिक्षा पर अपनी कर योग्य आय में से व्यय किया है तो ऐसा शिक्षा सम्बन्धी व्यय आय कर से मुक्त होगा परन्तु व्यय की रकम निम्न से अधिक मुक्त नहीं होगी

(अ) एक बच्चे की दशा में—२,००० रुपये अथवा कुल आय का $\frac{1}{2}$ भाग (जो दोनों में कम हो)।

(आ) एक से अधिक बच्चों की दशा में—४,००० रुपये अथवा कुल आय का $\frac{1}{2}$ भाग (जो दोनों में कम हो)।

(C) पुण्याय दिये हुए दान (Charitable Donations)—धारा ८८ के अन्तर्गत निम्न दान आय कर से मुक्त है

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय रक्षा कोष (National Defence Fund) में दिये गये दान, अथवा

(ii) जवाहरलाल नेहरू स्मृति कोष (Jawaharlal Nehru Memorial Fund) में दिये गये दान, अथवा

(iii) सरकार अथवा किसी स्थानीय मन्त्रालय को १ अप्रैल, १९६० को अथवा उसके बाद किसी पुण्याय कार्य के लिये दिये गये दान, अथवा

(iv) भारत में स्थापित किसी पुण्याय संस्था को दिये गये दान वस्तुतः कि यह संस्था निम्न शर्तों पूरी करती है

(क) आय कर अधिनियम की धाराएँ ११ अथवा १२ के अन्तर्गत इसकी आय कुल आय में शामिल नहीं की जाती है अथवा यह एक विश्वविद्यालय अथवा अन्य कोई शिक्षा संस्था है जो केवल शिक्षा के लिये है न कि लाभ के लिए।

(ख) इस संस्था के नियमों के अनुसार यह अपनी आय अथवा सम्पत्ति का कोई भाग भी गैर-पुण्याय कार्य में नहीं लगा सकती है।

(ग) यह सस्या किसी विशेष जाति अथवा धर्म के हित के लिए न बनी हो। अनुसूचित व पिछड़ी हुई जातियों अथवा स्त्रियों तथा बच्चों के हित के लिए बनी हुई सस्याएँ किसी विशेष जाति अथवा धर्म के हित के लिए नहीं मानी जायेंगी।

(घ) वह सस्या अपनी आय व्यय का हिसाब नियमित रूप से रखती है।

(ङ) वह सस्या एक सावजनिक पुण्याय ट्रस्ट है अथवा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, १८६० अथवा भारतीय कम्पनी अधिनियम, १९५६ के अंतर्गत रजिस्टर्ड है अथवा कानून द्वारा स्थापित कोई विश्वविद्यालय है अथवा अथवा कोई शिक्षा सस्या है या सरकार द्वारा अथवा किसी विश्वविद्यालय द्वारा माय है अथवा कोई ऐसी सस्या है जो सरकार अथवा स्थानीय सत्ता द्वारा पूण अथवा आंशिक आर्थिक सहायता प्राप्त करती है।

(व) किसी मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर अथवा अन्य ऐसे स्थान की मरम्मत अथवा नवीनीकरण के लिए दिये गये दान कर से मुक्त हैं, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजकीय पत्र में ऐतिहासिक अथवा कलात्मक महत्त्व के अथवा किसी राज्य भर में प्रसिद्ध सावजनिक पूजा के स्थान घोषित कर दिये गये हैं।

नोट—धारा ८८ के अंतर्गत कर की छूट केवल ऐसे दानों के सम्बन्ध में मिलती है जो रोकड़ी दिये गये हों। (Vide Board's Circular No F 10/111/63—I T (AI) dated 17th January, 1964)

दानों पर कर की छूट (Rebate on Donations)

एक कम्पनी की दशा में कर से छूट उसकी कुल आय पर लागू आय कर की औसत दर से अथवा २५ प्रतिशत की दर से, जो दोनों में कम हो, दी जायेगी। अन्य किसी दशा में कर से छूट आय कर की औसत दर से दी जायेगी। धारा ८८ के अंतर्गत दी गयी कर की छूट किसी भी दशा में कर-मुक्त दानों की रकम के आधे से अधिक नहीं होगी।

उपयुक्त कर की छूट तभी स्वीकृत होगी जबकि यह दान दाता की कर-योग्य आय में से दिये गये हों तथा जबकि गत वर्ष में दिये गये दानों का योग २५० रु० से कम न हो।

दो लाख रुपये अथवा कुल आय (आय कर से मुक्त राशियों को घटाने के बाद) के १० प्रतिशत (जो दोनों में कम हो) से अधिक दान की रकम पर कर की छूट नहीं दी जायेगी।

गत वर्ष में दिये गये दानों में यदि कोई ऐसे दान भी सम्मिलित हैं जो उपयुक्त वाक्यांश (v) में वर्णित हैं तथा दिये गये कुल दानों का योग २ लाख

रूपये से अधिक है तो उपर्युक्त अधिकतम सीमा उस रकम से बढ़ा दी जायेगी जितनी रकम ऐसे दाना से सम्बन्धित है और दो लाख रूपये के ऊपर है। किसी भी दशा में बढ़ी हुई अधिकतम सीमा कुल आय (कर मुक्त राशियों को घटाने के बाद) के १० प्रतिशत अथवा ५ लाख रूपये (दोनों में जो कम है) से अधिक नहीं होगी।

केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय रक्षा कोष अथवा जवाहरलाल नेहरू स्मृति कोष (Jawaharlal Nehru Memorial Fund) में दिये गए दान उपर्युक्त अधिकतम सीमा निकालने के लिए शामिल नहीं किये जायेंगे।

(VI) ऐसी आय जो कुल आय में शामिल की जाती है तथा जिस पर २५ प्रतिशत की दर से अधिक दर पर आय कर देय नहीं है (Income which is included in Total Income and on which Income-tax is not payable at a rate in excess of 25%)

एक कम्पनी द्वारा किसी भारतीय कम्पनी अथवा ऐसी कम्पनी जिसने भारत में लाभांश घोषित तथा भुगतान करने का निर्धारित प्रबंध कर दिया है, से प्राप्त लाभांश की आय पर २५ प्रतिशत की दर से अधिक दर पर आय कर नहीं लगेगा।

QUESTIONS

1 The Indian Income Tax Act confers absolute exemption in respect of certain incomes while some incomes are included in the total income for determining the rate only Explain these provisions fully

आय-कर अधिनियम के अनुसार कुछ आयें पूर्णतया मुक्त हैं तथा कुछ आयें दर निकालने के लिए कुल आय में सम्मिलित की जाती हैं। इन नियमों को पूर्णतया समझाइए।

2 Write short notes on

(a) Casual Income

(b) Charitable Donations

(c) Income of Charitable or Religious Trusts and Institutions

निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए

(अ) आकस्मिक आय।

(आ) पुण्याय दिये हुए दान।

(इ) पुण्याय अथवा धार्मिक ट्रस्टों तथा संस्थाओं की आय।

- 3 State the provisions of Section 88 in respect of exemption of donations for charitable purposes and Section 84 and 85 in respect of exemptions from tax on newly established industrial undertakings

पुण्याय लिय हुए दान की मुक्ति के सम्बन्ध में धारा ८८ तथा नये स्थापित उद्योग उद्यम पर धारा ८४ व ८५ के अंतगत कर से मुक्ति के सम्बन्ध में दिय हुए विधान का बणन कीजिए ।

- 4 Discuss the provisions of Income Tax Act regarding deduction in respect of life insurance premium, annuities contributions to provident fund etc

जीवन-बीमा प्रीमियम, वार्षिकियाँ, प्रावीडेंट फण्ड में अशदान आदि के सम्बन्ध में जाय कर अधिनियम के अंतगत स्वीकृत कटौती के आयाजना का बणन कीजिए ।

- 5 What are the classes of income to which the Income Tax Act does not apply ?

किन किन प्रकार की आमदनिया में आय कर अधिनियम नहीं लागू होता ?

- 6 What are the conditions to be satisfied by a charitable institution for obtaining exemption from income tax on its income ?

एक पुण्याय संस्था का आय कर से मुक्ति प्राप्त करने के लिए निम्न शर्तों को पूरा करना पड़ता है ?

- 7 Enumerate briefly the several concessions and reliefs provided under the Income Tax Law for stimulating the growth of Industries in India

भारत में उद्योगों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए आय कर विधान के अंतगत जो कुछ रियायतें तथा छूटें दी गयी हैं उनका संक्षेप में बणन कीजिए ।

- 8 The Indian Income Tax Act confers absolute exemption in respect of certain types of income while certain others are exempted only for purposes of determining the taxable income

Explain the provisions relating to both types of exemption of income for purposes of computing tax liability of an individual

भारतीय आय-कर अधिनियम के अनुसार कुछ आयें पूर्णतया मुक्त हैं तथा कुछ केवल कर योग्य आय निवालन के लिए मुक्त हैं ।

एक व्यक्ति का कर-दायित्व निवालने के लिए दोनों तरह की आय की मुक्तियों के सम्बन्ध में विधान का बणन कीजिए ।

- 9 The Indian Income Tax Act confers absolute exemption in respect of certain types of income, while certain others are exempted and yet included in the total income for determining the rate at which tax will be levied on the chargeable income

I numerate the above items of income and explain the provisions of the Income Tax Law relating to them

भारतीय आय-कर अधिनियम के अनुसार कुछ आयें पूर्णतया मुक्त हैं, तथा कुछ जय मुक्त हान हुए भी कुल आय में कर योग्य आय पर कर की दर निर्वाहन के लिए सम्मिलित की जाती है।

उपयुक्त मदों का लिये तथा उनके सम्बन्ध में आय-कर विधान के आयोजना का समझाए।

आय के शीर्षक

[HEADS OF INCOME]

(१) वेतन (1) SALARIES

आय-कर अधिनियम की धारा १४ के अनुसार कर लगान और कुल आय की गणना करन के लिए सब आया को निम्नलिखित ६ शीपको में विभाजित किया गया है

- (१) वेतन (Salaries),
- (२) प्रतिभूतिया पर ब्याज (Interest on securities),
- (३) मकान सम्पत्ति से आय (Income from house property),
- (४) व्यापार अथवा पेशे के लाभ (Profits and gains of business or profession),
- (५) पूजी लाभ (Capital gains), तथा
- (६) अ य साधनों स आय (Income from other sources) ।

प्रत्येक कर दाता की सब प्रकार की आय, (जा कर योग्य है) उपयुक्त शीपको म से किसी के अ तगत लिखी जाती है। जिन आयो का प्रथम पाच शीपको म स किसी म स्थान नहीं मिलता और वे कर योग्य ह ता वह छठे शीपक के अ तगत लिखी जाती है। प्रत्येक शीपक में कर योग्य आय निकालने स पहल उस शीपक की सकल आय म से कुछ छूटें और रिआयतें दी जाती है, जो प्रत्येक शीपक के अ तगत भिन्न भिन्न है। प्रत्येक शीपक की कर योग्य आय की गणना करन के लिए आय कर अधिनियम में पृथक पृथक धाराएँ दी गयी है जा निम्न प्रकार है

- (१) वेतन—धाराएँ १५ से १७ तक,
- (२) प्रतिभूतिया पर ब्याज—धाराएँ १८ से २१ तक,
- (३) मकान सम्पत्ति से आय—धाराएँ २२ से २७ तक,
- (४) व्यापार अथवा पेशे के लाभ—धाराएँ २८ से ४४ तक,
- (५) पूजी लाभ—धाराएँ ४५ से ५४ तक, और
- (६) अ य साधना स आय—धाराएँ ५६ से ५६ तक ।

अब भिन्न भिन्न शीपको के अन्तगत कर योग्य आय की गणना करने की विधियों का वर्णन किया जायगा ।

(१) वेतन (1) (Salaries)

धारा १५ के अनुसार वेतन शीपक के अन्तगत निम्न आयें कर योग्य हैं

(क) कोई वेतन जो एक कर दाता को, अपने वर्तमान अथवा पहले के मालिक से गत वष म प्राप्त हो चाहे वह वास्तव में प्राप्त हुआ हो या न हुआ हो,

(ख) कोई वेतन जो एक कर दाता को प्राप्त न हो अथवा प्राप्त होने से पूर्व, अपने वर्तमान अथवा पहले के मालिक से जयवा उसकी ओर से गत वष में प्राप्त हो जाय अथवा उससे स्वीकृत हो जाय,

(ग) कर दाता का अपने वर्तमान अथवा पहले के मालिक से अथवा उसकी ओर से वष म वेतन की कोई पुरानी बकाया रकम प्राप्त हुई हो अथवा उससे स्वीकृत हुई हो यदि उस पर किसी पिछले गन वष में कर न लग चुका हो ।

स्पष्टीकरण—यदि किसी व्यक्ति द्वारा अग्रिम प्राप्त वेतन किसी गत वष में उसकी कुल आय में शामिल कर लिया गया है, तो बाद में जब वह वेतन प्राप्य (due) होगा उसकी कुल आय में दुबारा शामिल नहीं किया जायगा ।

परिभाषाएँ—अधिनियम की धारा १७ में निम्न परिभाषाएँ दी गयी हैं

(क) वेतन (Salary)

(ख) अनुलाभ (Perquisites) और

(ग) वेतन के स्थान में लाभ (Profits in lieu of salary) ।

(क) वेतन (Salary)

वेतन में निम्न शामिल हैं

(i) मजदूरी (Wages),

(ii) कोई वार्षिकी अथवा पेंशन (Annuity or Pension),

(iii) कोई ग्रेच्युइटी (Gratuity),

(iv) कोई फीस, कमीशन, अनुलाभ अथवा वेतन या मजदूरी के स्थान

में या उसके अतिरिक्त लाभ

(v) कोई अग्रिम वेतन,

(vi) एक कर्मचारी के स्वीकृत प्रॉवीडेंट फण्ड के शेप में वार्षिक वृद्धि

उस सीमा तक जो अनुसूची ४ के भाग अ' के 'छठे' नियम के अनुसार कर देय है अर्थात् वेतन का १० प्रतिशत से अधिक मालिक का अशदान तथा प्रॉवीडेंट फण्ड पर ६ प्रतिशत से अधिक अथवा वेतन के १५ भाग से अधिक प्रॉवीडेंट फण्ड पर ब्याज, तथा

(vii) उन सब रकमा का जोड़, जो अनुसूची ४ के भाग 'अ' के नियम ११ (२) के अनुसार एक स्वीकृत प्रॉवीडेण्ट फण्ड के सदस्य के हस्तांतरित शेष' (Transferred Balance) में शामिल है। हस्तांतरित शेष' की परिभाषा इसी अध्याय में आगे दी गयी है। यह केवल उस सीमा तक शामिल होता है जहां तक यह नियम ११ (४) के अनुसार कर देय है।

(ख) अनुलाभ (Perquisites)

'अनुलाभ' शब्द में निम्न शामिल हैं

(i) कर दाता का अपन मालिक से मिला हुआ किराया से मुक्त रहने के मकान का मूल्यांकन,

(ii) कर दाता का अपने मालिक से मिले हुए रहने के मकान के किराये में रियायत का मूल्यांकन,

(iii) निम्नलिखित में से किसी दशा में बिना मूल्य के या रियायती दर पर मिली हुई सुविधा का मूल्यांकन (जैसे, मोटरकार, गस, बिजली, पानी, शिक्षा, यातायात आदि की सुविधाएँ)

(अ) एक कम्पनी द्वारा अपने ऐसे कर्मचारी को जो उसका संचालक हो,

(आ) एक कम्पनी द्वारा अपने ऐसे कर्मचारी को जिसका इस कम्पनी में पर्याप्त हित हो,

(इ) किसी मालिक द्वारा (जो एक कम्पनी भी हो सकता है) अपने ऐसे कर्मचारी का जिस पर उपयुक्त (अ) तथा (आ) में दिया हुआ विवरण लागू होता हो और जिसकी वेतन शीपक के अंतर्गत आय (अथवा सुविधाओं अथवा लाभों का छाड़कर जिनका मुद्रा में भुगतान न होता हो) १८,००० रुपये से अधिक हो,

(iv) मालिक द्वारा किया हुआ किसी ऐसे दायित्व की रकम का भुगतान जो यदि मालिक भुगतान न करता तो कर दाता को करना पड़ता, तथा

(v) मालिक द्वारा कर दाता के जीवन-काल में लिए अथवा एक वार्षिकी के अनुबन्ध में लिए दी हुई रकम जो स्वीकृत प्रॉवीडेण्ट फण्ड अथवा अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड में से न दी गयी हो, चाहे सीधी अथवा अन्य किसी फण्ड में दी गयी हो।

उपयुक्त दिये हुए सब अनुलाभों का मूल्य कर्मचारी की कुल आय में वेतन व शीपक में जोड़ा जाता है। परन्तु Central Board of Direct Taxes के आदेशानुसार निम्न का वेतन में नहीं जोड़ा जाता

(i) चिकित्सा के सम्बन्ध में किये गये व्ययों की क्षति-पूर्ति,

(ii) कर्मचारी को दिये गये रहने के मकान में यदि बगीचा हो तो उसकी देखभाल के लिए माली को दिया गया वेतन,

(iii) मालिक द्वारा कर्मचारी को दिये गये नाश्ते आदि की सुविधा, परन्तु इसमें भाजन शामिल नहीं है।

अनुलाभो का मूल्यांकन (Valuation of Perquisites)

सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्स (Central Board of Direct Taxes) द्वारा बनाये हुए नियमों के अनुसार अनुलाभो का मूल्यांकन (जा मुद्रा रूप में नहीं मिलते) निम्न प्रकार किया जाता है

(I) किराये से मुक्त रहने के मकान का मूल्यांकन (Valuation of Rent-free House)

साधारणतया एक किराये से मुक्त रहने के मकान का मूल्यांकन निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है

(1) यदि वह मकान फर्नीचर आदि आवश्यक वस्तुओं से सुसज्जित नहीं है तो वेतन का १० प्रतिशत, अथवा

(ii) यदि वह मकान फर्नीचर आदि आवश्यक वस्तुओं से सुसज्जित है तो वेतन का १२½ प्रतिशत।

दोनों दशाओं में यदि उचित किराया (fair rent) इन प्रतिशतों से कम है तो उचित किराया ही मकान का मूल्यांकन माना जायेगा और यदि किराये से मुक्त रहने के मकान का उचित किराया अथवा मूल्यांकन उपयुक्त प्रकार से निकाले हुए मूल्यांकन के दुगुने से अधिक हो तो यह आधिक्य उस मकान के उपयुक्त प्रकार से निकाले हुए मूल्यांकन में जोड़ दिया जायेगा, अर्थात् बिना सजे हुए मकान की दशा में मकान का उचित किराया अथवा मूल्यांकन वेतन के २० प्रतिशत से अधिक है और सजे हुए मकान की दशा में वेतन के २५ प्रतिशत से अधिक है तो २० अथवा २५ प्रतिशत से ऊपर की रकम १० अथवा १२½ प्रतिशत के हिसाब से निकाले हुए मूल्यांकन में कमश जोड़ दी जाती है।

Central Board of Direct Taxes के आदेशानुसार यदि मकान कलकत्ता बम्बई, मद्रास तथा दिल्ली में स्थित है तो सुसज्जित मकान की दशा में यदि मकान का उचित किराया वेतन के ३७½ प्रतिशत में अधिक है तो यह आधिक्य वेतन के १२½ प्रतिशत में जाकर किराये से मुक्त रहने के मकान का मूल्यांकन होगा तथा अनुसज्जित मकान की दशा में यदि मकान का उचित किराया वेतन के ३० प्रतिशत से अधिक है तो यह आधिक्य वेतन के १० प्रतिशत में जोड़कर किराये से मुक्त रहने के मकान का मूल्यांकन होगा। इन नियमों का स्पष्टीकरण निम्न उदाहरणों से हो जायेगा।

(१) अनुसज्जित मकान—कर्मचारी का वार्षिक वेतन ५०,००० रु० है तो

(1) यदि उस मकान का उचित किराया ४,५०० रुपये वार्षिक है तो वार्षिक वेतन का १० प्रतिशत ५,००० रुपये होना है तथापि ४,५०० रुपये ही

मकान का मूल्यांकन माना जायेगा, क्योंकि ४,५०० रु० (जो उचित किराया है) वेतन के १० प्रतिशत से कम है।

(ii) यदि मकान का उचित किराया ५,५०० रु० वार्षिक है तो ५,००० रु० ही मकान का मूल्यांकन माना जायेगा, क्योंकि यह वेतन का १० प्रतिशत है और उचित किराया से कम है।

(iii) यदि मकान का उचित किराया ११,००० रु० वार्षिक है तो मकान का मूल्यांकन निम्न प्रकार निकाला जायेगा

वार्षिक वेतन ५०,००० रु० का १० प्रतिशत	५,००० रु०
+ ५०,००० रु० के २० प्रतिशत से अधिक उचित किराया, अर्थात् (११,०००—१०,०००)	१,००० रु०
किराये से मुक्त बिना सजे हुए मकान का मूल्यांकन	<u>६,००० रु०</u>

(iv) यदि मकान का उचित किराया १६,००० रु० वार्षिक है तथा मकान कलकत्ता, बम्बई, मद्रास अथवा दिल्ली में स्थित है तो मकान का मूल्यांकन निम्न प्रकार निकाला जायेगा

वार्षिक वेतन ५०,००० रु० का १० प्रतिशत	५,००० रु०
+ ५०,००० रु० के ३० प्रतिशत से अधिक उचित किराया, अर्थात् (१६,०००—१५,०००)	१,००० रु०
किराये से मुक्त बिना सजे हुए मकान का मूल्यांकन	<u>६,००० रु०</u>

(२) फर्नीचर आदि से सुसज्जित मकान—कर्मचारी का वार्षिक वेतन ५०,००० रु० है तो

(1) यदि उस मकान का उचित किराया ६,००० रु० वार्षिक है तो यद्यपि वेतन का १२½ प्रतिशत ६,२५० रु० होता है तथापि ६,००० रु० ही मकान का मूल्यांकन माना जायेगा क्योंकि ६,००० रु० (जो उचित किराया है) वेतन के १२½ प्रतिशत से कम है।

(ii) यदि मकान का उचित किराया ७,००० रु० वार्षिक है तो ६,२५० रु० ही मकान का मूल्यांकन माना जायेगा, क्योंकि यह वेतन का १२½ प्रतिशत है और उचित किराया से कम है।

(iii) यदि मकान का उचित किराया १३,००० रु० वार्षिक है तो मकान का मूल्यांकन निम्न प्रकार निकाला जायेगा

वार्षिक वेतन ५०,००० रु० का १२½ प्रतिशत	६,२५० रु०
+ ५०,००० रु० के २५ प्रतिशत से अधिक उचित किराया, अर्थात् (१३,०००—१२,५००)	५०० रु०
किराये से मुक्त सजे हुए मकान का मूल्यांकन	<u>६,७५० रु०</u>

(iv) यदि मकान का उचित किराया २०,००० रु० वार्षिक है तथा मकान बलकत्ता, बम्बई, मद्रास अथवा दिल्ली में स्थित है तो मकान का मूल्यांकन निम्न प्रकार निकाला जायेगा

वार्षिक वेतन ५०,००० रु० का १२ $\frac{1}{2}$ प्रतिशत	६,२५० रु०
+ ५०,००० रु० के ३७ $\frac{1}{2}$ प्रतिशत में अधिक उचित किराया, अर्थात् (२०,०००—१८,७५०)	१,२५० रु०
किराये से मुक्त सजे हुए मकान का मूल्यांकन	<u>७,५०० रु०</u>

(II) रिआयती किराये पर मिले हुए रहने के मकान की रिआयत का मूल्यांकन (Valuation of the concession in respect of the residential accommodation provided at a concessional rent)

यदि कोई मालिक अपने कर्मचारी को रहने के लिए मकान भुगतान नहीं देना परंतु कम किराये (concessional rent) पर देता है तो कर्मचारी के वेतन में इस सुविधा के लिए जो रकम जोड़ी जायेगी वह निम्न प्रकार निकाली जायेगी

पहले इस मकान का मूल्यांकन इस प्रकार निकाला जायेगा जैसे कि मानो यह मकान बिलकुल बिना किराया लिये कर्मचारी को रहने के लिए दिया गया हो (जैसा कि उपर्युक्त उदाहरण में स्पष्ट किया गया है)। तत्पश्चात् इस मूल्यांकन में से कर्मचारी द्वारा दिया गया वास्तविक किराया घटा दिया जायेगा और जो शेष रकम बचेगी वही रकम कर्मचारी के वेतन में इस Concessional Rent की सुविधा के लिए जोड़ी जायेगी। उदाहरण, यदि कर्मचारी उपर्युक्त उदाहरण १ (i) में २००० रु० वार्षिक किराया देता है तो इस रिआयत का मूल्यांकन $(४,५०० - २,०००) = २,५००$ रु० होगा जो उसके वेतन में जोड़ा जायेगा। उदाहरण १ (ii) में इसी प्रकार $(५,००० - २,०००) = ३,०००$ रु० किराये की रिआयत का मूल्यांकन होगा जो उसके वेतन में जोड़ा जायेगा।

वार्षिक वेतन—किराये से मुक्त रहने के मकान का मूल्यांकन निकालने के सम्बन्ध में वार्षिक वेतन से अभिप्राय उस वेतन से है जिसमें वेतन के अतिरिक्त मिले हुए भत्ते, बोनस अथवा कमीशन (जिनका मासिक अथवा चार-चौकी किसी प्रकार से भुगतान होता है) शामिल है, लेकिन निम्न शामिल नहीं हैं

- (i) महंगाई भत्ता वगैरह कि यह कर्मचारी के सुपरान्युएशन (Super annuation) अथवा अवकाश सम्बन्धी सुविधाओं (Retirement Benefits) की गणना करने में शामिल नहीं होता है
- (ii) कर्मचारी के प्रॉवीडेण्ट फण्ड में दिया गया मालिक का अदान, तथा
- (iii) वह भत्ते जो कर से मुक्त हैं।

उचित किराया (Fair Rent)—उचित किराये से निम्न आशय है

(i) सरकार द्वारा अपने अफसर को दिया हुआ बिना किराये का मकान—
इस दशा में इस मकान का उचित किराया उन नियमों के अनुसार निवाला जायेगा जो सरकार द्वारा अपने अफसरों के रहने के लिए Allot किये हुए मकान के सम्बन्ध में सरकार का देय किराया निवाला के लिए बनाये गये हैं।

(ii) अय मालिकों द्वारा अपने कर्मचारी को दिया हुआ बिना किराये का मकान—यदि वह मकान अमुसज्जित (unfurnished) है तो उस मकान का नगर महापालिका अथवा नगरपालिका का मूल्यांकन अथवा उस क्षेत्र में इस प्रकार के अय मकानों का वास्तविक किराया (जो दोनों में अधिक हो), वही उचित किराया होगा। यदि वह मकान सुसज्जित है तो पहले उस मकान का उचित किराया एक बिना सजे हुए मकान (unfurnished house) की तरह से निवाला जायेगा, तत्पश्चात् उसमें फर्नीचर का वास्तविक किराया (यदि फर्नीचर किराये पर है) अथवा यदि फर्नीचर मालिक का ही है तो उमकी मूल लागत का १० प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से जाड़ दिया जायेगा। इन दोनों का जोड़ सजे हुए मकान का उचित किराया (fair rent) होगा।

(III) मोटरकार

यदि मोटरकार मालिक की है—(i) मालिक द्वारा कर्मचारी के निजी प्रयोग के लिए दो हुई मोटरकार की सुविधा का मूल्य वह रकम होगी जो मालिक ने उस मोटर के रखने तथा चलाने के सम्बन्ध में (मय घिसाई आदि के) सम्बन्धित गत वर्ष में व्यय की हो।

(ii) यदि मोटरकार फर दाता (कर्मचारी) को आशिक रूप में निजी प्रयोग के लिए तथा आशिक रूप में मालिक ने अपने ध्यापार के प्रयोग के लिए दी हो तो इस मोटर के रखने व चलाने के सम्बन्ध में मालिक ने वास्तव में जो कुछ भी व्यय किया है (मय घिसाई आदि के) उसमें से उतनी रकम कर्मचारी के वेतन में मोटर की सुविधा के अनुलाभ के रूप में जोड़ ली जायेगी जितनी कि उचित रूप से उसके निजी प्रयोग के लिए व्यय की हुई समझी जाय, पर तु यदि इस प्रकार से मोटरकार के अनुलाभ का मूल्यांकन करने में कठिनाई आय तो इस अनुलाभ का मूल्यांकन निम्न प्रकार किया जा सकता है

(अ) यदि मोटरकार को रखने व चलाने का पूरा व्यय मालिक राहून करता है तो (i) यदि मोटर १६ हॉर्स पावर तक की है तो १५० रु०* प्रति मास की दर से इस अनुलाभ का मूल्य होगा और (ii) यदि मोटर १६ हॉर्स पावर से अधिक की है तो २५० रु०* प्रति मास की दर से अनुलाभ का मूल्य होगा।

* Vide Rule 2 of The Income Tax (Second Amendment) Rules 1964

(आ) यदि मोटरकार को रखने व चलाने के वे व्यय जो कमचारी के अपने निजी प्रयोग के सम्बन्ध में हो, कर दाता अर्थात् कमचारी स्वयं अपनी जेब से देता है तो (i) यदि माटरकार १६ हॉर्स पावर तक की है तो ६० रु०* प्रति मास की दर से और (ii) यदि मोटरकार १६ हॉर्स पावर से अधिक की है तो १०० रु०* प्रति मास की दर से कर दाता को प्राप्त अनुलाभ का मूल्य होगा।

यदि मोटरकार कर दाता की है तो यदि मोटरकार को रखने व चलाने का व्यय मालिक महन करता है तो मालिक द्वारा किये गये वास्तविक व्यय का वह भाग कर दाता के अनुलाभ का मूल्य होगा जो आय-कर अधिकारी की सम्मति में कर दाता के निजी प्रयोग के लिए उचित हो।

यदि मालिक ने कर दाता को अथवा कोई सवारी प्रयोग करने के लिए दी है और उसका रखने व चलाने का व्यय मालिक सहन करता है तो इस वास्तविक व्यय में से जितनी रकम आय कर अधिकारी की सम्मति में, कर दाता के निजी प्रयोग के सम्बन्ध में उचित हो वही इस अनुलाभ का मूल्यांकन होगा।

(IV) गैस, बिजली अथवा पानी

मालिक द्वारा कमचारी को अपने घरेलू प्रयोग के लिए दी हुई मुफ्त गैस, बिजली अथवा पानी की सुविधा का मूल्य वह रकम होती है जो मालिक ने इस सम्बन्ध में गैस, बिजली अथवा पानी देने वाली संस्था को भुगतान की हो अर्थात् मालिक ने अपने कमचारी द्वारा प्रयोग की हुई गैस, बिजली अथवा पानी के बिला की जितनी रकम का भुगतान किया हो वही इस अनुलाभ का मूल्यांकन होगा, परन्तु (i) यदि यह सुविधा मालिक अपने ही साधनों में से देता है, अर्थात् इनके बिला का किसी बाहरी संस्था को भुगतान नहीं करता तो इस अनुलाभ का कोई मूल्य नहीं होगा, तथा (ii) यदि आय कर अधिकारी को यह विश्वास हो जाय कि मालिक द्वारा दी हुई गैस, बिजली अथवा पानी की सुविधा को कर-दाता अपने कार्यालय के कतव्यों का पालन करने में प्रयोग करता है तो इस अनुलाभ का मूल्यांकन मालिक द्वारा इस सम्बन्ध में चुकायी गयी रकम अथवा कर दाता के वेतन का ६ $\frac{1}{4}$ प्रतिशत (जो भी दोनों में कम हो) होगा।

(V) शिक्षा

मालिक द्वारा कमचारी के परिवार के किसी सदस्य को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करने की सुविधा का मूल्य वह रकम होती है जो मालिक ने इस सम्बन्ध में वास्तव में व्यय की हो, और यदि वह शिक्षा संस्था मालिक द्वारा (अपने

* Vide Rule 2 of The Income Tax (Second Amendment) Rules 1964

कर्मचारियाँ के हित के लिए) स्वयं गलायी जाती है तो इस प्रकार की अन्य भिन्ना सम्पत्ति में जो उचित व्यय होता वही इस सुविधा का मूल्य समझा जायगा।

(VI) यातायात की सुविधा

मालिक द्वारा अपने कर्मचारी या उसके परिवार को दी हुई निःशुल्क अथवा रियायती दर पर यातायात की सुविधा का मूल्य शून्य माना जाता है यदि मालिक का स्वयं का यातायात का व्यापार है और यह सुविधा मालिक की अपनी ही गाड़ियों के सम्बन्ध में है।

(VII) अन्य सुविधाएँ

मालिक द्वारा दी हुई अन्य किसी सुविधा का मूल्य वह माना जायेगा जो आय-कर अधिकारी की मम्मति में उचित हो।

(ग) वेतन के स्थान में लाभ (Profits in lieu of Salary)

वेतन के स्थान में लाभ में निम्न शामिल हैं

(i) कर दाता द्वारा अपने वर्तमान अथवा किसी पहले मालिक से, नौकरी से हटाने के सम्बन्ध में अथवा नौकरी की शर्तों में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में, प्राप्त हान वाली क्षति पूर्ति की कोई रकम,

(ii) किसी वर्तमान अथवा भूतपूर्व मालिक द्वारा कर-दाता को दिये अथवा दिया हुआ कोई भुगतान। यदि यह भुगतान किसी प्रॉवीडेण्ट फण्ड या अन्य फण्ड में से होता है (जो अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड नहीं है) तो स्वयं कर दाता का अज्ञान तथा उस पर व्याज की रकम इनमें शामिल नहीं की जाती। उदाहरणार्थ, अस्वीकृत प्रॉवीडेण्ट फण्ड से मिली हुई कुल रकम में से कर-दाता का अज्ञान तथा उस पर व्याज घटाने के बाद जो रकम बचती है उसे वेतन के स्थान में लाभों में सम्मिलित किया जाता है। परन्तु धारा १० के वाक्यांश १०, ११, १२ व १३-अ में दिये हुए निम्न भुगतान 'वेतन के स्थान में लाभ' में शामिल नहीं किये जायेंगे

(१) Death cum Retirement Gratuity जो केन्द्रीय सरकार के पेंशन के संशोधित नियमों के अन्तर्गत मिली हो अथवा राज्य सरकार, स्थानीय सत्ता या विधान द्वारा स्थापित किसी निगम की ऐसी ही योजना के अन्तर्गत मिली हो।

(२) Defence Services में लागू होने वाले New Pension Code के अन्तर्गत १ जून, १९५३ के बाद मिली हुई Retiring Gratuity की रकम।

(३) अन्य कोई Gratuity की रकम, जो प्रति सम्पूर्ण वर्ष की सेवा पर आधे माह के वेतन से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह आधे माह के वेतन की रकम की गणना Gratuity मिलने वाले वर्ष से ठीक पूर्व तीन वर्ष के वेतन के

मासिक औसत के आधार पर की जायेगी। उपयुक्त प्रकार में निकाली गयी Gratuity की रकम किसी भी दशा में निम्न में अधिक नहीं होनी चाहिए

(क) २४,००० रुपये, अथवा

(ख) १५ माह का वेतन, जो भी दोना में कम हो।

(४) वैधानिक प्रॉवीडेंट फण्ड से मिली हुई राशि।

(५) प्रमाणित प्रॉवीडेंट फण्ड से मिली हुई राशि।

(६) कर दाता द्वारा अपने रहने के मकान के सम्बन्ध में किये गये किराये के व्यय की पूर्ति के लिए उसके मालिक द्वारा दिया गया विशेष भत्ता जो ३०० रुपये मासिक की दर से अधिक नहीं होना चाहिए।

उपयुक्त परिभाषा के अनुसार वेतन के स्थान में मिले हुए सब लाभों की कर्मचारी की कुल आय में वेतन के शीपक में जोड़ा जाता है।

वेतन में शामिल होने वाली सब प्रकार की आयों का संक्षेप निम्न है

Salary

Salary	Perquisites	Profits in lieu of Salary
(i) Wages	(i) Value of Rent free house,	(i) Compensation for termination of service or changes in terms of service,
(ii) Annuity,	(ii) Value of Concession in Rent,	(ii) Payments except payments under clauses 10, 11 and 12 of Section 10
(iii) Pension,	(iii) Value of any benefit or amenity provided by the employer freely or at concessional rate,	
(iv) Gratuity,	(iv) Redemption of employee's liability by the employer,	
(v) Fees	(v) Life insurance premium paid by the employer on the life of the employee	
(vi) Commission		
(vii) Advance Salary		
(viii) Annual Accretion to Recognised Provident Fund		
(ix) Transferred Balance		

कटौतियाँ (Deductions)

'वेतन शीपक के अन्तर्गत कर योग्य आय निकालने के लिए निम्नलिखित कटौतियाँ दी जाती हैं

(i) पुस्तकों तथा अन्य प्रकाशनों का खर्च मूल्य—गत वर्ष में कर-दाता द्वारा अपने पक्ष से सम्बन्धित कठव्या का पालन करने के लिए खरीदी हुई पुस्तकों तथा अन्य प्रकाशनों का मूल्य, जो ५०० रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ii) मनोरंजन भत्ता—मनोरंजन भत्ते की रकम कर्मचारी की कुल

आय में वेतन शीपक के अनगत पहले जोड़ ली जाती है और फिर इस सम्बन्ध में निम्न कटौती दी जाती है—

(अ) यदि कर-दाता सरकार से वेतन प्राप्त करता है तो उसके वेतन का $\frac{1}{2}$ अथवा ५,००० रु० तक (जो भी दोनों में से कम हो) घटाने में से घटा दिया जाता है। इस सम्बन्ध में वेतन से आशय उस वेतन से है जिसमें कोई भी भत्ता लाभ अथवा अनुलाभ शामिल न हो।

(आ) अन्य किसी कर-दाता के लिए (जो सरकारी कर्मचारी न हो) मनोरजन के भत्ते के सम्बन्ध में घटाने में से वह रकम घटा दी जाती है जो उसे अपने वर्तमान मानिक से १ अप्रैल, १९५५ के पहले से मनोरजन भत्ते के रूप में लगातार मिलती रही हो। यह रकम उस कर-दाता के वेतन के $\frac{1}{2}$ अथवा ७,५०० रु० अथवा १ अप्रैल, १९५५ के पहले से मिलती हुई वास्तविक भत्ते की रकम (जो इनमें सबसे कम हो) से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात् इस नियम की आवश्यक बातें निम्न हैं

(क) मनोरजन भत्ता १ अप्रैल, १९५५ के पहले से वर्तमान मानिक से लगातार मिलता रहा हो।

(ख) जितना भत्ता १ अप्रैल, १९५५ से पहले मिलता था उससे अधिक रकम नहीं घटायी जा सकती।

(ग) उपर्युक्त वर्णित नियम 'ख' में दी हुई रकम कर-दाता के वेतन के $\frac{1}{2}$ अथवा ७,५०० रु० से अधिक नहीं होनी चाहिए। वेतन से आशय उस वेतन से है जिसमें किसी प्रकार का भत्ता आदि शामिल न हो।

(घ) किसी भी दशा में यह कटौती गत वर्ष में मनोरजन भत्ते के रूप में मिली हुई वास्तविक रकम से अधिक नहीं हो सकती।

(iii) पेशे, व्यवसाय अथवा नौकरी पर लगे हुए कर—अपने पेशे, व्यवसाय अथवा नौकरी पर दिये हुए करों की रकम, जो राज्य अधिनियम के अंतर्गत लगाये गये हैं, वेतन में से घटा दी जाती है।

(iv) कर्मचारी की स्वयं की सवारी के व्यय—यदि कोई कर्मचारी अपनी स्वयं की सवारी अपनी नौकरी के सम्बन्ध में प्रयोग करता है और उसे सवारी का कोई भत्ता नहीं मिलता तो उस सवारी को रखने व चलाने के सम्बन्ध में किये हुए व्यय तथा उसका ह्रास वेतन में से घटा दिये जाते हैं।

(v) कर्मचारी द्वारा व्यय की हुई रकम—यदि कर्मचारी अपनी नौकरी की शर्तों के अनुसार अपने वेतन में से कोई रकम व्यय करता है या उसे पूरा तथा अपना दत्तव्य पालन करने के लिए करना पड़े तो यह रकम उसके वेतन शीपक की आय में से घटा दी जायेगी, बशर्ते कि यह रकम किताबी अथवा अन्य प्रकाशन अथवा सवारी का रखने के सम्बन्ध में न हो।

Illustration 1

Mr P gets a salary of Rs 500 per month. He also gets dearness allowance @ 10% of the salary, house rent allowance of Rs 50 per month and proctor's allowance of Rs 50 per month. During the previous year 1964-65 he was out of India for 3 months and the salary and allowance for this period were paid to him abroad. He was not paid any proctor's allowance while he remained out of India. Find out his taxable income from salary for the assessment year 1965-66.

Solution

Salary for the year	Rs 6,000
Dearness Allowance	600
House Rent Allowance	600
Proctor's Allowance	450
Taxable Income from Salary	Rs 7,650

His Income from salary for the previous year 1964-65 will be taken for full 12 months and not for 9 months only.

Illustration 2

Mr X is employed on a monthly salary of Rs 1,000. On 1st August, 1964 his services were terminated and he received a compensation of Rs 3,000 from his employer. On 1st December, 1964 he got another appointment on a monthly salary of Rs 700. On 1st February, 1965 in order to meet the expenses of his daughter's marriage he received an advance of 4 months' salary and also took a loan of Rs 5,000 from his employer for the purpose. What is his income from salary for the assessment year 1965-66?

Solution

4 months' salary from former employer	Rs 4,000
2 months' salary from the present employer	1,400
Advance on account of salary for 4 months	2,800
Compensation for loss of employment	3,000
Income from Salary	Rs 11,200

Note Loan is not to be included in salary.

Illustration 3

Mr A is the Business Manager in a reputed firm, getting a monthly salary of Rs 4,000 and an entertainment allowance of Rs 9,000 since 1953. He maintains his own conveyance which he uses in connection with his duties. He claims Rs 200 for its maintenance etc. Find out his income from salary for the assessment year 1965-66.

Solution

Assessment Year 1965 66

	Rs	
Salary for the year	48,000	
Entertainment Allowance	9,000	
	57,000	
<i>Less</i> Maintenance of own Conveyance	200	
Entertainment Allowance being the least of Rs 9 000 or Rs 9 600 ($\frac{1}{2}$ of salary) or Rs 7,500	7,500	
	7,700	
Income from Salary	Rs 49,300	

Illustration 4

A, a Bank Manager gets Rs 2,000 per month together with a dearness allowance of 10 per cent of the salary. During the previous year ended 31st March, 1965 he received a bonus of three months' salary. Besides he is also provided with a rent free house (unfurnished) whose fair rent is Rs 500 per month. Find out his taxable income under the head 'salaries' for the assessment year relevant to the previous year 1964 65.

Solution

Assessment Year 1965 66

	Rs	
Salary	24 000	
Dearness Allowance	2 400	
Bonus	6,000	
Value of Rent free house	3,000 ¹	
Taxable Income from Salary	Rs 35 400	

Illustration 5

Mr X is the Office Superintendent of a company getting a salary of Rs 800 per month. He is also provided with the use of a motor car by the company which is meant partly for his personal use and partly for purposes of the company's business. The company spent Rs 1,500 on the maintenance and running of the car during the previous year 1964 65 out of which Rs 700 have been attributed towards personal use. One servant of the company, who is paid Rs 50 per month renders free service to him. He is also allowed to use the furniture rent free. Monthly rent of furniture paid by the company is Rs 20. Find out his income from salary for the previous year 1964 65.

¹ It is calculated as below
 10% of the Salary Rs (24 000 + 6 000) = Rs 3 000

Solution

His income from salary for the previous year 1964 65 will be Rs 9,600 only. Maintenance and running expenses of car salary of the servant and rent of the furniture are perquisites but they will not be included in his salary as neither Mr X is the director of the company nor has a substantial interest in it nor getting an income of more than Rs 18,000 a year under the head 'salaries'.

प्रावीडेण्ट फण्ड (Provident Funds)

'प्रावीडेण्ट' (Provident) शब्द का अर्थ भविष्य के लिए प्रबंध करना है अतः यह फण्ड भविष्य के लिए प्रबंध करने के लिए होता है। इस फण्ड में कमचारी के वेतन में से प्रति मास एक निश्चित दर से रकम काटकर जमा कर दी जाती है तथा मालिक भी इसमें अपना अंशदान करता है। जब कोई कमचारी अपनी नौकरी से रिटायर होता है तो उस समय यह इकट्ठी रकम ब्याज सहित उसको मिल जाती है और उस समय उसे इससे काफी सहायता मिलती है। यदि अभाग्यवश सेवाकाल में ही कमचारी का देहांत हो जाता है तो इस फण्ड की रकम उसके स्त्री, बच्चों को मिल जाती है जिससे उसे काफी सहारा मिल जाता है। प्रावीडेण्ट फण्ड तीन प्रकार के होते हैं

- (i) वैधानिक प्रावीडेण्ट फण्ड (Statutory Provident Fund)
 - (ii) प्रमाणित प्रावीडेण्ट फण्ड (Recognised Provident Fund)
 - (iii) अप्रमाणित प्रावीडेण्ट फण्ड (Unrecognised Provident Fund)
- (i) वैधानिक प्रावीडेण्ट फण्ड (Statutory Provident Fund) — यह वह प्रावीडेण्ट फण्ड होता है जो भारतीय प्रावीडेण्ट फण्ड अधिनियम, १९२५ द्वारा अनुमोदित हो। साधारणतया यह फण्ड सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी कार्यालयों में, स्थानीय सत्ता में, विश्वविद्यालयों अथवा मायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में रखा जाता है।
- (ii) प्रमाणित प्रावीडेण्ट फण्ड (Recognised Provident Fund) — यह वह फण्ड है जो आय कर कमिश्नर द्वारा स्वीकृत होता है। आय कर कमिश्नर किसी प्रावीडेण्ट फण्ड का तभी स्वीकार करता है जबकि वह इस बात से सतुष्ट हो जाय कि आय कर अधिनियम, १९६१ में दी हुई अनुसूची ४ के भाग अ के चौथे नियम में दी हुई शर्तें यह फण्ड पूरी करता है तथा इसमें वह प्रावीडेण्ट फण्ड भी शामिल है जो कमचारी प्रावीडेण्ट फण्ड एक्ट १९५२ के अंतर्गत बनायी हुई योजना के अधीन स्थापित किया जाता है। साधारणतया, यह फण्ड बैंकों, बीमा कम्पनियों, वारन्वानों व बहुत सी वापारिक संस्थाओं में रखा जाता है।

(iii) अप्रमाणित प्रावीडेण्ट फण्ड (Unrecognised Provident Fund)—यह वह फण्ड होता है जो न वैधानिक है और न प्रमाणित हो। इस फण्ड को कोई भी सस्था रख सकती है।

उपयुक्त तीनों प्रकार के प्रावीडेण्ट फण्डों के सम्बन्ध में आय-कर अधिनियम के नियम निम्न तालिका में भली प्रकार समझाय जा सकते हैं

(क) वह रकम जो कुल आय में शामिल की जाती है

वैधानिक प्रावीडेण्ट फण्ड	प्रमाणित प्रावीडेण्ट फण्ड	अप्रमाणित प्रावीडेण्ट फण्ड
<p>जब कोई व्यक्ति इस फण्ड का सदस्य होता है तो उसकी कुल आय में केवल उसका वेतन में से कटी हुई रकम (जो इस फण्ड में जमा की गयी हो) जोड़ी जाती है। इस फण्ड में मालिक द्वारा दिया हुआ अशदान तथा फण्ड के ब्याज पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, अर्थात् मालिक का अशदान तथा फण्ड का ब्याज न तो कर्मचारी की कुल आय में जोड़ा जाता है और न ही उस पर कर लगता है।</p>	<p>जब कोई व्यक्ति इस फण्ड का सदस्य होता है तो</p> <p>(i) उसके वेतन में से कटी हुई रकम (जो इस फण्ड में जमा की गयी हो),</p> <p>(ii) मालिक द्वारा दिये हुए अशदान का वह भाग जो कर्मचारी के वेतन के १० प्रतिशत से अधिक हो, तथा</p> <p>(iii) फण्ड के ब्याज का वह भाग जो कर्मचारी के वेतन के $\frac{1}{2}$ से अधिक है अथवा ६ प्रतिशत की दर से अधिक का ब्याज कर्मचारी की कुल आय में जोड़े जाने है, अर्थात् मालिक का अशदान वेतन के $\frac{1}{5}$ भाग तक तथा फण्ड का ब्याज वेतन के $\frac{1}{2}$ भाग तक तथा ६ प्रतिशत की दर तक कर्मचारी की कुल आय में शामिल नहीं किया जाता और न ही उस पर कर लगता है।</p>	<p>जब कोई व्यक्ति इस फण्ड का सदस्य होता है तो उसकी कुल आय में उसके वेतन में से कटी हुई रकम (जो इस फण्ड में जमा की गयी है) जोड़ी जाती है परन्तु मालिक द्वारा दिया गया अशदान तथा इस फण्ड का ब्याज प्रत्येक वर्ष उसकी कुल आय में नहीं जोड़ा जाता।</p>

(ख) वह रकम जो आय कर से मुक्त होती है

वधानिक प्राचीडण्ट फण्ड	प्रमाणित प्राँवीडेण्ट फण्ड	अप्रमाणित प्राँवीडेण्ट फण्ड
<p>कमचारी द्वारा इस फण्ड के लिए अपने वेतन में से कटायी हुई रकम तथा अपने अथवा अपनी पत्नी अथवा अपने पति के जीवन पर कराये हुए बीमे के प्रीमियम की रकम आय कर से मुक्त होती है, परन्तु इन दोनों का जोड़ कमचारी की कुल आय के $\frac{1}{2}$ अथवा १०,००० रुपये (जो दोनों में कम हो) से अधिक नहीं होना चाहिए।</p>	<p>(i) इस फण्ड में दिया हुआ कमचारी का अशदान उसके गत वर्ष के वेतन के $\frac{1}{2}$ अथवा ८,००० रुपये तक (जो दोनों में कम हो) आय कर से मुक्त होता है।</p> <p>(ii) यदि कमचारी इस फण्ड का सदस्य होने के अतिरिक्त अपने अथवा अपनी पत्नी अथवा अपने पति के जीवन का बीमा भी कराता है तो कमचारी द्वारा दिया हुआ इस फण्ड में अशदान तथा उपर्युक्त जीवन बीमा प्रीमियम की रकम मिलाकर उसकी कुल आय के $\frac{1}{2}$ अथवा १०,००० रुपये (जो भी दोनों में कम हो) तक आय कर से मुक्त है।</p>	<p>(i) कमचारी द्वारा इस फण्ड में दिया हुआ अशदान कर मुक्त नहीं होता है।</p> <p>(ii) कमचारी द्वारा अपने अथवा अपनी पत्नी अथवा अपने पति के जीवन पर कराये हुए बीमे के प्रीमियम की रकम आय कर से मुक्त होती है परन्तु यह उसकी कुल आय के $\frac{1}{2}$ अथवा १०,००० रुपये (जो भी दोनों में कम हो) से अधिक नहीं होना चाहिए।</p>
<p>नोट—इस फण्ड के सम्बन्ध में वेतन से आशय उस वेतन से है जिसमें महुँगाई भत्ता तो शामिल हो (यदि सेवा की शर्तों में ऐसा जायो जन हो) परन्तु अन्य किसी प्रकार के भत्ते तथा अनुलाभ शामिल न हों।</p>		

नोट—कर की उपयुक्त छूट केवल उस कर-दाता को दी जायगी जिसकी ल आय में वेतन शीपक की कर योग्य आय सम्मिलित है तथा उसे भी यह

छूट केवल १९६५-६६ कर निर्धारण वष तक दी जायेगी। १९६६-६७ कर निर्धारण वष से इस छूट के स्थान म इस सम्बन्ध मे कुल आय म से कटौती दी जायेगी। (इसके पूण विवरण के लिए अध्याय ४ देखिए)

(ग) नौकरी से रिटायर होने के समय अथवा नौकरी छोडने के समय इन फण्डो से मिली हुई रकम

वधानिक प्रावीडेण्ट फण्ड	प्रमाणित प्रावीडेण्ट फण्ड	अप्रमाणित प्रावीडेण्ट फण्ड
<p>इस रकम पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। न तो यह कमचारी की कुल आय मे जोडी जाती है और न इस पर किसी प्रकार का कर लगता है।</p>	<p>इस रकम पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, अर्थात् न तो यह कमचारी की कुल आय मे जोडी जाती है और न इस पर किसी प्रकार का कर लगता है बशर्ते कि (1) उसने कम से कम ५ वष तक इस मालिक के यहाँ लगातार सेवा की हो, जयवा (ii) यदि उसने ५ वष तक लगातार सेवा न की हो तो कमचारी की बीमारी के कारण या मालिक का व्यापार सकुचित अथवा बंद हो जाने के कारण या कमचारी की शक्ति के बाहर अन्य किसी कारण से उसकी नौकरी छूट गयी हो।</p>	<p>इस रकम म से कमचारी का अशदान तथा उस पर ब्याज घटाने के बाद जो रकम बचती है वह उसकी कुल आय मे जोडी जाती है और उस पर कर लगता है।</p>

नोट—उपयुक्त तालिका मे आय कर से मुक्त होने वाली रकम के शीपक म दिये हुए नियमों के सम्बन्ध मे यह स्पष्टीकरण आवश्यक है कि यदि कमचारी का अशदान तथा जीवन-बीमा प्रीमियम की रकम का जाड अपनी सम्बन्धित अधिकतम सीमाओ से कम है तो वह वास्तविक दी हुई रकम ही आय कर से मुक्त होगी।

हस्तान्तरित शेष (Transferred Balance)

जब कोई अप्रमाणित प्रावीडेण्ट फण्ड सवप्रथम प्रमाणित किया जाता है तो किसी कमचारी के प्रावीडेण्ट फण्ड खाते मे इस फण्ड के प्रमाणित होने के

समय जो शेष होना है उसे हस्तांतरित शेष (transferred balance) कहते हैं। हस्तांतरित शेष की रकम में से कर्मचारी द्वारा दिया हुआ अशदान घटाकर जो शेष बचता है वह उस वष कर दाता के वेतन में जोड़ लिया जाता है। कर्मचारी का अशदान इसलिए घटा देते हैं कि उस पर तो प्रति वष कर दिया जा चुका है, क्योंकि प्रावीडेण्ट फण्ड अप्रमाणित था।

Illustration 6

Mr P is an employee getting a monthly salary of Rs 1,000, 10% of which he contributes to a provident fund to which his employer contributes Rs 1560 Interest on provident fund is determined @ 9% per annum which amounted to Rs 300 for the previous year Under the terms of employment he also gets a dearness allowance of Rs 100 per month and a house rent allowance of Rs 80 per month He has actually paid Rs 160 per month as rent of the house occupied by him for his residence

He paid Rs 3,000 as Life Insurance Premium

What will be his total income and exemption for the assessment year 1965 66 if the provident fund is (a) statutory, (b) recognised, and (c) unrecognised?

Solution

(a) Statutory Provident Fund

Statement of Total Income for 1965 66

	Rs
Salary	1,000
Dearness Allowance	1,200
House Rent Allowance	360 ¹
	<hr/>
Total Income	Rs 13,560

Exemption

	Rs
Employee's contribution to P F	1,200
Life Insurance Premium	2,190
	<hr/>
Restricted to 1/4 of Total Income	Rs 3,390

(b) Recognised Provident Fund

Statement of Total Income for 1965 66

	Rs
Salary	12,000
Dearness Allowance	1,200
House Rent Allowance	360 ¹
Employer's contribution to P F in excess of 10% of his salary (viz Rs 13,200)	240 ²
Interest on P F in excess of the prescribed rate of 6% p a	100
	<hr/>
Total Income	Rs 13,900

Exemption

	Rs
Employee's contribution to P F (Actual being less than 1/5 of salary or Rs 8,000 whichever is less)	1 200
Life Insurance Premium	2,275
Restricted to 1/10th of Total Income	<u>Rs 3 475</u>

(c) Unrecognised Provident Fund

Statement of Total Income for 1965-66

	Rs
Salary	12 000
Dearness Allowance	1 200
House Rent Allowance	360 ¹
Total Income	<u>Rs 13 560</u>

Exemption

	Rs
Life Insurance Premium (being less than 1/4 of Total Income)	<u>3,000</u>

Notes 1 Under rule 2 A of Income Tax Rules, 1962 the limit of house rent allowance to be excluded from the total income of an employee is as under

- (i) the actual amount of house rent allowance received by the assessee, or
- (ii) the excess of actual rent paid by the assessee over 1/10th of salary due to the assessee, or
- (iii) an amount equal to 1/5th of salary due to the assessee if the house is situate at Calcutta, Bombay, Madras or Delhi, or
- (iv) an amount equal to 1/10th of salary due to the assessee if the house is situate at any other place, or
- (v) a sum calculated at Rs 300 p m, whichever is the least

For purposes of this rule salary includes dearness allowance if the terms of employment so provide but excludes all other allowances and perquisites

Thus, in the above question the least of all the above sums is the excess of actual expenditure on rent over 1/10th of salary due to the assessee, i.e. (1920-1320)=Rs 600

Hence, out of the total house rent allowance of Rs 960 received by the assessee Rs 600 have been excluded from the total income and the balance of Rs 360 is taxable

2 For the purpose of calculating employer's contribution to P F in excess of 10% of his salary, the term 'salary' includes dearness allowance As such 10% of salary (viz Rs 13,200) amounts to Rs 1,320 and the excess of employer's contribution works out to Rs 240 (Rs 1,560 minus Rs 1,320)

अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड (Approved Superannuation Fund)

यह वह फण्ड होता है जो आय कर कमिश्नर द्वारा अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग 'ब' में दिये हुए नियमों के अनुसार अनुमोदित है। इस फण्ड में एक कमचारी द्वारा दिया हुआ अशदान आय कर से मुक्त है। इस फण्ड में कमचारी का अशदान तथा जीवन बीमा प्रीमियम की रकम का जोड़ कमचारी की कुल आय के ₹ जथवा १०,००० रुपये तक आय-कर में मुक्त है। (यह छूट १९६५-६६ कर निर्धारण वर्ष तक ही मिलेगी।)

कमचारी की मृत्यु के बाद उसके रजि वरचो का मिली हुई इस फण्ड की इकट्ठी रकम पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

यदि इस फण्ड की इकट्ठी रकम कमचारी का रिटायर होने के बाद अपने जीवन-काल में ही दी जाय और इस फण्ड में मालिक द्वारा दिया हुआ अशदान तथा उस पर ब्याज शामिल है तो उस कमचारी पर गत वर्ष से पूर्व के तीन वर्षों में लगे हुए कर की औसत दर से मालिक के अशदान तथा उसके ब्याज पर आय कर काटकर सरकार में जमा करा देना चाहिए।

जीवन-बीमा प्रीमियम (Life Insurance Premium)

आय कर अधिनियम की धारा ८७ (1) के अ तहत, निम्न जीवन बीमा प्रीमियम की रकमों पर आय कर की औसत दर से छूट ली जाती है

(अ) यदि कर दाता एक व्यक्ति है तो गत वर्ष में कर-दाता द्वारा अपनी कर-योग्य आय में से दी हुई रकम जो कर दाता अपने अथवा अपनी पत्नी के अथवा कर दाता क पति के जीवन बीमे के सम्बन्ध में अथवा Deferred Annuity के सम्बन्ध में भुगतान करे।

(आ) यदि कर-दाता एक अविभाजित हिंदू परिवार है तो गत वर्ष में कर दाता द्वारा अपनी कर-योग्य आय में दी हुई रकम जो परिवार के किसी पुरुष सदस्य अथवा उसकी पत्नी के जीवन बीमे के सम्बन्ध में भुगतान की गयी है।

यदि बीमा प्रीमियम वैधानिक अथवा प्रमाणित प्रावीडेण्ट फण्ड अथवा

उद्गम स्थान पर कर की कटौती (Deduction of Tax at Source)

आय कर अधिनियम की धारा १६२ में वेतन के सम्बन्ध में उद्गम स्थान पर कर काटने के निम्न नियम दिये गये हैं

(i) प्रत्येक वेतन देने वाले का कतव्य है कि वह चालू वित्तीय वर्ष में लागू कर की दर के अनुसार कर्मचारी के उस वर्ष के वेतन को अनुमानित आय पर देय आय कर का वह भाग जो उसके मासिक वेतन पर आनुपातिक हो प्रति मास वेतन देने से पूर्व उसके वेतन में से काट ले।

(ii) उपर्युक्त कर तभी काट जा सकते हैं जबकि कर्मचारी का उस वर्ष का अनुमानित वेतन आय कर लगने की न्यूनतम सीमा (minimum limit) से अधिक हो।

(iii) किसी वर्ष के बीच में वेतन देने वाले को यदि यह पता चले कि किसी कर्मचारी के वेतन से आय का उस वर्ष का अनुमान ठीक नहीं है तो वह उस अनुमान को ठीक करके उद्गम स्थान पर वेतन में से मासिक काटी जाने वाली कर की रकम में उचित समायोजन (adjustment) कर सकता है।

(iv) वेतन देने वाले का यह भी कतव्य है कि वह इस प्रकार काट हुए कर की रकम राजकीय कोष में प्रति मास जमा कर और इसका एक नववां आय कर विभाग को प्रति वर्ष ३० अप्रैल तक भेजे।

Illustration 7

Mr X is employed in a factory as an accountant on a monthly salary of Rs 800 plus a dearness allowance of Rs 80 p m. He is a member of an unrecognised provident fund in which he contributes 10% of his salary and his employer also contributes an equal amount. On 1st August, 1964 he resigned and joined another factory on the same date on a monthly salary of Rs 1,000 plus a dearness allowance @ 10% of his salary. He received Rs 10,000 from the unrecognised provident fund of which half the amount consisted of employer's contribution and interest thereon. In his new employment he contributed 10% of his salary to a recognised provident fund while his employer contributed Rs 1,040. He is also provided with an unfurnished rent free house by the second employer, the municipal valuation of which is Rs 150 p m. He pays Rs 800 per annum as premium on his life insurance policy of Rs 7,000. Find out his total income and the exemption for the assessment year 1965-66.

Solution

Statement of Total Income

	Rs	Rs
Income from Salary		
4 months salary @ Rs 800 p m	3,200	
8 months' salary @ Rs 1 000 p m	8,000	
Dearness Allowance in all	1 120	12 320
<hr/>		
Lump sum received from unrecognised P F exclusive of employee's own contribution and interest thereon		5 000
Employer's contribution to R P F in excess of 10% of salary		160*
Value of rent free house restricted to 10% of salary		800
Total Income	Rs	18 280
		<hr/> <hr/>

Exemptions

	Rs
Employee's own contribution to R P F	800
Life Insurance Premium restricted to 10% of policy amount	700
	<hr/>
	Rs 1 500
	<hr/> <hr/>

* 10% of (Rs 8 000 + D A of Rs 800) = Rs 880 and the excess of employer's contribution over 10% of salary works out to Rs (1,040 - 880) = Rs 160

Illustration 8

Mr X is employed with a public limited company on a monthly salary of Rs 1,600. The company has purchased an Insurance Policy on the life of the assessee for the benefit of his wife and children and annual premium paid amounts to Rs 600. The assessee contributed Rs 1,600 to the approved superannuation fund during the year. Similar amount was also contributed by the employer to the employee's account.

The assessee has paid insurance premium of Rs 700 on the policy on the life of his wife who is insured for Rs 6 000.

Work out the total income from salary and the amount of exemption for the assessment year 1965-66.

Solution*Statement of Total Income for 1965 66*

	Rs
Salary	19,200
Value of Perquisites	600
The employer has paid insurance premium on the policy on the life of the assessee, it will be treated as a perquisite within the meaning of Section 17 (2) (v)	
Total Income from Salary	Rs 19,800

Exemptions

	Rs
1 Life Insurance Premium on the life of the assessee paid by the employer	600
2 Life Insurance Premium paid by the assessee on the policy on the life of his wife (Restricted to 10% of the Policy Amount of Rs 6 000)	600
3 Employee's contribution to the Superannuation Fund	1,600
Total Exemption	Rs 2 800

(Being less than 1/4th of Total Income or Rs 10 000 whichever is less)

Illustration 9

Mr Ram Prasad is employed with a public limited company on a monthly salary of Rs 1,000. He contributes to a provident fund which is recognised by the Commissioner of Income Tax @ 12½% of his salary. A similar amount is contributed by the employer. Interest credited to his provident fund account during the year is Rs 1,200. The accumulated balance to his credit is Rs 10,000. Two children of Mr Ram Prasad are studying in the institution run by the employer for which no fees are paid. Normal expenditure per student in such institution is Rs 50 a month.

The assessee is also provided with a rent free accommodation by the employer for which the employer pays a monthly rent of Rs 200.

What will be his income under the head 'salary' for the assessment year 1965 66 ?

Solution

Statement of Income from Salary for the Assessment Year 1965 66

Salary @ Rs 1,000 p m		Rs
Amount of Annual Accretion		12,000
(i) Contribution by the employer to the Provident Fund account in excess of 10% of the salary of the assessee		
		Rs
Contributions @ 12½%		1 500
Less 10% of the salary		1,200
		(i) 300
(ii) Interest on accumulations of Provident Fund Account		
Total accumulations	Rs 10,000	
		Rs
Interest Allowed		1,200
Less Interest @ 6% p a		600
		(ii) 600
Balance to be treated as Annual Accretion		Rs 900

Value of Perquisites

(a) On account of rent free accommodation @ 10% of the salary (The employer has paid Rs, 2 400 for the rent of the house but as it does not exceed 20% of the salary of the assessee only 10% of the salary will be taken as the value of the perquisite)		900
		1,200
(b) On account of educational expenses of children (Two children of the assessee are studying in the institution run by the employer for the benefit of employees. As the employer is not paying anything in cash in this respect but it is an amenity provided by the employer for the benefit of the assessee, its value will not be included in the salary of the assessee because his income under the head 'salary' does not exceed Rs 18 000)		Nil

Income from Salary R 14 100

QUESTIONS

- 1 Define the following as per Section 17 of the Income Tax Act 1961
(१) Salaries, (b) Perquisites, and (c) Profits in lieu of salary
आय कर अधिनियम की धारा १७ के अनुसार निम्न की परिभाषा लिखिए
(अ) वेतन, (आ) अनुलाभ, और (इ) वेतन के स्थान में लाभ ।
- 2 Distinguish between a recognised provident fund and an unrecognised provident fund
प्रमाणित प्रावीडेण्ट फण्ड तथा अप्रमाणित प्रावीडेण्ट फण्ड में अंतर बताइए ।
- 3 What relief from income tax is allowed to an assessee in respect of life insurance premiums and provident fund contributions and interest thereon, and how is the amount of such relief calculated ?
जीवन बीमा के प्रीमियम और प्रावीडेण्ट फण्डों में जमा की जाने वाली रकमों और उन पर प्राप्त न्याज पर एक कर-दाता को क्या छूट दी जाती है और उस छूट की रकम को किस प्रकार ज्ञात किया जाता है ?
- 4 What are the rules regarding the valuation of the following perquisites
(a) Value of rent free house and (b) Value of house provided at concessional rent
निम्नलिखित अनुलाभों का मूल्यांकन करने के सम्बन्ध में क्या नियम हैं
(अ) बिना किराये के मकान का मूल्य, तथा (आ) रिआयती किराये पर मिले हुए मकान का मूल्य ।
- 5 What relief is allowed in respect of life insurance premium and provident fund under Income Tax Law ?
आय-कर विधान के अन्तर्गत जीवन बीमा प्रीमियम तथा प्रावीडेण्ट फण्ड के सम्बन्ध में क्या छूट दी जाती है ?
- 6 What benefits received by an employee from his employer, are included under the head salaries? Point out the deductions allowed in computing the taxable income from salary
कौनसे लाभ जो कर्मचारी (employee) को कर्मदाता (employer) से प्राप्त हैं, वेतन शीपक के अन्तर्गत आते हैं ? वेतन से कर योग्य आय का हिसाब लगाने समय कौन कौनसी कटौतियाँ (deductions) की अनुमति है बताइए ।

- 7 Name the different kinds of provident funds of which a salaried employee may be a member and state the income tax provisions regarding each

एक वेतन पाने वाले कर्मचारी जिस जिस प्रॉवीडेंट फण्ड का सदस्य बन सकता हो उनके नाम बताइए और उनमें से प्रत्येक के बारे में जो आय कर विधान है, बर्णन कीजिए ।

- 8 What are the incomes that are chargeable to income tax under the head 'Salaries' ? Illustrate your answer

'वेतन' शीर्षक में कर-योग्य आयें कौनसी हैं ? उदाहरण सहित उत्तर दीजिए ।

(२) प्रतिभूतियों पर ब्याज

(2) INTEREST ON SECURITIES

आय कर अधिनियम की धारा १८ के अनुसार गत वर्ष में कर-दाता को देय निम्न रकमा पर 'प्रतिभूतियों पर ब्याज' के शीपक में कर लगाया जाता है

(i) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार की किसी प्रतिभूति पर ब्याज परंतु वार्षिकी जमा पर देय ब्याज छोड़कर

(ii) स्थानीय सत्ता द्वारा अथवा उसकी आर से निगमित किये हुए ऋण पत्रों अथवा अन्य प्रतिभूतियों पर ब्याज

(iii) किसी कंपनी द्वारा निगमित ऋण पत्रों पर ब्याज, तथा

(iv) केन्द्रीय अथवा राज्य अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कॉरपोरेशन द्वारा अथवा उसकी ओर से निगमित किये हुए ऋण पत्रों अथवा अन्य प्रतिभूतियों पर ब्याज ।

यदि गत वर्ष से पूर्व के गत वर्षों में प्रतिभूतियों के किसी ब्याज पर आय कर न लगा हो और वह ब्याज गत वर्ष में कर दाता को प्राप्त हो तो उस पर गत वर्ष में आय कर लगाया जायेगा ।

कम्पनियों के अशो का प्रतिभूति नहीं माना गया है । विदेशी सरकार द्वारा निगमित प्रतिभूतियों पर ब्याज 'अ-साधनों की आय' के शीपक में शामिल किया जाता है । इसी प्रकार कम्पनियों के अशो पर लाभांश भी 'अ-साधना की आय' के शीपक में शामिल किया जाता है ।

प्रतिभूतियां पर ब्याज दिन प्रतिदिन पैदा हुआ नहीं माना जाता है परंतु यह उन निश्चित तारीखों पर पैदा हुआ माना जाता है जिनका उल्लेख सम्बंधित प्रतिभूति पर किया गया होता है । साधारणतया ये तारीखें छमाही होती हैं । प्रतिभूतियों के ब्याज-सहित व्यवहार (Cum Interest Transactions of Securities)

जब प्रतिभूतियां ब्याज सहित खरीदी अथवा बेची जाती हैं तो उनके बाजार भाव में खरीदने अथवा बेचने की तिथि से पूर्व ब्याज की तिथि से खरीदने अथवा बेचने की तिथि तक का ब्याज शामिल होना है और आगे आने वाली

ब्याज की तिथि को पूरा ब्याज क्रेता को मिलता है यद्यपि वास्तव में क्रेता की ब्याज की शुद्ध आय यह पूरी रकम नहीं है क्योंकि उसने कुछ ब्याज की रकम प्रतिभूति को क्रय करते समय विक्रेता को क्रय मूल्य के अंदर दी है, तथापि आय-कर अधिनियम आगे आने वाली ब्याज की तिथि पर मिले हुए पूरे ब्याज का क्रेता को कर-योग्य आय मानता है और विक्रेता ने जो ब्याज विक्रय मूल्य के अंदर क्रेता से प्राप्त किया है उस पर उससे आय-कर नहीं लिया जाता है।

सूक्ष्म में नियम यह है कि प्रतिभूति को ब्याज देने की तिथि के दिन जो व्यक्ति उस प्रतिभूति का स्वामी होता है वही उस सम्पूर्ण ब्याज का भी स्वामी माना जाता है और उसी को इस ब्याज की आय पर कर देना होता है।

प्रतिभूतियों के भेद

आय-कर अधिनियम के लिए प्रतिभूतियाँ तीन प्रकार की होती हैं

(i) कर मुक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ (Tax free Government Securities),

(ii) कर मुक्त व्यापारिक प्रतिभूतियाँ (Tax free Commercial Securities), और

(iii) कर युक्त प्रतिभूतियाँ (Less Tax Securities)।

(i) कर-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ (Tax free Government Securities)—ये दो प्रकार की होती हैं। एक वह जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निगमित की गयी हो और दूसरी वह जो राज्य सरकार द्वारा निगमित की गयी हो। सरकारी कर मुक्त प्रतिभूतियों का ब्याज कर दाता की कुल आय में केवल आय-कर की दर निकालने के लिए जोड़ा जाता है परंतु बाद में इस पर आय कर की औसत दर अथवा २५% जो दोनों में कम हो, से छूट दी जाती है। इन प्रतिभूतियों का ब्याज बिना ग्रास अप (Gross up) किये हुए कुल आय में शामिल किया जाता है। राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार की कर मुक्त प्रतिभूतियों के ब्याज के सम्बन्ध में कर दाता के लिए कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल इस बात का है कि राज्य सरकार की कर मुक्त प्रतिभूतियों के ब्याज पर आय कर राज्य सरकार चुवाती है।

कुछ सरकारी प्रतिभूतियाँ ऐसी भी हैं जिनका ब्याज न कुल आय में जोड़ा जाता है और न उन पर आय-कर लगता है, उदाहरणार्थ, डाकखाने के कैंस सर्टीफिकेट, नेशनल सर्विसेस सर्टीफिकेट, नेशनल प्लान सर्टीफिकेट तथा ट्रेजरी सेविंग डिपॉजिट सर्टीफिकेट, आदि।

(ii) कर मुक्त व्यापारिक प्रतिभूतियाँ (Tax free Commercial Securities)—य वे प्रतिभूतियाँ हैं जो किसी कम्पनी अथवा व्यापारिक संस्था द्वारा निगमित की गयी हो। इनका ब्याज वास्तव में कर मुक्त नहीं होता है क्योंकि

इस व्याज पर देय कर वह कम्पनी अथवा व्यापारिक संस्था स्वयं अपने पास से देती है। ये कर मुक्त इसलिए बही जाती हैं क्योंकि व्याज की कुल रकम (बिना कर काटे हुए) कर दाता को मिल जाती है और उसे इस पर स्वयं अपनी जेब से कर नहीं देना पड़ता है। इस व्याज पर जो कर कम्पनी देती है वह कर-दाता की ओर से दिया हुआ माना जाता है और कर दाता को प्राप्त व्याज की रकम में उसके सम्बन्ध में दिया हुआ कर जोड़ दिया जाता है, अर्थात् व्याज को सकल (Gross up) बनाया जाता है तब वह सकल व्याज की रकम कर दाता को कुल आय में शामिल की जाती है। इस व्याज पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाती है सिवाय इसके कि जितना कर इसके सम्बन्ध में कम्पनी ने दिया है वह कर दाता द्वारा अपनी कुल आय पर देय आय-कर में से घटा दिया जाता है और शेष कर की रकम ही कर दाता चुकाता है। उदाहरणार्थ, यदि एक कम्पनी ने ४ प्रतिशत कर मुक्त ऋण पत्र निगमित किये हैं तो ऋण पत्रधारी व्याज की पूरी रकम ५ प्रतिशत की दर से प्राप्त करेगा परन्तु ऋण पत्रधारी की कुल आय में इस प्राप्त की हुई व्याज की रकम में इस पर कम्पनी द्वारा दिया हुआ आय कर जोड़कर जो रकम आयगी वह लिखी जायेगी और बाद में इस आय कर की रकम को कर दाता द्वारा अपनी कुल आय पर देय आय-कर में से घटाकर शेष रकम ही आय कर के लिए दी जायेगी।

(iii) कर युक्त प्रतिभूतियाँ (Less Tax Securities)—कर युक्त प्रतिभूतियों से आशय उन प्रतिभूतियों से है जिन पर व्याज का जो प्रतिशत दिया रहता है उसके हिसाब से निकासी हुई व्याज की रकम में से आय कर काट कर शेष रकम प्रतिभूतिधारी को दी जाती है। कर युक्त प्रतिभूतियाँ भी सरकारी एवं व्यापारिक दोनों प्रकार की होती हैं और दोनों दशाओं में यदि व्याज की दर का प्रतिशत दिया हुआ है तो इस प्रतिशत से निकासी हुई रकम को सकल (gross) नहीं बनाया जाता है क्योंकि वह स्वयं ही सकल होती है और उसमें से आय-कर काटा जाता है। यदि इन प्रतिभूतियों पर प्राप्त शुद्ध व्याज की रकम दी हो तो उसे सकल (gross) बनाना आवश्यक है। प्रत्येक दशा में व्याज को सकल रकम ही कर दाता की कुल आय में जोड़ी जाती है।

कटौतियाँ (Deductions)

‘प्रतिभूतियाँ पर व्याज’ की कर योग्य आय निकालने के लिए निम्नलिखित कटौतियाँ (deductions) दी जाती हैं

(i) प्रतिभूतियों के व्याज को बमूल करने के सम्बन्ध में कर दाता द्वारा किया हुआ उचित व्यय जैसे, किसी बैंक द्वारा काटे गये व्याज सग्रह का बमीशन।

(ii) कर-दाता द्वारा प्रतिभूतियाँ के परीक्षण के लिए यदि कोई ऋण किया गया हो तो उस पर देय व्याज की रकम। इस सम्बन्ध में यह आवश्यक

है कि यदि उस ऋण की रकम से कोई कर मुक्त प्रतिभूतिया खरीदी गयी हो तो इस ऋण का व्याज कर मुक्त व्याज में से ही घटाया जायेगा। यदि ऋण का व्याज कर मुक्त व्याज से अधिक हो तो यह अधिकतम अन्य प्रतिभूतिया के व्याज में से भी घटाया जा सकता है। यदि आय के इस शीपक में फिर भी हानि रहे (अर्थात् कटौतिया का जोड़ कुल प्राप्त व्याज से अधिक हो) तो वह हानि उस कर दाता की आय किसी मद की आय में से घटायी जा सकती है।

अपवाद—अधिनियम की धारा २१ के अनुसार यदि प्रतिभूतिया का करीदन के लिए लिये हुए ऋण का व्याज भारत के बाहर किसी को दिया जाता है तो इस व्याज की रकम को प्रतिभूतियों के व्याज में से नहीं घटाया जायेगा यदि दिये हुए व्याज पर कर न चुकाया गया हो अथवा उसमें से कर न काटा गया हो तथा उनके लिए भारत में ऐसा कोई व्यक्ति न हो जो धारा १६३ के अंतर्गत उसका अभिकर्ता (Agent) ठहराया जा सके।

दिखावटी लेन देन (Bond Washing Transactions)

ये लेन देन वास्तविक नहीं होते हैं। यह कर बचाने का एक तरीका है। प्रतिभूतिया पर व्याज साधारणतया छमाही अथवा वार्षिक दिया जाता है और ये सारीखे निश्चित होती हैं। चूंकि व्याज की देय तिथि के दिन जो व्यक्ति प्रतिभूतियों का मालिक होता है उसी की कुल आय में इनका पूरा व्याज जोड़ा जाता है, अतः कुछ चालाक लोग व्याज की देय तिथि से कुछ दिन पहले अपनी प्रतिभूतिया व्याज सहित (Cum Interest) किसी अपने मिलने वाले को बेच देते हैं और व्याज की देय तिथि के कुछ ही दिन बाद उससे पुनः व्याज रहित (Ex Interest) खरीद लेते हैं। इस प्रकार व्याज की तिथि के दिन वे उन प्रतिभूतियों के मालिक नहीं रहते और उन्हें इस व्याज की रकम पर कर नहीं देना पड़ता है। ये लोग अपनी प्रतिभूतिया किसी ऐसे व्यक्ति को बेचते हैं, जिसकी आय इस व्याज को मिलाकर भी या तो न्यूनतम कर-योग्य सीमा (minimum taxable limit) से कम हो या बचने वाले की अपेक्षा कम आय हो, ताकि उस पर या तो कर लग ही नहीं या कम दर से लग। इस प्रकार बचने वाला कर देन से बच जाता है और करीदन वाले की आय कर-योग्य सीमा से कम होने के कारण वह भी इस पर कर नहीं देता है और यदि देता भी है तो कम दर से, जो विक्रेता द्वारा ही गुप्त रूप से क्रेता के नाम से दे दिया जाता है। यदि वह व्यक्ति इस प्रकार प्रतिभूति को न बेचकर इस व्याज को अपनी आय में ही जुड़ने देता तो उसकी कुल आय क्रेता से अधिक होने के कारण उसे इस व्याज पर अधिक दर से कर देना पड़ता। सारांश यह है कि इस चालाकी से आय-कर विभाग का हानि पहुँचती है। अतः इसको रोकने के लिए यह नियम बना दिया गया है कि यदि इस प्रकार का लेन देन किया

जायेगा तो आय-कर अधिकारी उसी व्यक्ति की कुल आय में इस ब्याज को जोड़ेगा जिसमें इन प्रतिभूतियाँ का इस प्रकार उच्चतर आय-कर से वचना चाहा था। इस सम्बन्ध में आय कर अधिकारी को यह अधिकार है कि वह कर-दाता को आवश्यक सूचना देने के लिए बाध्य कर सकता है।

प्रतिभूतियों के विक्रय से लाभालाभ (Profit and Loss on Sale of Securities)

यदि प्रतिभूतियाँ का क्रय विक्रय करना कर दाता का पेशा न हो तथा वह उच्च स्थायी विनियोग के रूप में ब्याज कमान के उद्देश्य से रखे हुए हैं तो उनके विक्रय से होने वाला लाभालाभ पूजीगत माना जाता है तथा यह धारा ४५ के अन्तर्गत पूजी लाभ के शीपक में कर योग्य है। यदि प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना कर दाता का पेशा हो तो भी इसका लाभालाभ प्रतिभूतियाँ के शीपक में नहीं आता बल्कि व्यापार अथवा पेशे के शीपक में कर योग्य होता है। लाभालाभ निकालने के लिए इन प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय के सम्बन्ध में किया गया व्यय स्वीकृत व्यय माना जाता है परन्तु वह प्रतिभूतियों के ब्याज में से नहीं घटाया जाता है।

उदगम स्थान पर कर की कटौती (Deduction of Tax at Source)

(1) प्रतिभूतियाँ पर ब्याज देने वाले व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह ब्याज देते समय ब्याज की रकम में से निर्धारित दर पर कर काट ले और उसे सरकारी कोष में जमा कर दे। निर्धारित दर में आशय उस दर से है जो उस वर्ष के वित्त अधिनियम द्वारा निर्धारित की गयी हो जिस वर्ष में कर की कटौती होनी है। यह कर ब्याज पाने वाले की आर में दिया जाता है अतः उसे इस कटौती हुई रकम का एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है ताकि ब्याज पाने वाला अपने कर निधारण में इस कटौती हुए कर की रकम का Credit पा सके।

(ii) ४ $\frac{1}{2}$ प्रतिशत नेशनल डिफेंस बॉण्ड्स, १९७२ (4 $\frac{1}{2}$ % National Defence Bonds, 1972) अथवा ६ $\frac{3}{4}$ प्रतिशत गोल्ड बॉण्ड्स, १९७७ (6 $\frac{3}{4}$ % Gold Bonds, 1977) यदि विदेशी को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति (individual) के पास है तो उन पर देय ब्याज पर कर की कटौती नहीं की जायेगी। Gold Bonds के सम्बन्ध में उस व्यक्ति को ब्याज देने वाले अधिकारी का यह लिखित घोषणा देनी होगी कि Gold Bonds की कुल राशि, जो उसका पास है और जिनका यह ब्याज है १०,००० रुपये से अधिक नहीं है। यह नियम नये ७% गोल्ड बॉण्ड्स पर भी लागू होगा।

(iii) वित्त अधिनियम १९६५ के अनुसार कम्पनियों के अतिरिक्त अन्य किसी निवासी व्यक्ति को देय प्रतिभूतियाँ पर ब्याज पर १८ प्रतिशत आय

कर व २ प्रतिशत सरचाज (अर्थात् कुल मिलाकर ब्याज पर २० प्रतिशत) काट लिया जाता है। कम्पनियों को छोड़कर अन्य विदेशी कर दाताओं की दशा में यह कटौती २५ प्रतिशत आय-कर तथा ५ प्रतिशत सरचाज की दर से अथवा केवल ऐसी आय को कुल आय मानकर उस पर लागू आय कर व सरचाज की दर में (जा दोना में अधिक हो), की जायेगी।

१९६५-६६ कर निर्धारण वर्ष में प्रतिभूतियों के ब्याज का सकल बतान के लिए कम्पनियों का छोड़कर अन्य निवासी कर दाताओं के लिए उद्गम स्थान पर कर की कटौती २० प्रतिशत की दर से मानी जायेगी। यह दर वित्त अधिनियम, १९६४ द्वारा निर्धारित की गयी थी।

(iv) यदि कोई कर-दाता आय कर अधिकारी को यह प्राथना पत्र दे कि उसकी कुल आय आय कर लगने की 'यूनतम सीमा से कम है अथवा इतनी है कि उस पर निर्धारित दर से कम दर लागू होगी, और आय-कर अधिकारी उस प्राथना पत्र को स्वीकार कर ले तो वह एक प्रमाण पत्र इस आशय का दे देता है कि या तो उस पर कर बिलकुल नहीं लगेगा या कम दर से कर लगेगा। इस प्रमाण पत्र के आधार पर ब्याज देने वाला ब्याज की रकम में से या तो कर बिलकुल नहीं काटेगा और या प्रमाण पत्र के अनुसार कम दर से काटेगा।

Illustration 1

Mr P's investments during the year ended 31st March, 1965 consisted of the following

- (a) Rs 50,000 3½% Govt Securities
- (b) Rs 30,000 1% Agra Municipal Bonds
- (c) Rs 40,000 4½% Bombay Port Trust Bonds

He paid Rs 60 as commission for collecting the interest and Rs 1,200 as interest on loan which he had taken for the purpose of purchasing the Bombay Port Trust Bonds

Find out his taxable income from Interest on Securities

Solution

Assessment Year 1965-66

Interest on Securities

	Rs
(a) Govt Securities	1,750
(b) Municipal Bonds	1,200
(c) Port Trust Bonds	1,800
	4,750

	Rs
Less Collecting Commission	60
Interest on Loan	1,200
	1,260

Taxable Income from Interest on Securities Rs 3,490

Illustration 2

The following are the particulars of income of Mr X for the previous year 1964-65

- (a) Rs 50,000, 2% (Tax free) Govt Securities,
- (b) Rs 40,000 6% Preference Shares of a Company,
- (c) Rs 50,000, 4% (Less Tax) Govt Securities,
- (d) Rs 20,000, 4% (Tax free) Debentures of a Limited Company,
- (e) Rs 10,000, 4% Bombay Govt Loan,
- (f) He paid Rs 100 as collection charges for interest to his banker
- (g) He paid Rs 600 as interest on a loan which he took for purchasing Rs 50,000, 2% (Tax free) Govt Securities Find out his Taxable Income from Securities for the assessment year 1965-66

Solution

Statement showing Taxable Income from Interest on Securities for 1965-66

	Rs	Rs
(a) 2% (Tax free) Govt Securities	1,000	
Less Interest on loan	600	
	400	
(b) 4% (Less Tax) Govt Securities		2,000
(c) 4% (Tax free) Debentures of a limited company (Grossed up)		1,000
(d) 4% Bombay Govt Loan		400
		3,800
Less Bank Commission for collecting interest		100
Taxable Income from Securities		Rs 3,700

Notes

- 1 Interest on Loan taken for purchasing Tax free Govt Securities is deducted from the Tax free Interest
- 2 Interest on Tax free Debentures is grossed up as below

$$\frac{\text{Net Interest} \times 100}{80} = \frac{800 \times 100}{80} = \text{Rs } 1,000$$
- 3 Dividend on preference shares is not taxable under this head of income

Illustration 3

The investments of Mr X on 1st April, 1964, were as given below

- (a) Rs 50,000, 4% U P Govt Loan
- (b) Rs 25,000, 5% Improvement Trust Debentures
- (c) Rs 15,000, 5% Debentures of a Jute Mill Co

On 1st October, 1964 he sold his Improvement Trust Debentures at a profit of Rs 500 and purchased Rs 40,000 4% Port Trust Bonds, for which he took a loan of Rs 15,000 @ 6% per annum. The bank commission for buying and selling securities was 1% and for collecting interest Rs 20. Find out the taxable income from interest on securities, such interest being payable in each case on 1st January and 1st July.

Solution

Statement showing Taxable Income from Interest on Securities for the Assessment Year 1965-66

	Rs
(a) Interest on 4% U P Govt Loan for 1 year	2 000
(b) Interest on 5% Improvement Trust Debentures for $\frac{1}{2}$ year	625
(c) Interest on 5% Debentures of a Jute Mill Company for one year	750
(d) Interest on 1% Port Trust Bonds for $\frac{1}{2}$ year	800
	4 175
	Rs
Less Bank Commission for collecting interest	20
Interest on bank loan for 6 months (from 1st Oct to 31st March)	450
	470
Taxable Income from Interest on Securities	Rs 3 705

- Notes**
- 1 The Bank Commission for buying and selling securities is not deductible as it is a capital expenditure.
 - 2 Profit on sale of securities is not taxable as the securities are held as investment.

Illustration 4

A person has the following investments during the year 1964-65

- (i) Rs 54,000 3½% Govt Paper
- (ii) Rs 30,000 5% Municipal Debentures
- (iii) Rs 20,000 4½% Port Trust Bonds

- (iv) Rs 10,000 4% Bombay Development Loan
 (v) Rs 32,000 3% Tax free Govt of India Loan
 (vi) Rs 32,000 5% Tax free Debentures of a Co
 (vii) Rs 16,000 6% Debentures of a Sugar Mill Co

On 1st September, 1964, he bought Rs 40,000, 3% U P Govt Loan, the interest on which is payable on 30th June and 31st December. For this purpose he took a loan from his bankers of Rs 30,000 @ 5%. The bank also charged 2% commission on realisation of interest and dividend and 1% commission on purchase of securities. Find out the taxable income from interest on securities.

Solution

Statement showing Taxable Income from Interest on Securities for the Assessment Year 1965-66

	Rs
(i) Interest on 3½% Govt Paper	1 890
(ii) Interest on 5% Municipal Debentures	1 500
(iii) Interest on 4½% Port Trust Bonds	900
(iv) Interest on 4% Bombay Dev Loan	100
(v) Interest on 3% Tax free Govt of India Loan	960
(vi) Interest on 5% Tax free Debentures of a Co (Gross)	2 000
(vii) Interest on 6% Debentures of a Sugar Mill Co	960
(viii) Interest on 3% U P Govt Loan for ½ year	600
	9 210
Less Interest on loan of Rs 30,000	Rs
@ 5% for 7 months	875
Bank Commission @ 2% on Rs 7 560	151 20
	1,026 20
Taxable Income from Interest on Securities	Rs 8 183 80

- Notes
- 1 Interest on Tax free Debentures has been grossed up as below

$$\frac{1 600 \times 10}{8} = \text{Rs } 2,000$$
 - 2 Bank Commission has been charged on the actual realisation which is $\frac{8,250 \times 8}{10} = \text{Rs } 6,600 + \text{Tax free interest of Rs } 960 = \text{Rs } 7,560$
 - 3 Commission on purchase of securities is not an admissible expense

QUESTIONS

- 1 Explain clearly the meaning of 'Free of tax' and 'Less tax' in connection with interest on securities for purposes of income tax assessment

आय कर निर्धारण के उद्देश्य के लिए प्रतिभूतिया पर ब्याज के सम्बन्ध में 'कर मुक्त' तथा 'कर-मुक्त' शब्दों का अर्थ स्पष्टतया समझाइए।

- 2 Write short notes on

(a) Bond Washing Transactions,

(b) Tax free Commercial Securities

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए

(अ) दिवावटी लेन-देन,

(आ) कर मुक्त व्यापारिक प्रतिभूतियाँ।

(३) मकान-सम्पत्ति से आय

(3) INCOME FROM HOUSE PROPERTY

आय कर अधिनियम की धारा २२ के अनुसार 'मकान सम्पत्ति से आय' के शीपक में उन मकानों अथवा उनसे लगी हुई जमीनों के वार्षिक मूल्य पर आय कर लगाया जाता है जिनका कि कर-दाता स्वामी है और जिन्हें कि वह अपने किसी ऐसे व्यापार अथवा पेशे के लिए प्रयोग नहीं करता है जिसके लाभों पर आय कर लगता है।

उपर्युक्त परिभाषा में निम्न महत्वपूर्ण बातें हैं

(१) मकानों अथवा उनसे लगी हुई जमीनों पर—मकान सम्पत्ति से आय' के शीपक में मकानों तथा उनसे लगी हुई जमीनों की आय पर कर लगता है। वह जमीन जो किसी मकान के साथ न लगी हो इस शीपक के क्षेत्र में नहीं आती है। उसकी आय का 'अन्य साधना से आय' के शीपक में सम्मिलित किया जाता है।

(२) वार्षिक मूल्य पर—कर दाता का अपना मकानों अथवा उनसे लगी हुई जमीनों के वार्षिक मूल्य के आधार पर कर देना होता है। वार्षिक मूल्य की पूर्ण परिभाषा आगे दी गयी है।

(३) कर दाता का उस मकान सम्पत्ति का स्वामी होना—किसी कर दाता की आय के इस शीपक में केवल उन्हीं मकानों की आय शामिल की जाती है जिनका कि वह स्वामी है। यदि किसी कर दाता के पास कोई मकान पट्टे (lease) पर है तो उसे पुनः किराये पर उठाने से यदि कर-दाता का कोई आय होती है तो वह 'अन्य साधना से आय' के शीपक में लिपटी जायगी न कि 'मकान-सम्पत्ति से आय' के शीपक में। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था से कोई जमीन पट्टे (lease) पर लेकर उस पर अपना मकान बनवायें तो वह व्यक्ति जिसने मकान बनवाया है उस मकान का स्वामी कहलायेगा।

(४) अपने किसी व्यापार अथवा पेशे के लिए प्रयोग नहीं करता हो—यदि कोई मकान कर-दाता अपने ऐसे व्यापार अथवा पेशे के लिए प्रयोग करत

है त्रिनके लान जाय-कर अधिनिदान के अन्तर्गत कर-योग है तो उस मकान के धारिक मूल्य पर 'मकान-सम्पत्ति से आय' के शीपक में कोई कर नहीं लगेगा परन्तु साप ही यह भी ध्यान रहे कि उसके इस ध्यापार अथवा पेगे की क-योग्य आय निवालने के लिए उन मकान का अनुमानित किरारा मर्चे के रूप में स्वीकृत नहीं किया जायेगा ।

यदि क-दाता अपना कोई मकान अपने ध्यापार अथवा पेगे के लिए प्रयोग करता है और उसका कोई अंश अपने ध्यापार अथवा पेगे के किसी ऐसे कर्मचारी को किराये पर रहने को दे देता है जिसका वहाँ रहना ध्यापार अथवा पेगे को सुचारु रूप से चलाने के लिए आवश्यक है तो उस कर्मचारी से प्राप्त किराया 'ध्यापार से आय' के शीपक में निसा जायेगा न कि 'मकान सम्पत्ति से आय' के शीपक में ।

चूकि मकान-सम्पत्ति की आय का एक अलग शीपक है इसलिए यदि किसी ध्यापारिक सम्था के कुछ मकान हैं जो उसने ध्यापार के दौरान में किराये पर उठाये हुए हैं तो उन मकानों से आय ध्यापार की आय नहीं मानी जायेगी बल्कि वह 'मकान सम्पत्ति से आय' के शीपक में शामिल की जायेगी ।

मकान-सम्पत्ति की कर-मुक्त आयें

मकान सम्पत्ति की कर मुक्त आयें दो प्रकार की होती हैं—एक तो वे जो न कुल आय में शामिल की जाये न उन पर कर लगे और दूसरी वे जो कर दाता की कुल आय में तो शामिल होती हैं परन्तु उन पर कर नहीं लगता है ।

(१) जो न कुल आय में शामिल होती हैं और न उन पर कर लगता है—(i) धारा २ (1)(c) के अन्तगत, ऐसे मकान से आय जो कृषि भूमि के पास स्थित हो तथा जिसमें किसान रहता हो अथवा वह कृषि उपज के नण्डार के रूप में प्रयोग किया जाता हो ।

(ii) धारा ११ (1)(अ) के अन्तगत ऐसे मकान से आय जो किसी पुण्याय अथवा धार्मिक उद्देश्या के लिए स्थापित ट्रस्ट के पास हो ।

(iii) धारा २२ के अन्तगत, ऐसे मकान से आय जो कर दाता अपने ध्यापार अथवा पेगे के लिए प्रयोग करता हो ।

(iv) धारा २३ (३) के अन्तगत, यदि किराी कर-दाता के पास अपना केवल एक रहने का मकान हो जिसमें कि वह वहाँ दूसरे स्थान पर अपनी नौकरी अथवा ध्यापार अथवा पेशा होने के कारण पूरे मत्त मय में किराणुत न रह सका हो तथा उस दूसरे स्थान में वह जिस मकान में रहा हो वह उतना

स्वयं का न हो, तो ऐसे रहने के मकान से उस गत वर्ष की आय शून्य^१ होगी बशर्ते कि अपना रहने का मकान वास्तव में किराये पर न उठा दिया गया हो तथा उसमें मालिक मकान को कोई अन्य लाभ न प्राप्त होता हो।

(२) जो कुल आय में तो शामिल होती हैं परन्तु उन पर कर नहीं लगता है—(i) धारा ८१ (iv) के अंतर्गत, एक सहकारी समिति द्वारा वस्तुओं का भण्डार करने के लिए, अथवा विधियों के लिए अथवा विपणन में सहायता देने के लिए किराये पर दिये गये गोदामों अथवा भण्डारखानों का किराया।

(ii) धारा ८१ (v) के अंतर्गत, एक सहकारी समिति की मकान-सम्पत्ति से आय यदि समिति की कुल आय २०,००० रु० से अधिक न हो और वह समिति मकान बगाने वाली या नगर में स्थापित उपभोक्ता समिति या याता यात समिति या शक्ति के प्रयोग से वस्तुएँ निर्मित करने वाली समिति नहीं है।

(iii) धारा ८३ के अनुसार किमी अधिनियम के अंतर्गत वस्तुओं के विपणन (Marketing of Commodities) के लिए स्थापित किसी सत्ता की मकान सम्पत्ति से वह आय जो उसे गोदाम या भण्डारखाना को भण्डार करने अथवा वस्तुओं के विपणन में सहायता देने अथवा विधियों (processing) के लिए किराये पर उठाने से प्राप्त हो।

मकान-सम्पत्ति की आय के सम्बन्ध में अन्य महत्वपूर्ण बातें

(१) विदेश में स्थित मकान सम्पत्ति की आय—विदेश में स्थित मकान सम्पत्तियाँ की आय पर केवल 'भारत में निवासियों' पर ही कर लगता है अर्थात् असाधारण निवासी व विदेशी उक्त आय पर कर नहीं देते हैं।

(२) दो या दो से अधिक व्यक्तियों का किसी मकान सम्पत्ति का मालिक होना—धारा २६ के अनुसार यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी मकान सम्पत्ति के मालिक हों और प्रत्येक का अंश निश्चित हो व निकाला जा सकता हो तो उस मकान सम्पत्ति की आय पर सम्मिलित रूप से कर नहीं लगेगा, परन्तु उस आय में प्रत्येक के भाग की उसकी निजी कुल आय में जोड़ा जायेगा।

(३) शिकमो किरायेदार से प्राप्त किराया—यदि एक किरायेदार ने अपने पास किराये पर लिये हुए मकान में कोई शिकमो किरायेदार (sub tenant) रख लिया है तो उससे प्राप्त किराये की रकम अन्य साधना से आय के

^१ यदि इस रहने के मकान में मालिक मकान गत वर्ष में कुछ अवधि के लिए रहता है तो इस अध्याय के अंत में उदाहरण १० में समझाया हुआ तरीके से मालिक के स्वयं के रहने वाले मकान का पूरे वर्ष का वापिक मूल्य निकालकर उसका वही अनुपात कर दिया जायेगा जो मालिक मकान के रहने की अवधि का पूरे गत वर्ष से है। यही जानुपानिक रकम इस मकान का वापिक मूल्य होगी।

मकान सम्पत्ति से आय

एस्त...लय एवं वाचनालय^{६५}
 शीपक में लिखी जायेगी न कि 'मकान सम्पत्ति से आय' के शीपक में क्योंकि
 वह उस मकान का मालिक नहीं है।
 वार्षिक मूल्य (Annual Value)

धारा २२ के अनुसार एक कर दाता की मकान सम्पत्ति से आय उस मकान के वार्षिक मूल्य के आधार पर निकाली जाती है। अतः सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य निकालने की विधि का ठीक ठीक समझना अत्यन्त आवश्यक है। यदि यह वार्षिक मूल्य ठीक प्रकार से न निकाला जाय तो मकान सम्पत्ति की कर योग्य आय गलत निकलेगी।

धारा २३ (१) के अनुसार किसी मकान सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य वह रकम मानी जाती है जितने में कि वह प्रति वर्ष उचित रूप से किराये पर उठायी जा सकती है। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि वार्षिक मूल्य से तात्पर्य वास्तविक प्राप्त किराये से नहीं है, बल्कि उस अनुमानिक किराये (Notional Rent) से है जितने में कि वह सम्पत्ति किराये पर उठायी जा सकती है। किसी सम्पत्ति को उसके उचित किराये से कम पर भी उठाया जा सकता है परन्तु उसका वार्षिक मूल्य उसका उचित किराया ही माना जायगा। किसी मकान सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य निश्चिन करने के लिए उससे सम्बन्धित सब तत्त्वों को ध्यान में रखा जायेगा, जैसे, वास्तविक प्राप्त किराया, नगरपालिका का मूल्यांकन, उसी क्षेत्र में स्थित ऐसी ही किसी अन्य सम्पत्ति का किराया, आदि। वार्षिक मूल्य निकालने के सम्बन्ध में मकान सम्पत्तियों का तीन श्रेणियों में बाँटा गया है

- (१) वह मकान जो किराये पर उठा हुआ हो,
- (२) वह मकान जिसमें मालिक मकान स्वयं रहता हो, तथा
- (३) वह मकान जिसके कुछ भाग में मालिक मकान स्वयं रहता है और कुछ भाग किराये पर उठा हो।

(१) वह मकान जो किराये पर उठा हुआ हो—किराये पर उठे हुए मकान सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य निकालने के लिए उस मकान से प्राप्त वास्तविक किराये की रकम की तुलना उस किराये से की जाती है जितने में कि वह मकान किराये पर उठाया जा सकता है। यदि वह मकान शहर में स्थित है तो वास्तविक किराये की रकम की तुलना नगरपालिका द्वारा किये हुए उस मकान के मूल्यांकन की रकम से की जाती है। इन दोनों में जो रकम अधिक होनी है वही उस मकान का उचित किराया माना जाता है। यदि इस मकान पर नगरपालिका द्वारा अथवा अन्य किसी म्यानीय मन्त्रा द्वारा कोई कर (जिसमें सेवा कर भी शामिल है) लगाया जाता है और यदि किरायेदार के हिस्से का कर पूणतया अथवा आंशिक रूप में मालिक द्वारा

चुकाया जाता है तो मालिक द्वारा चुकायी गयी किरायेदार के दायित्व की रकम उस मकान के उचित किराये में से घटा दी जाती है और जो शेष बचता है वही किराये पर उठे हुए मकान का वार्षिक मूल्य होता है।

नगरपालिका अथवा अन्य किसी स्थानीय सत्ता द्वारा लगाये गये करों के सम्बन्ध में किरायेदार का दायित्व—(1) धारा २३ (१) के अंतर्गत दिये हुए स्पष्टीकरण के अनुसार १ अप्रैल, १९५० से पूर्व बने हुए सम्पूर्ण हुए मकानों के सम्बन्ध में नगरपालिका अथवा अन्य किसी स्थानीय सत्ता को दिये गये करों की पूरी रकम किरायेदार का दायित्व होती है। अतः यदि १ अप्रैल, १९५० से पूर्व का बना हुआ कोई मकान किराये पर उठा हुआ है तो उस मकान के उचित किराये में से मालिक द्वारा दी गयी इन करों की पूरी रकम घटाकर जो शेष बचता है वही इस मकान का वार्षिक मूल्य होता है। उदाहरणार्थ, १ अप्रैल, १९५० में पूर्व बने हुए एक मकान को ५० रुपये मासिक किराये पर उठाया जा सकता है और उस मकान पर मालिक द्वारा दिया गया नगरपालिका का वार्षिक कर ६० रुपये है तो यदि यह मकान किराये पर उठा हुआ हो तो उसका वार्षिक मूल्य निम्न प्रकार निकाला जायगा

उचित वार्षिक किराया—कर की पूरी रकम = वार्षिक मूल्य

अर्थात् ६०० रु—६० रु = ५४० रु वार्षिक मूल्य।

(ii) उपर्युक्त स्पष्टीकरण के अनुसार १ अप्रैल, १९५० को अथवा उसके बाद बने हुए सम्पूर्ण हुए मकानों के सम्बन्ध में नगरपालिका अथवा अन्य किसी स्थानीय सत्ता को दिये गये करों की आधी रकम किरायेदार का दायित्व होती है। इस नियम के अनुसार यदि उपर्युक्त उदाहरण में वह मकान १ अप्रैल, १९५० को अथवा उसके बाद बना हो तो इसका वार्षिक मूल्य निम्न प्रकार निकाला जायगा

उचित वार्षिक किराया—कर की आधी रकम = वार्षिक मूल्य

अर्थात् ६०० रु—३० रु = ५७० रु वार्षिक मूल्य।

१ अप्रैल, १९६१ के बाद बने हुए रहने के मकान—यदि कोई रहने का मकान १ अप्रैल १९६१ के बाद बनना शुरू हुआ हो व समाप्त हुआ हो तथा वह किराये पर उठा दिया गया हो तो उसका बनना समाप्त होने के तीन वर्ष बाद तक, उपर्युक्त दी हुई विधि के अनुसार निकाले हुए उसके वार्षिक मूल्य में से उसके वार्षिक मूल्य की पूरी रकम अथवा ६०० रुपये (जा दोनों में कम हो) घटा दी जाती है और शेष बची हुई रकम ही उसका शुद्ध वार्षिक मूल्य होता है। किसी भी दशा में ऐसे मकान की आय हानि में परिवर्तित नहीं हो सकती है।

स्पष्टीकरण—यदि उपर्युक्त वर्णित मकान में मालिक स्वयं रहता है तो

उस पर उपर्युक्त वर्णित नियम लागू नहीं होता है।

Illustration 1

The construction of a residential house began on 1st May, 1963 and ended on 31st December, 1963. On 1st April, 1964 it was let out at Rs 70 per month. If the municipal valuation of this house is Rs 600 per annum and the municipal taxes to be paid by the owner are Rs 50 per annum, what would be the Net Annual Value of this house for the period beginning from 1st April, 1964, and ending on 31st March, 1965 ?

Solution

Statement showing Calculation of Net Annual Value

Actual Rent of the house for the year (being greater than the municipal valuation)	Rs 840
Less $\frac{1}{2}$ Municipal Taxes	25
	815
Less (Either the whole Gross Annual Value or Rs 600 whichever is less)	600
	Rs 215

किरायेदार द्वारा दिये गये नगरपालिका अथवा स्थानीय सत्ता के कर— यदि कोई किरायेदार मकान का किराया देने के अतिरिक्त कोई ऐसा स्थानीय कर भी देता है, जिसका वास्तविक दायित्व मालिक मकान का हो, तो उस मकान का वार्षिक मूल्य निकालने के लिए किरायेदार द्वारा दिये हुए किराये की रकम में उक्त कर की रकम भी जोड़ ली जाती है।

Illustration 2

Mr X is the owner of a house which is let out at Rs 500 per month. Municipal taxes payable by the owner on that house amount to Rs 800 out of which Rs 500 are paid by the tenant in addition to the aforesaid rent.

What will be the Annual Value of the house if it was constructed in 1955 ?

Solution

Annual Rent	Rs 6,000
Add Municipal Taxes paid by the tenant	500
	6 500
Less $\frac{1}{2}$ Municipal Taxes	400
	Rs 6 100

(२) वह मकान जिसमें मालिक मकान स्वयं रहता हो—धारा २३ (२) के अनुसार उस मकान का वार्षिक मूल्य जिसमें मालिक मकान स्वयं रहता हो पहले उसी प्रकार निकाला जायेगा जिस प्रकार कि किराये पर उठे हुए मकान का वार्षिक मूल्य निकाला जाता है, अर्थात् यह मकान जितने वार्षिक किराये पर उठाया जा सकता है उसमें से स्थानीय करों की पूरी रकम (यदि यह मकान १ अप्रैल, १९५० से पूर्व बना हो) अथवा स्थानीय करों की आधी रकम (यदि यह मकान १ अप्रैल, १९५० को अथवा उसके बाद बना हो) घटाकर जो शेष बचता है वही उस मकान का वार्षिक मूल्य है यदि यह मकान किराये पर उठा हुआ होता। इस वार्षिक मूल्य में से इसका आधा अथवा १८०० रुपये (जो भी दोनों में कम हो) घटा दिया जायेगा। इस प्रकार घटाने के बाद जो रकम शेष बचेगी वह इस मकान का वार्षिक मूल्य होगी बशर्ते कि यह वार्षिक मूल्य किसी भी दशा में मालिक मकान की कुल आय के १० प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि यह वार्षिक मूल्य उसकी कुल आय के १० प्रतिशत से अधिक है तो १० प्रतिशत तक ही उसका वार्षिक मूल्य माना जायेगा। इस सम्बन्ध में कुल आय से आशय उस आय से है जिसमें उस करदाता की सब मदों से कर-योग्य आय (इस मकान की कर योग्य आय सहित) शामिल हो।

उपयुक्त वर्णित १० प्रतिशत की सीमा निकालने के लिए निम्न फार्मूला (Formula) प्रयोग किया जाता है

स्वयं रहने वाले मकान का वार्षिक मूल्य जो कुल आय का $\frac{1}{10}$ हो

$= \frac{1}{10}$ का $\frac{1}{10}$ (अर्थात् कर योग्य आय—स्वयं रहने वाले मकान के स्वीकृत व्यय सिवाय $\frac{1}{2}$ मरम्मत भत्ते को छोड़कर)

अथवा

$\frac{5}{100}$ (अर्थात् कर योग्य आय—स्वयं रहने वाले मकान के स्वीकृत व्यय सिवाय $\frac{1}{2}$ मरम्मत भत्ते को छोड़कर)

Illustration 3

An assessee owns a house which he is occupying for his own residential purposes. The municipal valuation of this house is Rs 6 000 per annum. He pays Rs 500 as municipal taxes on this house. The house was constructed after 1st April, 1950. Allowable expenses in connection with this house are Rs 400 other than the statutory repairs. His taxable income under the head 'salaries' is Rs 18 000. Find out (i) his taxable income from house property, and (ii) his total income for the assessment year 1963-66.

Solution

(i) Statement showing Calculation of Taxable Income from House Property

	Rs
Municipal Valuation of Residential House	6 000
Less $\frac{1}{2}$ Municipal Taxes	250
	5,750
Less Statutory Allowance	1 800
$(\frac{1}{2}$ of Rs 5,750 or Rs 1,800 whichever is less)	
Annual Value	Rs 3,950

But the annual value should not be more than $\frac{1}{10}$ th of total income, hence

$\frac{1}{10}$ of (other taxable income—allowable expenses of the residential house other than the $\frac{1}{2}$ th Repairs Allowance)
 or $\frac{1}{10}$ of (Rs 18 000—400)
 or $\frac{1}{10} \times 17,600 = \text{Rs } 1\,920$

As Rs 3 950 is more than $\frac{1}{10}$ th of the Total Income of the assessee, the annual value of this house will be restricted to $\frac{1}{10}$ th of Total Income only, i.e., Rs 1,920 (as per calculation given above)

Hence, the Taxable Income from House Property will be

Annual Value	Rs
(Restricted to $\frac{1}{10}$ th of Total Income)	1,920
	Rs
Less $\frac{1}{6}$ Repairs Allowance	320
Allowable Expenses	400
	720
Taxable Income from House Property	Rs 1 200

(ii) Statement of Total Income

	Rs
Taxable Income from Salary	18,000
Taxable Income from House Property	1,200
	Rs 19 200

(३) यह मकान जिसके कुछ भाग में मालिक मकान स्वयं रहता हो और कुछ भाग किराये पर उठा हो—ऐसे मकान का वार्षिक मूल्य निकालने के लिए सवप्रथम मकान के उस भाग का वार्षिक मूल्य निकाल लेना चाहिए जो किराये

पर उठा हा तत्पश्चात् इसी वार्षिक मूल्य के आधार पर उस भाग का वार्षिक मूल्य निकाल लेना चाहिए जिसमें कि मालिक मकान स्वयं रहता हो और फिर उसमें से उसका $\frac{2}{3}$ अथवा १,८०० रु० (दोनों में जो कम हो) घटा देना चाहिए। शेष बची हुई रकम मालिक के स्वयं के रहने वाले हिस्से का वार्षिक मूल्य होगी अर्थात् कि यह उसकी कुल आय के १० प्रतिशत से अधिक न हो। यदि यह १० प्रतिशत से अधिक निकलेगी तो कुल आय के १० प्रतिशत तक की रकम मालिक मकान के रहने वाले हिस्से का वार्षिक मूल्य मानी जायेगी। उदाहरणार्थ यदि एक मकान का आधा हिस्सा किराये पर उठा हुआ है और शेष आधे में मालिक मकान स्वयं रहता है तो यदि वह मकान १ अप्रैल, १९५० को अथवा उसके बाद का बना हुआ है और उसका आधा हिस्सा ५० रुपये मासिक किराये पर उठा हुआ है तथा पूरे मकान का गृह कर व जल-कर १०० रु० प्रति वर्ष है जो मालिक मकान चुकाता है, तो पहले किराये पर उठे हुए हिस्से का वार्षिक मूल्य निम्न प्रकार निकाला जायेगा

आधे मकान का वार्षिक किराया = ६०० रु०

घटाया $\frac{2}{3}$ का $\frac{2}{3}$ गृह कर व जल कर = २५ रु०

किराये पर उठे हुए भाग का वार्षिक मूल्य = ५७५ रु०

यही ५७५ रुपये शेष आधे मकान का वार्षिक मूल्य निकालने का आधार होगा, क्योंकि किराये पर उठा हुआ भाग और मालिक मकान के स्वयं के रहने का भाग बराबर है। मालिक मकान के स्वयं के रहने वाले हिस्से का वार्षिक मूल्य निकालने के लिए उक्त ५७५ रुपये में से इसका आधा अथवा १,८०० रु० (जो दोनों में कम हो) वैधानिक छूट के रूप में घटा दिया जायेगा। यहाँ ५७५ रु० में से २८८ रु० (जो $\frac{2}{3}$ है) घटाये जायेंगे, क्योंकि यह १,८०० रु० से कम है और शेष २८७ रुपये मालिक मकान के स्वयं के रहने वाले हिस्से का वार्षिक मूल्य होगा। इस सम्बन्ध में यह ध्यान रहे कि मालिक मकान के स्वयं के रहने वाले हिस्से का वार्षिक मूल्य उसकी कुल आय के १० प्रतिशत से अधिक न हो। उपर्युक्त प्रकार से निकाले हुए दोनों वार्षिक मूल्या का जोड़ इस पूरे मकान का वार्षिक मूल्य होगा।

कटौतियाँ (Deductions)

धारा २४ (१) के अन्तर्गत, मकान सम्पत्ति की कर योग्य आय निकालने के लिए उसके वार्षिक मूल्य में से निम्न कटौतियाँ स्वीकृत हैं

(१) मरम्मत के सम्बन्ध में—(१) यदि मकान में मालिक मकान स्वयं रहता हो अथवा यह किराये पर उठा हुआ हो तथा इस मकान की मरम्मत कराने का दायित्व मालिक मकान का हो तो मकान के वार्षिक मूल्य का $\frac{1}{10}$

भाग मरम्मत के भत्ते के रूप में वार्षिक मूल्य में से घटा दिया जायेगा। यह एक वैधानिक भत्ता है जो हमेशा घटाया जायेगा चाहे मरम्मत में इससे कम अथवा अधिक व्यय हुआ हो अथवा बिलकुल भी व्यय न हुआ हो और चाहे मकान खाली पड़ा रहा हो।

(ii) यदि मकान किराये पर उठा हुआ हो और मकान की मरम्मत कराने का दायित्व किरायेदार पर हो तो मरम्मत की छूट मकान के वार्षिक मूल्य का वास्तविक दिये हुए किराये से आधिक्य (excess) तक अथवा वार्षिक मूल्य के $\frac{1}{2}$ भाग तक (दोनों में जो कम हो) सीमित है, अर्थात् यदि वार्षिक मूल्य का वास्तविक किराया पर आधिक्य वार्षिक मूल्य के $\frac{1}{2}$ भाग से कम है तो वह आधिक्य ही मरम्मत की कटौती होगी और यदि वार्षिक मूल्य का $\frac{1}{2}$ भाग उक्त आधिक्य से कम है तो $\frac{1}{2}$ भाग की ही मरम्मत के लिए कटौती दी जायेगी।

(२) बीमा प्रीमियम—मकान-सम्पत्ति की नुकसानी अथवा बरबादी से होने वाली हानि की जोखिम से बचने के लिए कराये हुए मकान के बीमे का प्रीमियम, जैसे जाग, भूकम्प, बिजली गिरने आदि से होने वाली हानि की पूर्ति के लिए कराये गये बीमे का प्रीमियम।

(३) मकान सम्पत्ति के बंधक करने अथवा उस पर अथवा कोई पूजोगत भार होने की दशा में—यदि मकान सम्पत्ति बंधक कर दी गयी है अथवा उस पर अथवा कोई पूजोगत भार है तो उस बंधक पर लिये हुए ऋण का अथवा उस भार का ब्याज चाहे ऋण लेने का उद्देश्य कुछ भी क्या न हो। धारा २७ में दी हुई परिभाषा के अनुसार पूजोगत भार से आशय उस भार से है जो किसी पूजोगत दायित्व के भुगतान की सुरक्षित करने के लिए किसी सम्पत्ति पर लगाया गया हो। यह पूजोगत भार स्वयं नहीं घटाया जाता है बल्कि उस भार के सम्बन्ध का ब्याज घटाया जाता है।

(४) वार्षिक भार (Annual Charge)—यदि सम्पत्ति पर कोई वार्षिक भार है, जो पूजोगत भार न हो, तो ऐसे वार्षिक भार की रकम। धारा २७ के अनुसार वार्षिक भार उस भार को कहते हैं जो किसी वार्षिक दायित्व का सुरक्षित करने के लिए हो परन्तु इसमें स्थानीय सत्ता अथवा राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये हुए सम्पत्ति पर कर शामिल नहीं होते हैं। जैसे, यदि ऋण पत्रों (debentures) के ब्याज को किसी सम्पत्ति पर भार लगाकर सुरक्षित कर दिया जाय तो यह ब्याज वार्षिक भार होगा। इसी प्रकार, यदि किसी अविभाजित हिन्दू परिवार पर उस परिवार की किसी विधवा का अपन जीवन निर्वाह के खर्चों के लिए ५०० रु० वार्षिक देने का दायित्व है और यह दायित्व न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है तथा विधवा का परिवार की सम्पत्ति की आय में से यह रकम वसूल करने का

अधिकार दिया गया है तो यह ५०० रु० की रकम परिवार की सम्पत्ति पर वार्षिक भार होगी जो सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य में से घटा दी जायगी (C I T : Bhaya, 1949 I T R 515) ।

(५) भूमि का किराया—यदि मकान जिस भूमि पर बना हुआ है उसका कुछ किराया दिया जाता है तो उस भूमि के किराये की रकम ।

(६) मकान के लिए लिये हुए ऋण पर ब्याज—मकान सम्पत्ति को खरीदने, बनवाने अथवा मरम्मत कराने के लिए लिये हुए ऋण पर ब्याज की रकम ।

(७) मालगुजारी अथवा भूमि का लगान (Land Revenue)—सम्पत्ति के सम्बन्ध में दी गयी वार्ड मालगुजारी अथवा भूमि का लगान ।

(८) किराया वसूल करने के व्यय—मकान-सम्पत्ति का किराया वसूल करने के सम्बन्ध में किये गये व्यय, परन्तु य सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य के ६ प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए ।

(९) मकान के खाली रहने की छूट—यदि मकान किराये पर उठा हुआ है और वह गत वर्ष में कुछ समय के लिए खाली रहता है तो उस मकान के वार्षिक मूल्य में से खाली रहने की अवधि का आनुपातिक मूल्य 'खाली रहने की छूट' के नाम से घटा दिया जायगा । उदाहरणार्थ, यदि मकान का वार्षिक मूल्य १२,००० रु० है और वह मकान गत वर्ष में ३ माह तक खाली रहता है तो इस मकान के वार्षिक मूल्य का $\frac{3}{12}$ या $\frac{1}{4}$ अर्थात् १२,००० का $\frac{1}{4}$ = ३००० रु० इस मकान की 'खाली रहने की छूट' होगी ।

यदि सम्पत्ति कई हिस्सों में अलग अलग किराये पर उठायी गयी है और इनका कोई हिस्सा कुछ समय के लिए खाली रहता है तो खाली रहे हुए हिस्से के आनुपातिक वार्षिक मूल्य में से खाली रहने की अवधि का आनुपातिक मूल्य 'खाली रहने की छूट' के नाम से घटा दिया जायेगा । उदाहरणार्थ, यदि एक मकान का वार्षिक मूल्य १२,००० रु० है और यह तीन बराबर हिस्सों में अलग अलग किराये पर उठा हुआ है तो यदि इसका एक हिस्सा गत वर्ष में तीन माह तक खाली रहता है तो इस हिस्से के लिए खाली रहने की छूट निम्न प्रकार निकाली जायेगी

१२,००० रु० का $\frac{3}{12}$ = ४,००० रु० इस हिस्से का वार्षिक मूल्य,

४००० रु० का $\frac{3}{12}$ = १,००० रु० इस हिस्से के ३ माह तक खाली रहने की छूट, जो वार्षिक मूल्य में से घटा दी जायगी ।

(१०) न वसूल हुए किराये की रकम—यदि कर-दाता अपने किसी किरायेदार से किराये पर दिये हुए मकान का पूरा किराया वसूल न कर सके तो न वसूल हुए किराये की रकम उस मकान के वार्षिक मूल्य में से घटा दी जाती है

वशतें कि इसके सम्बन्ध में सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ़ डाइरेक्ट टैक्सेज (Central Board of Direct Taxes) द्वारा बनायी हुई निम्न शर्तें पूरी हो जायें

(i) किरायदारी वास्तविक है,

(ii) उस किरायेदार ने मकान खाली कर दिया हो, अथवा मकान खाली कराने के लिए उसे बाध्य करने की कायवाहिया की जा चुकी हो,

(iii) वह किरायेदार कर-दाता के किसी अन्य मकान पर कब्जा न किये हुए हो,

(iv) कर-दाता न चुकाय गया किराये को वसूल करने के लिए सब प्रकार की उचित कानूनी कायवाही कर चुका हो अथवा आय कर अधिकारी को यह सन्तुष्ट कर दे कि कानूनी कायवाहियाँ व्यर्थ होंगी, तथा

(v) उस सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य जिस पर किराया नहीं वसूल हो पाया है, कर दाता की उस गत वर्ष की कर योग्य आय में शामिल कर लिया गया है जिसके सम्बन्ध में किराया बाकी है तथा ऐसी कर योग्य आय पर कर चुकाया जा चुका है।

इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिए कि न वसूल हुए किराये की रकम कर दाता की 'मकान-सम्पत्ति से आय' के शीषक में उसकी कुल आय में शामिल होने वाली उस रकम से अधिक न हो जिसमें से यह न वसूल हुआ किराया न घटाया गया हो।

यदि उपर्युक्त वर्णित स्वीकृत कटौतियाँ वा जोड़ उस सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य से अधिक हो तो यह उस सम्पत्ति की हानि होगी जिस कर दाता अपनी आय में से काट सकता है।

मकान सम्पत्ति की आय में से न घटायी जाने वाली रकमें (Amounts not deductible from income from house property)—धारा २५ के अनुसार कोई भी वार्षिक भार अथवा ब्याज, जो भारतीय आय कर अधिनियम के अंतर्गत कर योग्य है तथा जिसका भुगतान भारत के बाहर होना है 'मकान सम्पत्ति से आय' के शीषक में कर योग्य आय निकालने के लिए नहीं घटाया जायेगा यदि उस भार अथवा ब्याज की रकम में से कर न काट लिया गया हो अथवा भारत में ऐसा कोई व्यक्ति न हो जिसे धारा १६३ के अंतर्गत विदेशी प्राप्तकता का अभिकर्ता (agent) मान सकें।

Illustration 4

Gopal is employed in a government office on a monthly salary of Rs 500. He owns Rs 80,000 3½% Government securities and is also the owner of a big house, whose municipal valuation is Rs 1,600. He has let one third of the house at Rs 60 per month and occupies the remainder for his own

residence The house is mortgaged for a loan which he took for meeting the expenses of his sister's marriage The interest on mortgage was Rs 600 for the year The municipal taxes paid in respect of the house amounted to Rs 300 Ascertain his taxable income from house property and also his total income for the previous year ended 31st March, 1965

Solution*Statement showing Taxable Income from House Property*

Rent of the portion let	Rs 720
Less $\frac{1}{2}$ Municipal Taxes of the rented portion ($\frac{1}{2}$ of $\frac{1}{2}$ of 300)	50
Annual Value of the portion let	Rs 670
	Rs
Annual Value of the residential portion on the basis of the portion let	1 340
Less $\frac{1}{2}$ Statutory Allowance	670
Annual Value of the residential portion	Rs 670
	Rs
Annual Value of the whole house (Rs 670 + Rs 670)	1,340
Less	Rs
$\frac{1}{2}$ for Repairs	223 43
Interest on Mortgage	600 00
	823 33
Taxable Income from House Property	Rs 516 67
	or, say, Rs 517

Note It is assumed here that the house was constructed after 1st April 1950

Statement of Total Income

1 Income from Salary	Rs 6 000
2 Interest on Securities	2 800
3 Income from House Property	517
	Total Income Rs 9,317

Illustration 5

Shri Subhash is the owner of two houses one of which the municipal valuation is Rs 1 000, is occupied by him for his

own residence and the other, of which the municipal valuation is Rs 1,600, is let out at Rs 200 per month. The expenses for both the houses are

Municipal taxes Rs 260, land revenue for the house let out, Rs 100, interest on loan taken to repair the house let Rs 300, fire insurance premium for both the houses, Rs 200

Ascertain his income from house property assuming that his income from other sources during the previous year 1964-65 was Rs 15,000

Solution*Statement showing Income from House Property*

	Rs	Rs
Rent of house let	2 400	
Less $\frac{1}{2}$ of Municipal Taxes being proportionate to municipal valuation, i.e., $\frac{1}{2}$ of $(260 \times \frac{1,600}{2,600})$ or $\frac{1}{2}$ of 160	80	
		2 320
Annual Value of self occupied house on the basis of municipal valuation	1,000	
Less $\frac{1}{2}$ of Municipal Taxes being proportionate to municipal valuation, i.e. $\frac{1}{2}$ of $(260 \times \frac{1,000}{2,600})$ or $\frac{1}{2}$ of 100,	50	
	950	
Less Statutory Allowance being $\frac{1}{2}$ of it	475	475
Annual Value of both the houses		Rs 2 795
Less $\frac{1}{2}$ for Repairs	466	
Land Revenue	100	
Interest on Loan	300	
Fire Insurance Premium	200	1 066
Income from House Property		Rs 1,729

- Notes 1 It has been assumed that both the houses were constructed after 1st April, 1950
- 2 Annual value of the residential house is much less than 10% of his total income, as only the amount of Rs 15,000 which represents income from other sources is sufficient to cover up the said annual value within 10% limit

Illustration 6

Mr R P Seth owns house property of the annual rental value of Rs 8,000, which he has let to Mr Kamthan at

Rs 7,000 per annum, Mr Kamthan agreeing to bear the cost of repairs himself. The expenses of Mr Seth in connection with this property amount to Rs 2,500, excluding the cost of repairs.

You are required to calculate his taxable income from house property.

Would it make any difference if the house had been let out at Rs 6,000 per annum instead of Rs 7,000, per annum?

Solution

In this case the tenant has undertaken to bear the cost of repairs, hence the Repair Allowance is restricted to either the excess of the Annual Value over the rent paid or $\frac{1}{6}$ of the Annual Value, whichever is less. Applying this rule, the taxable income of the house property in question will be determined as follows:

Annual Value	Rs 8,000
Less Repair Allowance (the excess of the Annual Value over the rent paid being less than $\frac{1}{6}$ th of the annual value, i.e. Rs 8,000 - Rs 7,000 = Rs 1,000)	1,000
	Rs 7,000
Taxable Income from House Property	Rs 7,000

In the case of the house being let at Rs 6,000 per annum instead of Rs 7,000 per annum

Annual Value	Rs 8,000
Less Repair Allowance ($\frac{1}{6}$ of Annual Value being less than the excess of the Annual Value over the rent paid, i.e., $\frac{1}{6}$ of 8,000 = Rs 1,333.33)	1,333.33
	Rs 6,666.67
Taxable Income from House Property	Rs 6,666.67
	or say Rs 6,667

Note Expenses of Rs 2,500 have not been allowed as a deduction because nothing is mentioned in the question regarding their nature.

Illustration 7

Mr X owns three houses the details regarding which are as follows:

1. The first house of the annual rental value of Rs 4,000 was occupied by him for his residence.

- 2 The second house of the annual rental value of Rs 5,600 was let out at Rs 400 per month. He paid Rs 600 as interest on money borrowed for the construction of the house, Rs 80 as ground rent and Rs 200 as fire insurance premium.
- 3 The fair rent of the third house is Rs 1,600 and its actual rent is Rs 1,400, but in respect of this house legal maintenance charge of Rs 1,600 per year exists in favour of his father.

Find out his taxable income from house property for the assessment year 1965-66 if his other taxable income was Rs 25,000.

Solution

Computation of Taxable Income from House Property

	Rs	Rs
1 Annual value of Residential House	1,000	
Less Statutory Allowance (restricted to Rs 1,800 being less than one half)	1,800	
Annual Value	<u>2,200</u>	
Less $\frac{1}{2}$ for Repairs	367	1,833
2 Annual Value of the 2nd house	5,600	
Rs		
Less $\frac{1}{2}$ for Repairs	933	
Interest on Loan	600	
Ground Rent	80	
Fire Ins Premium	200	
	<u>1,813</u>	3,787
3 Annual Value of the 3rd house	1,600	
Rs		
Less $\frac{1}{2}$ for Repairs	267	
Annual Charge	1,600	-267
	<u>1,867</u>	
Taxable Income from House Property		<u><u>Rs 5,353</u></u>

Illustration 8

Mr A has five houses the municipal valuations of which are Rs 3,000, Rs 3,200, Rs 2,000, Rs 4,000 and Rs 6,000.

respectively. He lives in the first house. In the second house he runs his business. The other three houses are let out for Rs 120, Rs 350 and Rs 600 per month respectively. One third portion of the third house is also used by him for residential purposes and the rent of Rs 120 is received for the remaining two third portion. A loan was taken for the construction of the fifth house, the construction of which began on 1st June 1963, and ended on 31st January, 1964. The house was let out on 1st February, 1964. For the previous year 1964-65 the interest paid by him in respect of the loan amounted to Rs 800. Municipal taxes were assessed @ 10% of the valuation. His income from business was Rs 30,000. Ascertain his taxable income from house property for the assessment year 1965-66.

Solution

*Computation of Taxable Income from House Property
for the Assessment Year 1965-66*

	Rs	Rs
1 Annual Rental Value of the residential house	3,000	
Add Proportionate rental value of the residential portion (one third) of the 3rd house	720	
	3,720	
Less $\frac{1}{2}$ Municipal Taxes ¹	183 50	
	3 536 50	
Less $\frac{1}{2}$ Statutory Allowance	1 768 25	
Net Annual Value	Rs 1,768 25	
Less $\frac{1}{6}$ for Repairs	294 71	1 473 54
2 Annual Rental Value of the two third portion of the 3rd house	1 410	
Annual Rental Value of the 4th house	4 200	
	5,610	
Less $\frac{1}{2}$ Municipal Taxes ²	266 50	
	Rs 5 373 50	
Less $\frac{1}{6}$ for Repairs	895 58	4 477 92

3 Annual Rental Value of the Fifth house	Rs 7,200	
Less ¼ Municipal taxes	300	
	<hr/> 6 900	
Less Statutory Deduction	600	
	<hr/> 6,300	
Less ½ for Repairs 1,050		
Interest on Loan 800	1,850	4 450
Taxable Income from House Property	<hr/> Rs 10,101 46	
	or say Rs 10 401	

Notes 1	Municipal Taxes of the 1st house being 10% of Rs 3,000	Rs 300
	Municipal Taxes of the 1/3rd portion of the third house being 1/3rd of 10% of Rs 2 000	Rs 67
	Total Municipal Taxes in respect of the residential house	<hr/> Rs 367
	Half of it is deductible which comes to	<hr/> Rs 183 50
2	Municipal Taxes of the 4th house being 10% of Rs 4,000	Rs 400
	Municipal Taxes of 2/3rd portion of the third house being 2/3rd of 10% of Rs 2 000	Rs 133
		<hr/> Rs 533
	Half of it, being deductible	<hr/> Rs 266 50
3	As the 2nd house is being used for his business its income is not taxable under the head 'Income from House Property'	

Illustration 9

Shri Krishna Das owns several properties the annual letting value of which amounts to Rs 30,000, including Rs 6 000 for a bungalow where he resides. He claims the following expen

ses in addition to the statutory allowance for repairs, viz, Rs 100 for insurance premium, Rs 500 for interest on mortgage, Rs 300 for vacancy allowance Rs 30 for ground rent and Rs 1,500 for rent collection charges

Assuming that he has no other income find out his total income for the assessment year 1965-66

Solution

Computation of Total Income

		Rs
Annual Rental Value of houses let out (Rs 30,000—6,000)		24,000
	Rs	
Less $\frac{1}{2}$ for Repairs	4,000	
$\frac{1}{2}$ of Insurance Premium	80	
$\frac{1}{2}$ of Interest on mortgage	400	
$\frac{1}{2}$ of Ground Rent	24	
Vacancy Allowance	300	
Collection charges (restricted to 6% of annual value)	1,440	6,244
Taxable Income from Rented Property		Rs 17,756
	Rs	
Annual Letting Value of Residential House	6,000	
Less Statutory Allowance	1,800	
($\frac{1}{2}$ of Annual Rental Value or Rs 1,800 whichever is less)		
Annual Value	Rs 4,200	

But the annual value should not be more than $\frac{1}{10}$ th of total income, hence

$\frac{1}{10}$ of (other taxable income—allowable expenses of the residential house other than the $\frac{1}{2}$ th Repair Allowance)

or $\frac{1}{10}$ of Rs (17,756—126)

or $\frac{1}{10}$ of 17,630 = Rs 1,923.27

(As Rs 4,200 is more than $\frac{1}{10}$ of the Total Income of the assessee the Annual Value of this house will be restricted to $\frac{1}{10}$)

of the Total Income, i.e., Rs 1 923 27, as per calculation given above)

		Rs
Annual Value of Residential House restricted to 1/10 of Total Income		1,923 27
		Rs
Less	1/6 Repair Allowance	320 54
	1/5 Insurance Premium	20 00
	1/5 Interest on Mortgage	100 00
	1/5 Ground Rent	6 00
		446 54
Taxable Income from Residential House		Rs 1,476 73
Total Income for 1965 66		Rs 19,232 73
		or, say Rs 19,233

Illustration 10

Mr X is the owner of three house properties in Agra, particulars in respect of which for the year ended 31st March, 1965, are as below

	1st house	2nd house	3rd house
1 Construction started on	1 4 63	1 8 63	1-7 48
2 Construction completed on	31 12 63	31 1 64	31 12 48
3 Actual rent received	Rs 1,000	Rs 900	Dwelling House
4 Fair Rent	Rs 1,200	Rs 900	Rs 16,000
5 Total Municipal Tax	Rs 120	Rs 90	Rs 1 600
6 Municipal Tax paid by Mr X	Rs 120	Rs 45	Rs 1 600
7 Municipal Tax paid by the tenant	—	Rs 45	—
8 Cost of repairs borne by Owner	—	—	Owner
9 Vacancy period	—	—	3 months
10 Collection charges	Rs 50	Rs 30	—
11 Insurance Premium	Rs 10	Rs 10	Rs 260
12 Interest on mortgage	Rs 150	Rs 300	Rs 3 000

Mr X resided in Delhi for 3 months during the previous year in connection with his business and for all these 3 months his dwelling house at Agra remained vacant. During the period of his stay in Delhi he did not occupy any other house of his own.

Compute Mr X's Taxable Income from House Property for the assessment year 1965-66, if his other income for the year was Rs 1,50,000

Solution

Computation of Taxable Income from House Property

First House

	Rs
Fair Rent	1 200
Less ½ Municipal Taxes	60
	1,140
Less Statutory Deduction (Gross Annual Value or Rs 600 whichever is less)	600
	Rs 540
	Rs
Less ¼ Repair Allowance	90
Collection Charges restricted to 6% of Annual Value of Rs 540	32
Insurance Premium	10
Interest on mortgage	150
	282
Taxable Income	Rs 258

Second House

	Rs
Fair Rent	900
Less Statutory Deduction (Gross Annual Value or Rs 600 which ever is less)	600
	Rs 300
	Rs
Less ½ Repair Allowance	50
Collection Charges restricted to 6% of Annual Value of Rs 300	18
Insurance Premium	10
Interest on Mortgage	300
	378
Loss	Rs 78

No loss will be allowed nor any income will be taxable regarding the second house

Third House

	Rs
Fair Rent	16,000
Less Municipal Taxes	1,600
	14,400
Less Statutory Allowance	1,800
	Annual Value Rs 12,600

Annual Value will be reduced to $\frac{3}{4}$ th as the house remained vacant for 3 months and the assessee fulfils all the conditions of Section 23(3) ¹

Hence Net Annual Value = Rs 9 450

Less Deductions permissible

	Rs	
$\frac{1}{2}$ Repair Allowance	1,575	
Insurance Premium	260	
Interest on mortgage	3,000	4 835
	Taxable Income	Rs 4 615

Hence, Total Taxable Income from House Property

= Rs 258 + 4 615 = Rs 4 873

Notes (1) Under Section 23 (3) "Where the property in the occupation of the owner consists of one residential house only and it cannot actually be occupied by the owner by reason of the fact that owing to his employment, business or profession carried on at any other place he has to reside at that other place in a building not belonging to him the annual value of such house shall—

(i) if the house was not actually occupied by the owner during the whole of the previous year, be taken to be Nil or

(ii) if the house was actually occupied by the owner for a fraction of the previous year, be taken to be that fraction of the annual value determined by the provisions of section (2) ¹

(2) ¹ It means that in this case statutory allowance is not to be given as a 'special case' but the annual value itself will be reduced pro-rata.

(2) The annual value of the residential house is less than 10% of his total income

QUESTIONS

- 1 Define 'annual value', and state the deductions that are allowed from the annual value in computing the taxable income from house property
 'वार्षिक मूल्य' की परिभाषा दीजिए तथा मकान-सम्पत्ति की कर योग्य आय निकालने के लिए वार्षिक मूल्य में से घटायी जाने वाली स्वीकृत कटौतियों का वर्णन कीजिए।
- 2 In computing the taxable income from house property, what deductions are allowed from annual value?
 मकान सम्पत्ति की कर योग्य आय निकालने के लिए वार्षिक मूल्य में से क्या-क्या कटौतियाँ स्वीकृत हैं ?
- 3 Write short notes on
 (a) Vacancy Allowance
 (b) Unrealised Rent
 (c) Repair Allowance
 (d) Income from house property in a foreign country
 निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए
 (अ) मकान के खाली रहने की छूट।
 (आ) न वसूल हुए किराये की रकम।
 (इ) मरम्मत भत्ता।
 (ई) विदेश में स्थित मकान-सम्पत्ति से आय।
- 4 State the items of income from house property which are not liable to tax
 मकान सम्पत्ति से आय के उन मदों का वर्णन कीजिए जिन पर कर नहीं लगता है।
- 5 What is meant by annual value of property, and what deductions are allowed to arrive at the taxable income from property? How would you arrive at the annual value of a house occupied by an assessee for his own residence?
 मकान सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य से क्या समझते हो तथा मकान-सम्पत्ति की कर योग्य आय निकालने के लिए क्या कटौतियाँ स्वीकृत हैं? कर दाता के स्वयं के रहने के मकान का वार्षिक मूल्य आप कैसे निकालेंगे ?

(४) व्यापार अथवा पेशे के लाभ

(4) PROFITS OF BUSINESS OR PROFESSION

आय-कर अधिनियम में धारा २८ से ४३ तक 'व्यापार अथवा पेशे के लाभ' के शीपक में आय की गणना करने के सम्बन्ध में नियम दिये हुए हैं। इन नियमों का अध्ययन करने से पूर्व यह समझ लेना आवश्यक है कि व्यापार तथा पेशे के क्या अर्थ हैं। धारा २ (१३) के अनुसार व्यापार में कोई लेन-देन, वाणिज्य या वस्तु-उत्पादन अथवा अन्य कोई साहस, जो व्यापार, वाणिज्य अथवा वस्तु उत्पादन की प्रकृति का हो, शामिल हैं। व्यावहारिक रूप से व्यापार शब्द का आशय किसी वस्तु का लाभ के उद्देश्य में क्रय विक्रय करना अथवा निर्माण करना है। व्यापार में बैंकर का कार्य करना, यातायात का कार्य करना अथवा अन्य कोई उपक्रम करना भी शामिल है। इस सम्बन्ध में यह आवश्यक नहीं है कि व्यापार में व्यवहार का श्रृंखला ही हो और वह स्थायी रूप से ही किया जाय। एक एकाकी व्यवहार (Isolated Transaction) का लाभ भी, यदि वह व्यापार सम्बन्धी प्रयत्न है, इस शीपक में कर लगाने योग्य होता है।

धारा २ (३६) के अनुसार पेशे (profession) में व्यवसाय (vocation) भी शामिल है। पेशे से आशय उन कार्यों से है जिनमें मस्तिष्क की योग्यता अथवा शारीरिक योग्यता की आवश्यकता होती है, जैसे वकील, डॉक्टर, अकेशक, इंजीनियर आदि का कार्य पेशा कहलाता है। व्यवसाय (vocation) का अर्थ उन सब कार्यों से है जो जीविका उपार्जन के लिए किये जाते हैं, जैसे, दलाली, बीमा एजेन्सी, संगीत नृत्य, चोरी आदि। चूंकि व्यापार अथवा पेशे के लाभों पर कर लगाने के सम्बन्ध में एक ही नियम है अतः आय कर के दृष्टिकोण से इनका भेद समझने की कोई आवश्यकता नहीं है।

व्यापार अथवा पेशे के लाभ (Profits of Business or Profession)

इस अधिनियम की धारा २८ के अनुसार निम्न आया पर 'व्यापार अथवा पेशे के लाभ' के शीपक में आय कर देना होता है

(i) कर-दाता द्वारा गत वर्ष में किसी भी समय किये गये व्यापार अथवा पेशे के लाभ,

(ii) निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा प्राप्त अथवा प्राप्त की हुई क्षति पूर्ति या अन्य किसी भुगतान की रकम

(अ) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो चाहे जिस नाम से पुकारा जाता है, तथा किसी भारतीय कम्पनी का सम्पूर्ण अथवा लगभग सम्पूर्ण प्रबंध करना हो, अपने प्रबंध की समाप्ति अथवा प्रबंध की शर्तों में परिवर्तन होने के सम्बंध में,

(आ) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो चाहे जिस नाम से पुकारा जाता हो तथा अन्य किसी कम्पनी का भारत में सम्पूर्ण अथवा लगभग सम्पूर्ण प्रबंध करता हो, अपने प्रबंध की समाप्ति अथवा प्रबंध की शर्तों में परिवर्तन होने के सम्बंध में,

(इ) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो चाहे जिस नाम से पुकारा जाता हो, तथा किसी अन्य व्यक्ति के व्यापार के किसी भी कार्य के सम्बंध में भारत में एजेन्सी लिये हो, अपनी एजेन्सी के समाप्त होने अथवा उसकी शर्तों में परिवर्तन होने के सम्बंध में,

(iii) व्यापार, पेशे अथवा इसी प्रकार के अन्य समुदाय (associations) द्वारा अपने सदस्यों के लिए कोई सेवा करने से होने वाली आय,

(iv) एक कर दाता को अपने व्यापार अथवा पेशे का कार्य करने के सम्बंध में प्राप्त किसी लाभ अथवा अनुलाभ का मूल्य (जो द्रव्य में परिवर्तनीय है अथवा न हो), उदाहरणार्थ, यदि कोई कम्पनी अपने वकील को किराये से मुक्त रहने का मकान देती है तो इसका मूल्य कर दाता के हाथ में 'व्यापार अथवा पेशे' के शीर्षक में कर योग्य होगा।

उपर्युक्त (iii) में व्यापारिक समुदाय (Trade Association) का आशय व्यापारियों के किसी भी ऐसे सघ से है जो अपने सदस्यों के व्यापार के हित की रक्षा करता हो तथा उनकी सामान्य उत्थति करने का प्रयत्न करता हो जैसे चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स (Chamber of Commerce)। धारा २८ (iii) अन्य सघा, जैसे वेल्स-बूद के क्लब, पर लागू नहीं होता है।

स्पष्टीकरण—(१) व्यापार के लाभों के अंतर्गत मैनेजिंग एजेन्सी के लाभ भी सम्मिलित किये जाते हैं।

(२) यदि किसी कर दाता द्वारा 'सट्टे के व्यवहार' एवं व्यापार के रूप में किये जाते हैं, तो वह व्यापार 'सट्टे का व्यापार' कहलायेगा और वह उसके अन्य किसी व्यापार से पृथक् मन्ना जायेगा।

धारा ४३ (५) के अनुसार 'सट्टे के व्यवहार' का जथ वस्तुजा (जिनम अश व स्व-ध भी शामिल है) के क्रय विक्रय के ऐसे अनुबन्धों में है जो समय समय पर अथवा अंत में वस्तुओं अथवा प्रलेखा (Scripts) का बिना वास्तविक हस्तांतरण किय हुए निबट जाते हैं।

व्यापार अथवा पेशे के लाभों पर कर लगाने के सम्बन्ध में महत्त्व-पूर्ण सिद्धान्त

(१) कर दाता व्यापार चलाता हो—धारा २८ के अनुसार उस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है जो व्यापार चलाता है। इस शीपक में उस व्यक्ति द्वारा व्यापार स्वयं ही चलाना आवश्यक नहीं है बल्कि उस उस व्यापार को चलाने का अधिकार हाना आवश्यक है, चाहे उसके द्वारा अधिकृत अन्य कोई व्यक्ति उस व्यापार को चला रहा हो।

(२) कर दाता द्वारा संचालित सब व्यापारों अथवा पेशों की आयों के जोड़ पर कर लगता है—धारा २८ के अंतर्गत कर-दाता के प्रत्येक व्यापार अथवा पेशे के लाभों पर पृथक् पृथक् कर नहीं लगता है बल्कि कर-दाता द्वारा संचालित सब व्यापारों अथवा पेशों की आयों के जोड़ पर कर लगता है, क्योंकि सब प्रकार के व्यापारों अथवा पेशों की आय एक ही शीपक में कर योग्य होती है। आयों से आशय लाभ से है, न कि सकल प्राप्तियों से। इस सिद्धांत का भावार्थ यह है कि यदि कोई कर दाता कई व्यापार करता है और यदि किसी वर्ष में उसे एक व्यापार में लाभ और एक में हानि होती है तो वह अपनी एक व्यापार की हानि को दूसरे व्यापार के लाभ में से घटा सकता है और शेष बची हुई रकम ही उस कर-दाता की इस शीपक में आय होगी।

(३) सट्टे के व्यापारों के हानि लाभ पृथक् रहते हैं—एक कर-दाता द्वारा संचालित सट्टे के व्यापारों के हानि लाभ पृथक् रहते हैं, अर्थात् यदि कोई हानि सट्टे के व्यापार में होती है तो वह सट्टे के लाभों में से ही घटायी जा सकती है न कि अन्य किसी व्यापार के लाभों में से।

(४) वह व्यापार अथवा पेशा कर दाता द्वारा गत वर्ष में किसी भी समय के लिए चलाया गया हो—कर दाता ने उस व्यापार अथवा पेशे को गत वर्ष में किसी भी समय के लिए चलाया हो अर्थात् चाहे पूरे गत वर्ष चलाया हो अथवा नहीं।

(५) व्यापार बंद होने पर सम्पत्तियों के विक्रय पर लाभ—व्यापार बंद होने पर सम्पत्तियों के विक्रय पर होने वाले लाभ पर कर नहीं लगता है, परन्तु यदि इन सम्पत्तियों में व्यापार का अन्तिम रहतिया भी बेचा जाता है तो अन्तिम रहतिये के बेचने से होने वाले लाभ पर कर लगता है, क्योंकि माल की बिक्री चाहे जिस परिस्थिति में हो व्यापार का ही व्यवहार माना जाता है

और उसका लाभ कर योग्य होता है। यदि सम्पूर्ण व्यापार एक इक्ट्ठी निश्चित रकम में बच दिया जाता है तो इस व्यापार से होने वाले लाभ पर कर नहीं लगता है, चाहे भले ही इसमें व्यापार का माल भी शामिल हो।

(६) केवल कानूनी स्वामित्व ही नहीं बल्कि लाभकारक स्वामित्व भी देखा जाता है—भाग २८ के अंतर्गत व्यापार का केवल कानूनी स्वामित्व ही नहीं बल्कि लाभकारक स्वामित्व भी देखा जाता है। इस सम्बन्ध में यह देखा जाता है कि जिस आय पर कर लगना है वास्तव में उसका प्राप्तकर्ता कौन है। उदाहरणार्थ, यदि एक कम्पनी के पंजीकृत होने से पूर्व उसके प्रवक्तों द्वारा कोई व्यापार चलाने में लाभ होता है, जिस व्यापार तथा लाभ को कम्पनी पंजीकृत होने के बाद ले लेती है, तो यद्यपि, कम्पनी के पंजीकृत होने से पहले उस व्यापार का कानूनी स्वामी उसके प्रवक्तव्य थे तथापि, क्योंकि उस लाभ को बाद में कम्पनी ले लेती है, अतः कम्पनी इसकी लाभकारक स्वामी हुई और उस लाभ पर कर देने का दायित्व कम्पनी का ही होगा।

(७) भावो अनुमानित लाभों पर कर नहीं लगता है—आय कर अधिकारी केवल गत वर्ष में हुई आय को ही विचार में ले सकते हैं यदि किसी व्यापार में निकट भविष्य में कोई लाभ होने की आशा हो तो उस अनुमानित लाभ पर उस वर्ष में कर नहीं लग सकता है।

(८) एक एकाकी व्यवहार के खर्चे—यदि क्रय विक्रय का कोई एकाकी व्यवहार व्यापार की प्रकृति का है तो एक कर दाता का उस व्यवहार का लाभ निकालने के लिए उस व्यवहार के सम्बन्ध में किये गये व्यय भी घटा दिये जाते हैं जो भले ही उस व्यवहार के हिस्सेबी वष से पूर्व किये गये हों क्योंकि उस व्यवहार का लाभ बिना उन व्ययों को किये हुए कमाया ही नहीं जा सकता था, और उन्हें घटाकर ही उसका वास्तविक लाभ निकलता है।

(९) व्यापार का वास्तविक लाभ निकालने के लिए वाणिज्य सम्बन्धी सामान्य सिद्धांतों का विचार करना—व्यापार का वास्तविक लाभ निकालने के लिए वाणिज्य सम्बन्धी सामान्य सिद्धांतों को भी विचार में रखना आवश्यक है। कभी कभी कुछ ऐसे व्यय अथवा ऐसी हानियाँ होती हैं जो आय-कर अधिनियम के अनुसार स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं होती, परन्तु वाणिज्य के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार व्यापार का वास्तविक लाभ निकालने के लिए उन व्ययों अथवा हानियों का घटाया जाना आवश्यक होता है, तो उन्हें घटाया जाता है। अतः वाणिज्य के इन सामान्य सिद्धांतों का ज्ञान प्रत्येक आय-कर अधिकारी के लिए आवश्यक है।

व्यापार की ऐसी हानियाँ जो पूंजीगत प्रकृति की न हों तथा जो उस व्यापार के दौरान में हुई हों (न केवल उस व्यापार से सम्बन्धित हों) व्यापार

के शीपक में आय निकालने के लिए घटा दी जाती है। पूजीगत अथवा लाभ गत हानियों का भेद करने के नियम पहले ही एक अध्याय में दिये जा चुके हैं।

(१०) गत वर्ष से पूर्व स्वीकार की गयी कोई हानि अथवा छूट की रकम यदि गत वर्ष में प्राप्त हो जाय तो उस पर कर लगता है—यदि किसी बर-दाता को गत वर्ष में अपने व्यापार से सम्बन्धित कोई ऐसी रकम प्राप्त हो जाय, जो गत वर्ष से पूर्व किसी वर्ष में कर योग्य लाभ निकालने के लिए हानि, खर्च अथवा दायित्व के रूप में घटा दी गयी हो, तो उस रकम पर गत वर्ष में कर लगाया जाता है।

व्यापार अथवा पेशे के लाभ की गणना (Computation of Profits of Business or Profession)

धारा २६ के अनुसार व्यापार अथवा पेशे के लाभ की गणना धारा ३० से ४३ तक में दिये हुए नियमों के अनुसार की जाती है। इनमें से धारा ३० से ३७ तक में वे कटौतियाँ दी हुई हैं जो व्यापार अथवा पेशे का लाभ निकालने के लिए स्पष्ट रूप से स्वीकृत हैं तथा धारा ४० में कुछ ऐसे व्यय दिये हुए हैं जो स्पष्टतया अस्वीकृत हैं परंतु इनके अतिरिक्त भी कुछ ऐसी कटौतियाँ होती हैं जो व्यापार अथवा पेशे का लाभ निकालने के लिए वाणिज्य के सामान्य सिद्धांतों के आधार पर स्वीकार की जाती हैं। व्यापार अथवा पेशे के लाभ की गणना करने के सम्बन्ध में स्पष्टतया स्वीकृत कटौतियाँ का अध्ययन करने से पूर्व कुछ सामान्य सिद्धांतों का ज्ञान आवश्यक है। ये सामान्य सिद्धांत निम्न हैं

(१) लाभों की गणना हिसाब की उस पद्धति के अनुसार करनी चाहिए जो बर-दाता न नियमित रूप से अपनायी हुई हो, बशर्ते कि ऐसी पद्धति से वास्तविक लाभ निकल सकें।

(२) केवल यह व्यय तथा हानियाँ कटौती के रूप में स्वीकार होती हैं जो सम्बन्धित हिसाबी वर्ष में हुई हो।

(३) बर-दाता के अपने व्यापार के सम्बन्ध में किय गये व्यय ही कटौती के रूप में स्वीकृत हैं।

(४) यदि कोई व्यापार हिसाबी वर्ष के शुरू होने से पहले बन्द हो चुका हो तो उसका व्यय अथवा किसी चलत हुए व्यापार की आय में नहीं घटाया जा सकता है।

(५) कुछ ऐसे भी आवश्यक व्यय होते हैं (जो न स्पष्टतया स्वीकृत हैं न अस्वीकृत हैं) जो यदि पूजीगत व्यय अथवा हानियाँ न हों और वे व्यापार के दौरान में हुए हों तो उन्हें व्यापार अथवा पेशे के लाभ निकालने के लिए वाणिज्य के साधारण सिद्धांतों के आधार पर घटा दिया जाता है।

वे कटौतियाँ जो स्पष्टतया स्वीकृत हे (Deductions Expressly Allowed)

व्यापार अथवा पेशे की आय की गणना करने के सम्बन्ध में धारा ३० से ३७ तक निम्नलिखित स्पष्टतया स्वीकृत कटौतियाँ दी हैं

(१) भवन के सम्बन्ध में व्यय—धारा ३० के अन्तर्गत किसी व्यापार अथवा पेशे में प्रयोग हात हुए भवन के किराये, दर, कर, मरम्मत तथा बीमे के सम्बन्ध में निम्न कटौतियाँ स्वीकृत हैं

(अ) यदि कर दाता उस भवन को एक किरायेदार की तरह लिये हुए है तो उस भवन के सम्बन्ध में चुकाया हुआ किराया, तथा यदि कर दाता ने इस भवन की मरम्मत कराने का उत्तरदायित्व भी अपने ऊपर ले लिया है तो ऐसे मरम्मत के लिए भुगतान की हुई रकम,

यदि कर दाता उस भवन का किरायेदार की तरह नहीं लिये हुए है (जैसे, मकान मालिक है) तो उसने उस भवन की चालू मरम्मत के सम्बन्ध में व्यय किया हो,

(आ) भूमि, लगान, स्थानीय दरों अथवा नगरपालिका के करों के लिए भुगतान की हुई रकमें,

(इ) भवन की नुकसानी अथवा बरबादी से होने वाली हानि की जोखिम से बचने के लिए कराये हुए बीमे के प्रीमियम की रकम का भुगतान।

उपर्युक्त कटौतियों के सम्बन्ध में यह समझ लेना चाहिए कि यदि वह भवन जिसमें व्यापार चल रहा है व्यापार के स्वामी का ही है तो उसका किराया स्वीकृत नहीं होगा, क्योंकि ऐसे भवन के सम्बन्ध में 'सम्पत्ति स आय' के शीपक में कोई कर नहीं लगता है।

धारा ३८ (१) के अनुसार यदि कर दाता उस भवन को किराये पर लिये हुए है और उसके कुछ भाग में वह अपना व्यापार चला रहा है तथा कुछ भाग में स्वयं रहता है तो व्यापार में प्रयोग होने वाले भाग का आनुपातिक वार्षिक मूल्य किराये की कटौती मानी जायेगी। मरम्मत व्यय, भूमि लगान, स्थानीय दर तथा नगरपालिका कर भी उसी अनुपात में स्वीकार होंगे जिस अनुपात में वह भवन व्यापार के काम में प्रयोग हो रहा है।

(२) मशीन, प्लाण्ट तथा फर्नीचर की मरम्मत तथा बीमा सम्बन्धी व्यय—धारा ३१ के अनुसार व्यापार अथवा पेशे में प्रयोग होने वाली मशीन प्लाण्ट तथा फर्नीचर की मरम्मत और बीमा के सम्बन्ध में निम्न कटौतियाँ स्वीकृत हैं

(१) इनकी चालू मरम्मत के सम्बन्ध में किये गये भुगतान (चालू

मरम्मत का आशय इन वस्तुओं को काम योग्य स्थिति में बनाये रखने के लिए करामी हुई मरम्मत से है)

(ii) सम्पत्ति को नुकसानी अधवा बरखादी की जोखिम से बचाने के लिए कराये गये बीमे के सम्बन्ध में दिया गया प्रीमियम ।

(३) ह्रास (Depreciation)—धारा ३२ (१) के अन्तर्गत कर दाता की अपनी ऐसी इमारतों, मशीन प्लाण्ट अधवा फर्नीचर, जिन्हें वह अपने व्यापार अधवा पेशे में प्रयोग करता है, के सम्बन्ध में ह्रास की छूट दी जाती है । इसका विस्तृत वर्णन ह्रास के अध्याय में किया गया है ।

(४) विकास सम्बन्धी छूट (Development Rebate)—धारा ३३ के अन्तर्गत विकास सम्बन्धी छूट की कटौती स्वीकृत है । इसका विस्तृत वर्णन ह्रास के अध्याय में जाग किया गया है ।

(५) वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय (Expenditure on Scientific Research)—धारा ३५ के अन्तर्गत वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के सम्बन्ध में निम्न कटौतियाँ स्वीकृत हैं

(i) कर दाता के व्यापार के सम्बन्ध में वैज्ञानिक अनुसंधान पर किये गये लाभगत व्यय,

(ii) निर्धारित सत्ता द्वारा अनुमोदित किसी वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था अधवा किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अधवा अथवा किसी शिक्षा संस्था को वैज्ञानिक अनुसंधान के खर्चों के लिए दी गयी कोई रकम,

(iii) निर्धारित सत्ता द्वारा अनुमोदित किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अधवा अथवा अथवा किसी शिक्षा संस्था को, कर दाता के व्यापार से सम्बन्धित, सामाजिक विज्ञान के अनुसंधान अधवा सारिकी के अनुसंधान के लिए दी हुई कोई रकम,

(iv) कर-दाता के व्यापार से सम्बन्धित वैज्ञानिक अनुसंधान पर किया गया पूंजीगत व्यय लगातार पांच वर्षों तक फैला दिया जाता है और उस व्यय का $\frac{1}{5}$ भाग प्रति वर्ष कटौती के रूप में स्वीकार कर दिया जाता है ।

स्पष्टीकरण—इस सम्बन्ध में यदि कोई पूंजीगत व्यय व्यापार प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व ३ वर्ष के अन्दर किया गया है तो उन सब व्ययों का जाड़ उस गत वर्ष का व्यय माना जायेगा जिसमें कि व्यापार प्रारम्भ हुआ है ।

यदि उपर्युक्त वर्णित पूंजीगत व्यय से कोई सम्पत्ति प्राप्त की हो और उस सम्पत्ति को किसी गत वर्ष में उस व्यापार से सम्बन्धित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयोग करना बन्द कर दिया जाय तो उसका प्रयोग बन्द करने के समय उस सम्पत्ति

का मूल्य तथा उसके सम्बन्ध में पिछले वर्षों में मिली हुई कटौतियों का जोड़ कुल मिनाकर यदि उक्त पूँजीगत व्यय से कम पड़े तो यह कमी उस गत वर्ष में कटौती के रूप में स्वीकार की जायेगी और उक्त गत वर्ष में तथा उसके बाद के वर्षों में इसके सम्बन्ध में उपर्युक्त वाक्यांश (1v) में दी हुई कटौती नहीं दी जायेगी।

यदि उपर्युक्त सम्पत्ति को जिस वर्ष वैधानिक अनुसंधान के लिए प्रयोग करना बाद किया जाय उसी वर्ष उसे बेच दिया जाय तो उसका विक्रय मूल्य ही उस समय का मूल्य समझा जायेगा और इसी आधार पर उपर्युक्त कटौती दी जायेगी, परंतु यदि यह सम्पत्ति उस वर्ष के बाद में किसी वर्ष बेची जाय तो यदि उसका वास्तविक विक्रय मूल्य उसके उस मूल्य से कम हो जो इस सम्पत्ति का प्रयोग बाद करने के समय लगायी गयी थी तो यह कमी की रकम बेचने वाले गत वर्ष में कटौती के रूप में स्वीकृत होगी।

यदि गत वर्ष में उपर्युक्त वर्णित सम्पत्ति के सम्बन्ध में कटौती स्वीकार की जाती है तो उसी गत वर्ष में उस सम्पत्ति के लिए ह्रास स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

(६) अथ कटौतियाँ—व्यापार अथवा पेशे के लाभ की गणना करने के लिए धारा ३६ के अंतर्गत निम्न कटौतियाँ स्वीकृत है

(1) बीमा प्रीमियम—व्यापार अथवा पेशे के माल (Stock or Stores) की नुकसानो अथवा बरबादी की जोखिम से बचने के लिए किये गये बीमा के प्रीमियम की रकम।

(ii) कमचारियों को दिया गया बोनस अथवा कमीशन—कमचारियों को उनकी सेवा के उपलक्ष में दिये गये बोनस अथवा कमीशन की रकम, जो उन्हें यदि यह बोनस अथवा कमीशन न दिया जाता तो लाभो अथवा लाभार्थों के रूप में नहीं दिया जा सकता था, बशर्ते कि यह बोनस अथवा कमीशन की रकम निम्न बातों को ध्यान में रखते हुए उचित है

(क) कमचारी का वेतन तथा उसकी नौकरी की शर्तें

(ख) गत वर्ष में उस व्यापार अथवा पेशे के लाभ, तथा

(ग) इसी प्रकार के व्यापार अथवा पेशे में सामान्य प्रथा।

(iii) उधार ली हुई पूँजी पर ब्याज—व्यापार अथवा पेशे के लिए उधार ली हुई पूँजी पर दिये हुए ब्याज की रकम।

(iv) प्रमाणित प्राबोडेण्ट फण्ड अथवा सुपरएनुएशन फण्ड में मातृक का

चदा—कर दाता द्वारा अपने कमचारियों के प्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड अथवा सुपरएनुएशन फण्ड में दिये गये चदा की रकम ।

(v) अनुमोदित प्रेच्युइटी फण्ड में मालिक का चदा—किसी अनुमोदित प्रेच्युइटी फण्ड में मालिक का चदा, जो एक असंश्लेष्य ट्रस्ट अंतर्गत केवल अपने कमचारियों की सुविधा के लिए रखा गया हो ।

(vi) पशुओं के सम्बन्ध में हानि—व्यापार अथवा पेशे में प्रयोग में आने वाले पशुओं के स्थायी रूप से काम के लिए अयोग्य हो जाने पर अथवा उनका मृत्यु हो जाने पर उन्हें अथवा उनके मृत शरीर की खाल को बेचने से कोई रकम प्राप्त हो तो उस पशु की मूल लागत तथा इस विक्रय राशि अन्तर्गत की रकम हानि मानी जाती है ।

(vii) डूबे हुए ऋण—किसी ऋण की वह रकम जो गत वर्ष में डूबी मान ली जाये, परन्तु इस कटौती को स्वीकार करने के लिए निम्न शर्तें हैं—

(क) यह कटौती तब स्वीकार की जायगी जबकि यह ऋण गत वर्ष अथवा उससे पूर्व कर दाता की आय की गणना करने के लिए विचार में लिया गया हो अथवा यह रकम कर-दाता द्वारा संचालित किसी बैंकिंग अथवा लेन देन के व्यापार के दौरान में दी गयी हो, तथा (ख) गत वर्ष में कर-दान अपनी पुस्तकों में इसे अप्राप्य रकम मानकर अपलिखित कर दिया हो ।

डूबत ऋणों के सम्बन्ध में निम्न नियम और हैं—

(अ) यदि ऐसे ऋण के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाली अन्तिम राशि ऋण की पूरी रकम तथा उससे डूबत ऋण की मिली कटौती के अन्तर्गत से कम हो तो इस कमी की रकम को अविश्वसनीय होने वाले गत वर्ष में स्वीकृत कटौती माना जायगा,

(आ) डूबत ऋण के सम्बन्ध में यदि कोई कटौती स्वीकृत हो गयी तथा इन ऋण के सम्बन्ध में बाद में किसी वर्ष में कुछ रकम वसूल हो जाय तो कटौती मिली हुई रकम में से वसूल हुई रकम पर वसूली के वर्ष में कर लगेगा चाहे उसका सम्बन्धित व्यापार बाद ही क्यों न हो गया हो,

(इ) यदि कर-दाता ने ऐसा कोई ऋण अथवा उसका कोई अंश गत वर्ष में पूर्व किसी वर्ष में अपनी पुस्तकों में अपलिखित कर दिया और उस वर्ष में इसे आय-कर अधिकारी ने डूबत ऋण सिद्ध होने के कारण कटौती के रूप में स्वीकार न किया हो परन्तु बाद में किसी वर्ष में आय-कर अधिकारी उस रकम को डूबी मान लेता है तो वह चानू कर निर्धारण वर्ष में इसकी कटौती कर सकता है,

(ई) यदि कर दाता न ऐसा कोई ऋण अथवा उसका कोई अंश चालू कर निर्धारण के गत वर्ष में अपनी पुस्तक में अपलिखित किया है परन्तु आय-कर अधिकारी यह विश्वास करता है कि वास्तव में यह डूबत ऋण गत वर्ष से पूर्व के चार वर्षों में किसी वर्ष में हा गया था ता वह उस पहले के गत वर्ष का कर निर्धारण पुन खोल सक्ता है और इस डूबत ऋण की रकम की कटौती मान कर उस वर्ष के कर निर्धारण में आवश्यक सशोधन कर सकता है ।

(VIII) वित्त निगम का विशेष सचय—एक वित्त निगम द्वारा, जो भारत में औद्योगिक विकास के लिए दीघकालीन ऋण देता है, विशेष सचय में हस्तांतरित रकम का कुल आय के १० प्रतिशत से अधिक न हो, परन्तु इस सम्बन्ध में निम्न दोनों शर्तों का पूरा होना आवश्यक है

(क) यह निगम इस नियम के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित हो, तथा

(ख) इस सचय खाते का जाड़ इस निगम की चुकता अंश पूजी से अधिक न हो, जथात ज्या ही इस विशेष सचय की रकम निगम की चुकता अंश पूजी से अधिक हो जायगी योही इस सम्बन्ध में कोई छूट स्वीकार नहीं होगी ।

(IX) परिवार नियोजन पर व्यय—एक कम्पनी द्वारा अपने कमचारियों में परिवार नियोजन के प्रासाहन के सम्बन्ध में किया गया वास्तविक व्यय । यदि इस सम्बन्ध में कोई पूजोगत व्यय किया जाये तो यह पाँच समान वार्षिक किस्तों में स्वीकार किया जायेगा, अर्थात् यह व्यय पांच वर्ष तक फला दिया जायेगा ।

(७) सामान्य कटौतियाँ—धारा ३७ (१) के अन्तगत कोई भी व्यय (जो धारा ३० से ३६ तक में वर्णित कटौतियाँ में न आये तथा जो पूजोगत व्यय अथवा कर दाता का निजी व्यय न हो) जो व्यापार अथवा देश के उद्देश्य के लिए स्पष्टतया पूर्ण रूप से किया जाये तो वह कर दाता की ' व्यापार अथवा देश के लाभ ' के शीर्षक में कर योग्य आय की गणना कराने के लिए कटौती के रूप में स्वीकार होगा ।

धारा ३७ (२) के अन्तगत यदि कर-दाता एक कम्पनी है तो उसके द्वारा किया हुआ मनारजन व्यय निम्न रकमों के जोड़ से अधिक स्वीकार नहीं किया जायगा (यह किसी भी दशा में ६०,००० रु० से अधिक नहीं हो सकता है)

विकास सम्बन्धी छूट अथवा मनारजन व्यय को बिना घटाये हुए—

(१) कम्पनी को अपने व्यापार से प्राप्त प्रथम १०,००,००० रु० के लाभ पर १ प्रतिशत अथवा ५,००० रु० जो भी अधिक हो,

(iii) उत्प्रेषण विधि से निकाले हुए लाभ के अन्वये १. लाख रुपये पर ५ प्रतिशत,

(iv) उत्प्रेषण विधि से निकाले हुए लाभ के अन्वये १२० लाख रुपये पर ५ प्रतिशत तथा

(v) उत्प्रेषण विधि से निकाले हुए लाभ के अन्वये ५.२५ लाख रुपये—कुल १०० लाख रुपये (२) के अन्वये एक कर-व्यय द्वारा ३१ मार्च १९६२ के बाद किये गये निम्न व्यय केवल उस सीमा तक स्वीकृत होंगे जो Central Board of Direct Taxes द्वारा इन सम्बन्ध में निर्धारण की जाए

(i) विनायन व्यय,

(ii) किसी रहने के भवन (अतिथि घर सहित) के maintenance पर व्यय,

(iii) एक कर्मचारी भवना अन्य किसी व्यक्ति की यात्रा के सम्बन्ध में व्यय (यात्रा से सम्बन्धित होटल व्यय तथा भत्ते सहित)।

आय-कर अधिनियम, १९६२ के नियम ६१ के अन्तर्गत बाईं में गृह घोषित किया है कि १ अप्रैल १९६५ से पूर्व किया गया ऐसा व्यय पूर्णतया स्वीकृत होगा बशर्ते कि यह उचित प्रकार से स्वीकृत व्यय है, यद्यपि १९६५-६६ व-निर्धारण वर्ष के लिए इसकी कोई सीमा नहीं है।¹

धारा ३७ के अन्तर्गत स्वीकृत सामान्य शर्तों के कुछ निम्न उदाहरण हैं

(१) माल के प्रय करने, निर्माण करने तथा विपणन करने के सम्बन्ध में किये गये व्यय।

(२) व्यापार की बिक्री बनाये रखने के लिए किये गये सामान्य निष्ठाव्यय व्यय।

(३) व्यापार को चलाने के सम्बन्ध में किये गये दंड प्रतिदिन के सामान्य व्यय।

(४) आय-कर अधिकारी तथा आय-कर के सम्बन्ध में किये गये व्यय, परन्तु आय-कर अपील के व्यय स्वीकार नहीं होती हैं।

(५) बिक्री कर की रकम।

(६) कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के सम्बन्ध में की गयी हर्जाओं की रकम।

(७) व्यापार के लिए ऑर्डर पाने के सम्बन्ध में दिया गया कमीशन आदि।

(८) कर्मचारियों के प्राय करते में कोई भोट लागू अथवा दिगी

¹ Vide Notification No S O 1086 dated 30th March, 1965

दुघटना के होने से उह जो क्षति-पूर्ति की रकम दी जाती है तथा इसके लिए यदि बीमा करा लिया जाये तो ऐसे बीमे के प्रीमियम की रकम ।

(८) कमचारिया को दी गयी वाई पेशन, प्रेन्चुइटी अथवा अय कोई स्वेच्छा से दी हुई रकम ।

(१०) खानो, पेटेण्टा, अथवा कॉपीराइटो के सम्बन्ध में दी हुई रायर्टी (royalty) की रकम ।

(११) अभिवर्तिका को उनकी एजेन्सी समाप्त करने के सम्बन्ध में दिया हुआ कोई हर्जाना ।

(१२) दिवाली, मुहूर्त अथवा अय किसी नये वर्ष के पवित्र दिवस पर भेंट या अय व्यय जो २०० रुपये से अधिक न हो ।

(१३) कोई अनिवाय चन्दा अथवा ऐसा चन्दा जिसका देना व्यापार के हित में हो ।

(१४) व्यापार अथवा पेशे से सम्बन्धित कानूनी व्यय ।

(१५) व्यापार का काय चलते रहने के समय में किसी कमचारी द्वारा गबन की गयी रकम ।

कटौती का विशेष आयोजन—धारा ४४ A के अन्तर्गत एक व्यापार, पेशे अथवा इसी प्रकार के किसी समुदाय की गत वर्ष में अपने सदस्यों से प्राप्त उस वर्ष के ऐसे व्ययों से कम हो जो सन्स्था के हिता की रक्षा करने अथवा उनमें उत्थिति करने के लिए किये गये हो (स्वीकृत व्यय तथा पूजीगत व्यय छोड़कर) ता यह कमी सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष में कर-योग्य आय की गणना करने में घटा दी जायेगी । यदि व्यापार अथवा पेशे के शीपक की आय इस कमी से कम हो तो शेष कमी की रकम समुदाय के अय शीपको की जाय में से घटा दी जायेगी परन्तु किसी भी दशा में यह कमी की रकम अधिक से अधिक समुदाय की कुल आय के आधे तक ही घटायी जा सकती है ।

यह विशेष आयोजन केवल ऐसे व्यापार, पेशे अथवा इसी प्रकार के किसी समुदाय पर लागू होगा जो अपनी आय का कोई अंश भी अपने सदस्यों में वितरण नहीं करता है सिवाय अपने अन्तर्गत किसी सन्स्था अथवा समुदाय को अनुदान देने के ।

वे व्यय जो स्पष्टतया अस्वीकृत हैं (Expenses Expressly Dis allowed)

धारा ४० के अनुसार 'व्यापार अथवा पेशे के लाभ के शीपक में कर योग्य आय की गणना करने समय निम्न रकम नहीं घटायी जायेगी

(अ) किसी भी कर-दाता के लिए—(१) कोई ऐसा ब्याज जो भारतीय आय कर अधिनियम के अन्तर्गत कर योग्य है तथा जो भारत के बाहर दिया

गया है, यदि दिये हुए ब्याज पर कर न चुकाया गया हो अथवा उसमें से कर न काटा गया हो तथा जिसके लिए भारत में ऐसा कोई व्यक्ति न हो जो धारा १६३ के अन्तर्गत उसका अभिकर्ता (Agent) ठहराया जा सके,

(ii) व्यापार अथवा पेशे के लाभों पर लगाया गया कोई कर,

(iii) 'वेतन' शीर्षक में कर योग्य कोई रकम जो भारत के बाहर चुकायी जाये यदि उस रकम पर कर न दिया गया हो अथवा उस पर उद्गम स्थान पर कर न काट लिया गया हो

(iv) कर दाता ने अपने कमचारियों के हित के लिए रखे गये किसी प्रॉवीडेंट अथवा अन्य फण्ड में जो अपना अंशदान दिया हो, बशर्ते कि इस फण्ड से कमचारी को मिलने वाली राशि में यदि कोई ऐसी रकम शामिल है जिस पर 'वेतन' शीर्षक में कर लगना है तो उस रकम पर उद्गम स्थान पर कर काटने का कर दाता ने कोई प्रवचन न किया हो।

(आ) फर्म के लिए—फर्म द्वारा फर्म के सानेदार को दिया गया कोई ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन अथवा पारिश्रमिक।

(इ) कम्पनी के लिए—(i) कम्पनी द्वारा किया हुआ कोई ऐसा व्यय जिससे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी संचालक अथवा ऐसे व्यक्ति को जिसका कम्पनी में पर्याप्त हित हो अथवा संचालक के या किसी ऐसे व्यक्ति के रिश्तेदार को कोई पारिश्रमिक, लाभ अथवा सुविधा मिलती है,

(ii) कम्पनी की ऐसी सम्पत्तियां पर कोई व्यय अथवा छूट जिन्हें उपयुक्त (i) में वर्णित कोई व्यक्ति पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से अपने निजी काम में अथवा अपने हित के लिए प्रयोग करता है।

उपयुक्त (i) व (ii) में दिये हुए व्यय अथवा छूटें तभी अस्वीकार की जाती हैं जबकि कम्पनी की उचित व्यापारिक आवश्यकताओं तथा कम्पनी को इनसे प्राप्त लाभों को ध्यान में रखते हुए आय कर अधिकारी की सम्मति में ये व्यय अथवा छूटें अधिक अथवा अनुचित हैं।

(iii) २६ फरवरी, १९६४ के बाद एक कमचारी को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में लाभ सुविधा अथवा अनुलाभ देने के सम्बन्ध में किया गया वह व्यय जो उसके वेतन के $\frac{1}{2}$ भाग से अधिक हो। बिन अधिनियम, १९६५ के अनुसार कम्पनी के अपेक्षाकृत कम वेतन पाने वाले कमचारियों को दी गयी सुविधाओं पर व्यय के सम्बन्ध में यह नियम लागू नहीं होगा, अर्थात् ऐसे कमचारियों की दशा में यह व्यय पूर्णतया स्वीकृत होगा। कम वेतन पाने वाले कमचारियों में वही कमचारी आयेंगे जिनकी गत वर्ष की वेतन शीर्षक में कर-योग्य आय ७,५०० रुपये से अधिक न हो। इस सम्बन्ध में 'वेतन' से आगम्य उस वेतन में है जिसमें महंगाई भत्ता भी शामिल हो (यदि सवा की

शर्तों में ऐसा आयोजन हो) परन्तु अन्य किसी प्रकार के भत्ते तथा अनुलाभ शामिल न हों।

उपयुक्त व्यय की गणना करने में निम्न भुगतान शामिल नहीं किये जायेंगे

(क) ग्रेच्युइटी, (ख) एक ऐसे कमचारी को जो भारत का नागरिक है छुट्टी पर भारत में स्थित अपने घर जाने के सम्बन्ध में यात्रा व्यय में दी गयी रिआयत अथवा सहायता का मूल्य (ग) एक ऐसे कमचारी को जो भारत का नागरिक नहीं है छुट्टी पर विदेश में स्थित अपने घर जाने के सम्बन्ध में यात्रा व्यय के लिए दी गयी रकम अथवा निःशुल्क अथवा रिआयती दर पर यात्रा की सुविधा का मूल्य, (घ) धारा १० (६) (vii) के अन्तर्गत, एक विदेशी प्रविधिज्ञ (foreign technician) के वेतन पर चुकाया गया कर, (ङ) प्रमाणित प्रॉवीडेंट फण्ड में शामिल हस्तांतरित शेष की कर योग्य रकम, (च) कर लाना के जीवन बीमा के सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा देय कोई रकम (कमचारी के प्रमाणित प्रावीडेंट फण्ड अथवा अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड में से दी गयी रकम को छोड़कर) (छ) नौकरी से हटाने के सम्बन्ध में अथवा नौकरी की शर्तों में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में कमचारी को दी गयी क्षति पूर्ति की रकम, (ज) कमचारी के अशदान तथा उस पर ब्याज को छोड़कर अप्रमाणित प्रॉवीडेंट फण्ड में से दी गयी कोई रकम, (झ) प्रमाणित प्रावीडेंट फण्ड अथवा अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड में कम्पनी का अशदान, तथा (ञ) अपना कमचारिया के लिए परिवार नियोजन पर कोई व्यय।

स्पष्टीकरण—उपयुक्त (ङ) में दिये हुए व्यय चाह भले ही प्राप्तकर्ता की कुल आय में जोड़े गये हों कम्पनी के यहाँ ये व्यय अस्वीकृत होंगे।

(ई) एक बॉकिंग कम्पनी के वे सचें जो उसकी 'प्रतिभूतियों पर ब्याज के शीपक' में आय की गणना करने में कटौती के रूप में धारा २० (१) के अन्तर्गत स्वीकार कर दिये गये हैं।

धारा ४० में दिये गये अस्वीकृत व्ययों के अतिरिक्त कुछ निम्न व्यय, हानियाँ अथवा छूटें भी हैं जो अस्वीकृत हैं

- (i) मालिक अथवा साझेदारों के आहरण,
- (ii) मालिक अथवा साझेदारों के व्यक्तिगत व्यय,
- (iii) पूंजीगत व्यय,
- (iv) किसी भी प्रकार का कोई आयोजन अथवा सचय निवाय क्लब निगम के विशेष सचय को छोड़कर,
- (v) दान अथवा भेंट के रूप में दी गयी रकम
- (vi) लाभ हानि ग्राहक में निम्नी हुई पुरानी हानियाँ,

(vii) पूजा प्राप्त करने के सम्बन्ध में दी गयी कोई कमीशन, कटौती (discount), अथवा दलाली की रकम, तथा

(viii) कोई व्यय जो व्यापार से सम्बन्धित न हो ।

व्यापारी द्वारा बनाये गये लाभ-हानि खाते में आय-कर के दृष्टिकोण से उचित सशोधन करने के नियम

व्यापारी द्वारा बनाया गया लाभ हानि खाता आय कर के दृष्टिकोण से ठीक नहीं होता है, क्योंकि उसमें (i) बहुत से ऐसे व्यय लिखे होते हैं जो आय कर अधिनियम के अनुसार पूणतया अथवा आंशिक रूप में अस्वीकृत होते हैं, (ii) कुछ स्वीकृत व्यय छूट हुए होते हैं, (iii) कुछ कर योग्य आयें नहीं लिखी होती हैं, तथा (iv) कुछ ऐसी आयें लिखी होती हैं जो "व्यापार अथवा पेशे के लाभ" के शीपक में नहीं आती हैं । अतः इस लाभ-हानि खाते में आय-कर के दृष्टिकोण से उचित सशोधन करना पड़ता है, ताकि लाभ की वह रकम निकल आये जो आय-कर अधिनियम के अनुसार "व्यापार अथवा पेशे के लाभ" के शीपक में कर योग्य है ।

सशोधन करने के नियम निम्न हैं

(i) व्यापारी द्वारा बनाय गये लाभ हानि खाते के अनुसार निकले हुए लाभ में उन व्ययों को जोड़ देना चाहिए जो लाभ हानि खाते के नाम पक्ष में लिखे हैं परन्तु आय कर के दृष्टिकोण से अस्वीकृत हैं । यदि कोई व्यय आंशिक रूप में अस्वीकृत हो तो केवल उसका अस्वीकृत भाग ही जोड़ा जायेगा ।

(ii) लाभ हानि खाते में से यदि कोई स्वीकृत व्यय छूट गये हो तो उन्हें उक्त लाभ में से घटा देना चाहिए ।

(iii) लाभ हानि खाते में से यदि कुछ ऐसी आयें छूट गयी हो तो उन्हें उक्त लाभ में जोड़ देना चाहिए ।

(iv) लाभ-हानि खाते में यदि कुछ ऐसी आयें लिखी हो जो 'व्यापार अथवा पेशे के लाभ' के शीपक में कर योग्य नहीं है तो उन्हें उक्त लाभ में से घटा देना चाहिए ।

टिप्पणी—यदि लाभ के स्थान में हानि हो तो उपर्युक्त नियम उलटे हो जाते हैं, अर्थात् जोड़ने वाले मद घटाये जाते हैं और घटने वाले मद जोड़े जाते हैं ।

नकद साख (Cash Credits)—धारा ६८ के अनुसार यदि कर दाता की गत वर्ष की पुस्तकों में कोई ऐसी रकम जमा हो रही है जिसकी प्रकृति तथा स्रोत के बारे में कर-दाता कोई उत्तर न दे अथवा उसका उत्तर आय कर अधिकारी की सम्मति में सत्तापजनक न हो तो ऐसी जमा की हुई रकम को कर दाता की गत वर्ष की आय मानकर उस पर आय-कर लगाया जा सकता है । इस प्रकार की झूठी जमा बेईमान कर दाता कर बचाने के लिए करने हैं ।

न स्पष्ट किये गये विनियोग (Unexplained Investments) — धारा ६६ के अनुसार यदि कर निर्धारण वष से ठीक पूर्व वित्तीय वष में कर-दाता ने कोई ऐसे विनियोग किये हैं जिन्हें उसने अपने बहीखाते में नहीं लिखा है तथा कर दाता उन विनियोगों की प्रकृति तथा स्रोत का कोई स्पष्टीकरण नहीं करता है अथवा इसका स्पष्टीकरण आय कर अधिकारी की सम्मति में सतोपजनक नहीं है तो ऐसे विनियोगों का मूल्य कर-दाता को उस वष की आय मान ली जाती है जिस वष में ये विनियोग किये गये थे ।

न स्पष्ट किया गया धन आदि (Unexplained Money etc) — धारा ६६A के अनुसार यदि किसी वित्तीय वष में कर दाता के पास कोई ऐसा धन, जेवर, मोना चाँदी अथवा अन्य कोई मूल्यवान वस्तु पायी जाती है जिसे उसने अपने बहीखाते में नहीं लिखा है तथा कर-दाता उसकी प्रकृति तथा स्रोत का कोई स्पष्टीकरण नहीं करता है अथवा इसका स्पष्टीकरण आय कर अधिकारी को सम्मति में सतोपजनक नहीं है तो ऐसा धन अथवा जेवर आदि का मूल्य कर दाता की उस वष की आय मान ली जायेगी जिस वष में यह उसके पास पायी जाती है ।

विनियोग आदि की रकम जो बहीखातो में पूर्णतया नहीं दिखायी गयी है (Amount of investments etc not fully disclosed in books of account) — धारा ६६ B के अन्तर्गत, यदि किसी वित्तीय वष में कर दाता ने कोई विनियोग किये हैं अथवा वह किसी सोना, चाँदी, जेवर अथवा अन्य किसी मूल्यवान वस्तु का स्वामी पाया जाता है और आय-कर अधिकारी यह पाता है कि इन विनियोगों पर जो रकम लगी है अथवा इस सोना, चाँदी जेवर अथवा अन्य मूल्यवान वस्तु को प्राप्त करने में जो व्यय हुआ है वह कर दाता द्वारा अपने बहीखातो में इस सम्बन्ध में दिखायी गयी रकम से अधिक है तथा कर दाता इस अधिव्यय का कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकता है अथवा उसका स्पष्टीकरण सतोपजनक नहीं है तो यह अधिक रकम कर-दाता को उस वित्तीय वष की आय मानी जा सकती है ।

व्यापारिक रहतिये का मूल्यांकन (Valuation of Stock in Hand) — व्यापारिक रहतिये का मूल्यांकन करन के सम्बन्ध में आय कर अधिनियम में कोई नियम नहीं दिये गये हैं । अतः बहीखाते के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार ही इसका मूल्यांकन किया जाता है । साधारणतया लागत अथवा बाजार मूल्य में से जो कम हो उसी के अनुसार मूल्यांकन किया जाता है । कुछ लोग बतल लागत के हिमाज में, अथवा केवल बाजार भाव से मूल्यांकन करते हैं । इन सम्बन्ध में यह आवश्यक है कि कोई कर दाता रहतिये के मूल्यांकन के लिए जो भी विधि एक बार अपना ले उसे ही हमेशा अपनाना चाहिए । यदि अभी इनमें परिवर्तन करता हो तो आय-कर अधिकारी की पूर्व स्वीकृति लेनी होगी ।

कुछ विशेष कम्पनियों के लाभ

(i) चाय कम्पनियाँ—ऐसी चाय कम्पनी की, जो भारत में चाय की उपज तथा विक्रय करती है, कुल आय का ४० प्रतिशत भाग कर-योग्य है तथा शेष ६० प्रतिशत भाग पर न कर लगता है न वह उसकी कुल आय में जोड़ा जाता है।

(ii) चीनी मिल कम्पनियाँ—उन चीनी मिल कम्पनियों के सम्बन्ध में, जो अपने कृषि फार्म पर पैदा किया हुआ गन्ना प्रयोग करती हैं कर योग्य आय की गणना करने के लिए अपन फार्म पर पैदा किये हुए व मिल में प्रयोग किये हुए गन्ने का औसत बाजार मूल्य लाभ हानि खाते के नाम पक्ष में लिखा जाता है परन्तु गन्ना पैदा करने के सम्बन्ध में किया गया वास्तविक व्यय स्वीकार नहीं किया जाता है।

(iii) नये औद्योगिक उद्यम तथा नयी होटल कम्पनियाँ—धारा ८४ के अन्तर्गत स्थापित नये औद्योगिक उद्यमों तथा नयी होटल कम्पनियों में लगी हुई पूंजी के ६ प्रतिशत तक के लाभ पर, उनका काम आरम्भ होने के बाद प्रथम पाँच कर-निर्धारण वर्षों में आय कर नहीं लगता है लेकिन इससे अधिक लाभ पर कर लगाने के लिए इस कर मुक्त लाभ का भी उसकी कुल आय में जोड़ा जाता है। यदि नया औद्योगिक उद्यम किसी सहकारी समिति द्वारा स्थापित है तो यह छूट प्रथम सात कर निर्धारण वर्षों तक दी जाती है।

Illustration 1

From the following Profit and Loss Account of a merchant for the year ended 31st March 1965, find out his taxable profit from business and his total income for the assessment year 1965-66

Profit and Loss Account

	Rs		Rs
General Expenses	3 000	Gross Profit	40,000
Advertising	1,000	Bad Debts	
Fire Insurance Premium	500	recovered	100
Salaries	6 000	Interest from	
Provision for Bad Debts	2,000	Govt Securities	3,000
Provision for Income tax	1,000	(Gross)	
Provision for Depreciation	3,000		
Interest on Capital	1 000		
Postage, Telegram etc	400		
Interest on Bank Loan	1 100		
Sales tax	1,000		
Law Charges	500		
Net Profit	22,600		
	Rs 43 100		Rs 43,100

General Expenses include Rs 300 given as a donation to a recognised school. Actual bad debts written off during the year amount to Rs 600. Actual amount of income tax paid during the year is Rs 1,500. The amount of depreciation allowable is Rs 2,000. Advertising expenses include Rs 500 spent on a special Advertising Campaign to introduce a new product in the market. Law charges are in connection with the business.

Solution

	Rs	
Net Profit as per Profit and Loss Account		22,600
<i>Add</i> Expenses not allowed		
	Rs	
Donation to a recognised school	300	
Advertising expenses incurred on a special advertising campaign (being of a capital nature)	500	
Provision for Bad Debts	2 000	
Provision for Income tax	1,000	
Provision for Depreciation	3 000	
Interest on Capital	1,000	7,800
		30,400
<i>Less</i> Deductions allowed but not charged		
Bad Debts	600	
Depreciation allowable	2 000	2 600
		27,800
<i>Less</i> Interest from Government Securities not chargeable under the head of business		3 000
Taxable Profit from Business		Rs 21 800

Statement of Total Income

		Rs
1 Interest on Securities		3,000
2 Profit from Business		24 800
		27 800
Total Income	Rs	27 800

Illustration 2

Shri Radhey Lal the proprietor of a flour mill has prepared the following Profit and Loss Account for the year ending 31st March, 1965. You are required to compute his total taxable income from business.

Profit and Loss Account

	Rs		Rs
Trade Expenses	450	Gross Profit	21,925
Establishment charges	2 200	Bank Interest	475
Rent, Rates and Taxes	1,400	Profit on sale of	
Household Expenses	1,850	Investments	2,600
Discount and Allowances	200		
Income tax	700		
Advertisement	450		
Postage and Telegrams	100		
Gifts and Presents	125		
Fire Insurance Premium	250		
Charities	375		
Subscriptions and Dona tions	400		
Repairs and Renewals	250		
Loss on Sale of Motor Car	1,400		
Life Insurance Premium	850		
Reserve for Bad Debts	600		
Interest on Capital	150		
Audit Fee	250		
Net Profit transferred to Capital Account	13 000		
	<u>Rs 25 000</u>		
		Rs	<u>25 000</u>

Solution

	Rs		Rs
Profit as per Profit and Loss Account			13,000
<i>Add</i> Expenses not allowed	Rs		
Household Expenses	1,850		
Income tax	700		
<i>Gifts and Presents</i>	125		
Charities	375		
Donations	400		
Loss on Sale of Car	1,400		
Life Insurance Premium	850		
Reserve for Bad Debts	600		
Interest on capital	150		
			<u>6 450</u>
			19 150
<i>Less</i> Profit on sale of investments	2,600		
(being capital gain)			
Bank interest (being income	475		
from other sources)			
			<u>3 075</u>
			16 375
<i>Less</i> 60% of Life Insurance			
Premium under Section 80 A			510
Taxable Income from Business		Rs	<u>15 865</u>

Illustration 3

The following is the Manufacturing and Profit and Loss Account of a sugar mill company for the year ending 31st October, 1964

To Opening Stock	Rs 1,82,300	By Sales	Rs 24,51,500
, Cost of Cane Crushed	12,57,700	„ Miscellaneous Receipts	6,700
„ Manufacturing Exps	7,98,500	, Closing Stock	3,66,000
„ Repairs and Renewals	40,700		
, Establishment Charges	41,600		
„ Miscellaneous Exps	17,800		
, Commission on Sales etc	63,500		
, Directors' Fees	1,600		
, Auditor's Fees	2,000		
„ Managing Agents' Allowance and Commission	78,600		
, Depreciation Written off	1,30,700		
„ Balance being profit carried down	2,09,200		
	Rs 28,24,200		Rs 28,24,200
To Amounts transferred to Reserve Fund to Reserve for Income tax	25,000 90,000	By Profit brought down	2,09,200
	1,15,000		
, Balance carried to Balance Sheet	94,200		
	Total Rs 2,09,200		Total Rs 2,09,200

Prepare the Company assessment for the year 1965-66, after taking the following information into account

- (a) Cane crushed includes Rs 1,54,000, the cost of cane grown on company's own farm, the average market price of the same being Rs 1,96,000
- (b) Manufacturing expenses include
 - (i) Rs 4,26,000 for excise duty
 - (ii) Rs 78,000 spent on scientific research as follows
Rs 67,000 for capital expenditure on the fitting up of a new research laboratory, and Rs 11,000 for current expenditure

- (c) Establishment charges include Rs 3,200 for contribution towards Employees' Provident Fund which is unrecognised
- (d) Miscellaneous expenses include Rs 5,000 for donations to local educational institutions and Rs 2,000 for donation to a public hospital where the company's employees are treated free
- (e) Sugar worth Rs 1,000 was distributed free on the occasion of Independence Day celebrations
- (f) Rs 15,000 cost of additions to factory buildings, has been charged to Repairs and Renewals
- (g) Amount of Depreciation, admissible according to rules, works out at Rs 89,200

Solution

Profit as per Profit and Loss Account	2,09,200
Less Agricultural Income (being the excess of market price of cane crushed over cost of cane grown, which has already been charged in the Profit and Loss Account i.e. Rs 1,96,000—Rs 1,54,000)	42,000
	1,67,200

Add Expenses not allowed

	Rs
(i) $\frac{1}{2}$ Capital Expenditure on Scientific Research Laboratory	53,600
(ii) Contribution to unrecognised provident fund	3,200
(iii) Cost of additions to factory bldgs	15,000
(iv) Excess Depreciation	32,500
(v) Donations	7,000
	1,11,300
	2,78,500

Add Value of sugar distributed free and not shown in the Profit and Loss Account 1,000

Total Income Rs 2,79,500

Exemption

Donations Rs 7,000

As the assessee is a company rebate on donations shall be allowed at the average rate of income tax or at the rate of 25%, whichever is less

- Notes (i) Tax payable by the company has not been calculated
- (ii) It is assumed that the depreciation allowed by the I T O includes depreciation on Rs 15,000 which is the cost of additions to factory buildings
- (iii) Donations to educational institutions and public hospital where the company's employees are treated free is a donation and not a welfare expenditure, hence it has been disallowed

Illustration 4

Mr Bhagwandas is a registered medical practitioner. He keeps his books on cash basis and his summarised cash account for the year ended 31st March, 1965 is as under

	Rs		Rs
To Balance b/d	2,000	By Cost of Medicines	10,000
„ Loan from Bank	3,000	„ Surgical Equipments	2,000
„ Sales of Medicines	15,250	„ Motor Car	6,000
„ Consultation Fees	5,000	„ Car Expenses	900
„ Visiting Fees	4,000	„ Salaries	600
„ Interest on Investments	4,000	„ Rent of Dispensary	600
Rent from property (not subject to local taxes)	3,600	„ General Expenses	300
		„ Personal Expenses	1,800
		„ Life Ins Premium	1,000
		„ Int on Loan from Bank	180
		„ Insurance of Property	200
		„ Balance c/d	13,210
	Rs 36,850		Rs 36,850

Compute his total income for the previous year 1964-65 taking into account the following further information

(a) one third of motor car expenses are in respect of his personal use

(b) his investments are all in government securities,

(c) depreciation allowable on motor car used for professional practice is Rs 300

Income and Expenditure Account

	Rs		Rs
To Household Expenses	20 000	By Consultation Fees	10,000
, Car purchased	10,000	, Visiting Fees	20,000
, Travelling Expenses	4 000	, Gains on Race	10,000
, Charity and Donation	1,000	, Sale proceeds of	
, Income tax	880	ancestral house	34,000
, Salaries	8,000	, Profit on sale of	
, Gift to daughter	7,000	securities	6,000
, Interest	10 000	, Dividend on Shares	
, Surgical Equipment	1,200	(Gross)	5,000
, Net Surplus	28,820	, Interest from P O	
		Savings Bank	600
		Gift from Father	
		in law	4,000
		, Interest on Fixed	
		Deposits	1,300
	<u>Rs 90,900</u>		<u>Rs 90 900</u>

Solution

*Statement showing the Taxable Income of Sri Ram Prasad
from Profession for the Assessment Year 1965 66*

	Rs	Rs
Net Surplus as per Income and Expenditure Account		28 820
<i>Add</i> Inadmissible Expenses		
Household Expenses	20 000	
Cost of Car	10,000	
Travelling Expenses	4 000	
Charity and Donation	1 000	
Income tax	880	
Gift to daughter	7,000	
Cost of Surgical Equipments	1 200	
	<u>44 080</u>	
		<u>72 900</u>

<i>Less</i> Income not chargeable to tax			
(i) Gains on Race (casual income)	10,000		
(ii) Sale proceeds of ancestral house (capital receipt)	31,000		
(iii) Interest from P O Savings Bank [under Sec 10 (15) (ii)]	600		
(iv) Gifts from father in law (casual income)	4,000	48,600	
<hr/>			
<i>Less</i> Income not chargeable under this head			
(i) Profit on sale of securities (capital gain)	6 000		
(ii) Dividend on Shares (other sources)	5 000		
(iii) Interest on Fixed Deposits (other sources)	1,300	12 300	60,900
		<hr/>	<hr/>
Assessable Income from Profession		Rs	12 000
			<hr/>

Note Travelling expenses do not seem to be incidental to the medical profession, hence they have been disallowed

QUESTIONS

- 1 What deductions are allowed to a businessman in computing profits? Specify the expenses disallowed
एक व्यापारी के लाभों की गणना करने में क्या-क्या कटौतियाँ स्वीकृत हैं? अस्वीकृत व्ययों का वर्णन कीजिए।
- 2 Enumerate expenses which are allowed in computing taxable profits of a business and also state expenses or losses which are not admissible
एक व्यापार के कर योग्य लाभों की गणना करने में कौनसे व्यय स्वीकृत हैं तथा यह भी बताइए कि वे कौनसे व्यय अथवा हानियाँ हैं जो अस्वीकृत हैं।
- 3 Give the law relating to the assessment of income tax on the tea and sugar companies
चाय और चीनी कंपनियों पर आय कर निर्धारण के सम्बन्ध में विधान का वर्णन कीजिए।
- 4 What are the allowances that are admissible in determining the taxable income from business?
व्यापार की कर-योग्य आय निकालने के लिए कौनसी छूटें स्वीकृत हैं?

- 5 In what circumstances are the following items allowed as deductions in computing taxable income from business
(i) Repairs, (ii) Insurance Premium, (iii) Interest, (iv) Legal charges and (v) Depreciation on investments ?

व्यापार की कर योग्य आय की गणना करने में निम्न मद बिना परिस्थितियाँ में कटौती के रूप में स्वीकृत हैं

(i) मरम्मत, (ii) बीमा प्रीमियम, (iii) ब्याज, (iv) कानूनी व्यय, और (v) विनियोग पर ह्रास ?

- 6 Explain clearly the deductions that are expressly allowed in computing the taxable income from business under the Indian Income Tax Act, 1961

व्यापार की कर योग्य आय की गणना करने में जाय कर अधिनियम, १९६१ के अंतर्गत स्पष्टतया स्वीकृत कटौतियों को समझाइए।

ह्रास तथा विकास सम्बन्धी छूट

[DEPRECIATION AND DEVELOPMENT REBATE]

ह्रास

(Depreciation)

ह्रास की परिभाषा—आय कर अधिनियम में ह्रास की कोई परिभाषा नहीं दी गयी है। व्यावहारिक रूप में इसका आशय सम्पत्ति के मूल्य में प्रयोग के कारण होने वाली कमी से है।

धारा ३२ (१) के अन्तर्गत, कर दाता की अपनी ऐसी इमारतों, मशीनों, प्लाण्ट अथवा फर्नीचर, जिन्हें वह अपने व्यापार अथवा पेशे में प्रयोग करता है, के ह्रास के सम्बन्ध में धारा ३४ में दी हुई शर्तों के अधीन निम्न कटौतियाँ स्वीकृत हैं।

(i) देश के अन्दर पानी पर चलने वाले जहाजों को छोड़कर अन्य समुद्री जहाजों के सम्बन्ध में उनके वास्तविक मूल्य का वह प्रतिशत जो उनके सम्बन्ध में निर्धारित किया गया हो,

(ii) उपर्युक्त समुद्री जहाजों को छोड़कर, इमारतें, मशीन, प्लाण्ट अथवा फर्नीचर के सम्बन्ध में उनके अपलिगित मूल्य (Written down value) का वह प्रतिशत जो उनके सम्बन्ध में निर्धारित किया गया हो,

(iii) गत वर्ष में बेची गयी इमारत, मशीन प्लाण्ट अथवा फर्नीचर के सम्बन्ध में अन्तिम ह्रास (Terminal Depreciation), जिसका विस्तृत वर्णन आगे दिया गया है,

(iv) ३१ मार्च, १९६१ के बाद बनी इमारत के सम्बन्ध में प्रारम्भिक ह्रास (Initial Depreciation), जिसका विस्तृत वर्णन आगे दिया गया है।

ह्रास स्वीकार करने के नियम—उपर्युक्त वर्णित धारा ३२ (१) के आधार पर ह्रास स्वीकार करने के लिए निम्न महत्वपूर्ण नियम हैं।

(१) ह्रास केवल इमारतों, मशीनों, प्लाण्ट अथवा फर्नीचर पर मिलता है। प्लाण्ट गन्ध में समुद्री जहाज, गाड़िया (Vehicles), पुस्तकें, वैज्ञानिक यन्त्र तथा सर्जिकल साज (Surgical Equipment) सम्मिलित हैं।

(२) उपर्युक्त सम्पत्तियां वा मालिक कर-दाता होना चाहिए।

(३) ये सम्पत्तियां कर-दाता के अपने व्यापार अथवा पेशे में प्रयोग हानी चाहिए। यदि कोई सम्पत्ति अशत व्यापार अथवा पेशे के लिए तथा अशत मालिक व अपने निजी प्रयोग के लिए काम में लायी जाये तो उस सम्पत्ति पर ह्रास छूट उसी अंश की स्वीकार की जायेगी जो व्यापार अथवा पेशे के लिए प्रयोग की गयी हो।

(४) सम्पत्ति का आंशिक प्रयोग समय के आधार पर भी हो सकता है। आय कर नियम, १९६२ व नियम सख्या ५ के अनुसार गत वर्ष में सम्पत्ति (i) यदि १८० दिन अथवा उमसे अधिक कर दाता के व्यापार अथवा पेशे में प्रयोग की गयी हो तो साधारण ह्रास पूरे वर्ष के लिए दिया जायेगा, (ii) यदि ३० दिन से अधिक परन्तु १८० दिन में कम प्रयोग की गयी हो तो साधारण ह्रास आधे वर्ष के लिए दिया जायेगा, तथा (iii) यदि ३० दिन अथवा उमसे कम प्रयोग की गयी हो तो साधारण ह्रास शून्य होगा। मौसमी फ़ैक्टोरिया (Seasonal Factories) में यदि सम्पत्ति गत वर्ष में पूरे मौसम भर प्रयोग की जाये तो यह माना जायेगा कि वह सम्पत्ति उस सम्पूर्ण अवधि में प्रयोग की गयी थी जितनी अवधि के लिए कर दाता उस सम्पत्ति का गत वर्ष में स्वामी था।

(५) समुद्री जहाजा पर ह्रास उनके वास्तविक मूल्य पर मिलता है।

(६) भवन मशीन प्लाण्ट अथवा फर्नीचर पर ह्रास उनके अपलिखित मूल्य (Written down Value) पर मिलता है।

ह्रास स्वीकार करने की शर्तें—धारा ३२ (१) में स्वीकृत ह्रास की कटौती देने के लिए धारा ३४ में दी हुई निम्न शर्तें पूरी होनी चाहिए

(१) जाय के नक्शे में मागे हुए निर्दिष्ट विवरण ह्रासित सम्पत्ति के सम्बन्ध में द दिये गये हैं।

(२) ह्रास की कुल छूट की रकम कर्णजता की सम्पत्ति के वास्तविक मूल्य से अधिक नहीं होनी चाहिए, तथा

(३) गत वर्ष में यदि कोई इमारत, मशीन प्लाण्ट अथवा फर्नीचर बेचा गया हो, काम के योग्य न रहने के कारण जलम कर दिया गया हो गिरा दिया गया हो अथवा नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया हो तो उस वर्ष में उस पर कोई ह्रास की छूट नहीं दी जायेगी (सिवाय अंतिम ह्रास के)।

विभिन्न प्रकार की ह्रास छूटें (Various Kinds of Depreciation Allowances)

विभिन्न प्रकार की ह्रास छूटें निम्न हैं

(१) साधारण ह्रास (Normal Depreciation)—धारा ३२ (१) के अनुसार भवन मशीन, प्लाण्ट अथवा फर्नीचर पर इनके अपलिखित मूल्य

पर निर्दिष्ट दर (prescribed rates) के अनुसार साधारण ह्रास दिया जाता है। समुद्री जहाजा पर उनके वास्तविक मूल्य पर यह ह्रास दिया जाता है।

(२) अतिरिक्त पारी की छूट (Extra shift Allowance)—सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ डाइरेक्ट टैक्सेज (Central Board of Direct Taxes) द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार यदि कोई मशीन तथा प्लाण्ट काम की अधिकता के कारण एक से अधिक पारी में प्रयोग होती है तो अतिरिक्त पारिया में प्रयोग होने से जो अधिक घिसाई होती है इसके लिए यह छूट दी गयी है। यदि फॅक्टरी में दुहरी पारी काम हुआ है तो अतिरिक्त पारी की छूट अधिक में अधिक साधारण ह्रास के २० प्रतिशत तक हो सकती है। यदि फॅक्टरी में तिहरी पारी में भी काम हाता है तो १९६४-६५ कर निर्धारण वष से साधारण ह्रास के ५० प्रतिशत के स्थान में १०० प्रतिशत से अतिरिक्त पारी की छूट दी जायेगी। दुहरी तथा तिहरी पारी में काम होने के सम्बन्ध में अतिरिक्त पारी की छूट की गणना उस अनुपात में पृथक-पृथक की जायेगी जो दुहरी अथवा तिहरी पारी में काम होन वाले दिनों का सम्पूर्ण वष के साधारणतया काम के दिनों से है। अतिरिक्त पारी की छूट देने के लिए पूरे वष में साधारणतया काम के दिन ३०० माने जाते हैं। उदाहरणार्थ, यदि एक फॅक्टरी में १०० दिन दुहरी पारी में काम होता है तथा अन्य १०० दिन तिहरी पारी में काम हाता है तो अतिरिक्त पारी की छूट दुहरी पारी के लिए साधारण ह्रास के ५० प्रतिशत के $\frac{2}{3}$ भाग के बराबर होगी तथा तिहरी पारी के लिए साधारण ह्रास के १०० प्रतिशत के $\frac{1}{3}$ भाग के बराबर होगी।

यहाँ साधारण ह्रास से आशय सम्पूर्ण वष के साधारण ह्रास से है। यदि कोई मशीन अथवा प्लाण्ट गत वष में ३० दिन अथवा उससे कम प्रयोग किया गया हो तो उस पर अतिरिक्त पारी की छूट नहीं दी जायेगी।

(३) अंतिम ह्रास (Terminal Depreciation)—गत वष में, यदि कोई पहले से खरीदी हुई इमारत, मशीन, प्लाण्ट अथवा फर्नीचर बेच दी जाये, काम में प्रयोग के योग्य न रह गिरा दी जाये, अथवा नष्ट भ्रष्ट हो जाये तो उसके सम्बन्ध में प्राप्त रकम [उसके अवशिष्ट मूल्य (Scrap value) सहित यदि कोई हो तो] उसके अपलिखित मूल्य (Written down value) से गिनती कम पड़ती है, उस वषी का अंतिम ह्रास (Terminal Depreciation) कहते हैं और यह षटोती के रूप में स्वीकार होती है। यह वषी की रकम तभी मान्य होती है जबकि इसे कर-दाता की पुस्तकों में वास्तव में अपलिखित (written off) कर दिया गया हो।

नोट—'उसके सम्बन्ध में प्राप्त रकम' से आशय बीमा कम्पनी से प्राप्त क्षति पूर्ति की रकम तथा उसके विप्रेय मूल्य के जोड़ से है।

(४) प्रारम्भिक ह्रास (Initial Depreciation)—ऐसी इमारत के सम्बन्ध में, जो ३१ मार्च, १९६१ के बाद नयी बनी हो तथा जिसमें करदाता के २०० रुपये मामूली तक पारिश्रमिक पाने वाले कर्मचारी रहने हों अथवा यह इमारत पूर्णतया या मुख्यतया एक व्यक्तियों के कल्याण के लिए चिकित्सालय, जलपाय गृह, पुस्तकालय, शिक्षा संस्था, मनोरंजन केन्द्र, विद्यालय-गृह अथवा भोजन गृह आदि की तरह प्रयोग की जाती हो, उस गत वर्ष के सम्बन्ध में जिसमें यह इमारत बनकर तैयार हुई है करदाता की वास्तविक लागत का २० प्रतिशत प्रारम्भिक ह्रास स्वीकार किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में यह आवश्यक बात है कि साधारण ह्रास की गणना करने के लिए अपलिखित मूल्य निकालने के लिए यह २० प्रतिशत का प्रारम्भिक ह्रास इस इमारत की वास्तविक लागत में से घटाया नहीं जायेगा।

अशोषित ह्रास (Unabsorbed Depreciation)

धारा ३२ (२) के अन्तर्गत यदि करदाता का कर निर्धारण करते समय साधारण ह्रास (अतिरिक्त पारो की छूट सहित) तथा प्रारम्भिक ह्रास की कुल रकम, गत वर्ष में व्यापार अथवा पेशे के कर योग्य लाभ न होने के कारण अथवा कम होने के कारण, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से लाभ में नहीं घटायी जा सके तो इस प्रकार से जितनी रकम की कटौती नहीं मिल पाये उसे अशोषित ह्रास (Unabsorbed Depreciation) कहते हैं। यह रकम अगले वर्ष में ले जायी जायगी और अगले वर्ष की ह्रास की रकम में जोड़कर कुल रकम की कटौती दी जायेगी। यदि अगले वर्ष में भी यही परिस्थिति रहे तो उसके बाद के वर्षों में यह रकम ले जायी जायगी और उन वर्षों की ह्रास की छूट के साथ जोड़कर कटौती स्वीकार होगी। यह रकम तब तक ले जायी जा सकती है जब तक कि यह पूर्ण रूप से उस व्यापार अथवा पेशे के लाभ में से घटा न जाये। यदि जिस प्रकार की सम्पत्ति के सम्बन्ध में यह ह्रास की रकम आगे ले जायी जा रही है वह व्यापार बंद हो जाय तो यह न कटौती हुई ह्रास की रकम का आगे ले जाना भी बन्द कर दिया जाता है।

अशोषित ह्रास में अन्तिम ह्रास (Terminal Depreciation) शामिल नहीं किया जाता है। अन्तिम ह्रास यदि उस वर्ष के लाभों में से घटा नहीं जाता तो उस वर्ष के लिए व्यापारिक हानि माना जायेगा।

यदि अशोषित ह्रास के साथ साथ कोई व्यापारिक हानि भी प्राप्त होगी तो ऐसी व्यापारिक हानि को अशोषित ह्रास को घटाने में घटाया जायेगा।

संतुलित चार्ज (Balancing Charge)

धारा ४१ (२) के अन्तर्गत गत वर्ष में यदि कोई व्यापार में प्रयोग होने

वाली इमारत, मशीन, प्लाण्ट अथवा फर्नीचर बेच दी जाय, काम में प्रयोग के योग्य न रहे, गिरा दी जाये, अथवा नष्ट भ्रष्ट हो जाये तो उसके सम्बन्ध में प्राप्त बिक्री की रकम तथा धीमा कम्पनी से मिली हुई रकम का जोड़ [उसके अवशिष्ट मूल्य (Scrap value) सहित] उसके अपलिखित मूल्य से अधिक हो तो उस आधिक्य का उतना भाग जो अब तक स्वीकार किये गये ह्रास के बराबर तक हो उस वर्ष का जबकि धन प्राप्त हुआ है, लाभ माना जायेगा, चाहे वह व्यापार अथवा पेशा जिसमें उपर्युक्त सम्पत्ति प्रयोग की गयी हो, गत वर्ष में चल रहा हो अथवा नहीं। इस कर योग्य लाभ को ही सन्तुलित चार्ज (Balancing Charge) कहा जाता है। स्वीकृत हुए ह्रास से अधिक लाभ पूंजीगत लाभ होता है।

सम्पत्ति की वास्तविक लागत का अर्थ (Meaning of Actual Cost of an Asset)

धारा ४३ (१) के अनुसार किसी सम्पत्ति की वास्तविक लागत का अर्थ कर दाता की वास्तविक लागत में से लागत का वह भाग घटाकर बची हुई रकम में है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अथवा व्यक्त अथवा अधिकारी द्वारा चुकायी गयी है।

स्पष्टीकरण १ जब कोई सम्पत्ति व्यापार में सम्बन्धित वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयोग की समाप्ति के बाद व्यापार में प्रयोग की जाये तो उसकी वास्तविक लागत में से वैज्ञानिक अनुसंधान के सम्बन्ध में इस सम्पत्ति पर स्वीकार की गयी बटौतियाँ घटाकर जो शेष बचेगा वह धारा ३२ के अन्तर्गत ह्रास देने के लिए उसकी वास्तविक लागत होगी।

२ यदि कर दाता न कोई सम्पत्ति भेंट के रूप में अथवा पैतृक सम्पत्ति के रूप में प्राप्त की हो तो कर दाता के लिए उक्त सम्पत्ति की वास्तविक लागत निम्न में से जो कम हो वह रकम होगी

(i) सम्पत्ति के पिछले मालिक के लिए उस गत वर्ष में जिसमें इस सम्पत्ति का हस्तांतरण हुआ है सम्पत्ति का अपलिखित मूल्य, अथवा

(ii) जिस दिन कर-दाता ने सम्पत्ति प्राप्त की है उस दिन उसका बाजार मूल्य।

३ जब कर-दाता न किसी दूसरे व्यक्ति के पास उसके व्यापार में प्रयोग होती हुई सम्पत्ति खरीदी है और आय-कर अधिकारी की सम्मति में खेता न इस सम्पत्ति पर बड़ी हुई लागत पर

अधिक ह्रास की छूट की माग करने के उद्देश्य से यह सम्पत्ति अधिक मूल्य पर खरीदी है तो इस सम्पत्ति की वास्तविक लागत वह होगी जो सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आय-कर अधिकारी की सम्पत्ति में उचित हो।

- ४ जब कोई कर दाता किसी ऐसी सम्पत्ति को दुबारा प्राप्त कर ले, जो पहले कभी उसकी थी तथा उसे वह अपने व्यापार अथवा पेशे में प्रयोग करता था परंतु बाद में उसके हस्तान्तरण हो जाने के कारण वह उसका स्वामी नहीं रहा था, तो कर दाता के लिए उसकी वास्तविक लागत निम्न में से जो कम हो वह रकम होगी

(1) कर दाता ने जब यह सम्पत्ति प्रथम बार प्राप्त की थी उस समय की उसकी वास्तविक लागत में से उस पर स्वीकृत की गयी कुल ह्रास की रकम [अन्तिम ह्रास सहित] घटाकर तथा सतुलित चार्ज (Balancing Charge) की रकम जोड़कर जो रकम निकले, अथवा

(11) कर दाता द्वारा दुबारा प्राप्त करने के लिए दी गयी वास्तविक लागत की रकम।

- ५ जब कोई भवन जो पहले से कर-दाता की सम्पत्ति हो, २५ फरवरी, १९४६ के बाद कर दाता के व्यापार अथवा पेशे में प्रयोग किया जाये तो कर दाता की वास्तविक लागत निकालने के लिए उसकी वास्तविक लागत में से ह्रास की वह रकम घटा दी जायेगी जो उसे गत वर्ष की दरों के अनुसार प्रारम्भ से गत वर्ष तक स्वीकार की जाती यदि वह भवन प्रारम्भ में ही उसके व्यापार अथवा पेशे में प्रयोग हुआ होता। शेष बची हुई रकम कर दाता की वास्तविक लागत होगी।

- ६ जब कोई पूजा सम्पत्ति किसी सूत्रधारी कम्पनी द्वारा अपनी सहायक कम्पनी को अथवा किसी सहायक कम्पनी द्वारा अपनी सूत्रधारी कम्पनी का हस्तांतरण कर दी जाये तो सम्पत्ति पाने वाली कम्पनी के लिए हस्तांतरित सम्पत्ति की वास्तविक लागत वही रकम मानी जायेगी जो हस्तांतरण करने वाली कम्पनी के लिए होती यदि वह कम्पनी इस सम्पत्ति को अपने ही व्यापार में प्रयोग करती रहती। यह नियम तभी लागू होगा जबकि निम्न शर्तें पूरी होती हों।

- (1) एक सूत्रधारी कम्पनी द्वारा अपनी सहायक कम्पनी को पूँजी सम्पत्ति हस्तान्तर करने की दशा में, यदि
- (क) सूत्रधारी कम्पनी के पास सहायक कम्पनी की सम्पूर्ण अंश पूँजी है, तथा
- (ख) सहायक कम्पनी भारतीय कम्पनी है, अथवा
- (ii) एक सहायक कम्पनी द्वारा अपनी सूत्रधारी कम्पनी को पूँजी सम्पत्ति हस्तान्तर करने की दशा में, यदि
- (क) सहायक कम्पनी की सम्पूर्ण अंश-पूँजी सूत्रधारी कम्पनी के पास है, तथा
- (ख) सूत्रधारी कम्पनी भारतीय कम्पनी है।

अपलिखित मूल्य (Written down Value)

धारा ४३ (६) के अनुसार अपलिखित मूल्य का अर्थ

(अ) गत वर्ष में प्राप्त की गयी सम्पत्ति के लिए कर दाता की वास्तविक लागत है, तथा

(ब) गत वर्ष में पूर्व प्राप्त की गयी सम्पत्ति के लिए कर-दाता की वास्तविक लागत में से वास्तव में स्वीकार की गयी कुल ह्रास की रकम घटाकर जो शेष बचेगा, वह रकम होती है। प्रति वर्ष साधारण ह्रास तथा अतिरिक्त पारी की छूट देने के लिए अपलिखित मूल्य निकालने के लिए प्रारम्भिक ह्रास की रकम उसकी वास्तविक लागत में से नहीं घटायी जायेगी परन्तु Terminal Depreciation अथवा Balancing Charge के निकालने के लिए प्रारम्भिक ह्रास की रकम भी उसकी वास्तविक लागत में से घटायी जायेगी।

अशोधित ह्रास की रकम जो आगे ल जायी जाती है "वास्तव में स्वीकार किया गया ह्रास" मानी जाती है।

बिग्री सम्पत्ति का अपलिखित मूल्य निकालने के लिए उसकी वास्तविक लागत में से विकास सम्बन्धी छूट (जिसका वणन आगे किया गया है) नहीं घटायी जाती है।

Some Prescribed Rates of Depreciation

The prescribed rates of depreciation are given in part I of Appendix I of the Income Tax Rules 1962 framed by the Central Board of Direct Taxes. Some of these rates are given below

I Buildings

- | | | |
|----------------------------|--------|-----------------------|
| (1) First class buildings | @ 2 5% | on written down value |
| (2) Second class buildings | @ 5 0% | " " |
| (3) Third class buildings | @ 7 5% | " " |

- (4) Purely temporary erections, such as wooden structures } No Rate is prescribed, renewals will be allowed as revenue expenditure

Note These rates are doubled in case of Factory Buildings

II Furniture and Fittings

- (1) General @ 10% on W D V
 (2) Rate for furniture and fittings used in hotels restaurants cinema houses and boarding houses @ 15% on W D V

III Machinery and Plant

- (1) General Rate @ 7% on W D V
 (2) Different Special Rates are to be applied in certain specified industries

✓ विकास सम्बन्धी छूट (Development Rebate)

१ नये समुद्री जहाज अथवा नयी मशीन अथवा प्लाण्ट के सम्बन्ध में— धारा ३३ (१) के अनुसार ३१ मार्च, १९५४ के बाद एक कर-दाता ने जो नये समुद्री जहाज प्राप्त किये हो अथवा जो नयी मशीन या प्लाण्ट (यातायात वाहनो तथा कार्यालय यन्त्रो को छोड़कर) लगवायी हो जिन्का कर-दाता स्वामी है तथा जो पूणतया कर दाता के व्यापार मे प्रयोग हाती हैं उनके सम्बन्ध मे निम्न दरो से विकास सम्बन्धी छूट की बटौती दी जायगी

(i) ३१ डिसेम्बर, १९५७ के बाद प्राप्त किये गये जहाज के सम्बन्ध मे उसकी वास्तविक लागत का ८० प्रतिशत

(ii) १ जनवरी, १९५८ से पूर्व प्राप्त किये गये जहाज के सम्बन्ध में उसकी वास्तविक लागत का २५ प्रतिशत,

(iii) १ अप्रैल, १९६१ से पूर्व लगायी गयी मशीन अथवा प्लाण्ट के सम्बन्ध में उसकी वास्तविक लागत का २५ प्रतिशत,

(iv) ३१ मार्च, १९६१ के बाद लगायी गयी मशीन अथवा प्लाण्ट के सम्बन्ध मे

(क) पान से कोयला निवालने के सम्बन्ध में लगायी गयी मशीन की वास्तविक लागत पर ३५% यदि वह मशीन ३१ मार्च, १९६३ के बाद १ अप्रैल, १९६६ से पूर्व लगायी गयी हो,

(ख) अथ किमी व्यापार के लिए १ अप्रैल, १९६५ से पूर्व लगाये गये मशीन अथवा प्लाण्ट की वास्तविक लागत पर २० प्रतिशत

(ग) यदि मशीन अथवा प्लाण्ट ३१ मार्च, १९६५ के बाद लगाया गया हो तो

(अ) पाँचवीं अनुसूची में दी हुई किमी वस्तु का निर्माण अथवा

करने वाली मशीन अथवा प्लाण्ट की दशा में उसकी वास्तविक लागत का २५ प्रतिशत, तथा

(ब) अन्य किसी व्यापार की दशा में

- (1) यदि यह मशीन अथवा प्लाण्ट १ अप्रैल, १९६७ से पूर्व लगाया गया हो, तो उसकी वास्तविक लागत का २० प्रतिशत, तथा
- (ii) अन्य किसी दशा में वास्तविक लागत का १५ प्रतिशत।

उपयुक्त छूट उस गत वर्ष में दी जाती है जिसमें जहाज प्राप्त किया गया हो अथवा मशीन अथवा प्लाण्ट लगवाया गया हो। यदि यह जहाज, मशीन अथवा प्लाण्ट उक्त गत वर्ष के अगले गत वर्ष में प्रथम बार प्रयोग किये जाते हैं तो उस अगले गत वर्ष में यह छूट दी जाती है।

२ पुराने समुद्री जहाज अथवा पुरानी मशीन अथवा प्लाण्ट के सम्बन्ध में—धारा ३३ (१ A) के अन्तर्गत

(अ) विकास सम्बन्धी छूट ऐसे समुद्री जहाज के सम्बन्ध में भी दी जायगी जो २१ मार्च, १९६४ के बाद किसी ऐसे व्यक्ति से प्राप्त किया जाय जो उसे पहले से प्रयोग कर रहा था। यह छूट जहाज की वास्तविक लागत पर २० प्रतिशत की दर से दी जायेगी। यह छूट तभी स्वीकृत होगी जबकि निम्न शर्तें पूरी हो जायें

- (1) यह जहाज उपयुक्त प्राप्ति से पूर्व कभी भारत में किसी निवासी व्यक्ति के पास न रहा हो,
- (ii) यह जहाज पूणतया कर दाता के व्यापार के लिए प्रयोग होता हो, तथा
- (iii) अन्य कोई शर्तें जो निर्धारित कर दी जायें।

(ब) यह छूट ऐसी मशीन अथवा प्लाण्ट (कायानय यंत्र अथवा सड़क पर चलने वाली गाड़ियों का छोड़कर) के सम्बन्ध में भी दी जायगी जो कर दाता द्वारा इस प्रकार लगाने से पूर्व किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर प्रयोग होती थी बशर्ते कि निम्न शर्तें पूरी हो जायें

- (1) कर दाता द्वारा इस प्रकार इस मशीन अथवा प्लाण्ट को लगाने से पूर्व यह मशीन अथवा प्लाण्ट कभी भी भारत में प्रयोग न हुई हो,
- (ii) कर-दाता द्वारा यह भारत के बाहर के किसी देश से आयात की गयी है,
- (iii) कर-दाता द्वारा इस मशीन अथवा प्लाण्ट को लगाने से पूर्व की अवधि के सम्बन्ध में इस मशीन अथवा प्लाण्ट पर भारतीय आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत न तो कभी ह्रास अथवा विकास सम्बन्धी छूट दी गयी है और न दी जा सकती है,

(iv) यह मशीन अथवा प्लाण्ट पूणतया कर-दाना के व्यापार के लिए प्रयोग की जाती है, तथा

(v) अथवा कोई गत जो निर्धारित कर दी जाये।

यह छूट मशीन अथवा प्लाण्ट को वास्तविक लागत पर निम्न दर से दी जायेगी

(i) खान से कोयला निकालन के सम्बन्ध में लगायी गयी मशीन की दशा में यदि यह १ अप्रैल, १९६६ से पूरा लगायी गयी हो २० प्रतिशत

(ii) अन्य किसी दशा में १० प्रतिशत

(स) उपयुक्त (अ) अथवा (ब) में वर्णित छूट उस गत वष में दी जायेगी जिसमें जहाज प्राप्त किया गया है अथवा मशीन अथवा प्लाण्ट लगवाया गया हो। यदि यह जहाज, मशीन अथवा प्लाण्ट उक्त गत वष के अगले गत वष में प्रथम बार प्रयोग किया जाते हैं तो उस अगले गत वष में यह छूट दी जायेगी।

वित्त अधिनियम १९६५ द्वारा जोड़ी गयी नयी धारा ३३ (६) के अन्तर्गत, ऐसी मशीन अथवा प्लाण्ट पर विकास सम्बन्धी छूट नहीं दी जायेगी जो ३१ मार्च १९६२ के बाद किसी कार्यालय भवन अथवा रहने के मकान (अतिथि भवन सहित) में लगाया गया है।

३ चाय की झाड़ियों के सम्बन्ध में—धारा ३३ A के अन्तर्गत, एक ऐसे कर दाता द्वारा जो भारत में चाय के उत्पादन व निर्माण का व्यापार कर रहा है अपनी भारत में स्थित भूमि पर ३१ मार्च, १९६५ के बाद लगायी गयी चाय की झाड़ियों के सम्बन्ध में विकास सम्बन्धी छूट निम्न दर से दी जायेगी

(i) ऐसी भूमि पर जिस पर पहले कभी चाय के पौधे न लगाय गये हो, नये पौधों के सम्बन्ध में पौधे लगाने की वास्तविक लागत का ४०% तथा

(ii) ऐसी भूमि पर जिस पर चाय के पौधे पहले से लगे हैं, मृतक पौधों के स्थान में अथवा ऐसे पौधों के स्थान में जा स्थायी रूप से बेकार हो गये हो ३१ मार्च १९६५ के बाद तथा १ अप्रैल, १९७० से पूर्व लगाये गये नये पौधों के सम्बन्ध में पौधे लगाने की वास्तविक लागत का २०%।

जिस गत वष में पौधे लगाने के लिए भूमि तैयार की जाये उससे अगले तीसरे गत वष के सम्बन्ध में उपयुक्त छूट की कटौती दी जायेगी।

विकास सम्बन्धी छूट के सम्बन्ध में पौधे लगाने की वास्तविक लागत से आशय निम्न के योग से है

- (i) भूमि को तैयार करने की लागत,
- (ii) बीज तथा नसरी की लागत,
- (iii) पौधे लगाने की लागत, तथा
- (iv) जिस गत वर्ष में पौधे लगाने के लिए भूमि तैयार की जाये तथा उससे अगल तीन गत वर्षों में पौधों की देखभाल करने की लागत ।

उपयुक्त याग में स लागत का वह भाग घटा दिया जायेगा जो किसी अय व्यक्ति अथवा सत्ता से इस सम्बन्ध में प्राप्त हुआ हो, तथा शेष रकम 'पौधे लगाने की वास्तविक लागत' होगी ।

'पौधे लगाने की वास्तविक लागत' जिस पर विकास सम्बन्धी छूट स्वीकृत होगी निम्न सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए

- (i) पहाड़ी क्षेत्र में १२,५०० रु० प्रति हेक्टेयर, तथा
- (ii) अय क्षेत्रों में १०,००० रु० प्रति हेक्टेयर ।

विकास सम्बन्धी छूट स्वीकार करने की शर्तें

विकास सम्बन्धी छूट स्वीकार करने के लिए निम्न शर्तें पूरी करनी हानी है

(१) कर दाता ने इन कम्पनियों के सम्बन्ध में वह सब विवरण दे दिया है जो हास के सम्बन्ध में दिया जाता है ।

(२) सम्बन्धित गत वर्ष में वास्तव में स्वीकार होने वाली विकास सम्बन्धी छूट की ७५ प्रतिशत रकम लाभ हानि खाते के नाम तथा एक विशेष सचय खाते में जमा कर दी गयी है । इन सचय को कर दाता अगले आठ वर्ष तक अपने व्यापार में प्रयोग कर सकता है परन्तु आठ वर्ष तक उसमें से लाभान् नहीं बाँट सकता है और न भारत के बाहर, लाभ के रूप में अथवा किसी सम्पत्ति का बनाने के लिए, इस सचय में से कोई रकम भेज सकता है ।

उन कम्पनियों पर जिन्होंने Electric (Supply) Act, 1948 के अंतगत लाइसेंस प्राप्त किया हुआ है तथा उन जहाजों के सम्बन्ध में जो १ जनवरी, १९५८ से पूर्व प्राप्त किये गये हैं अथवा उन मशीनों या प्लाण्ट के सम्बन्ध में जो १ जनवरी, १९५८ से पूर्व लगाय गये हैं, यह शर्त लागू नहीं होती है ।

(३) (अ) यदि वह जहाज, मशीन अथवा प्लाण्ट, जिस पर विकास सम्बन्धी छूट मिली है, इसे प्राप्त करने वाले गत वर्ष से अगले ८ वर्ष के अंदर किसी व्यक्ति का ब्रेच दी जाये अथवा हस्तान्तर कर दी जाये तो धारा ३३ (१) के अंतगत मिली हुई विकास सम्बन्धी छूट अस्वीकार कर दी जायेगी और उस वर्ष के कर निर्धारण में, जिसमें यह छूट मिली थी, उचित सशोधन कर दिया जायेगा । यह शर्त निम्न दशाओं में लागू नहीं होगी

- (1) जबकि १ जनवरी, १९५८ से पूर्व जहाज प्राप्त किया गया हो अथवा मशीन या प्लाण्ट लगाया गया हो, अथवा

- (ii) जबकि जहाज, मशीन अथवा प्लाण्ट सरकार, स्थानीय सत्ता, किसान अधिनियम के अ तगत स्थापित निगम, अथवा एक सरकारी कम्पनी को बेची अथवा हस्तांतर की गयी हो, अथवा
- (iii) जबकि जहाज, मशीन अथवा प्लाण्ट का विक्रय अथवा हस्तान्तरण धारा ३३ (३) या ३३ (४) के अ तगत हुए एकीकरण या उत्तराधिकार (Amalgamation or Succession) के सम्बन्ध में हो।

(ब) यदि वह भूमि जिस पर विकास सम्बन्धी छूट मिली है इस छूट की कटौती स्वीकृत होने वाले तत्पश्चात् वर्ष से अगले ८ वर्ष के अन्तर करदाता द्वारा किसी व्यक्ति का बेच दी जाय अथवा हस्तांतर कर दी जाय तो धारा ३३ A (१) के अ तगत मिली हुई विकास सम्बन्धी छूट अस्वीकार कर दी जायेगी और उस वर्ष के कर निर्धारण में, जिसमें यह छूट मिली थी, उचित संशोधन कर दिया जायेगा। यह बात निम्न दशाओं में लागू नहीं होगी

- (1) जबकि यह भूमि सरकार, स्थानीय सत्ता, किसान अधिनियम के अ तगत स्थापित निगम अथवा एक सरकारी कम्पनी को बेची अथवा हस्तांतर की गयी हो, अथवा
- (ii) जबकि इस भूमि का विक्रय अथवा हस्तान्तरण धारा ३३ A (५) या ३३ A (६) के अ तगत हुए एकीकरण या उत्तराधिकार (Amalgamation or Succession) के सम्बन्ध में हो।

जहाज, मशीन अथवा प्लाण्ट के सम्बन्ध में विकास सम्बन्धी छूट को आगे ले जाने के नियम—(१) ३१ दिसम्बर, १९५७ के बाद प्राप्त किये जहाज अथवा लगायी गयी मशीन अथवा प्लाण्ट की दशा में, धारा ३३ (२) के अ तगत यदि करदाता की उस कर निर्धारण वर्ष की कुल आय (विकास सम्बन्धी छूट घटाने से पूर्व), जो जहाज, मशीन अथवा प्लाण्ट प्राप्त करने अथवा लगाने वाले तत्पश्चात् सम्बन्धित है विकास सम्बन्धी छूट की पूरी रकम से कम हो तो उस कर निर्धारण वर्ष में उतनी ही छूट दी जायेगी जितनी कि उसकी कुल आय है, तथा जितनी छूट की रकम शेष रह जायेगी वह अगले आठ वर्ष तक स्वीकाराय आगे ले जायी जा सकती है।

(२) यदि किसी वर्ष करदाता की आय से उस वर्ष की विकास सम्बन्धी छूट व पिछले किसी वर्ष की विकास सम्बन्धी छूट घटानी है तो पहले पिछले वर्ष की छूट घटायी जायेगी और बाद में उस वर्ष की छूट घटायी जायेगी। यदि विकास सम्बन्धी छूट पिछले एक वर्ष से अधिक से आ रही है तो पहले सबसे पुराने वर्ष की छूट घटायी जायेगी और बाद में प्रत्येक बाद में आने वाले वर्ष की छूट घटायी जायेगी।

चाय की झाड़ियों के सम्बन्ध में विकास सम्बन्धी छूट को आगे ले जाने के नियम—(१) यदि कर दाता की उस कर निर्धारण वर्ष की कुल आय (जहाज, मशीन अथवा प्लाण्ट के सम्बन्ध में विकास सम्बन्धी छूट घटाने के बाद परन्तु चाय की झाड़ियां के सम्बन्ध में विकास सम्बन्धी छूट घटाने से पूर्व), जिसमें यह छूट स्वीकार की गयी है, विकास सम्बन्धी छूट की पूरी रकम से कम है तो उस कर निर्धारण वर्ष में उतनी ही छूट दी जायेगी जितनी कि उसकी कुल आय है, तथा जितनी छूट की रकम शेष रह जायेगी वह अगले ८ वर्ष तक स्वीकाराय आगे ले जायी जा सकती है।

(२) यदि किसी वर्ष कर दाता की आय से उस वर्ष की विकास सम्बन्धी छूट व पिछले किसी वर्ष की विकास सम्बन्धी छूट घटानी है तो पहले पिछले वर्ष की छूट घटायी जायेगी और बाद में उस वर्ष की छूट घटायी जायेगी। यदि विकास सम्बन्धी छूट पिछले एक वर्ष से अधिक से आ रही है तो पहले सबसे पुराने वर्ष की छूट घटायी जायेगी और बाद में प्रत्येक बाद में आने वाले वर्ष की छूट घटायी जायेगी।

Illustration 1

Calculate the amount of development rebate and depreciation allowable for the assessment years 1964-65 and 1965-66 from the following particulars of a firm whose accounting year ends on 31st December

- (i) Purchased a new machinery for Rs 40 000 on 30th June, 1963
- (ii) The machinery was used double shift for 100 days in 1963 and triple shift for 200 days in 1964
- (iii) The prescribed rate of depreciation is 7 per cent

Solution

Assessment Year 1964-65

Development Rebate

20% of the actual cost of new machinery (Rs 40 000)	Rs 8,000
	8,000

Depreciation

Normal Depreciation @ 7% on Rs 40,000 for one year	Rs 2 800
Extra shift Allowance being 50% of one third (100/300) of Rs 2,800 normal depreciation for one year	167
	Rs 3,267
	3,267

Assessment Year 1965 66

Depreciation

Normal Depreciation @ 7% on Rs 36,733 (written down value)	Rs 2,571
Extra shift Allowance being 50% of two third (200/300) of Rs 2,571	857
	Rs 3 428

Note As the machinery has been used for more than 180 days in 1963 according to Rule 5 of Income Tax Rules 1962, depreciation will be allowed for full year

Illustration 2

Calculate the amount of depreciation allowance for the assessment year 1965 66 from the following particulars of a merchant whose accounting year ends on 31 March each year

- (i) Completed the construction of a new building for his business on 1st January, 1962 at a cost of Rs 10 000
- (ii) The depreciation for the assessment year 1964 65 was unabsorbed to the extent of Rs 200
- (iii) The prescribed rate of depreciation is 5%

Solution

Assessment Year	Rs
1962 63 Normal depreciation @ 5% on Rs 10 000 for 6 months	250
1963 64 Normal depreciation @ 5% on Rs 9,750 being W D V	487 50
1964 65 Normal depreciation @ 5% on Rs 9,262 50 being W D V	463 12
Less Unabsorbed Depreciation carried forward	200 00
	Rs 1 000 62
1965 66 Normal depreciation @ 5% on Rs 8 799 being W D V	440
Unabsorbed Depreciation brought forward from 1964 65	200
Depreciation Allowance for 1965 66	Rs 640

Note The figure of Rs 8 799 has been arrived at by deducting the total depreciation actually allowed to him from the actual cost of the building to the assessee i.e. Rs 10 000 less Rs (1,000 62 + 200) = Rs 8 799 38 or Rs 8,799 Under Section 43, sub section 6, explanation 3

unabsorbed depreciation is deemed to be depreciation "actually allowed" hence unabsorbed depreciation of Rs 200 has been treated as depreciation actually allowed' and deducted from the actual cost in order to arrive at the written down value for the assessment year 1965 66

Illustration 3

Work out the amount of development rebate and depreciation allowable for the assessment year 1965 66 from the following particulars of assets of a cotton mill company whose accounting year ends on 31st December

Assets	W D V on 1 1 1964 Rs	Depreciation Rate
Buildings	15 47,380	5%
Godowns	2,15 740	5%
Machinery	33,17,695	10%
Motor Trucks	45 700	25%
Furniture	25,170	10%

The Company installed additional machinery on June 30 1963, at a cost of Rs 4 45 970

One godown (whose W D V on 1 1 1964 was Rs 1 15 600) was completely destroyed by fire on May 1, 1964, and Rs 1,00,000 was received from the insurance company in respect thereof

Solution

Development Rebate

20% on Rs 4 45 970 being cost of new machinery installed after 31st March 1961	Rs 89,194
--	--------------

Depreciation Allowance

Building Normal Depreciation @ 5% on Rs 15,47 380	Rs 77,369
Godowns in existence on 31 12 1964 Normal Depreciation @ 5% on Rs 1,00 140 (Rs 2,15,740—Rs 1,15,600)	5,007
Godowns destroyed Terminal Depreciation (Rs 1,15 600—Rs 1 00 000)	15 600
Machinery Normal Depreciation @ 10% on Rs 33 17 695	3,31 769
Normal Depreciation @ 10% on Rs 4 45 970 for one year (used for more than 180 days)	44 597
Motor Trucks Normal Depreciation @ 25% on Rs 45 700	11,425
Furniture Normal Depreciation @ 10% on Rs 25,170	2,517

Total Depreciation Allowable Rs 4 88 284

Assessment Year 1965 66

Depreciation

Normal Depreciation @ 7% on Rs 36,733 (written down value)	Rs 2,571
Extra shift Allowance being 50% of two third (200/300) of Rs 2 571	857
	Rs 3,428

Note As the machinery has been used for more than 180 days in 1963, according to Rule 5 of Income Tax Rules, 1962 depreciation will be allowed for full year

Illustration 2

Calculate the amount of depreciation allowance for the assessment year 1965 66 from the following particulars of a merchant whose accounting year ends on 31 March each year

- (i) Completed the construction of a new building for his business on 1st January, 1962 at a cost of Rs 10 000
- (ii) The depreciation for the assessment year 1964 65 was unabsorbed to the extent of Rs 200
- (iii) The prescribed rate of depreciation is 5%

Solution

Assessment Year	Rs
1962 63 Normal depreciation @ 5% on Rs 10,000 for 6 months	250
1963 64 Normal depreciation @ 5% on Rs 9,750 being W D V	487 50
1964 65 Normal depreciation @ 5% on Rs 9 262 50 being W D V	463 12
Less Unabsorbed Depreciation carried forward	200 00
	263 12
	Rs 1 000 62
1965 66 Normal depreciation @ 5% on Rs 8,799 being W D V	410
Unabsorbed Depreciation brought forward from 1964 65	200
	Rs 610

Note The figure of Rs 8,799 has been arrived at by deducting the total depreciation actually allowed to him from the actual cost of the building to the assessee i.e., Rs 10 000 less Rs (1 000 62 + 200) = Rs 8 799 38 or Rs 8 799 Under Section 43, sub section 6 explanation 3

unabsorbed depreciation is deemed to be depreciation "actually allowed" hence unabsorbed depreciation of Rs 200 has been treated as depreciation 'actually allowed' and deducted from the actual cost in order to arrive at the written down value for the assessment year 1965-66

Illustration 3

Work out the amount of development rebate and depreciation allowable for the assessment year 1965-66 from the following particulars of assets of a cotton mill company whose accounting year ends on 31st December

Assets	W D V on 1.1.1964 Rs	Depreciation Rate
Buildings	15,47,380	5%
Godowns	2,15,740	5%
Machinery	33,17,695	10%
Motor Trucks	45,700	25%
Furniture	25,170	10%

The Company installed additional machinery on June 30 1963, at a cost of Rs 4,45,970

One godown (whose W D V on 1.1.1964 was Rs 1,15,600) was completely destroyed by fire on May 1 1964, and Rs 1,00,000 was received from the insurance company in respect thereof

Solution

Development Rebate

20% on Rs 1,15,970 being cost of new machinery installed after 31st March, 1961	Rs 89,194
---	--------------

Depreciation Allowance

Building Normal Depreciation @ 5% on Rs 15,17,380	Rs 77,369
Godowns in existence on 31.12.1964	
Normal Depreciation @ 5% on Rs 1,00,140 (Rs 2,15,740 - Rs 1,15,600)	5,007
Godowns destroyed Terminal Depreciation (Rs 1,15,600 - Rs 1,00,000)	15,600
Machinery Normal Depreciation @ 10% on Rs 33,17,695	3,31,769
Normal Depreciation @ 10% on Rs 4,45,970 for one year (used for more than 180 days)	44,597
Motor Trucks Normal Depreciation @ 25% on Rs 45,700	11,425
Furniture Normal Depreciation @ 10% on Rs 25,170	2,517

Total Depreciation Allowable Rs 1,88,284

Illustration 1

Machinery cost Rs 2,00,000 Its written down value is Rs 80,000 It is insured and is destroyed leaving a scrap value of Rs 20,000 What would be the position as regards terminal depreciation or balancing charge, if the insurance moneys received were Rs 10,000, Rs 60,000, Rs 1,20,000, Rs 1,80,000 and Rs 2,20,000 ?

Solution

After adding the scrap value to the amount of insurance money received the position as regards terminal depreciation or balancing charge would be as follows

(i) When insurance money received is Rs 10,000 there is a terminal depreciation of $\{Rs\ 80,000 - (Rs\ 10,000 + 20,000)\} = Rs\ 20,000$

(ii) When insurance money received is Rs 60,000, there is neither any terminal depreciation nor any balancing charge,

(iii) When insurance money received is Rs 1,20,000 there is no terminal depreciation, but there is a balancing charge of Rs 60,000

(iv) When insurance money received is Rs 1,80,000 there is no terminal depreciation but there is a balancing charge of Rs 1,20,000

(v) When insurance money received is Rs 2,20,000, there is no terminal depreciation, but there is a balancing charge of Rs 1,20,000 and a capital gain of Rs 40,000 The figures have been arrived at as under

$$\begin{aligned} \text{Total Profit} &= \{(Rs\ 2,20,000 + 20,000) - Rs\ 80,000\} \\ &= Rs\ 2,10,000 - 80,000 = Rs\ 1,60,000 \end{aligned}$$

Out of this profit of Rs 1,60,000 Rs 1,20,000 is a balancing charge being upto the actual cost of the asset and the excess of Rs 40,000 over the actual cost is a Capital Gain

Illustration 5

Machinery cost Rs 2,00,000 Its written down value is Rs 80,000 What would be the position as regards terminal depreciation or balancing charge, if it were sold for Rs 60,000, Rs 80,000, Rs 1,40,000, Rs 2,00,000 or Rs 2,40,000 ?

Solution

(i) When sold for Rs 60,000, there is a terminal depreciation of Rs 20,000

(ii) When sold for Rs 80,000 there is neither any terminal depreciation nor any balancing charge

(iii) When sold for Rs 1,40,000 there is no terminal depreciation, but there is a balancing charge of Rs 60,000

(iv) When sold for Rs 2,00,000, there is no terminal depreciation but there is a balancing charge of Rs 1,20,000

(v) When sold for Rs 2,40,000 there is no terminal depreciation but there is a balancing charge of Rs 1,20,000 and a Capital Gain of Rs 10,000. These figures have been arrived at as under

Total Profit = Rs (2,40,000 - 80,000) = Rs 1,60,000

Out of this profit of Rs 1,60,000 Rs 1,20,000 is a balancing charge, being upto the actual cost of the asset and the excess of Rs 40,000 over the actual cost is a Capital Gain

Illustration 6

The cost of machinery owned by a firm whose accounting year ends on 31st March, was Rs 1,00,000. It was discarded in October 1963 its scrap value being then estimated at Rs 20,000. The depreciation actually allowed on this machinery upto and including the assessment year 1963-64 was Rs 54,000. The discarded machinery was actually sold in June 1964 for Rs 16,000.

What is the amount of terminal depreciation in respect of this machinery and what would be the position if the discarded machinery were sold for Rs 25,000 instead of Rs 16,000?

Solution

In the Assessment Year 1964-65 the amount of terminal depreciation would be Rs 26,000 on the basis of the scrap value of Rs 20,000.

In the Assessment Year 1965-66 a further terminal depreciation of Rs 4,000 will be allowed on the basis of the sale price of Rs 16,000.

If the discarded machinery is sold for Rs 25,000 there will be a taxable profit of Rs 5,000 for the Assessment Year 1965-66 because on the basis of the scrap value of Rs 20,000 a terminal depreciation of Rs 26,000 was allowed in the Assessment Year 1964-65.

QUESTIONS

1. Write short notes on the following
 - (a) Written down value
 - (b) Unabsorbed Depreciation
 - (c) Extra shift Allowance
 - (d) Initial Depreciation
 - (e) Balancing Charge
 - (f) Development Rebate
 - (g) Terminal Depreciation

निम्नलिखित पर मक्षिप्त टिप्पणिया निखिए

- (अ) अपत्रिगित मूल्य,
- (आ) अशोधित ह्रास,
- (इ) अतिरिक्त पारी की छूट,
- (ई) प्रारम्भिक ह्रास,
- (उ) सतुलित चाज,
- (ऊ) विकास सम्बन्धी छूट,
- (ए) अतिम ह्रास ।

- 2 What do you understand by the 'Actual Cost' of an asset to the assessee ? Discuss the law relating to it fully

कर-दाता के लिए किसी सम्पत्ति की 'वास्तविक लागत' से आप क्या समझते हैं ? इस सम्बन्ध में विधान का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए ।

- 3 Describe the conditions which have to be fulfilled in connection with the grant of Development Rebate What are the rules regarding its carry forward

विकास सम्बन्धी छूट स्वीकार करने के सम्बन्ध में जो शर्तें पूरी करनी होती हैं, उनका वर्णन कीजिए । इस जाने ने जाने के क्या नियम हैं ?

(५) पूँजी लाभ (5) CAPITAL GAINS

धारा ४५ (१) के अंतर्गत गत वर्ष में किसी पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण से होने वाला लाभ 'पूँजी लाभ' के शीपक में कर योग्य होता है।

बोनस अंश (Bonus Shares)

धारा ४५ (२) के अंतर्गत, साधारण अंशधारी को यदि कोई कम्पनी बोनस अंश आवंटित (allot) करती है (वर्षों कि ये अंश पूर्णतया Share Premium Account में से न दिये गये हों) तो उसे इन अंशों के उचित बाजार मूल्य पर 'पूँजी लाभ' के शीपक में कर देना होगा। यह उचित बाजार मूल्य आवंटन की तिथि से ३० दिन बाद के दिन का होगा और यह रकम उस गत वर्ष की आय मानी जायेगी जिस गत वर्ष में यह ३० दिन बाद की तिथि पड़ती है।

अपवाद—यह आयोजन उन कर दाताओं पर लागू नहीं होगा जो अंशों के क्रय विक्रय का कार्य करते हैं अथवा जबकि ये अंश १ अप्रैल, १९६४ से पूर्व आवंटित (allot) कर दिये गये हों।

स्पष्टीकरण—बोनस अंशों का पूँजी लाभ दीर्घकालीन पूँजी लाभ माना जायेगा।

धारा ४५ (३) के अंतर्गत, यदि ये बोनस अंश उपयुक्त वर्णित ३० दिन की अवधि के अंदर हस्तांतरण कर दिये जायें तो इस हस्तांतरण से होने वाला लाभ कर योग्य नहीं होगा।

पूँजी सम्पत्ति (Capital Asset)

धारा २ (१४) के अनुसार पूँजी सम्पत्ति से आशय किसी कर-दाता की किसी भी प्रकार की सम्पत्ति से है जो चाहे उसके व्यापार अथवा पेशे से सम्बंधित हो अथवा नहीं, परंतु इसमें निम्न शामिल नहीं हैं

(1) उसके व्यापार अथवा पेशे के लिए रखा हुआ कोई व्यापारिक माल का रहतिया उपभोग्य सामान अथवा बच्चा माल,

(ii) व्यक्तिगत सम्पत्ति, अर्थात् चल सम्पत्ति जो कर दाता अथवा उस पर

आश्रित उसके परिवार के किसी सदस्य के व्यक्तिगत प्रयोग के लिए रखा हुआ हो। इसमें पहनने के कपड़े, जेवर तथा फर्नीचर शामिल हैं,

(iii) भारत में कृषि भूमि, तथा

(iv) ६३% गोल्ड बॉण्ड्स, १९७७ (नये ७% गोल्ड बॉण्ड्स सहित)।
पूजी सम्पत्तियाँ निम्न दो भागों में बाँटी गयी हैं

(१) अल्पकालीन पूजी सम्पत्ति (Short term Capital Asset)

(२) दीर्घकालीन पूजी सम्पत्ति (Long term Capital Asset)

अल्पकालीन पूजी सम्पत्ति—उस सम्पत्ति को कहते हैं जो कर-दाता के पास हस्तांतरण की तिथि से ठीक पूर्व १२ महीने से अधिक से न हो। अल्पकालीन पूजी सम्पत्ति के हस्तांतरण से होने वाला लाभ अल्पकालीन पूजी लाभ होता है।

दीर्घकालीन पूजी सम्पत्ति (अथवा पूजी सम्पत्ति)—वह पूजी सम्पत्ति जो कर-दाता के पास हस्तांतरण की तिथि से ठीक पूर्व १२ महीने से अधिक से हो दीर्घकालीन पूजी सम्पत्ति अथवा अथवा पूजी सम्पत्ति कहलाती है। दीर्घकालीन पूजी सम्पत्ति के हस्तांतरण में होने वाला लाभ, दीर्घकालीन पूजी लाभ अथवा अथवा पूजी लाभ होता है।

हस्तांतरण (Transfer)

धारा २ (४७) के अनुसार पूजी सम्पत्ति के सम्बन्ध में 'हस्तांतरण' में सम्पत्ति की बिक्री विनिमय, उमकी छोड़ देना अथवा उसके अंतर्गत अधिकारों का समाप्त हो जाना अथवा किसी कानून के अंतर्गत अनिवाय रूप से उसे ले लेना सम्मिलित है।

ऐसे व्यवहार जिन्हें हस्तांतरण नहीं माना जाता है (Transactions not regarded as transfer)—धारा ४७ के अंतर्गत, निम्न व्यवहारों को पूजी लाभ के सम्बन्ध में हस्तांतरण नहीं माना जाता है अर्थात् इनसे उत्पन्न हुआ पूजी लाभ पूर्णतया कर-मुक्त है

(१) एक हिन्दू अविभाजित परिवार के पूर्ण अथवा आंशिक विभाजन पर पूजी सम्पत्तियों का वितरण

(२) फ़र्म, व्यक्तियों का समूह अथवा अन्य जड़ संरचना के विघटन (dissolution) पर पूजी सम्पत्तियों का वितरण,

(३) एक भेंट (gift), वसीयत (will) अथवा अखण्डनीय ट्रस्ट के अंतर्गत किसी पूजी सम्पत्ति का हस्तांतरण,

(४) एक कम्पनी द्वारा अपनी सहायक कम्पनी को हस्तांतरित पूजी सम्पत्ति यदि उस कम्पनी के पास सहायक कम्पनी की सम्पूर्ण अंश-पूजी है तथा वह सहायक कम्पनी एक भारतीय कम्पनी है।

(५) एक सहायक कम्पनी द्वारा अपनी सूत्रधारी कम्पनी को हस्तांतरित पूंजी सम्पत्ति यदि सहायक कम्पनी की सम्पूर्ण अथवा पूंजी सूत्रधारी कम्पनी के पास है तथा सूत्रधारी कम्पनी एक भारतीय कम्पनी है।

पूजी लाभ की गणना की विधि (Mode of Computation of Capital Gains)—धारा ४८ के अंतर्गत 'पूजी लाभ' के शीषक में कर योग्य आय निकालने के लिए पूंजी सम्पत्ति के हस्तांतरण के फलस्वरूप प्राप्त अथवा प्राप्त (received or receivable) प्रतिकूल के सम्पूर्ण मूल्य में से निम्न रकम घटायी जाती है

(i) वह व्यय जो पूर्णतया हस्तांतरण के सम्बन्ध में किये गये हैं,

(ii) पूंजी सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत तथा उसमें किये गये सुधार की लागत।

दीर्घकालीन पूंजी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में ५,००० तक का पूंजी लाभ पूर्णतया कर मुक्त होता है और यदि ऐसा पूंजी लाभ ५,००० रु० से अधिक है तो कर योग्य पूंजी लाभ निकालने के लिए ५,००० रु० घटा दिये जायेंगे।

प्राप्त करने की लागत (Cost of Acquisition)

भिन्न भिन्न परिस्थितियों में पूंजी सम्पत्ति की प्राप्ति करने की लागत निम्न प्रकार निकाली जाती है

(१) धारा ४६ के अंतर्गत एक कर दाता को निम्न परिस्थितियों में प्राप्त पूंजी सम्पत्ति की लागत वह होगी जिस लागत पर उक्त सम्पत्ति के पूर्व स्वामी ने उसे प्राप्त किया था तथा उसमें पूर्व स्वामी द्वारा अथवा कर दाता द्वारा किया हुआ वह व्यय जोड़ दिया जायेगा जिससे उस सम्पत्ति में कोई सुधार हुआ हो

(अ) एक हिन्दू अविभाजित परिवार के पूर्ण अथवा आंशिक विभाजन पर हुआ पूंजी सम्पत्तियों का वितरण, अथवा

(आ) भेंट (gift) अथवा वसीयत (will) के अंतर्गत, अथवा

(इ) उत्तराधिकार आदि पर (By Succession inheritance or devolution), अथवा

(ई) एक फर्म, व्यक्तियों के समूह अथवा अन्य जन मण्डल के विघटन पर पूंजी सम्पत्तियों का वितरण, अथवा

(उ) एक कम्पनी के समापन पर हुआ सम्पत्तियों का वितरण, अथवा

(ऊ) एक खण्डनीय अथवा अखण्डनीय ट्रस्ट को हस्तांतरण के अंतर्गत, अथवा

(ए) एक कम्पनी द्वारा अपने पूर्ण स्वामित्व में भारतीय सहायक कम्पनी को हस्तांतरण पर, अथवा

(ग) एक सहायक कम्पनी द्वारा अपनी भारतीय सूत्रधारी कम्पनी को हस्तांतरण यशस्वी कि सहायक कम्पनी की सम्पूर्ण अश-पूजी सूत्रधारी कम्पनी के पास है।

यदि पिछले स्वामी की सम्पत्ति प्राप्त करने की लागत पता न लग सके तो जिस दिन पिछले स्वामी ने यह सम्पत्ति प्राप्त की थी उस दिन का बाजार मूल्य उसकी प्राप्त करन की लागत माना जायेगा।

(२) धारा ५५ (२) के अन्तर्गत, यदि कोई सम्पत्ति कर दाता न या पिछले स्वामी ने १ जनवरी १९५४ से पूर्व प्राप्त की हो तो उस सम्पत्ति का प्राप्त करने का मूल्य उसकी इच्छानुसार निम्न में से कोई भी माना जा सकता है

(१) उसकी अथवा पिछले स्वामी की वास्तविक प्राप्त करने की लागत, अथवा

(ii) १ जनवरी, १९५४ का बाजार मूल्य।

(३) धारा ४५ (२) के अन्तर्गत कर योग्य बोनस अश यदि उस धारा में वर्णित ३० दिन के बाद किसी को हस्तांतर कर दिये जायें तो अशो का प्राप्त करने का मूल्य उपर्युक्त वर्णित ३० दिन के बाद आने वाले दिन का उचित बाजार मूल्य माना जायेगा।

(४) ह्याम होन वाली सम्पत्तियों के सम्बन्ध में यदि कोई ह्याम स्वीकार हुआ हो तो उसे प्राप्त करने की लागत, उसके अपलिखित मूल्य में से अन्तिम ह्यास (terminal depreciation) घटाकर अथवा सन्तुलित चाज जोड़कर मानी जायेगी।

(५) १ जनवरी, १९५४ से पूर्व प्राप्त की गयी सम्पत्ति की प्राप्त करन की लागत यदि कर दाता ने १ जनवरी १९५४ का बाजार मूल्य माना है तो १ जनवरी, १९५४ के बाजार मूल्य में से उस सम्पत्ति पर उक्त तारीख के बाद स्वीकार हुए ह्यास की रकम (अन्तिम ह्यास सहित) घटाकर तथा सन्तुलित चाज की रकम जोड़कर जो रकम आयेगी वही उस सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत मानी जायेगी।

(६) धारा ५१ के अन्तर्गत, यदि पहले किसी समय पूजी सम्पत्ति के हस्ता-नरण के सम्बन्ध में बातचीत हो रही थी और कर दाता ने कोई पेशगी रकम प्राप्त कर ली थी जो उसी के पास रह गयी है तो पूजी सम्पत्ति के प्राप्त करने की लागत की गणना करने के लिए इस पेशगी प्राप्त रकम को उस सम्पत्ति की प्राप्ति की लागत अथवा अपलिखित मूल्य अथवा उचित बाजार मूल्य, जैसी भी परिस्थिति हो, में से घटा दिया जायेगा।

Illustration 1

A manufacturer whose accounting year ends on 31st March sold some machinery for Rs 75,000 on 1st Feb, 1965, which had cost him Rs 50,000 and in respect of which Rs 20,000 had been allowed as depreciation. Calculate his Capital Gain for the assessment year 1965-66.

Solution

In this case the cost of acquisition for the purpose of finding out the capital gain would be the written down value of Rs 30,000 plus Rs 20,000 the amount of balancing charge i.e. = Rs 50,000. Here the capital gain would be Rs 75,000 - Rs 50,000 = Rs 25,000. Out of the taxable capital gain would be Rs (25,000 - 5,000) = Rs 20,000.

Illustration 2

A manufacturer whose accounting year ends on 31st March, sold some machinery for Rs 75,000 on 1st Feb, 1965 which had been purchased in 1952 for Rs 50,000, its fair market value on 1st January, 1954 being Rs 60,000. Depreciation allowed in respect of this machinery after 1st January 1954 amounted to Rs 25,000. Work out his capital gain for the assessment year 1965-66.

Solution

In this case if the assessee exercises the option of adopting the fair market value on 1st January 1954 as his cost the cost of acquisition and the capital gain would be determined as given below.

	Rs
Fair Market value on 1.1.1954	60,000
Less Depreciation allowed	25,000
	35,000
Add Amount taxed as Balancing Charge	25,000
	60,000
Cost of Acquisition	60,000
Capital Gain	15,000
	75,000
Sale Price	Rs 75,000

Here the taxable capital gain would be Rs 10,000 after deduction of the exempted capital gain of Rs 5,000.

If the assessee would have not exercised this option the capital gain, on the basis of his actual cost of Rs 50,000, would have been Rs 25,000 and the taxable capital gain would have been Rs 20,000.

कम मूल्य पर हस्तांतरण होने की दशा में प्रतिफल (Consideration for transfer in cases of understatement)—धारा ५२ के अंतर्गत, यदि किसी सम्पत्ति का हस्तांतरण किसी ऐसे व्यक्ति को किया गया हो जो कर दाता से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सम्बंधित हो और आय कर अधिकारी का यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण हो कि सम्पत्ति का हस्तांतरण पूजा लाभ पर कर बचाने के उद्देश्य से कम मूल्य पर किया गया है तो इस हस्तांतरण के प्रतिफल का कुल मूल्य हस्तांतरण की तारीख पर पूजा सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य माना जायेगा, परंतु इस सम्बंध में आय कर अधिकारी को इन्फॉर्मेटिव असिस्टेंट कमिश्नर से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

कर-मुक्त पूजा लाभ (Capital Gains Exempt from Tax)

निम्न प्रकार के पूजा लाभ पूर्णतया कर मुक्त हैं तथा कर दाता की कुल आय में शामिल नहीं किये जायेंगे

(१) धारा ५३ के अनुसार (मकान सम्पत्ति के शीपक में कर योग्य) मकान सम्पत्ति तथा उससे लगी हुई भूमि के हस्तांतरण से होने वाला पूजा लाभ, बशर्ते कि हस्तांतरण से प्राप्त कुल प्रतिफल २५,००० रुपये में अधिक न हो तथा उक्त हस्तांतरण से ठीक पूर्व कर दाता के पास कुल मकान-सम्पत्तियों का उचित बाजार मूल्य ५०,००० रु० से अधिक न हो।

(२) धारा ५४ के अंतर्गत, यदि कोई कर दाता अपनी किसी ऐसी मकान सम्पत्ति का हस्तांतरण कर देता है (और उसे पूजा लाभ होता है) जिसमें हस्तांतरण की तिथि से २ वर्ष पूर्व की अवधि में कर दाता अथवा उसके माता पिता रहते हो तथा कर दाता ने उक्त हस्तांतरण की तिथि से १ वर्ष पूर्व या १ वर्ष बाद के अंदर अपने रहने के लिए एक नया मकान खरी लिया है अथवा उस तिथि के बाद २ वर्ष के अंदर अपने रहने के लिए एक नया मकान बनवा लिया है तो नये मकान की लागत तक का पूजा लाभ कर मुक्त होगा, परंतु यदि यह नया मकान प्राप्त करने के बाद तीन वर्ष के अंदर हस्तांतरण कर दिया जाये तो नये मकान पर होने वाले पूजा लाभ में पुराने मकान का कर मुक्त पूजा लाभ जोड़कर उस गत वर्ष का कर योग्य पूजा लाभ माना जायेगा जिस गत वर्ष में नये मकान का हस्तांतरण हुआ है। यदि नये मकान के हस्तांतरण पर पूजा लाभ के स्थान में पूजा लाभ होता तो उसे पुराने मकान के कर मुक्त पूजा लाभ में से घटाकर जो शेष बचेगा वह उक्त गत वर्ष का कर योग्य पूजा लाभ होगा जिस गत वर्ष में नये मकान का हस्तांतरण हुआ हो।

(३) एक मूलधारणी कम्पनी द्वारा अपनी भारतीय सहायक कम्पनी को पूजा सम्पत्ति हस्तांतरण करने से हानि वाला पूजा लाभ पूर्णतया कर मुक्त

हागा बर्तने कि सहायक कम्पनी की सम्पूण अश पूजी सूत्रधारी कम्पनी के पास हा ।

(४) एक सहायक कम्पनी द्वारा अपनी भारतीय सूत्रधारी कम्पनी का पूजी सम्पत्ति हस्तान्तर करने से हानि वाला पूजी लाभ पूणतया कर मुक्त होग, बर्तने कि सहायक कम्पनी की सम्पूण अश पूजी सूत्रधारी कम्पनी के पास हा । कुछ दशाओं मे पूंजी लाभ पर कर को छूट

जब किसी ऐसे करदाता के पास, जो यदि व्यक्ति है तो वह भारत का नागरिक नहीं है अथवा यदि कम्पनी है तो वह भारतीय कम्पनी नहीं है, किसी भारतीय कम्पनी के अश हो और उसे उनके हस्तांतरण से कोई पूजी लाभ हा तो यदि वह उन अशा का पूण अथवा आशिक प्रतिफल हस्तान्तरण की तिथि से २ वष के अंदर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध म अनुमोदित विनियोग म पुन विनियोग कर दता है तो कर-दाता निम्न छूट का अधिकारी होगा

छूट की रकम उक्त पूजी लाभ पर देय आय-कर का वही अनुपात होगी जो उन अशा का प्राप्त करने की लागत से अधिक पुन विनियोग की गयी रकम का ऐस हस्तान्तरण से हानि वाले पूजी लाभ से है । यह छूट की रकम कर दाता द्वारा देय आय कर मे से घटा दी जायेगी ।

Illustration 3

In the following cases, work out the amount of capital gain chargeable to tax, assuming that the house in question has been used by Mr A for his own residence for over two years and that his accounting year ends on 31st March

(a) On 1 6 1963, Mr A sold his house costing Rs 2,00,000 for Rs 3,00,000, but on 1 7 1962 he had purchased another house for his residence for Rs 1,50,000. Assume that the house purchased on 1 7 1962 is sold on 15 4 1964 for Rs 1,80,000

(b) On 1 6 1963, Mr A sold his house costing Rs 2,00,000 for Rs 4,00,000 and he builds a house for his residence on 1 1 1965 at a cost of Rs 1,50,000. Assume that the new house is sold for Rs 1,80,000 on 1 7 1967

(c) On 1 6 1963 Mr A sold his house costing Rs 2,00,000 for Rs 3,00,000 and on 1 1-1964 purchased another house for his residence for Rs 80,000. Assume that the house purchased on 1 1 1964 is sold on 1 2-1967 for Rs 1,00,000

(d) On 1 6 1963, Mr A sold his house costing Rs 2,00,000 for Rs 4,00,000 and he builds a house for his residence on

1 2 1965 at a cost of Rs 2,40,000 Assume that the new house is sold for Rs 2,20,000 on 1 6 1967

Solution

(a) There is no chargeable capital gain for the assessment year 1964 65, but for the assessment year 1965 66 there will be a chargeable capital gain of Rs 1,30,000 (i.e., Rs 1 00 000 old exempted capital gain plus Rs 30 000 new capital gain) as the new house is sold within 3 years of its purchase

(b) The capital gain is Rs 2 00 000 but the cost of building the new house is only Rs 1,50 000 Therefore Rs 50,000 of this capital gain is chargeable to tax in the assessment year 1964 65 and Rs 1 80,000 (Rs 1,50 000 old exempted capital gain plus Rs 30,000 new capital gain) will be the capital gain chargeable in the assessment year 1968 69 as the new house is sold within 3 years of its construction

(c) The capital gain is Rs 1 00 000 but another house is purchased for only Rs 80 000 Therefore Rs 20,000 of this capital gain is chargeable to tax in the assessment year 1964 65 The capital gain chargeable in the assessment year 1967 68 will be Rs 20 000 being the capital gain on the sale of the new house As the new house is sold more than three years after its purchase the old exempted capital gain will not be brought to tax

(d) There is no chargeable capital gain for the assessment year 1964 65 as the capital is less than the cost of the new house For the assessment year 1968 69 there will be a chargeable capital gain of Rs 1 80 000 (Rs 2 00 000 old exempted capital gain minus Rs 20 000 capital loss on the new house)

Note In all the above cases it is a long term capital gain hence the taxable capital gain will be arrived at after deduction of Rs 5 000 in each case

पूँजी लाभों पर कर की गणना (Computation of Tax on Capital Gains)

पूँजी लाभों पर कर लगान के लिए कर दाताओं को निम्न दो मामलों में वाट दिया गया है

(१) कम्पनियाँ और (२) आय कर-दाता ।

पूँजी लाभों पर कर की व्यवस्था निम्न तालिका से भली प्रकार समझायी जा सकती है

(गैर कम्पनी कर दाताओं के लिए)

आधार	अल्पकालीन पूजी सम्पत्तियों के लाभों पर	दीर्घकालीन अथवा अय पूजी सम्पत्तियों के लाभों पर
१ कर की दर	दीर्घकालीन पूजी लाभों को छोड़कर, शेष अ य आय व अल्पकालीन पूजी लाभों के जोड़ पर लागू हाने वाली आय-कर की औसत दर स ।	<p>(१) ऐसे दीर्घकालीन पूजी लाभों पर जो भूमि व भवन से सम्बन्धित हो आय कर की औसत दर की $\frac{3}{4}$ दर लागू होगी तथा</p> <p>(२) अ य किसी दशम आय-कर की औसत दर की आधी दर लागू होगी ।</p> <p>यह औसत दर कुल आम में से दीर्घकालीन पूजी लाभ घटाकर बची हुई आय पर लागू हाने वाली दर होगी ।</p> <p>यदि उपयुक्त प्रकार स निकाला हुआ कुल कर उक्त पूजी लाभ के १५% स कम हा तो यह कर उक्त पूजी लाभ के १५% के बराबर देय होगा ।</p>
२ करसे छूट	कुछ नहीं ।	<p>बोनस अशों के सम्बन्ध में पूजी लाभ अशों के अंकित मूल्य (face value) के १२$\frac{1}{2}$% अथवा उक्त पूजी लाभ पर देय आय कर दोनों में जा कम हा, स कम कर दिया जायेगा ।</p>
३ मुक्त राशि	कुछ नहीं ।	<p>(१) यदि किसी कर दाता की कुल आय १०,००० रु० से अधिक न हो ता उसके दीर्घ कालीन पूजी लाभ पर कर नहीं लगेगा ।</p> <p>(२) यदि किसी कर-दाता की दीर्घकालीन पूजी लाभ की राशि ५,००० रु० स अधिक न हो तो उस पर कर नहीं लगगा तथा यदि पूजी लाभ की रकम ५,००० रु० से अधिक हो तो कर योग्य पूजी लाभ निकालने के लिए कुल पूजी लाभ स ५,००० रु० घटा दिया जायेगा ।</p>

किसी कर-दाता (जो कम्पनी न हो) की आय मदी की आय पर आय कर केवल उसी आय पर लागू दर से लगाया जाता है। यदि उसकी कुल आय में अल्पकालीन अथवा दीघकालीन पूँजी लाभ सम्मिलित है तो भी आय पर कर लगाने के लिए इन्हें शामिल नहीं किया जाता है। सक्षेप में, यदि किसी कर-दाता की कुल आय में पूँजी लाभ भी शामिल हो तो उसकी कुल आय पर देय कर निम्न राशियाँ का जोड़ होगा

- (i) अ य आय पर आय-कर,
- (ii) अल्पकालीन पूँजी लाभों पर आय कर, तथा
- (iii) दीघकालीन अथवा अ-य पूँजी लाभों पर आय कर।

कम्पनियाँ—यदि एक कम्पनी की कुल आय में पूँजी लाभ भी शामिल है (चाह अल्पकालीन अथवा दीघकालीन) तो उस कम्पनी द्वारा देय कर निम्न का योग होगा

- (i) बोनस अशा के सम्बन्ध में कर योग्य पूँजी लाभ के १२½ प्रतिशत में से बोनस अशा के अंकित मूल्य (face value) का १२½ प्रतिशत घटाकर बची हुई रकम, पर तु यह घटन वाली रकम किसी भी दशा में उपयुक्त आय कर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (ii) कुल आय में शामिल दीघकालीन पूँजी लाभों पर निम्न दर से निकाला हुआ आय कर
 - (क) भूमि अथवा भवन से सम्बन्धित पूँजी लाभ पर ४० प्रतिशत की दर से, तथा
 - (ख) बोनस अशा के पूँजी लाभ का छाड़कर शेष अ-य दीघकालीन पूँजी लाभ पर ३० प्रतिशत की दर से, तथा

- (iii) कुल आय में से बोनस अशा के पूँजी लाभ तथा अ-य दीघकालीन पूँजी लाभ घटाकर बची हुई रकम पर देय आय कर की राशि।

पूँजी हानियों की पूर्ति तथा उन्हें आगे ले जाना (Set off and Carry Forward of Capital Losses)

इसका वर्णन अध्याय १२ में किया गया है।

Illustration 4

Explain how the tax payable by an individual for the assessment year 1965-66 will be determined in the following cases

(i) Business Income Rs 5,000 and Short term Capital Gains Rs 7,000

(ii) Business Income Rs 5,000 and Capital Gains on the sale of other Capital Assets Rs 5,000

(iii) Business Income Rs 5,000 and Capital Gains from sale of house purchased two years ago Rs 15,000

(iv) Business Income Rs 5,000 Capital Gains re Short-term Capital Assets Rs 7,000 and Capital Gains re Other than Short term Capital Assets not arising from the transfer of land and buildings Rs 13,000

(v) Business Income Rs 5,000 Short term Capital Gains Rs 5,000, and Long term Capital Gains not arising from the transfer of land and buildings Rs 7,000

(vi) Business Income Rs 5,000 Short term Capital Gains Rs 7,000, and Long term Capital Gains not arising from the transfer of land and buildings Rs 5,000

(vii) Business Income Rs 4,000 and Short term Capital Gains Rs 6,000

(Adapted from July, 1962 and May, 1964 Issues of 'Taxation')

Solution

(i) He shall have to pay income tax on Rs 5,000 at the rate of income tax applicable to a total income of Rs 5,000. He shall have to pay income tax on Capital Gains (Short term as they are) amounting to Rs 7,000 at the average rate applicable to an income of Rs 12,000 (Rs 5,000 of business income and Rs 7,000 of capital gains).

(ii) Income tax on Rs 5,000 (business income) will be payable at the rate applicable to total income of Rs 5,000. There will be no income tax on Capital Gains as (1) the total income does not exceed Rs 10,000 and (2) the amount of Capital Gains does not exceed Rs 5,000.

(iii) Income tax would be charged on the business income of Rs 5,000 at the rate applicable to a total income of Rs 5,000. Tax on Capital Gains of Rs 10,000 (Rs 15,000 minus Rs 5,000) shall be charged at 15% or at three fourth of the average rate applicable to a total income of Rs 5,000, whichever is higher. In this case the tax @ 15% will be higher.

(iv) (a) Income tax shall be charged on Rs 5,000 at the rate applicable to a total income of Rs 5,000.

(b) Short term Capital Gains of Rs 7,000 will be charged to income tax at the rate applicable to a total income of Rs 12,000 (Rs 5,000 plus Rs 7,000).

(c) Long term Capital Gains of Rs 13,000 reduced by Rs 5,000 i.e. Rs 8,000 will be charged to tax at half of the average rate applicable to a total income of Rs 12,000 (Rs 5,000 business income plus Rs 7,000

Short term Capital Gains) or at 15%, whichever is higher. In this case also the assessee shall have to pay income tax on Capital Gains of Rs 8,000 at 15% as the average rate applicable to the other income (Rs 12,000) will be much less.

(v) Business income of Rs 5,000 will be taxed at the average rate applicable to a total income of Rs 5,000. Short term Capital Gains of Rs 5,000 will be taxed at the average rate applicable to a total income of Rs 10,000 (Rs 5,000 + Rs 5,000). The Capital Gains relating to Long term Capital Assets as reduced by the basic exemption of Rs 5,000 (Rs 7,000 minus Rs 5,000) i.e. Rs 2,000 will be taxed at one half of the average rate applicable to a total income of Rs 10,000 or at 15%, whichever is higher. In this case also the average rate will be less than 15% and as such tax will be payable on Rs 2,000 at 15%.

(vi) It will be noted that the total income is the same as in (v) i.e. Rs 17,000 but the tax effects will be different. Business income of Rs 5,000 will be taxed at the rate applicable to an income of Rs 5,000. Short term Capital Gains of Rs 7,000 will be taxed at the average rate applicable to an income of Rs 12,000. There will be no tax on Capital Gain relating to Long term Capital Assets as it is not more than Rs 5,000.

(vii) Rs 4,000 will be taxed at the rate applicable to Rs 4,000. Rs 6,000 Short term Capital Gains will be taxed at the average rate applicable to a total income of Rs 10,000. It will be noted that tax on Capital Gains will be payable although the total income does not exceed Rs 10,000, as the exemption allowed under proviso (u) of section 114 applies only to a case where the Capital Gain arises out of other than Short term Capital Assets.

Illustration 5

Explain how the tax payable by a limited company for the assessment year 1965-66 will be determined if the total income of the company consists of Rs 5,000 from Short term Capital Gains, Rs 8,000 from Long term Capital Gains and Rs 30,000 from business for the previous year ended 31st March 1965 assuming that the capital gains do not belong to land and buildings.

Solution

The tax payable by the Company for the Assessment Year 1965-66 will be computed as follows:

- (a) Income tax on Rs 8,000 at 30 per cent plus
- (b) Income tax on Rs 35,000 at the rate applicable to it.

QUESTIONS

- 1 What do you understand by the term Capital Gains' used in the Income Tax Act? What are the rules regarding exemption of Capital Gains?

आय-कर अधिनियम में प्रयोग किये गये 'पूजी लाभ' शब्द से आप क्या समझते हैं? पूजी लाभा की मुक्ति के सम्बन्ध में क्या नियम है?

- 2 Explain the following

- (i) Capital Assets
- (ii) Short term Capital Assets
- (iii) Cost of Acquisition of Capital Assets
- (iv) Capital Gains

निम्न का समझाइए

- (i) पूजी सम्पत्तियाँ,
- (ii) अल्पकालीन पूजी सम्पत्तियाँ
- (iii) पूजी सम्पत्तिया का प्राप्त करने की लागत, और
- (iv) पूजी लाभ ।

- 3 Explain fully the method of computing tax on Capital Gains in the case of (i) Companies (ii) Other Assesseees

कम्पनिया तथा अन्य कर दाताओं के पूजी लाभा पर कर की गणना करने की विधि विस्तार से समझाइए ।

(६) अन्य साधनों से आय

(6) INCOME FROM OTHER SOURCES

धारा ५६ (१) के अंतर्गत, वह सब प्रकार की आय जो इस अधिनियम के अंतर्गत कुल आय में शामिल की जाती है तथा जो धारा १४ में दिये हुए प्रथम पांच शीपको में नहीं आती है 'अन्य साधनों से आय' के शीपक में कर योग्य है।

धारा ५६ (२) के अंतर्गत निम्न आये विशेष रूप से "अन्य साधनों से आय" के शीपक में कर योग्य है

(i) लाभांश (Dividends),

(ii) धारा २८० D के अंतर्गत दाय वापिकी की राशि,

(iii) कर दाता द्वारा अपनी मशीन, प्लांट अथवा फर्नीचर का किराया पर उठाने से हुई वह आय जिस पर 'व्यापार अथवा पेशे' के शीपक में आय कर नहीं लग सकता है,

(iv) जब कोई कर-दाता अपनी मशीन, प्लांट अथवा फर्नीचर के साथ, भवन भी किराये पर उठाता है और उस भवन का किराया पर उठाना उक्त मशीन, प्लांट अथवा फर्नीचर के किराये पर उठाने से पृथक् नहीं किया जा सकता है तो ऐसे भवन के किराये की आय, यदि उस पर 'व्यापार अथवा पेशे' के शीपक में आय-कर नहीं लग सकता है।

उपर्युक्त चार आयों के अतिरिक्त कुछ अन्य भी ऐसी आयें हैं जिन पर अन्य साधनों से आय' के शीपक में कर लगता है उदाहरणार्थ,

(१) एक कर्मचारी द्वारा अपने मालिक के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति से प्राप्त कोई फीस अथवा कमीशन,

(२) किसी वसीयत (will) के अंतर्गत मिली हुई कोई वापिकी (annuity)। इसमें वह वापिकी शामिल नहीं होगी जो एक कर्मचारी को अपने मालिक से प्राप्त हो,

(३) प्रतिभूतियाँ पर ब्याज छाटकर अन्य सब ब्याज।

(४) किरायेदार द्वारा किराये पर ली हुई मकान-सम्पत्ति का पूरा-पूरा अथवा आंशिक रूप में पुनः किराया पर उठाने से हानि वाली आय,

- (५) किसी परीक्षा के परीक्षक द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक,
- (६) रॉयल्टी की आय (Income from Royalty),
- (७) सचालक शुल्क (Directors' fees),
- (८) किसी ऐसी भूमि का किराया जो भवन से न लगी हुई हो,
- (९) भारत के बाहर स्थित कृषि भूमि से आय
- (१०) हाट, बाज़ारों अथवा मछली क्षेत्रों से प्राप्त आय,
- (११) पट्टे पर रखी हुई सम्पत्ति से आय,
- (१२) कर दाता की कुल आय में शामिल होने वाली किसी अय व्यक्ति की आय, जैसे, यदि कर दाता और उसका जीवन साथी (spouse) किसी एक फर्म में साझीदार है तो फर्म के लाभ का जीवन-साथी का हिस्सा कर दाता की आय में 'अय साधनों से आय' के शीपक में कर योग्य है।
- (१३) पत्रिकाओं में लेख देने के प्रतिफल में मिली हुई आय,
- (१४) माग व्यय के लिए प्राप्त भत्ते का वास्तविक माग व्यय पर आधिन्य,
- (१५) विदेशी प्रतिभूतियां पर प्राप्त ब्याज, और
- (१६) किसी अस्पष्ट साधनों में प्राप्त आय (Undisclosed Source of Income)।

कटौतियाँ (Deductions)

धारा ५७ के अंतर्गत, 'अय साधनों से आय' के शीपक में कर-योग्य आय निकालने के लिए निम्न कटौतियाँ दी जाती हैं

(१) लाभांशों के सम्बन्ध में, कर दाता की ओर से लाभांश संग्रह करने के लिए किसी बैंक अथवा अय व्यक्ति को दिये गये कमीशन अथवा पारिश्रमिक की उचित राशि।

(२) ऐसी मशीन, प्लान्ट, फर्नीचर तथा उनके साथ में किराये पर दिये हुए भवन के किराये की आय जो 'अय साधनों से आय' के शीपक में कर योग्य है के सम्बन्ध में निम्न कटौतियाँ उसी प्रकार की जायेगी जिस प्रकार व्यापार अथवा पेशे के लाभ में शीपक में दी जाती है

- (i) भवन मशीन प्लान्ट अथवा फर्नीचर के सम्बन्ध में चालू मरम्मत पर व्यय,
- (ii) भवन मशीन प्लान्ट अथवा फर्नीचर के सम्बन्ध में दिया हुआ बीमा प्रीमियम, तथा
- (iii) भवन, मशीन, प्लान्ट अथवा फर्नीचर का ह्रास।

(३) अथ कोई व्यय (जो पूजा व्यय की प्रकृति वा न हो), बशर्त कि वह पूर्ण रूप से ऐसी आय बमाने के लिए व्यय किया गया हो।

न काटी जाने वाली राशियाँ (Amounts not Deductible)

धारा ५८ के अंतर्गत, 'अथ माधना से आय' के शीपब म कर योग्य आय निकालने के लिए निम्न राशियां नहीं काटी जायेंगी

(अ) किसी भी कर दाता के लिए—

(i) कर दाता के व्यक्तिगत व्यय,

(ii) भारत के बाहर दिया हुआ कोई व्याज जो इस अधिनियम के अंतर्गत कर योग्य है यदि उस पर कर न चुकाया गया हो अथवा उदगम स्थान पर न काटा गया हो और जिसके सम्बन्ध में धारा १६३ के अंतर्गत भारत में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उमका अभिकर्ता माना जा सके

(iii) भारत के बाहर किया हुआ कोई ऐसा भुगतान जो 'वेतन शीपब म कर योग्य है, यदि उम पर न कर चुकाया गया है और न उदगम स्थान पर काटा गया है।

(ब) किसी कम्पनी के लिए—

(i) कम्पनी द्वारा किया हुआ कोई ऐसा व्यय जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी संचालक अथवा ऐसे व्यक्ति को जिसका कम्पनी में पर्याप्त हिस्सा हो अथवा संचालक के या किसी ऐसे व्यक्ति के पिछले दार को कोई पारिश्रमिक, हित अथवा सुविधा मिलती है,

(ii) कम्पनी को एसी सम्पत्तियां पर कोई व्यय अथवा छूट जिन्हें उपर्युक्त (i) में वर्णित कोई व्यक्ति अपन निजी काम में प्रयोग करता है।

उपर्युक्त (i) व (ii) में दिये हुए व्यय अथवा छूटें तभी अस्वीकार की जानी हैं जबकि ये अत्यधिक या अनुचित हैं।

(iii) २६ फरवरी, १९६४ के बाद एक कर्मचारी को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में लाभ सुविधा अथवा अनुबन्ध देने के सम्बन्ध में किया गया वह व्यय जो उसके वेतन के $\frac{1}{2}$ भाग में अधिक हो। इस सम्बन्ध में 'वेतन' में आशय उस वेतन से है जिसमें महंगाई भत्ता तो शामिल हो (यदि सेवा की शर्तों में ऐसा आयाजना हो) परन्तु अन्य किसी प्रकार के भत्तों तथा अनुदान शामिल न हैं।

यह आयोजन कम्पनी के ऐसे कर्मचारियों के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा जिनकी 'वेतन' शीपब की कर योग्य आय ७५०० रु० से अधिक नहीं है।

लाभांश (Dividends)

लाभांश की परिभाषा—साधारण भाषा में लाभांश का अर्थ कम्पनी के अगधारी द्वारा प्राप्त वह रकम है जो कम्पनी ने अपने लाभों का वितरण करने के रूप में बाँटी हो। परन्तु धारा २ (२०) के अंतर्गत, लाभांश में निम्न शामिल हैं

(अ) कम्पनी द्वारा अपने एकत्रित लाभों में से अपने अगधारियों को किया हुआ कोई ऐसा वितरण जिसमें कम्पनी की सम्पत्ति घट जाय,

(आ) कम्पनी द्वारा अपने अगधारियों को रिमी नी क्षयल में बाँटे हुए ऋण पत्र अथवा जमा प्रमाण-पत्र तथा अपने पूर्वाधिकार अगधारियों का अंशों के रूप में किया हुआ बोनस कम्पनी के पास एकत्रित लाभों की सीमा तक,

(इ) कम्पनी के समापन पर किया हुआ अगधारियों को कोई ऐसा वितरण जो उसके समापन में जाने से पूर्व तब एकत्रित लाभों की सीमा में अधिक न हो,

(ई) कम्पनी द्वारा अपने एकत्रित लाभों की सीमा तक अगधारी की घटीनी पर किया हुआ कोई वितरण,

(उ) एक ऐसी कम्पनी द्वारा, जिसमें जनता का पर्याप्त हित न हो, अपने किसी ऐसे अगधारी का जिसका कम्पनी में पर्याप्त हित हो, दिया गया कोई अग्रिम अथवा ऋण कम्पनी के एकत्रित लाभों की सीमा तक।

लाभांश में निम्न शामिल नहीं होते हैं—(i) उपयुक्त (द) व (ई) के अनुसार कोई वितरण यदि उसे अगधारी के लिए किया जाय जिसका पूर्ण प्रतिफल नकल मिला हो तथा वह अगधारी कम्पनी के समापन पर सम्पत्तियों के आधिव्यय (surplus assets) में से कोई हिस्सा लेने का अधिकारी न हो,

(ii) २१ मार्च, १९६४ के बाद कम्पनी द्वारा अपने साधारण अगधारियों को अपने एकत्रित लाभों में से किया गया बोनस अंशों की राशि,

(iii) सरकार अथवा किसी सरकारी निगम द्वारा किसी कम्पनी के लिये जाने के फलस्वरूप यदि किसी कम्पनी का समापन होता है तो उस कम्पनी के लिक्विडेटर द्वारा अपने अगधारियों को किया गया कोई ऐसा वितरण 'लाभांश' के रूप में कर-योग्य नहीं होगा जो उन लाभों में से किया गया हो जो कम्पनी को इस प्रकार लिये जाने वाले वक से ठीक पूर्व ३ वक से पहले कमाये गये हों,

(iv) यदि उधार लेन-देन का काम किसी कम्पनी के व्यापार का समुचित भाग है तो उसके द्वारा अपने इस व्यापार के अंतर्गत अपने किसी अगधारी को किया हुआ कोई अग्रिम अथवा ऋण,

- (v) यदि कोई कम्पनी लाभांश के भुगतान की पूर्ति उपयुक्त (उ) में दिये हुए पहले के अग्रिम अथवा ऋण से कर दे तो लाभांश की उम सीमा तक की राशि जिसकी इस प्रकार पूर्ति की जाये।

स्पष्टीकरण—एकत्रित लाभो में वितरण की तिथि तक के सब लाभ शामिल किये जाते ह, मिवाय उन पूजी लाभा को छोड़कर जो १ अप्रैल, १९४६ से पहले, अथवा ३१ मार्च, १९४८ के बाद तथा १ अप्रैल, १९५६ से पहले कमाये गये हा।

लाभांशो पर कर लगाने के सम्बन्ध में नियम

(१) धारा ८ के अन्तर्गत, एक कर दाता की कुल आय में शामिल करने के लिए लाभांश उस गत वर्ष की आय मानी जायेगी जिस वर्ष में वह कम्पनी द्वारा घोषित, वितरित अथवा भुगतान किये गये हों।

(२) धारा ९ (१) (iv) के अनुसार, एक भारतीय कम्पनी ने यदि कोई लाभांश भारत से बाहर चुकाया हो तो वह भारत में ही उदय अथवा अर्जित हुआ माना जायेगा।

(३) अशुधारी को प्राप्त लाभांश की सम्पूर्ण रकम अशुधारी के लिए कर योग्य होती है, चाहे कम्पनी ने यह लाभांश अपने कर मुक्त लाभों में से ही क्यों न बाटा हा, जैसे एक चाय कम्पनी के लाभो को ६०% कृषि आय होती है तो इस कम्पनी द्वारा बाटा हुआ लाभांश अशुधारी के हाथो में पूर्णतया कर योग्य होगा। इस नियम के निम्न दो अपवाद हँ

(1) ऐसे नये उद्योग उद्यमो अथवा नये होटलो से मिला हुआ कोई लाभांश जो धारा ८४ (२) अथवा (३) की शर्तें पूरी करते हा तथा यह लाभांश उस लाभ में से दिया गया हो जो धारा ८४ (१) के अन्तर्गत कर मुक्त है।

(ii) यदि एक कम्पनी स्वयं किसी अथवा भारतीय कम्पनी में अशुधारी हा ता पहली कम्पनी द्वारा दूसरी कम्पनी से प्राप्त लाभांश पर कर २५ प्रतिशत से अधिक दर से नहीं लगाया जा सकता है।

(४) किसी विदेशी कम्पनी से प्राप्त किये हुए लाभांश के सम्बन्ध में उक्त विदेशी कम्पनी न यदि उदगम स्थान पर कोई कर काट लिया है और यदि काले हुए कर की रकम भारत सरकार को न दी जाय ता वह काटी हुई कर की रकम भारतीय अशुधारी की लाभांश की आय में नहीं जोड़ी जाती है।

(५) पहले कम्पनी द्वारा अपने लाभो पर दिया हुआ आय-कर अशुधारियों की ओर से दिया हुआ माना जाता था, परन्तु अब ऐसा नहीं माना जाता है, अतः लाभांशो को मकल बनाने की पद्धति अब बन्द कर दी गयी है, परन्तु अशुधारी को घोषित लाभांश में से जा आय कर उदगम स्थान पर काटा

गया हो उससे अशधारी द्वारा प्राप्त लाभांश की रकम बढ़ाकर उसकी कुल आय में शामिल की जाती है तथा कटे हुए आय कर का अशधारी का अपने कर-निर्धारण में क्रेडिट (Credit) दिया जाता है।

उदगम स्थान पर कर की कटौती (Deduction of Tax at Source)

१९६५-६६ वित्तीय वर्ष में किसी भारतीय कम्पनी अथवा ऐसी कम्पनी, जिसने भारत में लाभांश घोषित तथा भुगतान करने का निर्धारित प्रबंध कर दिया है, द्वारा कम्पनी के अतिरिक्त अन्य किसी निवासी व्यक्ति को देय लाभांश के सम्बन्ध में १८% की दर से आय कर व २% की दर से मर चाज अर्थात् कुल मिलाकर २०% उदगम स्थान पर काटना होगा।

१९६५-६६ कर निर्धारण वर्ष के लिए लाभांश की प्राप्त राशि को सकल बनाने के लिए उदगम स्थान पर कर की कटौती की दर वह लागू होगी जो वित्त अधिनियम १९६४ द्वारा निर्धारित की गयी थी परन्तु चूंकि वे दरें भी वही थीं जो वित्त अधिनियम, १९६५ द्वारा निर्धारित की गयी हैं अतः लाभांशों को २० प्रतिशत की दर से ही सकल बनाया जायेगा।

कृषि आय कर लगे हुए लाभों में से घोषित लाभांश (Dividends declared out of profits on which Agricultural Income tax has been paid) — धारा २३५ के अन्तर्गत, जब एक अशधारी को कम्पनी के उन लाभों में से लाभांश मिलता है जिन पर किसी राज्य सरकार द्वारा लगाया हुआ कृषि आय-कर दिया जा चुका है, तो अशधारी को निम्न छूट दी जाती है

(अ) अशधारी द्वारा प्राप्त लाभांश पर कम्पनी द्वारा दिया हुआ आनुपातिक कृषि आय कर, अथवा

(ब) (i) यदि अशधारी कम्पनी नहीं है तो उसके लाभांश पर देय आय कर जो २५ प्रतिशत की दर से अधिक नहीं होगा, तथा

(ii) यदि अशधारी कम्पनी है तो उसके द्वारा प्राप्त लाभांश का २५ प्रतिशत,

जो भी उपयुक्त (अ) अथवा (ब) में कम हो।

हिसाब रखने की विधियाँ (Methods of Accounting)

धारा १४२ (१) के अन्तर्गत वह आय, जो 'व्यापार अथवा पेशे के लाभ' अथवा अन्य साधनों से आय के शीपको में कर योग्य होती है, कर-दाता द्वारा निश्चित रूप से रखी हुई हिमाव पद्धति के अनुसार निकाली जाती है। इस सम्बन्ध में यह आवश्यक है कि यदि आय-कर अधिकारी की सम्मति में हिसाब पूरा तथा ठीक ठीक तो है परन्तु जो विधि अपनायी गयी है उसमें, आय कर अधिकारी की सम्मति में कर-दाता की आय ठीक प्रकार से नहीं निकाली जा

सकती है तो उसकी आय की गणना ऐसे आधार पर तथा ऐसे ढग से की जायेगी जो आय कर अधिकारी निश्चित कर दे ।

यदि आय कर अधिकारी की सम्मति मे कर दाता द्वारा रमे हुए हिसाब सही तथा पूण नही ह अथवा कर-दाता ने हिसाब की कोई भी पद्धति नियमित रूप से नही अपनायी है तो आय कर अधिकारी सर्वोत्तम निणय कर निर्धारण (Best Judgment Assessment) कर सकता है । ऐसे कर निधारण म आय कर अधिकारी प्रस्तुत तत्त्वा एव अन्य सामग्री क आधार पर उसकी आय का यथासम्भव उचित अनुमान लगायेगा और उसी पर कर लगायेगा ।

उपयुक्त विवरण मे यह स्पष्ट है कि अधिनियम द्वारा हिसाब रखन की कोई पद्धति निश्चित नही की गयी है । अत भारत मे प्रचलित निम्न तीन पद्धतियो मे से कोई सी पद्धति कर-दाता अपना लेता है

- (१) रोकड पद्धति (Cash System),
- (२) व्यापारिक पद्धति (Mercantile System),
- (३) मिश्रित पद्धति (Hybrid System) ।

(१) रोकड पद्धति (Cash System)—इस पद्धति मे केवल नकद प्राप्तिया एव भुगतानो का लेखा किया जाता है । इस पद्धति मे उधार लेन देन, अदत्त अथवा पूर्वदत्त तथा उपाजित अथवा अनुपाजित व्यवहारों का लेखा नही किया जाता है । अत यह पद्धति व्यापारिक सस्थाओ के लिए, जिनके यहां काफी उधार लेन देन होता है, बिलकुल अपयुक्त है । यह पद्धति अधिकांश डॉक्टर, वकील, आडीटर, इंजीनियर आदि अपनाते हैं क्योंकि उनके यहां अधिकतर नकद व्यवहार होते हैं ।

(२) व्यापारिक पद्धति (Mercantile System)—इस पद्धति म नकद व उधार दोनो प्रकार के व्यवहारो का लेखा किया जाता है । किसी वष का लाभ हानि निकालने के लिए उस वष से सम्बंधित सभी आय व्यय लाभ हानि खाते म लिखे जाते है, चाहे उनकी प्राप्ति अथवा भुगतान उस वष म हुआ हो अथवा नही । यह पद्धति व्यापारिक सस्थाओ के लिए सर्वोत्तम है । इस पद्धति के अनुमार व्यापार का शुद्ध लाभ अथवा हानि निकल आती है तथा व्यापार की आर्थिक स्थिति का सही सही ज्ञान हो जाता है ।

(३) मिश्रित पद्धति (Hybrid System)—उपयुक्त दोनो पद्धतिया के मिश्रण को मिश्रित पद्धति (Hybrid System) कहते है । एक ही व्यापारिक सस्था मे रोकड पद्धति तथा व्यापारिक पद्धति का एक साथ प्रयोग हो सकता है । एक वष के व्यवहारो के लिए वह रोकड पद्धति रख सकता है जोर दूसरे वर्ग के व्यवहारो के लिए वह व्यापारिक पद्धति रख सकता है । यह पद्धति अधिक उपयुक्त नहीं है ।

QUESTIONS

- 1 Explain clearly the meaning of the term 'dividend' as defined in the Indian Income Tax Act, and point out the law relating to the assessment of dividend income
 भारतीय आय कर अधिनियम म दी हुई परिभाषा के अनुसार 'लाभाश' शब्द के अर्थ स्पष्टतया ममझाएँ तथा लाभाश की आय के कर निर्धारण के सम्बन्ध म विधान बताइए ।
- 2 Describe the method of computing taxable income under the head 'Income from other Sources'
 'अप्य साधनो से आय' के शीषक म कर योग्य आय की गणना करने की विधि का वणन कीजिए ।

कुल आय, हानियों की पूर्ति एवं उन्हें आगे ले जाना

[TOTAL INCOME, SET-OFF AND CARRY FORWARD OF LOSSES]

इस अध्याय में कर दाता की कुल आय की गणना करने के सम्बन्ध में निम्न विषयों का अध्ययन किया जायेगा

- (१) कुल आय की परिभाषा। [धारा २ (४५)]
- (२) अय व्यक्तियों की आय जो कर दाता की कुल आय में शामिल की जाती है। [धाराएँ ६० से ६५ तक]
- (३) हानियों की पूर्ति (Set off of Losses)। [धाराएँ ७० व ७१]
- (४) व्यापारिक हानियों तथा पूँजी हानियों का आगे ले जाना तथा उनकी पूर्ति करना (Carry forward and Set off of Business Losses and Capital Losses)। [धाराएँ ७२ से ७६ तक]

(१) कुल आय की परिभाषा

कुल आय (Total Income)—धारा २ (४५) के अनुसार कुल आय का अर्थ धारा ५ में दी हुई आयों का जोड़ है जिसकी गणना आय कर अधिनियम के अनुसार हुई हो। धारा ५ के अनुसार निवास-स्थान के आधार पर आयें कुल आय में जोड़ी जाती हैं। इन आयों की गणना अधिनियम की निम्न भिन्न धाराओं के अनुसार, वेतन, प्रविभूतियों पर ब्याज, मकान सम्पत्ति की आय व्यापार अथवा पेशे के लाभ पूँजी लाभ तथा अय साधना से आय व शीपको म की जाती है।

- (२) अय व्यक्तियों की आय जो कर-दाता की कुल आय में शामिल की जाती है (धाराएँ ६० से ६५ तक)

(१) सम्पत्ति का हस्तांतरण किये बिना, आय का हस्तांतरण—धारा ६० के अन्तर्गत, यदि कोई व्यक्ति अपनी किसी सम्पत्ति की आय किसी अन्य व्यक्ति

का हस्तांतर कर दता है परंतु उस सम्पत्ति का हस्तांतरण नहीं करता है ता ऐसी आय हस्तांतर करने वाले (transferor) की आय मानी जायेगी ।

(ii) सम्पत्तियों का खण्डनीय हस्तांतरण—धारा ६१ के अन्तगत, किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त ऐसी सम्पत्ति की आय जो उसे खण्डनीय हस्तान्तरण के अन्तगत प्राप्त हुई है, हस्तांतर करने वाले की आयमानी जायगी और उसी की कुल आय म जोड़ी जायगी ।

अपवाद—धारा ६२ (१) क अनुसार, धारा ६१ म दिया गया उपयुक्त नियम निम्न दशाओ म लागू नहीं हाना है

(क) यदि सम्पत्ति का हस्तान्तरण किसी ट्रस्ट के अन्तगत किया गया है और वह ट्रस्ट लाभ पाने वाले (beneficiary) के जीवन काल म अखण्डनीय है तथा अय प्रकार के हस्तांतरणो की दशा म जिसका हस्तांतरण हुआ है उसके जीवन-काल म अखण्डनीय है, अथवा

(ख) १ अप्रैल, १९६१ से पहले किया गया हस्तांतरण जो ६ वष स अधिक की अवधि के लिए अखण्डनीय है ।

उपयुक्त (क) व (ख) के सम्बन्ध मे यह आवश्यक है कि हस्तांतर करने वाले (transferor) का इन हस्तान्तरणा मे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप म कोई लाभ न मिलता हो । संक्षेप मे धारा ६२ (१) का अर्थ यह हुआ कि उपयुक्त (क) व (ख) की दशाओ मे हस्तांतरित सम्पत्ति से आय उस व्यक्ति की मानी जायगी जिसको हस्तांतरण हुआ है न कि हस्तांतर करने वाले (transferor) की ।

सम्पत्तियों के अखण्डनीय हस्तान्तरण की दशा मे उस सम्पत्ति से आय उस व्यक्ति की मानी जायगी जिसको हस्तान्तरण हुआ है, बशर्ते कि यह हस्तान्तरण हस्तांतर करने वाले (transferor) के जीवन साथी (spouse) अथवा अवयस्क बच्चे (minor child) को अथवा उनके हित के लिए न किया गया है ।

(iii) जीवन साथी की आय (Income of Spouse)—(अ) एक व्यक्ति की कुल आय म उसके जीवन साथी की वह आय शामिल की जाती है जो उस उस फर्म की सदस्यता से मिली हो जिमम वह व्यक्ति भी साझेदार है ।

(ब) एक व्यक्ति की कुल आय म उसके द्वारा अपन जीवन-साथी को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप स हस्तांतर की गयी सम्पत्ति की आय भी शामिल

की जाती है, बशर्ते कि यह हस्तांतरण पर्याप्त प्रतिफल के बदले में न हो अथवा अलग अलग रहने के किसी प्रसविद के सम्बन्ध में न हो।

यहाँ जीवन साथी से आशय पति अथवा पत्नी से है। उपयुक्त (अ) में दी हुई आय उस जीवन साथी की कुल आय में शामिल होती है जिसकी कुल आय (फर्म के लाभ के हिस्से का छाड़कर) दोनों में से अधिक है, अर्थात् यदि पति की कुल आय पत्नी की कुल आय से अधिक है तो पत्नी का फर्म के लाभ का हिस्सा पति की कुल आय में शामिल होगा और यदि पत्नी का कुल आय पति की कुल आय से अधिक है तो पति का फर्म के लाभ का हिस्सा पत्नी की कुल आय में शामिल होगा।

(iv) अवयस्क बच्चे की आय (Income of Minor Child)—(अ) एक व्यक्ति की कुल आय में उसके अवयस्क बच्चे का ऐसी फर्म से लाभ का हिस्सा, जिसमें वह स्वयं सापेदार है तथा जिसमें अवयस्क को फर्म के हिस्से के लिए शामिल कर लिया गया है, शामिल किया जाता है। यदि इस फर्म में बच्चे के माता पिता दोनों ही सापेदार हैं तो इस बच्चे का फर्म में लाभ का हिस्सा उसकी (माता अथवा पिता) आय में शामिल किया जायेगा जिसकी कुल आय (फर्म के लाभ के हिस्से को छाड़कर) दोनों में से अधिक है।

(ब) एक व्यक्ति की कुल आय में उसके द्वारा अपन अवयस्क बच्चे (जा विवाहित पुत्री न हो) का, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, हस्तांतर की गयी सम्पत्ति की आय भी शामिल की जाती है बशर्ते कि यह हस्तांतरण पर्याप्त प्रतिफल के बदले में न हो।

(v) आय व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समुदाय का सम्पत्ति का हस्तांतरण—एक व्यक्ति की कुल आय में उसका द्वारा बिना पूरा प्रतिफल लिये, किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समुदाय को हस्तांतर की गयी सम्पत्ति से आय उस सीमा तक शामिल की जाती है जहाँ तक ऐसी सम्पत्तियों की आय उसके जीवन-साथी अथवा अवयस्क बच्चे (जा विवाहित पुत्री न हो) अथवा दाना के तत्काल अथवा भावी हित के लिए हो।

बेनामी व्यवहार (Benami Transactions)—जब कोई व्यक्ति कर बचाने के उद्देश्य से कोई व्यवहार वास्तविक व्यक्ति के नाम में न करके किसी अन्य व्यक्ति के नाम में करता है तो ऐसे व्यवहार का बेनामी व्यवहार कहा जाता है और उस नकली व्यक्ति को 'बेनामीदार' कहते हैं। उदाहरणार्थ, किसी बेनामीदार को सम्पत्ति का हस्तांतरण बेनामीदार का कम मूल्य पर मान बचना, आदि। यदि आय कर अधिकारी की सम्मति में कोई व्यवहार बेनामी है तो वह उस व्यवहार की आय वास्तविक व्यक्ति की आय मान सकता है और उसी से उस व्यवहार की आय पर कर लिया जायेगा।

(३) हानियों की पूर्ति (Set-off of Losses)

(i) यदि किसी कर निर्धारण वर्ष में 'पूजी लाभों' को छोड़कर अन्य किसी आय के शीपक में एक साधन से हानि होती है तो कर-दाता इस हानि की पूर्ति (set off) इसी शीपक में होने वाली अन्य किसी साधन की आय से कर सकता है।

(ii) यदि किसी कर निर्धारण वर्ष में 'पूजी लाभों' के शीपक को छोड़कर अन्य किसी शीपक में हानि हो और कर-दाता की 'पूजी लाभों' के शीपक में कोई आय नहीं है, तो वह इस हानि की पूर्ति उसी कर निर्धारण वर्ष में अन्य किसी शीपक की आय से कर सकता है।

(iii) यदि किसी कर निर्धारण वर्ष में 'पूजी लाभों' के शीपक को छोड़कर अन्य किसी शीपक में हानि हो और कर-दाता की पूजी लाभों के शीपक में कर-योग्य आय है तो वह इस हानि की पूर्ति उसी कर निर्धारण वर्ष में अन्य किसी शीपक की आय से कर सकता है (अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन पूजी सम्पत्तियों के लाभ सहित) अथवा यदि कर-दाता चाहता है तो वह 'पूजी लाभों' के शीपक को छोड़कर अन्य किसी शीपक की आय से ही उस हानि की पूर्ति कर सकता है।

(iv) यदि किसी कर निर्धारण वर्ष में अल्पकालीन पूजी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में हानि की गणना की जाय तो कर-दाता इस हानि की पूर्ति उस कर निर्धारण वर्ष में अन्य किसी पूजी सम्पत्ति के लाभ से कर सकता है, अर्थात् एक अल्पकालीन पूजी सम्पत्ति की हानि की पूर्ति अन्य किसी अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन पूजी सम्पत्ति के लाभ से की जा सकती है।

(v) किसी कर निर्धारण वर्ष में एक दीर्घकालीन सम्पत्ति की हानि की पूर्ति किसी अन्य दीर्घकालीन सम्पत्ति के लाभ से की जा सकती है, न कि अल्पकालीन सम्पत्ति के लाभ से।

व्यापार की हानि को केवल सट्टे के ही किसी अन्य व्यापार किया जा सकता है।

कर-दाता एक रजिस्टर्ड फर्म है अथवा ऐसी अनरजिस्टर्ड फर्म स्टड फर्म की तरह से कर निर्धारण किया गया है तो उसने यदि फर्म की अन्य किसी शीपक की आय से पूरी न की न पूरी हुई हानि का साझेदारों में बांट दिया जाता है और निर्धारण वर्ष में अपनी अन्य आय से इसे पूरा कर सकते हैं।

कर-दाता एक अनरजिस्टर्ड फर्म है तो उसकी एक शीपक की दूसरे किसी शीपक की आय से पूरी की जा सकती है परन्तु

साझेदारों को अपनी हानि के हिस्से का अपनी आय से पूरा करने का अधिकार नहीं है।

(४) व्यापारिक हानियों तथा पूंजी हानियों को आगे ले जाना तथा उनकी पूर्ति करना (Carry forward and Set off of Business and Capital Losses)

(1) व्यापार अथवा पेशे की हानियाँ—धारा ७२ (१) के अंतर्गत, यदि किसी कर निर्धारण वर्ष में व्यापार अथवा पेशे (सट्टे का व्यापार छोड़कर) की कोई हानि अथवा किसी शीपक की आय से पूरी न हो सके तो उस लाभ ले जाया जाता है और अगले वर्ष में इस हानि को कर दाता के किसी भी व्यापार अथवा पेशे की आय से पूरा किया जा सकता है बशर्ते कि वह व्यापार अथवा पेशा जिसकी हानि का आग लेया गया है अगले वर्ष में भी चालू रहे। इस प्रकार यह हानि जब तक पूरी न हो, जिस वर्ष यह हानि हुई थी उससे अधिक से अधिक अगले आठ वर्षों तक पूर्ति के लिए आगे ले जायी जा सकती है।

धारा ७२ (२) के अनुसार, यदि अशोधित ह्रास अथवा वैज्ञानिक अनुसंधान के सम्बन्ध में पूंजी व्यय भी आगे लाया जा रहा है तो आगे लायी हुई व्यापारिक हानियाँ की पूर्ति आग लेया हुए अशोधित ह्रास अथवा वैज्ञानिक अनुसंधान के पूंजी व्यय से पहले की जायेगी। यह नियम कर गता के ही हित में है क्योंकि अशोधित ह्रास तथा वैज्ञानिक अनुसंधान का पूंजी व्यय अतिशित काल तक आग ले जाया जा सकता है, परंतु व्यापारिक हानियाँ आठ वर्ष बाद आग ले जायी जा सकती हैं।

(ii) सट्टे के व्यापार की हानियाँ—किसी कर निर्धारण वर्ष की सट्टे के व्यापार की ऐसी हानियाँ जो उसी वर्ष में पूरी न की जा सकें अगले वर्ष में किसी भी सट्टे के व्यापार के लाभों से पूरी करने के लिए आग ले जायी जा सकती हैं। इस प्रकार ये हानियाँ जब तक पूरी न हो, जिस वर्ष में ये हुई थीं, उससे अधिक से अधिक अगले आठ वर्ष तक पूर्ति के लिए आग ले जायी जा सकती हैं। उपयुक्त वर्णित धारा ७२ (२) का नियम इस दशा में भी लागू होता है।

(iii) पूंजी हानियाँ—धारा ७४ के अंतर्गत, (क) अल्पकालीन पूंजी सम्पत्ति के सम्बन्ध में होने वाली कोई ऐसी हानि जिसकी उसी वर्ष निर्धारण वर्ष में पूर्ति न हो सके जिसमें यह हानि हुई थी, अगले वर्ष में अल्पकालीन पूंजी सम्पत्तियों के लाभों से पूर्ति करने के लिए आगे ले जायी जा सकती है। यह हानि अधिक से अधिक आठ वर्ष तक आग ले जायी जा सकती है। (ख) दीर्घकालीन पूंजी सम्पत्ति के सम्बन्ध में होने वाली कोई ऐसी हानि जिसकी उसी वर्ष निर्धारण वर्ष में पूर्ति न हो सके, जिसमें यह हानि हुई थी, अगले वर्ष में दीर्घ

कालीन पूजा सम्पत्तिया के लाभो स पूर्ति करने के लिए आगे ले जायी जा सकती है। यह हानि अधिक से अधिक चार वष तक आगे ले जायी जा सकती है। यदि किसी गैर कम्पनी कर दाता की दशा मे दीघकालीन पूजा सम्पत्ति के सम्बन्ध म पूजा हानि ५ ००० २० स अधिक नहीं है ता वह आगे नहीं ल जायी जा सकती ह।

(iv) रजिस्टर्ड फम की हानिया—रजिस्टर्ड फम क साझेदार फम की हानि के अपने एसे हिस्म को आगे ले जा सक्त है जो उमी कर निधारण वष म जिसम यह हानि हुई थी, साझेदार की अय आय स पूरा न हो सके। यह हानि साझेदार पूर्ति के लिए अधिक स अधिक ८ वष तक आगे ले जा सकते ह, बशर्ते कि वह फम चलती रह और यह व्यक्ति उस फम मे साझेदार बना रह। रजिस्टर्ड फम स्वय अपनी हानियों को आगे नहीं ले जा सकती है। यदि किसी अनरजिस्टर्ड फम पर रजिस्टर्ड फम की तरफ स कर निधारण हुआ हो ता उसकी हानियों के सम्बन्ध म भा यही नियम लागू हाता है।

(v) अनरजिस्टर्ड फम की हानियाँ—अनरजिस्टर्ड फम की एसी हानि जिसकी उसी वष जिस वष यह हानि हुई हो, फम की अ म आय से पूर्ति न हो सके तो फम द्वारा अधिक से अधिक ८ वष तक पूर्ति क लिए आगे ले जायी जा सकती है। इस दशा मे साझेदार फम की हानि के अपने भाग को स्वय आगे नहीं ल जा सकता है।

(vi) फम के सगठन (constitution) मे परिवर्तन होने पर फम की हानिया—फम के सगठन म परिवर्तन हो जाने पर फम एक अवकाश ग्रहण करन वाल साझेदार अथवा मृतक साझेदार की हानि के भाग को पूर्ति के लिए आगे नहीं ले जा सकती है और न ही कोई साथेदार किसी अ य साथेदार की हानि के भाग को अपने लाभ के भाग मे पूर्ति करने के लिए आगे ले जा सकता है।

(vii) व्यापार अथवा पेशे का स्वामित्व (succession) बदल जाने पर उसकी हानियाँ—जब किसी व्यापार अथवा पेशे का स्वामित्व एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर चला जाता है ता दूसरे व्यक्ति का, पहले व्यक्ति क स्वामित्व काल म हुई व्यापार अथवा पेशे की हानिया को अपने भावी लाभो से पूरा करने के लिए आगे ले जाने का अधिकार नहीं है, सिवाय उस दशा क जबकि स्वामित्व का परिवर्तन उत्तराधिकार (inheritance) द्वारा हुआ हा।

(viii) कुछ कम्पनियों की हानियाँ—यदि एक ऐसी कम्पनी के अशधारिया म गत वष म परिवर्तन हा जाये जिसमे जनता का पर्याप्त हित न हा ता उस कम्पनी को गत वष से पूव किसी वष मे उठायी हानि का आगे नाकर गत वर्ष की आय से पूर्ति करने का अधिकार नहीं है जब तक कि

(अ) गत वर्ष के अन्तिम दिन कम्पनी का कम से कम ५१ प्रतिशत मताधिकार उही व्यक्तियों के पास न हो जिनके पास यह कम से कम ५१ प्रतिशत मताधिकार उस गत वर्ष के अन्तिम दिन था जिस गत वर्ष की यह हानि है, अथवा

(ब) आय कर अधिकारी को यह विश्वास न हो जाय कि अलघारिया का परिवर्तन कर बचान के दृष्टिकोण से नहीं किया गया है।

जब नव कर दाता हानि का नवशा भरकर हानि निर्धारित न करा ले तब तक उस हानि का आग ल जान का अधिकार नहीं होता है।

Illustration 1

In the case of an assessee, work out the amount of taxable profits, or the losses and/or unabsorbed depreciation to be carried forward in respect of each of the following assessment years on the basis of the information given below

Assessment Year	Business Loss or Profit	Depreciation Allowance for the Year	Remarks
	Rs	Rs	
1956 57	Loss 40,000	—	—
1957 58	Nil	—	(Business continued)
1958 59	Loss 20 000	—	—
1959 60	„ 1,00,000	5 000	Left Unabsorbed
1960 61	„ 25,000	15,000	Left Unabsorbed
1961 62	„ 15,000	—	—
1962 63	„ 20 000	10,000	Left Unabsorbed
1963 64	Profit 20,000	5 000	—
1964 65	„ 25 000	10 000	—
1965 66	„ 2,10 000	10 000	—

Solution

Assessment Years	Amount to be carried forward	
	Losses	Unabsorbed Depreciation
	Rs	Rs
1956 57	40 000	—
1957 58	—	—
1958 59	20 000	—
1959 60	1,00 000	5 000
1960 61	25 000	15 000
1961 62	15 000	—
1962 63	20 000	10 000
Total carried forward upto 1962 63	2 20,000	30,000

Assessment Year 1963 64

	Rs	Net Taxable Income Rs
Profit	20 000	
<i>Less</i> Depreciation Allowance for the year	5 000	
	<hr/> 15 000	
<i>Less</i> Loss of 1956-57 set off, leaving Rs 25,000 to be carried forward with losses of other years along with Unabsorbed Depreciation of Rs 30 000	15,000	Nil

Assessment Year 1964 65

	Rs	
Profit	25,000	
<i>Less</i> Depreciation Allowance for the year	10 000	
	<hr/> 15 000	
<i>Less</i> Loss of 1956-57 set-off (the balance of the loss of 1956-57 i.e. Rs 10,000, which could not be set-off, till then, cannot be carried forward any more as it is the fifth year after 1956-57 however the losses of other years along with Unabsorbed Depreciation shall be carried forward)	15 000	Nil

Assessment Year 1965 66

	Rs	
Profit	2,10,000	
<i>Less</i> Depreciation Allowance for the year	10 000	
	<hr/> 2 00 000	
<i>Less</i> Losses of 1958-59 to 1962-63 set-off	1,80 000	
	<hr/> 20,000	
<i>Less</i> Unabsorbed Depreciation of 1959-60 and 1960-61 set-off (leaving the Unabsorbed Depreciation of 1962-63 to be carried forward)	20 000	Nil

Illustration 2

Ex in the following particulars of an assessee explain how the capital loss will be set-off or carried forward in each case.

(i) Business income Rs 5,000; long term capital gain in respect of land buildings Rs 6,000, and short term capital loss Rs 4,000.

(ii) Business income Rs 15 000 , and Loss on sale of short term capital assets Rs 20 000

(iii) Business income Rs 15,000 , short term capital gain Rs 5 000 , and long term capital gain Rs 6,000 Carried forward loss in respect of short term capital assets Rs 20,000

Solution

(i) The loss relating to short term capital assets shall be set off against profit from capital assets other than short term capital assets reducing the amount of long term capital gain to Rs 2 000 This being less than Rs 5 000 will not be charged to tax

(ii) The loss of Rs 20,000 in respect of short term capital assets cannot be set off against his business income, and shall therefore be carried forward and set off against the capital gains relating to short term capital assets (if any) in the next year

(iii) The gain of Rs 5,000 will be set off against carried forward loss of Rs 20,000 The balance of Rs 15 000 will be carried forward to be set off against income arising from short term capital asset in subsequent years Rs 15,000 of business income will be taxed on Rs 15 000 rate Out of Rs 6 000 on account of long term capital gain Rs 1 000 will be taxed at 15%

QUESTIONS

- 1 In what circumstances is the income of one person treated as the income of another ?
एक व्यक्ति की आय दूसरे की आय किन परिस्थितियों में मानी जाती है ?
- 2 Discuss the provisions of the Income Tax Act relating to the set off and carry forward of losses
घाटा की पूर्ति एवं उह जागे ले जाने के सम्बन्ध में आय-कर अधिनियम के आयोजनों का वर्णन कीजिए ।
- 3 State the circumstances in which the income of a minor child and the wife of an assessee are included in his total taxable income
किन परिस्थितियों में अवयस्क बच्चे तथा कर दाता की पत्नी की आय कर दाता की कुल कर योग्य आय में शामिल की जाती है ?

आय-कर पदाधिकारी तथा उनके अधिकार [INCOME TAX AUTHORITIES AND THEIR POWERS]

आय-कर अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए तथा आय कर विभाग का प्रशासन अच्छी प्रकार से चलाने के लिए भारत सरकार ने अनेक पदाधिकारियों की व्यवस्था की है। काय के आधार पर इन पदाधिकारियों को दो श्रेणियों में बाटा जा सकता है—(१) शासन सम्बन्धी, और (२) माय सम्बन्धी।

शासन सम्बन्धी पदाधिकारी

प्रत्यक्ष करों का केन्द्रीय बोर्ड (Central Board of Direct Taxes)—पहले यह बोर्ड सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (Central Board of Revenue) कहलाता था जिसकी स्थापना सन १९२४ में हुई थी, परन्तु Central Board of Revenue Act, 1963 के अन्तर्गत इस बोर्ड का दो भाग में बाँट दिया गया है। एक का नाम Central Board of Direct Taxes है तथा दूसरे का नाम Central Board for Excise and Customs है। आय कर अधिनियम का प्रशासन Central Board of Direct Taxes के अन्तर्गत होता है। प्रत्येक बोर्ड में अधिक से अधिक ५ सदस्य हो सकते हैं जिनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा होगी। इस समय Central Board of Direct Taxes के दो सदस्य हैं जिनमें से एक इस बोर्ड का चेयरमैन है। शासन सम्बन्धी मामला में यह सर्वोच्च पदाधिकारी है।

बोर्ड के अधिकार—इस बोर्ड की आय कर सम्बन्धी नियम उपनियम बनाने का अधिकार है और यह आय कर विभाग के अधिकारियों को आवश्यकतानुसार आदेश भी दे सकता है जो उनको माय होते हैं परन्तु यह Appellate Assistant Commissioners के अपील के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

बोर्ड का अधिकार है कि वह लिखित सूचना (notification) द्वारा किसी भी कमिश्नर, अपीलेट जस्टिस्ट कमिश्नर इन्सपेक्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर अथवा इनकम टैक्स ऑफिसर को किसी भी क्षेत्र में, किसी भी प्रकार के

व्यक्तियों की किसी भी प्रकार की आय के सम्बन्ध में जिसका notification में उल्लेख हो, जा अधिकार चाहे सुपुद कर सकता है। ऐसा करने के लिए notification में दिये हुए अधिकारी के अतिरिक्त अन्य किसी अधिकारी को इस सम्बन्ध में कोई अधिकार नहीं होगा।

डाइरेक्टर आफ इन्स्पेक्शन (Directors of Inspection)—ये केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। इनकी सहायता केन्द्रीय सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार कम व अधिक की जा सकती है। ये आय कर के किसी भी पदाधिकारी का वह सभी कार्य कर सकते हैं जो उन्हें केन्द्रीय सरकार सुपुद करती है, परन्तु ये Central Board of Direct Taxes के नियन्त्रण में कार्य करते हैं। इनका कार्यक्षेत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित किया जाता है। नियन्त्रण के दृष्टिकोण से इन्स्पेक्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर तथा इनकम टैक्स आफिसर Director of Inspection के मातहत (subordinate) होते हैं।

Director शब्द के अन्तर्गत अतिरिक्त डाइरेक्टर और सहायक डाइरेक्टर आ जाते हैं।

डाइरेक्टर के अधिकार—(१) धारा १३२ के अन्तर्गत, डाइरेक्टर आफ इन्स्पेक्शन अपने तलाशी तथा बट्टे में लेने के अधिकार को किसी भी डिप्टी डाइरेक्टर आफ इन्स्पेक्शन इन्स्पेक्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट डाइरेक्टर आफ इन्स्पेक्शन अथवा इनकम टैक्स आफिसर को हस्तांतर कर सकता है। (इसका पूर्ण विवरण कमिश्नर के अधिकारों में दिया गया है)।

(२) धारा १३५ के अन्तर्गत डाइरेक्टर आफ इन्स्पेक्शन इस अधिनियम के सम्बन्ध में प्रत्येक प्रकार की जांच कर सकता है और इस सम्बन्ध में उन के सब अधिकार होंगे जो एक आय कर अधिकारी को होते हैं।

आय कर कमिश्नर (Commissioner of Income tax)—इसकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा होती है। एक निश्चित क्षेत्र में यह आय कर विभाग का अध्यक्ष होता है। अधिकतर एक राज्य के लिए एक कमिश्नर होता है परन्तु कहीं कहीं एक कमिश्नर के अन्तर्गत एक से अधिक राज्य भी हैं और कहीं एक ही राज्य में एक से अधिक कमिश्नर भी हैं। अपने क्षेत्र के इन्स्पेक्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर और आय कर अधिकारी इनके नियन्त्रण में काम करते हैं। धारा ११६ (१) के अन्तर्गत ये मेण्ड्रल बोर्ड ऑफ डाइरेक्ट टैक्सेज के आदेशों तथा निर्देशों का पालन कराते हैं।

कमिश्नर के अधिकार—(१) धारा ११७ (२) के अन्तर्गत, इस विधान के अन्तर्गत आय कर अधिनियम तथा इनकम टैक्स एक्ट्स के अन्तर्गत नियुक्त करने के

अधिकार है। इसके अतिरिक्त धारा ११७ (३) के अंतगत यह आवश्यकता नुसार बन्क आदि भी नियुक्त कर सकता है।

(२) धारा १२५ के अनुसार कमिश्नर को यह अधिकार है कि वह किसी विशिष्ट मामले में अथवा विशिष्ट प्रकार के मामले में अथवा विशिष्ट व्यक्तियों के सम्बन्ध में आदेश दे सकता है कि इनकम टैक्स ऑफिसर के अधिकारों का प्रयोग इन्स्पेक्टिंग अमिस्ट्रिस्ट कमिश्नर करेगा तथा अपीलेट अडिस्ट्रेट कमिश्नर के अधिकारों का प्रयोग कमिश्नर करेगा।

(३) धारा १२७ के अंतगत कमिश्नर का अधिकार है कि वह अपने क्षेत्र में काम करने वाले एक इनकम टैक्स ऑफिसर के पास से दूसरे इनकम टैक्स ऑफिसर के पास किसी भी मामले को हस्तांतरण कर सकता है। ऐसा करने से पहले वह कर-दाता को इस सम्बन्ध में सुनाने का उचित अवसर देगा परन्तु यदि एक ही शहर में एक इनकम टैक्स ऑफिसर से दूसरे के पास हस्तांतरण होना हो तो कर-दाता को सुनाने का अवसर नहीं दिया जायेगा। उपयुक्त हस्तांतरण किसी मामले में कायवाही के किसी भी स्तर पर किया जा सकता है और जिस इनकम-टैक्स ऑफिसर के पास से हस्तांतरण हो रहा है उसने हस्तांतरण से पूर्व जो नोटिस निगमित कर दिये हैं उनका पुनः निगमन आवश्यक नहीं है।

(४) धारा १३१ के अनुसार इस अधिनियम के अंतगत किसी मुकदमे की निम्न कायवाहियों के सम्बन्ध में कमिश्नर को Code of Civil Procedure, 1908 के अनुसार न्यायालय को दिये गये अधिकार प्राप्त हैं

(क) खोज तथा निरीक्षण करना (Discovery and Inspection),

(ख) किसी व्यक्ति को उपस्थित होने को बाध्य करना तथा उसका शपथ लेकर बयान लेना,

(ग) बहीखाते तथा अन्य प्रपत्रों का प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना, तथा

(घ) कमीशन नियुक्त करना।

(५) धारा १३२ के अंतगत, कुछ सूचनाओं के आधार पर यदि कमिश्नर को यह विश्वास हो कि आवश्यक नोटिस देन के बावजूद भी किसी व्यक्ति ने नोटिस में मांगे गये बहीखाते अथवा अन्य प्रपत्र उपस्थित नहीं किये अथवा आय-कर अधिनियम के अंतगत चल रही किसी कायवाही से सम्बन्धित व आवश्यक बहीखाते अथवा अन्य प्रपत्र उपस्थित नहीं करेगा अथवा उसके पास कोई ऐसा धन साना, चाँदी, जेवर अथवा अन्य मूल्यवान वस्तुएँ हों जो आय-कर अधिनियम के सम्बन्ध में नहीं दिखायी गयी हैं तो वह किसी Deputy Director of Inspection Inspecting Assistant Commissioner Assistant

Director of Inspection अथवा Income-tax Officer को अधिकार द
सकता है कि

(क) वह निम्नी ऐसे स्थान म प्रवेश करके तलाशी ले सकता है जहाँ उसे
विश्वास है कि एमे बहीखात प्रपत्र, घन, सोना, चाँनी, जेवर अथवा अन्य
मूल्यवान वस्तुएँ मौजूद हैं ।

(ख) यदि किसी दरवाजे बकम, लॉकर, तिजोरी, अलमारी अथवा अन्य
किसी रंगने व स्थान की ताली नहीं मिलती है तो वह उपयुक्त (क) म
वर्णित अधिकार का कार्यान्वित करने के लिए उनके ताले तालकर उह खोल
सकता है ।

(ग) इस तलाशी म मिले हुए बहीखातो, प्रपत्रो, घन, सोना, चाँनी जेवर
अथवा अन्य मूल्यवान वस्तुओ को अपने कब्जे मे ले सकता है ।

(घ) एम बहीखाता अथवा प्रपत्रो पर अपना कोई चिह्न डाल सकता है
अथवा उसके किसी भाग की प्रतिलिपि ले सकता है ।

(ङ) तलाशी मे जो घन सोना चाँनी, जेवर अथवा अन्य मूल्यवान
वस्तुएँ मिली हा उाकी सूची बना सकता है ।

उपयुक्त धारा के अंतगत अधिकृत Inspecting Assistant Commis
sioner अथवा Income tax Officer का यह भी अधिकार हागा कि क
उपयुक्त कायवाही के सम्बन्ध म मदद के लिए पुलिस तथा केन्द्रीय सरकार व
किसी भी अधिकारी की सवाए माग सकता है और उस अधिकारी का कतय
होगा कि वह इस माग की पूर्ति करे ।

(६) धारा १३२ के अनुसार कमिश्नर का दस अधिनियम के अंतगत
कोई भी जाच करने का अधिकार है तथा इस सम्बन्ध म उसे वे सब अधिकार
ह जो इनकम टैक्स आफिसर को प्राप्त है ।

(७) धारा १३८ के अंतगत, यदि कोई व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति पर
१ अप्रैल, १९६० के बाद हुए कर निवारण के सम्बन्ध मे कोई सूचना प्राप्त करने
के लिए आय-कर कमिश्नर को निर्धारित फॉर्म पर प्राथना पत्र देता है तो यदि
कमिश्नर सावजनिक हित मे उचित समझे तो यह सूचना प्रार्थी को दे सकता है ।

इंस्पेक्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर (Inspecting Assistant Commis
sioner)—इसकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा होती है । यह कमिश्नर के
नियंत्रण मे कार्य करता है । एक कमिश्नर के अंतगत कई इन्स्पेक्टिंग
असिस्टेंट कमिश्नर हाते ह और प्रत्येक का अपना अपना पृथक क्षेत्र होना है । उन
क्षेत्र के आय कर अधिकारी इसी के नियंत्रण मे काम करते हैं और कई मामलो
मे आय कर अधिकारी को किसी कर दाता पर आदेश देने से पूर्व असिस्टेंट
कमिश्नर की म्दीकृति लेनी पडती है । यह अपने क्षेत्र क आय कर कायानय

वा निरीक्षण भी करता है। कभी-कभी किसी जटिल अथवा महत्वपूर्ण मामले में कमिश्नर की आज्ञानुसार असिस्टेंट कमिश्नर को आय कर अधिकारी का काम भी करना पड़ता है।

इन्स्पेक्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर के अधिकार—(१) धारा १३१ के अंतर्गत इस अधिनियम के सम्बन्ध में किसी मुकदमे की वायवाहिया के सम्बन्ध में Inspecting Assistant Commissioner को वे ही अधिकार प्राप्त होंगे जो Code of Civil Procedure, 1908 के अंतर्गत न्यायालय को प्राप्त हैं। (इसका पूरा विवरण कमिश्नर के अधिकारों में दिया गया है)।

(२) धारा १३३ के अंतर्गत इन्स्पेक्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर इस अधिनियम के सम्बन्ध में

- (क) किसी फर्म में उसके मालिकों के नाम, पते तथा उनके लाभ हानि के भागों का नक्शा माँग सकता है,
- (ख) किसी हिन्दू अविवाहित परिवार से उसके कर्ता (manager) तथा अथवा सदस्यों के नाम तथा पता का नक्शा माँग सकता है,
- (ग) किसी ट्रस्टी, संरक्षक अथवा अभिकर्ता से उन व्यक्तियों के नाम तथा पता का नक्शा माँग सकता है जिनकी ओर से अथवा जिनके लिए वह ट्रस्टी, संरक्षक अथवा अभिकर्ता है,
- (घ) किसी कर दाता से उन सब व्यक्तियों के नाम, पते तथा रकम का विवरण माँग सकता है जिन्हें उसने गत वर्ष में ४०० रु० से अधिक रियायत, व्याज, कमीशन रॉयल्टी, दलाली अथवा वेतन के अतिरिक्त बाँटिकी दी हो,
- (ङ) किसी स्टॉक एक्सचेंज अथवा कमीडिटी एक्सचेंज में व्यवहार करने वाले (dealer), दलाल (broker) अथवा अभिकर्ता (agent) से उन सभी व्यक्तियों के नाम, पते तथा रकम का विवरण माँग सकता है जिन्हें गत वर्ष में उमरा अथवा एक्सचेंज में सम्पत्ति के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में कुछ रकम दी हो या उनसे प्राप्त की हो,
- (च) किसी व्यक्ति से जिसमें बैंकिंग कम्पनी अथवा उसके ऑफिसर भी सम्मिलित हैं ऐसी आवश्यक सूचना, हिसाब किताब आदि माँग सकता है जो इस अधिनियम के अंतर्गत चल रही किसी वायवाही से सम्बन्धित है अथवा उसके लिए उपयोगी है।

(३) धारा १३४ के अंतर्गत, इन्स्पेक्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर को किसी कम्पनी के अंशधारियों, ऋण पत्रधारियों अथवा रहनधारियों के रजिस्ट्रो का निरीक्षण करने तथा उनकी अथवा उनके किसी व्यवहार की प्रतिलिपि बनाने अथवा बनाने का अधिकार है।

(४) धारा १३५ के अनुसार इन्स्पेक्टर अमिस्टेण्ट कमिश्नर को इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी जाच कराने का अधिकार है तथा इस सम्बन्ध में उसे वे सब अधिकार हैं जो आय कर अधिकारी को प्राप्त हैं।

आय कर अधिकारी (Income tax Officer)—व्यावहारिक दृष्टि से यह आय-कर विभाग का सबसे महत्त्वपूर्ण अधिकारी होता है क्योंकि वास्तव में कर निर्धारण करना और उसे वसूल करना इसी का मुख्य काम है। इसकी सहायता के लिए आय कर इन्स्पेक्टर होते हैं। प्रथम श्रेणी के आय कर अधिकारी की नियुक्ति के द्वाय सरकार द्वारा होती है और द्वितीय श्रेणी के आय कर अधिकारी की नियुक्ति कमिश्नर कर सकता है।

आय कर अधिकारी के अधिकार—आय-कर अधिकारी को शासन सम्बन्धी तथा याय सम्बन्धी दोना अधिकार प्राप्त है। इसके शासन सम्बन्धी अधिकार निम्न हैं

(१) अपने अधीन आय कर इन्स्पेक्टर को समय समय पर आवश्यक आदेश देता है अथवा उनके कार्यों की देखभाल करता है।

(२) अपने कार्यालय को सुचारु रूप में चलाने के लिए बलकों आदि को समय समय पर आवश्यक आदेश देता है तथा उनके कार्यों की देखभाल करता है।

(३) धारा १३३ A के अन्तर्गत आय कर अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत आय कर इन्स्पेक्टर

(क) अपने काय-क्षेत्र में किसी भी व्यापार अथवा पेशे के स्थान में प्रवेश कर सकता है अथवा

(ख) किसी भी ऐसे स्थान में प्रवेश कर सकता है जो किसी ऐसे व्यक्ति के अधिकार में है जिस पर उस आय-कर अधिकारी का Jurisdiction है, तथा जहाँ उसका व्यापार अथवा पेशा चल रहा है। उस समय वहाँ जो व्यक्ति उस व्यापार का कोई भी काय कर रहा है उसमें वह वहीखाते अथवा अन्य प्रपत्र आदि निरीक्षण के लिए माँग सकता है जो वहाँ उस समय हो। इन वहीखातों, प्रपत्रों आदि पर वह अपने हस्ताक्षर कर सकता है या अपना कोई चिह्न डाल सकता है या उसके किसी भाग की प्रतिलिपि ले सकता है। इन धारा के अन्तर्गत वह इन वहीखातों आदि को वहाँ से ले नहीं जा सकता।

(४) अपने क्षेत्र के कर-दाताओं पर कर निर्धारण करता है।

आय-कर इन्स्पेक्टर (Income tax Inspector)—केन्द्रीय सरकार के नियमों के अनुसार इनकम-टैक्स कमिश्नर इसकी नियुक्ति करता है। यह आय कर अधिकारी के नियंत्रण में काम करता है। इसका प्रमुख काम उसे

कर-दाताओं का पता लगाना और आय कर अधिकारी की आज्ञानुसार किसी भी प्रकार की जाँच करना है। धारा १३३ A के अंतर्गत आय कर अधिकारी द्वारा अधिकृत होने पर यह अपने क्षेत्र में किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकता है और धारा १३३ A के अंतर्गत वह सब काम कर सकता है जो आय-कर अधिकारी कर सकता है। इसके अतिरिक्त आय कर अधिकारी (Income tax Officer) जो भी काम इसे सुगुद करेगा वह करना होगा।

न्याय सम्बन्धी पदाधिकारी

आय-कर अधिकारी (Income tax Officer)—न्याय सम्बन्धी पदाधिकारियों में इसका स्थान सर्वप्रथम है। वास्तव में यह दोनों प्रकार के पदाधिकारियों में आता है क्योंकि इसके काम दोनों प्रकार के हैं। किसी कर-दाता पर कर निर्धारण करके उसका निणय देना इसका प्रमुख न्याय सम्बन्धी काम है। इसके न्याय सम्बन्धी अधिकार निम्न हैं

- (१) धारा १३१ के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत किसी मुकदम की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में इसे Code of Civil Procedure, 1908 के अनुसार यायालय का दिये गये अधिकार प्राप्त है (इनका विस्तृत वर्णन कमिश्नर के अधिकारों के शीपक में दिया गया है)।
- (२) धारा १३३ के अनुसार इसे कुछ सूचनाएँ माँगने का अधिकार है (इनका विस्तृत वर्णन इन्स्पेक्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर के अधिकारों के शीपक में दिया गया है)।
- (३) धारा १३४ के अंतर्गत इसे किसी कम्पनी के रजिस्ट्रारों का निरीक्षण करने का अधिकार है (इनका विस्तृत वर्णन इन्स्पेक्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर के अधिकारों के शीपक में दिया गया है)।

अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर (Appellate Assistant Commissioner)—इसका काम आय कर अधिकारियों के निणय के विरुद्ध अपील सुनना है। जब कोई कर-दाता आय-कर अधिकारी द्वारा दिये हुए निणय से सन्तुष्ट नहीं होता तो उसे इसके यहाँ अपील करने का अधिकार है। यह भी या Central Board of Direct Taxes के नियन्त्रण में होना है परन्तु बोर्ड को भी इसके अपील सम्बन्धी मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। इसकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा होती है।

अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर के अधिकार—(१) धारा १३३ के अंतर्गत अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर को कुछ सूचनाएँ माँगने का अधिकार है (इसका पूर्ण विवरण इन्स्पेक्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर के अधिकारों में दिया गया है)।

(२) धारा २५१ के अंतर्गत, अपील के सम्बन्ध में अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर के निम्न अधिकार हैं

- (i) कर निर्धारण के विरुद्ध हुई अपील के सम्बन्ध में वह कर निर्धारण को सम्पुष्ट, कम, रद्द कर सकता अथवा घटा सकता है, अथवा आय कर अधिकारी को अपने निर्देशानुसार फिर से कर निर्धारण करने का आदेश दे सकता है।
- (ii) अथ दण्ड के विरुद्ध अपील के सम्बन्ध में वह ऐसे आदेश को सम्पुष्ट, अथवा रद्द कर सकता है अथवा अर्थ दण्ड को कम या अधिक कर सकता है।
- (iii) अथ किसी प्रकार की अपील के सम्बन्ध में वह जैसा उचित समझ निणय दे सकता है।

अपील में कर-दाता पर दायित्व बढ़ाने का आदेश तभी दिया जा सकता है जबकि कर-दाता का इसके विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर दे दिया जाये।

आय कर कमिश्नर (Commissioner of Income tax)—आय-कर अधिकारी के समान कमिश्नर भी दोनो प्रकार के पदाधिकारियाँ में शामिल होता है, क्योंकि वह शासन सम्बन्धी व व्यापक सम्बन्धी दोनो प्रकार के कार्य करता है। उमका मुख्य व्यापक सम्बन्धी कार्य आय कर अधिकारी के आदेशों पर पुनर्विचार (revision) करना होता है।

कमिश्नर का पुनर्विचार का अधिकार—(१) धारा २६३ के अन्तर्गत इस अधिनियम के अन्तर्गत की गयी किसी भी कार्यवाही का रिकॉर्ड (record) कमिश्नर मांगकर उसकी जांच कर सकता है और यदि वह यह समझता है कि आय-कर अधिकारी द्वारा दिया हुआ कोई आदेश गलत है तथा सरकारी आय के लिए अहितकर (prejudicial to revenue) है तो वह उचित पूछ ताछ करने के बाद तथा कर-दाता को सुनने का उचित अवसर देने के बाद मामले की परिस्थितियों के अनुसार उचित आदेश दे सकता है जिनमें कर निर्धारण को बढ़ाना अथवा उसमें सशोधन करना अथवा रद्द करना अथवा नये कर निर्धारण का निर्देश देना भी सम्मिलित है।

कमिश्नर ऐसे किसी भी आदेश पर पुनर्विचार नहीं कर सकता है जिसे २ वर्ष से अधिक बीन चुके हो अथवा जो धारा १४७ के अन्तर्गत पुनः कर निर्धारण का आदेश हो।

(२) धारा २६४ के अन्तर्गत, कमिश्नर उपर्युक्त वर्णित आदेशों को छोड़कर अथ एम आदेशों के सम्बन्ध में जो उमके अधीनस्थ किसी अधिकारी ने दिये हों, स्वयं अथवा कर-दाता द्वारा पुनर्विचार के लिए प्राथमिक पत्र देन पर इस अधिनियम के अन्तर्गत की गयी किसी ऐसी कार्यवाही का रिकॉर्ड (record) मांग सकता है जिसमें कि ऐसा आदेश दिया गया था तथा इस

सम्बन्ध में उचित पृष्ठ-साछ कराने के बाद उचित आदेश दे सकता है वशर्ते कि वह आदेश कर दाता के अहित में न हो।

इस धारा के अंतर्गत कमिश्नर स्वयं ऐसे आदेशों पर पुनर्विचार नहीं कर सकता है जिन्हें एक वर्ष से अधिक धीरे चुका हो।

इस धारा के अंतर्गत, यदि कर दाता पुनर्विचार के लिए प्रार्थना पत्र देता है तो उसे यह प्रार्थना पत्र उस आदेश के प्राप्त होने के एक वर्ष के अंदर प्रस्तुत कर देना चाहिए। कर दाता को अपने प्रार्थना पत्र के साथ २५ रुपये फीस के भी दान होते हैं।

(३) अपीलेंट ट्रिब्यूनल (Appellate Tribunal)—यह आय कर विभाग का प्रशासकीय अंग नहीं है। इसका काम अपीलेंट असिस्टेंट कमिश्नर (Appellate Assistant Commissioner) के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें सुनना है। इसकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। इसकी सदस्य मन्त्रियों केन्द्रीय सरकार नियुक्त करती है। इसमें जुडीशियल और एकाउण्टेण्ट सदस्य होते हैं। जुडीशियल सदस्य कम से कम १० साल की प्रैक्टिस का एडवोकेट हो या कम से कम १० वर्ष तक सिविल जुडीशियल पद पर रहा हो अथवा कम से कम ३ वर्ष तक सप्ट्रल लीगल सर्विस का (लेकिन तृतीय ग्रेड से कम न हो) सदस्य रहा हो और एकाउण्टेण्ट सदस्य १० वर्ष की प्रैक्टिस का चाटब एकाउण्टेण्ट होना चाहिए अथवा वह कम से कम ३ वर्ष तक असिस्टेंट इनकम-टैक्स कमिश्नर रहा हो। साधारणतया जुडीशियल सदस्य इस ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष होता है। इस ट्रिब्यूनल को कई बेंचों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक बेंच में एक जुडीशियल और एक एकाउण्टेण्ट सदस्य होता है। किसी अपील के सम्बन्ध में यदि इन दोनों सदस्यों में मतभेद हो जाता है तो ट्रिब्यूनल का सभापति एक तीनों सदस्यों की बेंच नियुक्त कर देता है।

तथ्य सम्बन्धी प्रश्नों पर इस ट्रिब्यूनल का निर्णय अन्तिम (final) होता है लेकिन कानून सम्बन्धी प्रश्नों के सम्बन्ध में इसके निर्णय के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है परन्तु इसके लिए ट्रिब्यूनल की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। यदि ट्रिब्यूनल स्वीकृति न दे तो स्वीकृति प्राप्त करने की भी अपील हाईकोर्ट में की जा सकती है।

अपीलेट ट्रिब्यूनल के अधिकार—धारा २५५ (६) के अंतर्गत, अपीलेंट ट्रिब्यूनल को अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए वे सब अधिकार प्राप्त हैं जो धारा १३१ में वर्णित आय-कर पदाधिकारियों को होते हैं तथा ट्रिब्यूनल के मामलों जिनकी कायदाही होती है वह सब जुडीशियल कायदाही मानी जाती है।

(४) उच्च न्यायालय (High Court)—धारा २५६ के अंतर्गत, अपीलेंट ट्रिब्यूनल का आदेश प्राप्त होने के बाद ६० दिनों के अंदर, कर दाता

अथवा कमिश्नर निर्धारित फॉर्म में ट्रिब्यूनल को प्राथना पत्र दे सकता है कि उसके निणय में कानूनी प्रश्न सन्निहित (involved) है, अतः वह उस हाई कोर्ट का रेफर (refer) कर दे।

यदि ट्रिब्यूनल की सम्मति में किसी मामले में कानूनी प्रश्न सन्निहित नहीं है तो वह हाईकोर्ट का रेफर करने के लिए मना कर सकता है। कर गत अथवा कमिश्नर को यह अधिकार है कि वह मना करने का आदेश प्राप्त होने के बाद ६ माह के अन्दर हाईकोर्ट में प्राथना पत्र दे सकता है और यदि हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल के निणय का सही नहीं मानता तो वह ट्रिब्यूनल को यह आदेश दे सकता है कि वह उस मामले का विवरण तैयार करके हाईकोर्ट का रेफर (refer) कर दे। ऐसा आदेश प्राप्त होने पर ट्रिब्यूनल उस मामले का हाई कोर्ट को रेफर (refer) कर देता है।

हाईकोर्ट में ऐसे मामले की सुनवाई कम से कम दो जजों की बेंच द्वारा होती है। उसका निणय उनकी बहु सम्मति से होता है। हाईकोर्ट अपने निणय की एक प्रतिलिपि ट्रिब्यूनल का भेज देता है जो उसके अनुसार अपने पूर्व आदेश में सशोधन कर देता है।

(५) सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court)—धारा २६१ के अन्तर्गत, हाईकोर्ट को रेफर (refer) किया हुए किसी मामले पर दिया गया हाईकोर्ट के निणय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में अपील की जा सकती है बशर्ते कि हाईकोर्ट यह प्रमाणित कर दे कि यह मामला (case) सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के योग्य (fit) है। यदि सर्वोच्च न्यायालय अपील में हाईकोर्ट के निणय में परिवर्तन कर देता है तो सर्वोच्च न्यायालय के निणय के अनुसार अपीलेट ट्रिब्यूनल अपने पूर्व आदेश में उचित सशोधन कर देता है।

QUESTIONS

1. What are the various authorities envisaged in the Indian Income tax Law and what are their functions?
भारतीय आय कर विधान में किन किन पदाधिकारियों का वर्णन किया गया है तथा उनके क्या क्या कार्य हैं ?
2. Write short notes on
Appellate Tribunal, Director of Inspection, Appellate Assistant Commissioner and Inspecting Assistant Commissioner

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए

अपीलेट ट्रिब्यूनल, इंस्पेक्टर ऑफ इन्स्पेक्शन, अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर तथा इन्स्पेक्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर।

- 3 Describe the organisation of the Income Tax Department
आय-कर विभाग के संगठन की व्याख्या कीजिए ।
- 4 Discuss the powers of the Income tax authorities in the matter of calling forth documents and account books
प्रपत्र तथा हिसाब किताब मांगने के सम्बन्ध में आय-कर पदाधिकारियों के अधिकारों का वर्णन कीजिए ।
- 5 Describe the various authorities entrusted with the work of administering the law of income tax in India
भारत में आय-कर विधान का प्रशासन करने वाले पदाधिकारियों का वर्णन कीजिए ।

व्यक्तियों का कर-निर्धारण

[ASSESSMENT OF INDIVIDUALS]

आय कर अधिनियम के अनुसार कर दाता निम्न प्रकार के हातों हैं
 (१) व्यक्ति, (२) हिंदू अविभाजित परिवार, (३) फर्म, (४) व्यक्तियों
 का जय समुदाय (५) कम्पनी, (६) स्थानीय सत्ता, और (७) वैधानिक
 कृत्रिम व्यक्ति।

उपयुक्त वर्णित कर दाताओं पर कर निर्धारण करने के सम्बन्ध में अधि-
 नियम के आयोजना का अध्ययन इस अध्याय में तथा अगले अध्याय में
 किया जायगा।

व्यक्ति

(Individual)

व्यक्ति से आशय एक स्त्री, पुरुष, अवस्थक अथवा ऐसे व्यक्ति से है
 जिसका मस्तिष्क ठीक हो। एक व्यक्ति का अपनी कुल आय पर आय-कर
 दना होता है जो क्रमागत बढ़ती हुई दरों से लगाया जाता है। एक व्यक्ति को
 अपनी स्वयं की भिन्न भिन्न शीपको के अंतर्गत हुई आय के अतिरिक्त निम्न
 संस्थाओं की सदस्यता से भी लाभ मिलता है जिसे उस व्यक्ति की कुल आय
 में शामिल करने के सम्बन्ध में निम्न नियम हैं

(i) हिंदू अविभाजित परिवार की सदस्यता से—किसी व्यक्ति द्वारा
 एक हिंदू अविभाजित परिवार का सदस्य होना के तात्पर्य, परिवार की आय से
 मिली हुई राशि पर न तो कर लगता है और न वह उसकी कुल आय में
 शामिल की जाती है, चाहे परिवार ने कर दिया हो अथवा नहीं परंतु परिवार
 के किसी सदस्य ने यदि अपने व्यक्तिगत परिश्रम से कोई आय प्राप्त की है
 तो उस पर व्यक्ति के रूप में कर निर्धारण होता है।

(ii) फर्म की सदस्यता से—फर्म का प्रकार को हाती है, (क) रजिस्टर्ड
 और (ख) अनरजिस्टर्ड।

(क) रजिस्टर्ड फर्म की दशा में—यदि कोई व्यक्ति एक रजिस्टर्ड फर्म
 का सदस्य है तो उस फर्म से मिला हुआ लाभ का भाग उसको

कुल आय में शामिल किया जायगा और उस पर उसे कर देना होगा। यदि ऐसी फर्म की कुल आय २५,००० रुपये से अधिक होने के कारण फर्म ने स्वयं भी कुछ आय कर दिया हो तो भी साझेदार की कुल आय में उसका लाभ का हिस्सा शामिल किया जायगा और उस पर कर लगगा, परन्तु फर्म द्वारा देय आय कर में इस साझेदार का भाग पर, साझेदार को अपनी कुल आय पर लागू आय कर की औसत दर से छूट दी जायगी।

(ख) अनरजिस्टर्ड फर्म की दशा में—यदि कोई व्यक्ति एक अनरजिस्टर्ड फर्म का सदस्य है और यदि फर्म के लाभों पर कर देय है तो उस व्यक्ति को मिला हुआ लाभ का भाग उसकी कुल आय में शामिल किया जायगा परन्तु बाद में आय-कर की औसत दर से उस पर छूट दी जायेगी। यदि फर्म की कुल आय पर, न्यूनतम कर योग्य सीमा से कम होने के कारण, कर नहीं लगा है तो उस व्यक्ति को जो इसका सदस्य है अपने लाभ के भाग पर कर देना होगा।

(iii) व्यक्तियों के अन्य समुदाय की सदस्यता से—अन्य समुदाय की सदस्यता से प्राप्त आय के सम्बन्ध में वही नियम लागू है जो अनरजिस्टर्ड फर्म की सदस्यता के सम्बन्ध में है।

(iv) कम्पनी की सदस्यता से—इसका अभिप्राय कम्पनी के अशुधारी के रूप में प्राप्त लाभांश से है। यह उसकी कुल आय में जोड़ा जाता है तथा इस पर आय-कर लगता है। कम्पनी द्वारा लाभांश की रकम पर काटा हुआ आय कर, प्राप्त लाभांश में जोड़कर कुल आय में शामिल होता है और बाद में अशुधारी के लाभांश में से कटी हुई आय कर की रकम, अशुधारी द्वारा देय कुल कर में से घटा दी जाती है और शेष कर उसे देना होता है।

कुल आय में शामिल की जाने वाली दूसरी की आय—निम्न दशाओं में दूसरी की आय एक व्यक्ति की आय में शामिल की जाती है

(क) किसी सम्पत्ति की आय का हस्तान्तरण बिना सम्पत्ति को हस्तान्तरण कर दिया जाय तो इस सम्पत्ति की आय उस व्यक्ति की आय में शामिल होगी जिसने आय का हस्तान्तरण किया हो।

(ख) सम्पत्ति का खण्डनीय हस्तान्तरण करने पर, कुछ अपवादों के अधीन, उस सम्पत्ति की आय हस्तान्तरण करने वाले व्यक्ति की कुल आय में शामिल होगी।

(ग) कुछ विशेष परिस्थितियों में एक जीवन साथी की आय दूसरे की आय में शामिल की जाती है।

(घ) कुठ विशेष परिस्थितिया मे अवस्यक की आय उमकी माता अथवा उसके पिता की आय मे शामिल की जाती है ।

(ङ) किसी अय व्यक्ति को हस्तातर की हुई सम्पत्ति की आय, यदि इस हस्तातरण से उसके जीवन साथी अथवा अवस्यक को काइ लाभ पहुँचता हो, हस्तातर करने वाले की आय मे शामिल हाती है ।

नोट—उपयुक्त (क) से (ङ) तक का विस्तृत वणन अयाय १२ म किया गया है ।

Illustration 1

From the following information calculate the total income and exempted income of an individual for the assessment year 1965 66

- Salary at Rs 1,500 per month
- His contribution to a recognised provident fund, Rs 2,160
- Employer's contribution to his provident fund, Rs 2 160
- Interest at 9% per annum credited to provident fund Rs 1 200
- Dividends gross, Rs 6 000
- Life insurance premium paid, Rs 5,000

Solution

Assessment Year 1965 66

Statement of Total Income

	Rs	Rs
1 Income from Salary	18 000	
Employer's contribution over 10%	360	
Interest on Provident Fund in excess of 6%	400	18,760
2 Income from other Sources		
Dividends (gross)		6 000
Total Income	Rs	<u>24 760</u>

Amount exempt from Income tax

	Rs
Employee's contribution to Provident Fund	2 160
Life Insurance Premium (Restricted to 1/4 of Total Income or Rs 10 000 whichever is less)	1 030
Rs	<u>6 190</u>

Illustration 2

The following are the particulars of the income of Sri P K Dutta a Government Servant for the year ended 31st March, 1965

(a) Salary at Rs 750 per month and his travelling allowance bills for the year amounted to Rs 1,800, the actual amount spent by him on travelling being Rs 1 500

(b) He contributed 6 25 paise per rupee for his Provident Fund to which the Government contributed an equal amount. The interest on his Provident Fund amounted to Rs 250

(c) He owns two bungalows, one of which is let at Rs 120 per month and the other is occupied by him for his residence, the annual rental value of the same being Rs 960. He has paid Rs 200 as ground rent and insurance charges in respect of the first bungalow and Rs 150 in respect of the second. The municipal taxes paid by him in respect of the two bungalows amounted to Rs 150 and Rs 120 respectively, and he spent Rs 3,000 on white washing and petty repairs in respect of both the bungalows

(d) He received during the year Rs 250 as tax free interest on Government securities and Rs 300 as dividend from a limited company. He has insured his life and pays an annual premium of Rs 1 250 on his policies

Ascertain his total income, taxable income and amounts entitled to rebate of income-tax, assuming that both the bungalows were constructed in 1953

Solution

*Assessment Year 1965 66
Statement of Total Income*

1	Income from Salary	Rs 9,000
2	Interest on tax free securities	250
3	Income from House Property	Rs
	Rent of house let being annual value	1,440
	Less $\frac{1}{4}$ Municipal Taxes	75
	Annual Value	<hr/> Rs 1 365
		Rs
	Annual rental value of residential house	960
	Less $\frac{1}{4}$ Municipal Taxes	60
		<hr/> 900
	Less $\frac{1}{4}$ Statutory Allowance	450
	Net Annual Value	<hr/> 150
		<hr/> Rs 1,815

Less $\frac{1}{8}$ for Repairs*	302 50	
Ground Rent etc	350	
	652 50	
		1,162 50
1 Income from other Sources		
Dividends (gross = $\frac{300 \times 10}{8}$)	375	
Excess Travelling Allowance	300	675
	Total Income	Rs 11 087 50
	or Say, Rs	11 088

Amounts entitled to rebate of Income tax

	Rs
Employee's Contribution to P I	562 50
Life Insurance Premia	1,250
Int on Tax free Govt Securities	250
	Rs 2,062 50

Illustration 3

The income of an individual for the year ended 31st March 1965 consists of the following

(a) Business profits (after setting off Rs 20,000 paid as donation to a college and Rs 4 000 as life insurance premium) Rs 52,000

(b) One half share from an unregistered firm (which has paid income tax) in which he was a partner Rs 8 000

(c) Interest on tax free government securities Rs 8 000

(d) Dividend Rs 6 000 gross

Compute the total income and amounts entitled to rebate of tax for the assessment year 1965 66

* $\frac{1}{8}$ Repair Allowance is allowed irrespective of any expenditure on this account

Solution

Assessment Year 1965 66
Statement of Total Income

		Rs
1 Interest on tax free Securities		8,000
2 Business Profits		
Own business	76,000	
$\frac{1}{2}$ Share of Profit in Unregistered firm	8,000	
	84,000	
Less 60% of L I Premium	2,400	
	81,600	81,600
3 Income from other Sources		
Dividends (gross)		6,000
	Total Income	Rs 95,600

Amounts entitled to rebate of income tax

		Rs
(i) Interest on tax free securities (at the average rate or at 25% whichever is less)		8,000
(ii) Share of Profit in Unregistered firm		8,000
(iii) Charitable Donations		7,960
	Total	Rs 23,960

Note The amount of charitable donations is restricted to 10% of total income as reduced by the amounts entitled to rebate of income tax {Rs 95,600 - (Rs 8,000 + 8,000)} i.e., 10% Rs 79,600 = Rs 7,960

Illustration 4

From the following information calculate the total income and exempted income of an individual for the assessment year 1965 66

- (a) Salary after deduction of provident fund contribution and income tax Rs 14,200
- (b) Income tax deducted from salary Rs 2,000 ✓
- (c) His contribution to recognised provident fund Rs 1,800
- (d) Employer's contribution to his provident fund, Rs 1,800
- (e) Interest at 9 per cent per annum credited to provident fund Rs 1,200

- (f) Dividends received Rs 4,400, income tax applicable thereto being Rs 1,000
- (g) Life insurance premium paid, Rs 1,800

Solution

Assessment Year 1965 66
Statement of Total Income

	Rs	Rs
1 Income from Salary		
Salary Received	14 200	
Add Income tax deducted at source	2 000	
Provident Fund contribution of the employee	1,800	
	18 000	
Annual Accretion	18 000	
Employer's contribution is not more than 10% of his salary of Rs 18 000	Nil	
Interest on P F in excess of 6% (Rs 1,200—800)	400	18 400
2 Income from other Sources		
Dividends (gross)		5 400
Total Income	Rs	23 800

Amount entitled to rebate of income tax

	Rs	
P F contribution by the employee	1 800	
Life Insurance Premium	1 800	
	3 600	

QUESTIONS

- 1 Describe the various sources from which an individual can earn his income
उन भिन्न भिन्न साधनों का वर्णन कीजिए जिनमें एक व्यक्ति आय कमा सकता है।
- 2 How would the following incomes be treated in the assessment of an individual who is resident and ordinarily resident

- (i) Share of profit from an unregistered firm
- (ii) Share of income of a Hindu undivided family,
- (iii) Profit on sale of capital asset,
- (iv) Income from property in a foreign country
- (v) Interest on tax free securities ?

एक निवासी एवं माधारण निवासी की कर-देय आय त्रिकालने से निम्न लिखित आय किस प्रकार समझी जायेगी

- (i) अपजीमित साधेदारी के लाभ का मिलने वाला भाग,
- (ii) सयुक्त हिन्दू परिवार से मिलने वाला भाग,
- (iii) स्थिर पूजा की वस्तु के बिकने पर लाभ,
- (iv) विदेश स्थित सम्पत्ति से प्राप्त आय,
- (v) कर मुक्त ऋण पत्रों पर मिला ब्याज ?

हिन्दू अविभाजित परिवार का कर-निर्धारण

[ASSESSMENT OF HINDU UNDIVIDED FAMILY]

हिन्दू लॉ (Hindu Law) के अनुसार हिन्दू अविभाजित परिवार से आशय उन सभी व्यक्तियों से है जो एक ही पूवज के वंशज हों (Lineally descended from a common ancestor)। इसमें इनकी पत्निया तथा अविवाहित पुत्रियाँ भी शामिल होती हैं। परन्तु आय कर के दृष्टिकोण से एक हिन्दू अविभाजित परिवार वह है जो निम्न दो शर्तों को पूरा करता है

- (1) परिवार की सम्पत्ति शामिल में हो (Common property), तथा
- (ii) परिवार में हिन्दू सहभागिता (Coparcenary) हो।
- (1) परिवार की सम्पत्ति का शामिल में होना—परिवार की शामिल में होने वाली सम्पत्तियों से आशय निम्न सम्पत्तियों से है

- (क) पूवजों से प्राप्त हुई सम्पत्ति (Ancestral Property),
- (ख) पूवजों से प्राप्त हुई सम्पत्ति की महायता से प्राप्त होने वाली परिवार की कोई अन्य सम्पत्ति
- (ग) परिवार के सदस्य द्वारा अपने व्यक्तिगत परिश्रम अथवा साधन से प्राप्त की गयी कोई सम्पत्ति, परिवार की सम्पत्ति मान लेना पर वह सम्पत्ति।

(ii) परिवार में हिन्दू सहभागिता (Coparcenary) का होना—परिवार में ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिन्हें परिवार के विभाजन पर अपना भाग मिलने का अधिकार हो। ये ही व्यक्ति सहभागी (Coparceners) कह जाते हैं। इसके अतिरिक्त हिन्दू अविभाजित परिवार में ऐसे सदस्य भी हो सकते हैं जो हिन्दू लॉ (Hindu Law) के अनुसार परिवार में केवल पालन-पोषण का अधिकारी हैं।

हिन्दू लॉ के अनुसार दो सम्प्रदाय—हिन्दू लॉ (Hindu Law) के अनुसार अविभाजित हिन्दू परिवार के नियन्त्रण के सम्बन्ध में दो सम्प्रदाय

(Two Schools) है—एक मिताक्षरा तथा दूसरा दायभाग। इन दोनों का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है

मिताक्षरा सम्प्रदाय—यह बंगाल को छोड़कर समस्त भारत में लागू होता है। इसके अनुसार पुत्र का पैदा हात ही अपन पिता के पूवजों की सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः पुत्र का जन्म होते ही पूवजों की सम्पत्ति की आय पर अविभाजित हिंदू परिवार की तरह कर लगने लगता है परन्तु पिता के व्यक्तिगत परिश्रम से प्राप्त सम्पत्ति की आय पर पिता पर व्यक्ति के रूप में ही कर लगता है। यदि किसी परिवार में केवल एक पुरुष सदस्य हो और उसके कोई पुत्र न हो तो ऐसे परिवार में पूवजा की सम्पत्ति पर भी उम पुरुष सदस्य पर व्यक्ति के रूप में कर निर्धारण होगा, न कि परिवार के रूप में। इसमें स्त्रियाँ सहभागी नहीं हो सकती हैं।

दायभाग सम्प्रदाय—यह केवल बंगाल में लागू होता है। इसके अनुसार पुत्र को, पूवजा की सम्पत्ति में, अपन पिता की मृत्यु के बाद ही अधिकार मिलता है। पिता को अपने जीवन काल में पूवजों की सम्पत्ति को बेचने, दान देने अथवा किसी प्रकार भी हस्तांतरण कर का अधिकार होता है। यदि एक पिता स्वयं सहभागी न हो तो पूवजों की सम्पत्ति की आय पर उसे व्यक्ति के रूप में कर देना होगा। उसकी मृत्यु के बाद, यदि उसके एक से अधिक सहभागी हैं तो पूवजा की सम्पत्ति की आय पर हिंदू अविभाजित परिवार की तरह कर लगेगा। इसमें स्त्रियाँ भी सहभागी हो सकती हैं।

हिंदू अविभाजित परिवार का निवास (Residence of a Hindu Undivided Family)

धारा ६ (२) के अंतर्गत एक हिंदू अविभाजित परिवार किसी भी गत वर्ष में हमेशा निवासी माना जाता है जब तक कि उस वर्ष में उसका नियंत्रण एवं प्रबंध पृथक् भारत के बाहर स्थित न हो, अर्थात् यदि किसी गत वर्ष में इसका नियंत्रण एवं प्रबंध कुछ अंश में भी भारत में स्थित है तो यह निवासी कहलायेगा। नियंत्रण एवं प्रबंध से आशय उसके वास्तविक नियंत्रण एवं प्रबंध से है, अर्थात् जहाँ से परिवार के व्यापार आदि के संचालन की नीति निर्धारित होती है तथा समय-समय पर आदेश दिये जाते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जहाँ व्यापार चलता है वही से उसका नियंत्रण एवं प्रबंध होवे।

एक हिंदू अविभाजित परिवार किसी गत वर्ष के लिए भारत में असाधारण निवासी (Not Ordinarily Resident) माना जाता है यदि

(1) उसका कर्ता (Manager) गत वर्ष से पूर्व १० गत वर्षों में ६ वर्ष भारत में निवासी न रहा हो, या

(ii) उसका वर्ग गत वर्ष से पूर्व ७ गत वर्षों में कुल मितानर ७३० दिन या इससे अधिक भारत में न रहा हो ।

इस सम्बन्ध में कर्ता (Manager) के भारत में रहने की अवधि पर ध्यान देना है न कि भारत से बाहर रहने की अवधि पर ।

हिन्दू अविभाजित परिवार का कर निर्धारण (Assessment of Hindu Undivided Family) — हिन्दू अविभाजित परिवार स्वतंत्र रूप में एक कर दाता है । इस पर परिवार के नाम से व्यक्ति की तरह कर निर्धारण किया जाता है परन्तु इसका निवास-स्थान निर्धारित करने के सम्बन्ध में व्यक्ति में अलग नियम हैं । एक हिन्दू अविभाजित परिवार का कर निर्धारण उसके कर्ता (Manager) के द्वारा होता है । परिवार के सदस्यों को परिवार की आय में जो भाग मिलता है वह उनके व्यक्तिगत कर निर्धारण में उनकी कुल आय में शामिल नहीं किया जाता है, चाहे परिवार पर पृथक् रूप से कर लगा हो अथवा नहीं ।

यद्यपि हिन्दू लों के अनुसार एक हिन्दू स्त्री परिवार की सहभागी (Coparcener) नहीं हो सकती है तथापि आय-कर के दृष्टिकोण से विशेष परिस्थिति में परिवार की कर्ता (Manager) मानी जा सकती है । यदि परिवार में कोई वयस्क पुरुष सदस्य न हो तो स्त्री को ही कर्ता माना जा सकता है ।

परिवार के किसी सदस्य को (कर्ता के अतिरिक्त) यदि वेतन दिया जाता है तो परिवार की कर-योग्य आय निकालते समय उसकी छूट तभी दा जानी है जबकि उसने परिवार की आय कमाने के लिए कोई सेवा की हो करना यह छूट नहीं दी जाती है ।

न्यूनतम कर योग्य सीमा (Minimum Taxable Limit) — यदि एक अविभाजित हिन्दू परिवार गत वर्ष के अन्त में निम्न शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी कर देता है तो उसके लिए आय कर की न्यूनतम कर योग्य सीमा (Minimum Taxable Limit) ६००० रुपये होती है, अर्थात् उसकी ६००० रुपये तक की आय पर कर नहीं लगता है

(1) परिवार में कम से कम दो सदस्य ऐसे हों जिन्हें परिवार का विभाजन कराने का अधिकार हो तथा वे १८ वर्ष की आयु से कम न हों अथवा

(ii) परिवार में कम से कम दो सदस्य ऐसे हों जिन्हें परिवार का विभाजन कराने का अधिकार हो तथा जो आपस में एक दूसरे की सन्तान (पुत्र अथवा पौत्र) (Lineally descended) न हों तथा जो परिवार के किसी अन्य जीवित सदस्य की सन्तान (पुत्र अथवा पौत्र) (Lineally descended) न हों ।

जीवन बीमा प्रीमियम (Life Insurance Premium)—एक हिन्दू अविभाजित परिवार की दशा में परिवार के किसी भी पुरुष सदस्य अथवा उसकी पत्नी के जीवन बीमे पर जो प्रीमियम दिया जाता है वह आय कर से मुक्त होता है, बशर्ते कि प्रीमियम की रकम किसी वर्ष में परिवार की कुल आय के १ अथवा २०,००० रुपये (जो भी दोनों में कम हो) से अधिक न हो। बीमा प्रीमियम की छूट देने की यह प्रथा उन कर-दाताओं के लिए जिनकी कुल आय में वेतन शीपक की आय शामिल है केवल १९६५-६६ कर निर्धारण वर्ष तक के लिए लागू है। अथवा कर-दाताओं के लिए यह प्रथा १९६५-६६ कर निर्धारण वर्ष से ही बाद कर दी गयी है तथा उनके लिए इसके स्थान में १९६५-६६ कर निर्धारण वर्ष में ही जीवन बीमा प्रीमियम, प्रावीडेण्ट फण्ड आदि के सम्बन्ध में निर्धारित बीमा के अन्दर की गयी प्रथम ५,००० रुपये की राशि का ६० प्रतिशत तथा शेष ऐसी राशि का ५० प्रतिशत कुल आय में से कटौती के रूप में घटा लिया जायगा। (इसका विस्तृत वर्णन अध्याय ४ में किया गया है)। अतः १९६६-६७ कर निर्धारण वर्ष से एक व्यक्ति तथा हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा जीवन बीमा प्रीमियम आदि के लिए दी गयी राशि के सम्बन्ध में कुल आय में से कटौती दी जायगी चाहे भले ही उनकी कुल आय में वेतन शीपक की आय शामिल हो।

जन तथा सिख अविभाजित परिवार (Jain and Sikh Undivided Families)—ये भी हिंदू अविभाजित परिवार ही माने जाते हैं जब तक कि किसी विशेष परिस्थिति में कर-दाता द्वारा उसे ऐसा न मानने के लिए मांग न की जाय। यदि ऐसी मांग की जायगी तो कर-दाता को यह सिद्ध करना होगा कि उसके परिवार में कोई ऐसे रीति-रिवाज हैं जिनके कारण उसे हिंदू अविभाजित परिवार नहीं माना जा सकता है।

अविभाजनीय सम्पत्ति (Impartible Estate)—यह वह सम्पत्ति हाती है जिसे परिवार के सदस्यों में बाँटा नहीं जा सकता है। ऐसी सम्पत्ति में भूमि, भवन, प्रतिभूतियाँ अथवा आय के अथवा साधन आते हैं। यह सम्पत्ति परिवार के सबसे ज्येष्ठ (senior most) सदस्य को मिलती है। इस सम्पत्ति की आय परिवार की आय नहीं होती है। यह उम्र सम्पत्ति के धारक की व्यक्तिगत आय होती है और उसके व्यक्तिगत कर निर्धारण में इस आय पर कर लगता है। इस आय में से परिवार के अन्य सदस्यों को जो भाग मिलता है वह उनके हाथ में पूणतया कर मुक्त है।

हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य को परिवार से प्राप्तियाँ (Receipts by a member from Family Income)—धारा १० (२) के अन्तर्गत, हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य को परिवार से जो धनराशि मिलती है

वह उसकी कुल आय में नहीं जोड़ी जाती है शर्तों कि यह राशि परिवार की आय में से दी गयी हो, अथवा अविभाजनीय सम्पत्ति (Impartible Estate) की दशा में यह राशि परिवार की सम्पत्ति की आय में से दी गयी हो। यह शून्य तभी स्वीकार हो सकती है जबकि निम्न शर्तें पूरी हो जायें

- (१) एक हिन्दू अविभाजित परिवार का होना,
- (२) कर दाता का हिन्दू अविभाजित परिवार का सदस्य होना,
- (३) यह राशि उसे परिवार का सदस्य हाने की हैसियत से मिली हो, तथा
- (४) यह राशि परिवार की आय में से दी गयी हो।

हिन्दू अविभाजित परिवार का विभाजन—धारा १७१ के अंतर्गत दिये हुए स्पष्टीकरण में 'विभाजन' की परिभाषा दी गयी है, जिसके अनुसार विभाजन का अर्थ निम्न है

(क) यदि सम्पत्ति का भौतिक विभाजन सम्भव हो तो विभाजन का अर्थ उस सम्पत्ति के भौतिक विभाजन से है। केवल आय का विभाजन करने से परिवार का विभाजन नहीं माना जाता है, अथवा

(ख) यदि सम्पत्ति का भौतिक विभाजन सम्भव न हो, तो उतना विभाजन कर देना, जितना सम्भव हो, विभाजन कहलाता है परंतु केवल स्थिति का पृथक् (Severance of status) हो जाना विभाजन नहीं माना जाता है।

(ग) आशिक विभाजन का अर्थ परिवार के कुछ सदस्यों में विभाजन हो जाने से है अथवा परिवार की कुछ सम्पत्तियों का विभाजन हो जाने से है। जब परिवार के कुछ सदस्य परिवार से अलग हो जायें परंतु शेष परिवार में ही रह जायें तो ऐसा आशिक विभाजन सदस्यों के आधार पर हुआ कहलाता है तथा जब परिवार की कुछ सम्पत्ति का विभाजन हो जाये तथा कुछ का न हो तो ऐसा आशिक विभाजन सम्पत्ति के आधार पर हुआ, कहलाता है।

विभाजन के बाद कर निर्धारण की विधि—धारा १७१ के अंतर्गत एक अविभाजित हिन्दू परिवार पर विभाजन के बाद कर निर्धारण करने के सम्बन्ध में निम्न नियम हैं

(क) जब तक विभाजन जाय कर अधिकारी स्वीकार न कर ले तब तक परिवार पर अविभाजित परिवार की तरह से कर निर्धारण होगा।

(ख) कर निर्धारण के समय यदि परिवार का कोई सदस्य यह कहे कि परिवार का विभाजन हो चुका है तो आय-कर अधिकारी इस सम्बन्ध में प्रत्येक सदस्य से पूछ-ताछ करेगा। पूछ-ताछ के पश्चात् वह यह निणय करेगा कि विभाजन पूर्ण अथवा आशिक है और कब हुआ है।

(ग) यदि विभाजन मन कथ में हुआ हो तो विभाजन की तिथि से पूरे की अवधि के सम्बन्ध में अविभाजित हिन्दू परिवार की तरह से कर निर्धारण

होगा और इस प्रकार निवाले हुए कर को चुकाने का प्रत्येक सदस्य का सयुक्त तथा पृथक् दायित्व होगा। विभाजन के बाद की आय परिवार की आय नहीं मानी जायगी बल्कि उसे परिवार के सहभागियों में उनके हिस्सा के अनुसार बांट दिया जाता है और प्रत्येक सहभागी को अपने हिस्से की रकम पर अपने व्यक्तिगत कर निर्धारण में कर देना पड़ता है। निम्न उदाहरण से यह विधि पूर्णतया स्पष्ट हो जायगी।

Illustration 1

A Hindu Undivided family consisting of four equal coparceners A, B, C and D is partitioned on 1st July, 1964. The partition is accepted by the Income tax Officer under Section 171. The income of the family for the period commencing from 1st January, 1964 to 30th June, 1964 is as under

	Rs
Profits of business	10,000
Income from property	14,000

After the partition A, B, C and D continued to carry on the family business as partners and their income for the six months ending on 31st December, 1964 was Rs 12,000. Explain how the assessment will be made for the assessment year 1965-66.

Solution

In this case, as the partition was effected during the previous year, there will be two assessments. One on the H U F, and the other on the partnership firm.

(1) *Assessment on H U F for the Assessment Year 1965-66*

	Rs
Income from Property	14,000
Profits of Business	16,650

Total Income Rs 30,650

Amount of tax payable by the family shall be assessed on Rs 21,000 and then the amount of tax will be apportioned equally among the coparceners who are jointly and severally liable for its payment.

(2) *Assessment on the firm for the Assessment Year 1965-66*

Profits of Business	Rs 12,000
<u>Total Income Rs 12,000</u>	

The firm will be assessed as Partnership firm. In the case may be Income from the H U F is included in the total income of the partners in their individual assessments.

वे आयें जो परिवार की आयें नहीं मानी जाती हैं

(१) परिवार के किसी सदस्य द्वारा अपने व्यक्तिगत प्रयत्न से प्राप्त की गयी आय । ऐसी आय पर उम सदस्य पर व्यक्ति के रूप में कर निर्धारण होगा ।

(२) पिता के निजी प्रयत्नों से प्राप्त सम्पत्ति (Self acquired property) की आय । ऐसी आय पर पिता पर व्यक्ति के रूप में कर निर्धारण होगा । पिता यदि इस सम्पत्ति को अपने पुत्र को व्यक्तिगत रूप में उपहार (gift) स्वरूप दे दे तो यह पुत्र की व्यक्तिगत आय होगी न कि परिवार की । यदि पुत्र इस सम्पत्ति का पतृक सम्पत्ति के रूप में पाता है तो इसकी आय परिवार की आय मानी जायेगी ।

(३) दायभाग सम्प्रदाय में पुत्र को पिता के जीवन काल में परिवार का सम्पत्ति में कोई हक नहीं होना है । अतः यदि पिता के अतिरिक्त परिवार में कोई सहभागी न हो तो परिवार की सम्पत्ति की आय ।

(४) पति की मृत्यु के पश्चात् स्त्री को एकल स्वामी (sole owner) के रूप में प्राप्त सम्पत्तियाँ आय ।

(५) मिताक्षरा सम्प्रदाय के अनुसार यदि परिवार में केवल एक पुरुष सदस्य जीवित हो तथा उसके बाद पुत्र न हो तो परिवार की सम्पत्ति की आय । ऐसी दशा में परिवार की सम्पत्ति की आय पर उस पुरुष सदस्य पर व्यक्ति के रूप में कर निर्धारण होगा ।

(६) यदि कोई सदस्य अपना व्यक्तिगत व्यापार करता है तो एन व्यापार की आय चाह भले ही उसने परिवार के कोष में ऋण लेकर पूंजी लगायी हो ।

(७) परिवार के सदस्य द्वारा व्यक्तिगत रूप से माझेदारी में व्यापार करने से होने वाली आय । यह फल की आय मानी जायेगी ।

(८) अविभाजनीय सम्पत्ति (Impartible Estate) की आय । इन आय पर अविभाजनीय सम्पत्ति के धारक (holder) पर व्यक्ति के रूप में कर निर्धारण होगा ।

(९) मिताक्षरा सम्प्रदाय में हिंदू पिता को चल सम्पत्ति का उचित सीदा के अंदर पत्नी, पुत्री आदि को उपहार (gift) के रूप में देन का पूर्ण अधिकार है । इस सम्बन्ध में अन्य व्यक्ति सहयोगिता की सहमति होना आवश्यक नहीं है । उपहार में दी हुई ऐसी चल सम्पत्ति की आय पर समुक्त परिवार पर कर नहीं लगेगा चाह भले ही उपहार देन का उद्देश्य परिवार पर कर निर्धारण करना ही हो ।

Illustration 2

From the following particulars of an Undivided Hindu Family compute the total income for assessment year 1965 66

	Rs
Rent from house property built in 1952	30 000
Municipal Taxes paid	1,200
Income from business	40 000
Loss from speculation business	10,000
Loss from hedging contracts	5,000

Solution

Statement of Total Income

1 Income from House Property	R	
Rental Value	30 000	
Less ¼ Municipal Taxes	600	
	29 400	
Less ½ Repairs	1 900	21 500
	Rs	
2 Income from Business	40,000	
Less Loss from hedging contracts	5,000	35 000
Total Income		Re 59,500

Note Speculation loss cannot be set off against business income. It will be carried forward to be set off in subsequent years against profits of speculation business only.

Illustration 3

From the following particulars of a Hindu Undivided Family compute the total income for the assessment year 1965 66

(i) Profit from business Rs 60 000, after charging Rs 10,000 salary paid to the manager of the family, Rs 4 000 salary paid to the manager's son for doing active work in the business, and Rs 5 000 as an irrecoverable loan given without interest to the manager's brother in law whose business failed

(ii) The Manager of the family received Rs 1,000 as Director's fees from a company in which he became director as a result of buying its shares out of the family fund

(iii) Dividends (gross) from the aforesaid company Rs 500

(iv) One member of the family is a government servant. He received Rs 4 800 as salary from the government

Solution*Statement of Total Income*

	Rs	Rs
1 Income from Business Profit	60,000	
<i>Add</i> Items not allowed		
(i) Manager's Salary	10,000	
(ii) Irrecoverable Loan	5,000	75,000
2 Income from other sources		
Dividends		500
	<u>Total Income</u>	<u>Rs 75,500</u>

- Notes**
- 1 Manager's salary is not allowed
 - 2 Manager's son's salary is allowed
 - 3 Irrecoverable loan is not allowed as the loan has not been given in the ordinary course of money lending business
 - 4 Director's fees received by a member of the family is not family income as it is earned by his personal exertion

QUESTION

- 1 Discuss the basis of assessment of a Hindu Undivided Family
एक अविभाजित हिंदू परिवार के कर निर्धारण के आधार का वर्णन कीजिए।

फर्म तथा व्यक्तियों के अन्य समुदाय का कर-निर्धारण

[ASSESSMENT OF FIRMS AND OTHER
ASSOCIATION OF PERSONS]

फर्म

(Firms)

आय-कर अधिनियम की धारा २ (२३) क अंतगत, फर्म, साझेदार तथा साझेदारी शब्दों का वही अर्थ है जो भारतीय साझेदारी अधिनियम, १९३० में दिया गया है परंतु साझेदार शब्द में एक अवयवस्व, जो साझेदारी के हितों के लिए साझेदारी में प्रविष्ट कर लिया गया है भी सम्मिलित है।

फर्म दो प्रकार की होती हैं—एक रजिस्टर्ड तथा दूसरी अनरजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड फर्म वह होती है जो आय कर अधिनियम की धारा १८४ के अंतगत रजिस्टर्ड है तथा जो फर्म इस प्रकार रजिस्टर्ड नहीं होती है, अनरजिस्टर्ड फर्म कहलाती है।

फर्म का रजिस्टर्ड कराने की शर्तें तथा विधि—एक फर्म का रजिस्टर्ड कराने की निम्न शर्तें तथा विधि हैं

(१) धारा १८४ क अंतगत फर्म की रजिस्ट्री कराने के लिए आय कर अधिकारी को प्रार्थना पत्र तभी दिया जा सकता है जबकि

(i) साझेदारी एक प्रलेख के अनुसार उनी हो, तथा

(ii) उस प्रलेख में साझेदारों के व्यक्तिगत भागों का उल्लेख स्पष्टतया किया गया हो।

(२) रजिस्ट्री कराने के लिए प्रार्थना पत्र फर्म के जीवन-काल में अथवा इसके विघटन के बाद दिया जा सकता है।

(३) यह प्रार्थना पत्र उस आय कर अधिकारी के यहाँ दिया जायेगा जो इस फर्म का कर निर्धारण करेगा और इस प्रार्थना पत्र पर निम्न व्यक्ति का हस्ताक्षर करन होगा

- (1) सब साझेदारों द्वारा (अवयस्ना का छोड़कर), अथवा
 (11) यदि फम का विघटन (dissolution) हो चुका है तो, अवयस्क
 का छोड़कर, फम के विघटन के समय जो उस फम क साझेदार थ,
 तथा मृतक साझेदार के कानूनी प्रतिनिधि द्वारा ।

यदि कोई साझेदार भारत के बाहर गया हुआ हा, अथवा पागल
 (lunatic) अथवा कम बुद्धि वाला (idiot) हो तो उसके द्वारा अधिकृत
 कोई व्यक्ति या वैधानिक रूप से उसका प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति उसकी
 ओर से प्राथना पत्र पर हस्ताक्षर कर सकता है ।

(4) जिस कर निर्धारण वष के लिए रजिस्ट्री करायी जा रही हा उसस
 सम्बन्धित गत वष के समाप्त होने से पूर्व यह प्राथना पत्र दे देना चाहिए ।
 यदि आय कर अधिकारी को यह विश्वास हा जाय कि ऐसा प्राथना पत्र गत
 वष के अन्दर न देने का पर्याप्त कारण है तो वह यह प्राथना पत्र गत वष क
 समाप्त हो जाने के बाद भी ले सकता है ।

(5) प्राथना पत्र के साथ साधदारी का मूल प्रलेख तथा उसकी एक प्रति
 लिपि नत्थी करनी होती ह । यदि आय-कर अधिकारी को यह विश्वास हो
 जाय कि मूल प्रलेख दाखिल न करने का पर्याप्त कारण है तो वह प्रलेख की
 प्रमाणित प्रतिलिपि ही ले सकता है जिस पर सब साझेदार उसकी ठीक प्रति
 लिपि होने के हस्ताक्षर करेंगे ।

(6) प्राथना पत्र निर्धारित फम पर दिया जायेगा तथा उसम निर्धारित
 विवरण भरना होगा ।

प्राथना पत्र प्राप्त हो जाने के बाद फम का रजिस्ट्रेशन स्वीकार करने की
 विधि—(1) धारा १८५ के अन्तगत, फम के रजिस्ट्रेशन के लिए प्राथना पत्र
 प्राप्त हो जाने के बाद आय कर अधिकारी फम तथा साझेदारी के प्रलेख म
 दिये हुए विधान की वास्तविकता के सम्बन्ध में पूछ-ताछ करेगा और (1) यदि
 वह इस बात से सतुष्ट है कि गत वष में यह फम साधेदारी क प्रलेख म
 दिये हुए विधान के अनुसार वास्तव में चल रही थी तो उस कर निर्धारण
 वष के लिए फम का रजिस्टर करने का वह लिखित आदेश दे दगा, और
 (11) यदि वह सतुष्ट नहीं है, तो फम का रजिस्टर करने की अस्वीकृति का
 लिखित आदेश दे दगा ।

(2) यदि रजिस्ट्री कराने के लिए दिये हुए प्राथना पत्र म कोई गलती है
 तो आय-कर अधिकारी फम का सूचना देगा कि एक माह के अन्दर उम गलती
 का ठीक कर दिया जाये न कि एकदम प्राथना-पत्र का अस्वीकार करेगा ।

(3) यदि गलती एक माह में ठीक न की जाय तो आय-कर अधिकारी
 प्राथना-पत्र को अस्वीकार कर सकता है ।

(४) जब किसी कर-निधारण वष के लिए एक फम रजिस्टर हा जाता है ता आय-कर अधिकारी साझेदारी के प्रलेख पर या उसकी प्रमाणित प्रति लिपि पर एक प्रमाण पत्र लिख देगा कि फम उस कर निधारण वष क लिए इस अधिनियम के अतगत रजिस्टर हो गयी है ।

(५) यदि किसी कर निधारण वष क सम्बन्ध मे फम द्वारा धारा १४४ के अतगत कोई भूल हो जाने के कारण सर्वोत्तम निणय के आधार पर कर निर्धारण हो तो आय कर अधिकारी उस कर-निधारण वष क लिए फम का रजिस्टर करने स मना कर सकता है ।

रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण—नय अधिनियम के अनुसार फम का एक बार रजिस्ट्रेशन होन के बाद उसके नवीनीकरण (renewal) के लिए प्राथना-पत्र नहीं दना हागा । धारा १८४ (७) के अतगत, जब एक बार कोई फम रजिस्टर कर दी जाये तो वह आग के वर्षों के लिए भी रजिस्टर्ड मानी जायेगी बशर्ते कि

(1) जिस प्रलेख क आधार पर फम का रजिस्ट्रेशन हुआ था उसमे दिख हुए विधान मे अथवा साझेदारी के भाग मे कोई परिवतन न हुआ हो, तथा

(ii) फम ने अपनी उस कर निर्धारण वष की आय के नक्शे के साथ दम सम्बन्ध मे एक घोषणा निर्धारित फाम मे तथा निर्धारित ढग से प्रमाणित करके दी हा ।

यदि गत वष मे फम के विधान मे अथवा साझेदारी के भाग मे कोई परिवतन हो जाय तो फम उस कर निधारण वष के लिए नये रजिस्ट्रेशन क लिए प्राथना पत्र देगी ।

रजिस्ट्रेशन को रद्द करना—(१) धारा १८६ के अतगत यदि किसी फम को रजिस्टर करन के बाद अथवा धारा १८४ (७) के अतगत उसका रजिस्ट्रेशन चालू स्वीकार करन के बाद, आय कर अधिकारी को यह विश्वास हा जाये कि गत वष मे ऐसी रजिस्टर हुई कोई फम वास्तव मे नहीं थी तो, फम को अपना उत्तर देन क लिए उचित अवसर दन क बाद तथा इन्सपेक्टिंग असिस्टेण्ट कमिश्नर की पूव स्वीकृति लेकर वह फम का रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकता है ।

जिस कर निधारण वष के लिए फम का रजिस्ट्रेशन हुआ था उसके ८ वष बाद फम का रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं किया जा सकता है ।

(२) यदि फम का रजिस्ट्रेशन करन के बाद, फम धारा १४४ क अतगत कोई भूल कर देती है जिसके कारण उस पर सर्वोत्तम निणय के आधार पर

कर निर्धारण हो जाता है तो आय कर अधिकारी फम को १४ दिन का नोटिस देकर फम का रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकता है ।

रजिस्ट्रेशन रद्द करने का प्रभाव—यदि किसी फम का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाता है तो जाय-वर अधिकारी उस फम तथा उसके साझेदारा पर किय हुए कर निर्धारण में सशोधन इस प्रकार कर सकता है जैसे कि वह अनरजिस्टर्ड फम ही ।

फम रजिस्टर कराने से लाभ—एक फम को रजिस्टर कराने से यह लाभ होता है कि फम की आय पर देय कुल कर की रकम, चाहे फम द्वारा दी गयी हो चाहे साझेदारा द्वारा, अनरजिस्टर्ड फम की अपेक्षा कम होती है ।

फम की आय में एक साझेदार के भाग की गणना करने की विधि—धारा ६७ के अनुसार फम की आय में उसके साझेदार के भाग की गणना निम्न प्रकार की जाती है

(१) फम की कुल आय में से गत वर्ष में साझेदारा को दिया गया वेतन ब्याज, बोनस, कमीशन अथवा अन्य कोई पारिश्रमिक घटाया जायेगा और शेष रकम साझेदारों में उनके निश्चित अनुपात में बांट दी जायेगी ।

(२) उपयुक्त बाटी हुई रकम यदि लाभ हो तो साझेदार द्वारा प्राप्त वेतन ब्याज, बोनस, कमीशन अथवा अन्य कोई पारिश्रमिक उसमें जोड़कर जो रकम आयेगी वही साझेदार का फम की आय में भाग होगा ।

(३) उपयुक्त (१) में बाटी हुई रकम यदि हानि हो तो साझेदार द्वारा प्राप्त वेतन, ब्याज, बोनस, कमीशन अथवा अन्य कोई पारिश्रमिक की रकम को उस हानि से समायोजन करके जा शेष आयेगा वही साझेदार का फम की आय अथवा हानि में भाग होगा ।

(४) साझेदार ने फम में विनियोग करने के लिए यदि कोई ऋण लिया हो तो उस ऋण का ब्याज उसके फम में लाभ के भाग में से घटा दिया जायेगा ।

फम की कुल आय की गणना करने की विधि—फम की कुल आय निकालने समय साझेदारा को दिया गया वेतन, ब्याज, बोनस कमीशन अथवा अन्य कोई पारिश्रमिक व्यय के रूप में स्वीकृत नहीं है । इसके अतिरिक्त फम का कुल आय निकालने के लिए दिये हुए लाभ हानि खाते के लाभ अथवा हानि में उसी प्रकार समायोजन कर लेना चाहिए जिस प्रकार व्यापार अथवा पेशे के शीपक में आय की गणना करते समय किया जाता है । तत्पश्चात् व्यापार के शीपक के अतिरिक्त अन्य शीपको में हुई फम की आय व्यापार की आय में जोड़कर फम की कुल आय निकल आती है ।

Illustration 1

X, Y and Z are equal partners in a firm whose Profit and Loss Appropriation Account is given below

	Rs		Rs
To Salary to X	500	By Net Profit b/d	10 000
„ Interest on Capital		„ Loss	
X	1,000	X	700
Y	900	Y	700
Z	700	Z	700
„ Commission			
X	1,000		
Y	2,000		
Z	3 000		
„ Bonus			
X	1,000		
Y	1,000		
Z	1,000		
	Rs 12,100		Rs 12,100

Compute the assessable income of the firm and allocate it amongst partners

Solution

Computation of Firm's Total Income

	Rs	
Balance as per Profit and Loss Appropriation A/c		-2,100
<i>Add</i> Items Disallowed	Rs	
Salary to X	500	
Interest on Capital to X, Y and Z	2 600	
Commission to X, Y and Z	6 000	
Bonus to X, Y and Z	3,000	+12,100
Net Income of the firm	Rs 10 000	

Allocation amongst Partners

	X	Y	Z
	Rs	Rs	Rs
Salary	500	—	—
Interest on Capital	1 000	900	700
Commission	1 000	2 000	3 000
Bonus	1 000	1,000	1 000
Loss as per P & L A/c	-700	-700	-700
Share of each partner in the firm's income	Rs 2 800	3 200	1 000

Illustration 2

X, Y and Z are equal partners in a firm, in which X gets a salary of Rs 1 000, Y Rs 1 200 and Z gets a commission of Rs 800. Interest on their capitals amounted to X Rs 1,000, Y Rs 900 and Z Rs 700. The firm suffered a loss of Rs 6 000 before providing for partners salaries, commission and interest on capital for the year ended 31st March, 1965. How will you allocate it amongst the partners for the assessment year 1965-66?

Solution

For the purpose of allocation amongst the partners the firm's loss of Rs 6,000 shall be increased by the amounts paid to partners in different forms as the same have not yet been charged. Thus

	Rs	6,000
Firm's Loss before charging the following		
Add Salary paid to X	Rs 1 000	
Salary paid to Y	1 200	2 200
Commission paid to Z	800	
Interest on Capital paid to X	1 000	
" " " " Y	900	
" " " " Z	700	2,600
Firm's loss after charging the above	Rs	11,600

Allocation amongst Partners

	X	Y	Z
	Rs	Rs	R
Salary	1 000	1 200	—
Commission	—	—	800
Interest on Capital	1 000	900	700
Equal Share of Firm's loss	-3 866	-3 867	-3 867
Net Share of Firm's Loss	Rs -1 866	-1 767	-2 367

Illustration 3

X, Y and Z are equal partners in a firm. From the following Profit and Loss Account of the firm for the year ending 31st March 1965 find out the taxable income of the firm for the assessment year 1965-66 and allocate it amongst partners for income tax purposes.

	Rs
To Establishment A/c	11,500
, General Expenses	12 000
, Interest on Capital	
X	1,000
Y	900
Z	700
, Municipal Taxes	1,200
, Salary to X	1 000
, Commission to Z	500
, Bad Debts Reserve	900
, Depreciation	100
(Allowable)	
, Net Profit	Rs
X	15 400
Y	15,400
Z	15,400
	46,200

Rs 76 000

	Rs
By Gross Profit b/d	60,000
, Rent from property	
built in 1952	6,000
, Commission	1,000
, Interest on Securities	
(gross)	5 000
Dividends (gross)	4,000

Rs 76,000

Solution

Profit as per Profit and Loss Account

Rs

46 200

Add Items not allowed

Interest on Capital	Rs	
Municipal Taxes in connection	2 600	
with the property		
Salary to X	1 200	
Commission to Z	1 000	
Bad Debts Reserve	500	
	900	6 200
		52 400

Less Income taxable under other heads

Rent from Property	Rs	
Interest on Security	6 000	
Dividends	5 000	
	4 000	15 000
Taxable Income from Business		Rs <u>37 100</u>

Statement of Total Income of the Firm

	Rs
1 Interest on Securities	5 000
2 Income from House Property	
Rent received	6 000
Less $\frac{1}{4}$ Municipal Taxes	600
	5 400
Less $\frac{1}{2}$ Repair Allowance	900
	4 500
3 Income from Business	37,400
4 Income from other Sources	
Dividends	4 000
Firm's Total Income	50,900

Allocation amongst Partners

	X	Y	Z
	Rs	Rs	Rs
Interest on Capital	1 000	900	700
Salary	1 000	—	—
Commission	—	—	500
Share of Firm's Income	15 600	15 600	15 600
Total Rs	17 600	16 500	16 800

रजिस्टर्ड फर्म का कर-निर्धारण

(१) धारा १८२ के अ तहत एक रजिस्टर्ड फर्म की कुल आय की गणना करने के बाद

(i) फर्म द्वारा देय आय कर की गणना की जाती है, तथा

(ii) फर्म की आय में प्रत्येक साझेदार का भाग उसकी स्वयं की कुल आय में जोड़कर उस पर कर लगाया जाता है।

(२) यदि साझेदार का फर्म में भाग हानि है तो उस उसकी अय आय में पूरा किया जायगा और फर्म की हानि का भाग पूर्णतया अय आय में पूरा न हो मने तो शेष हानि की रकम का पूर्ति के लिए आगे ले जाया जायगा।

(३) यदि रजिस्टर्ड फर्म या कोई साझेदार विदेशी है तो फर्म की आय में उसका भाग पर फर्म को कर देना होगा। यह कर उन रंग से लगाया

जायेगा जो उस साझेदार पर, यदि व्यक्तिगत रूप में कर निर्धारण होता, ना लागू होती।

(८) एक रजिस्टर्ड फर्म प्रत्येक साझेदार के फर्म की आय के भाग में से अधिक से अधिक ३० प्रतिशत भाग अपने पास रोक सकती है। यह रकम तब तक रोकी जा सकती है जब तक कि साझेदार फर्म की आय के अपने भाग पर कर न चुका दे। यदि उस साझेदार से उक्त कर वसूल न हो सके तो उपयुक्त रोकी जाने वाली रकम की सीमा तक कर का भुगतान फर्म को करना होगा, चाहे फर्म ने यह रकम वास्तव में रोकी हो या नहीं।

उपर्युक्त १ (1) में वर्णित कर फर्म पर तभी लगता है जबकि उसकी कुल आय २५,००० रु० से अधिक हो। ऐसी दशा में १९६५-६६ कर निर्धारण वर्ष के लिए आय कर की निम्न दरें फर्म पर लागू होती हैं

	दर
(i) यदि कुल आय २५,००० रु० से अधिक नहीं है	शून्य
(ii) यदि कुल आय २५,००० रु० से अधिक है परन्तु ५०,००० रु० से अधिक नहीं है	२५,००० रु० से अधिक आय पर ६%
(iii) यदि कुल आय ५०,००० रु० से अधिक है परन्तु १,००,००० रु० से अधिक नहीं है	१५०० रु० तथा ५०,००० रु० से अधिक आय पर ८%
(iv) यदि कुल आय १,००,००० रु० से अधिक है	५,५०० रु० तथा १,००,००० रु० से अधिक आय पर १२%

दरों की उपर्युक्त अनुसूची निम्न प्रकार भी बनायी जा सकती है

(i) कुल आय के प्रथम २५,००० रु० पर	कुछ नहीं
(ii) " " " अगले २५,००० रु० पर	६%
(iii) " " " ५०,००० रु० पर	८%
(iv) " " " शेष भाग पर	१२%

आय-कर पर सरचाज (Surcharge on Income tax)

उपयुक्त अनुसूची में दी हुई दरों के अनुसार निर्वाली गयी आय-कर की रकम के अतिरिक्त रजिस्टर्ड फर्म को आय कर पर २० प्रतिशत की दर में सरचाज भी देना होगा।

यदि किसी रजिस्टर्ड फर्म की कुल आय में वेमो से बनायी हुई आय शामिल है तथा यह आय फर्म की कुल आय के ५१ प्रतिशत से कम नहीं है तो आय-कर पर सरचाज २० प्रतिशत की बजाय १० प्रतिशत से दिया जायेगा।

साझेदारों को स्वोक्त छूट—यदि रजिस्टर्ड फर्म ने उपर्युक्त दरों से कर दिया हो तो फर्म के साझेदारों को अपने निजी कर-निर्धारण में फर्म द्वारा चुकाय गये आय कर के अपने अपने भाग पर अपनी निजी कुल आय पर लागू आय कर की औसत दर से आय कर की छूट दी जायेगी।

निश्चित अनुपातों में लाभों का न बाँटना—यदि किसी रजिस्टर्ड फर्म के साझेदारों ने कर बचाने के उद्देश्य से लाभों का विभाजन निश्चित अनुपात में न करके किसी को उससे अधिक और किसी को उससे कम लाभ का भाग दिया है, तो आय-कर अधिकारी अथवा अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर उस साझेदार पर अथ दण्ड लगा सकता है जिसने इस प्रकार कम भाग अपनी आय में शामिल किया हो। यह अर्थ तब तक उस रकम के डेढ़ गुने से अधिक न होगा जो कर के रूप में देने से बच जाती, यदि फर्म की आय का वही कम भाग साझेदार की आय में शामिल किया जाता।

अनरजिस्टर्ड फर्म का कर-निर्धारण

(१) धारा १८३ के अंतर्गत, एक अनरजिस्टर्ड फर्म की कुल आय पर कर निर्धारण किया जाता है और वह कर फर्म द्वारा ही देय होता है।

(१) यदि आय कर अधिकारी की सम्मति में अनरजिस्टर्ड फर्म को रजिस्टर्ड मान लेने से फर्म तथा साझेदारों में कुल मिलाकर अधिक कर प्राप्त होता तो वह ऐसी अनरजिस्टर्ड फर्म पर रजिस्टर्ड फर्म की तरह से कर निर्धारण कर सकता है। ऐसी दशा में इस फर्म पर वे सब नियम लागू होंगे जो रजिस्टर्ड फर्म पर लागू हैं।

(३) अनरजिस्टर्ड फर्म पर एक व्यक्ति की तरह से कर निर्धारण होता है।

(४) अनरजिस्टर्ड फर्म की आय को साझेदारों में धारा ६७ के अनुसार बाँट दिया जाता है और फर्म से मिली हुई आय साझेदारों की कुल आय में जोड़ी जाती है।

(५) यदि फर्म द्वारा आय कर देय हो तो साझेदारों को अपने भाग पर अपने व्यक्तिगत कर निर्धारण में औसत दर से छूट दी जाती है।

(६) यदि फर्म की आय पर आय कर इसलिए न लगा हो क्योंकि उसकी आय न्यूनतम कर योग्य सीमा से कम है तो साझेदारों को फर्म की आय के अपने भाग पर उपर्युक्त (५) में वर्णित छूट नहीं दी जाती है और उन्हें अपने भाग पर कर देना होता है।

(७) अनरजिस्टर्ड फर्म में यदि हानि हो तो उसने साझेदार अपनी आय से फर्म की हानि के अपने भाग को पूरा नहीं कर सकते हैं। फर्म अपनी व्यापारिक अथवा पूँजी हानि को अपने ही भावी लाभों से पूरा करने के लिए आगे ले जा सकती है।

रजिस्टर्ड तथा अनरजिस्टर्ड फर्म में अंतर

11751
31412

आधार	रजिस्टर्ड फर्म	अनरजिस्टर्ड फर्म
(१) न्यूनतम कर योग्य सीमा	इसकी २५,००० रु० तक की आय पर आय-कर नहीं लगता है।	इसकी ३,००० रु० तक की आय पर आय-कर नहीं लगता है।
(२) आय कर की दरें	२५ ००० रु० से अधिक की आय पर आय-कर की विशेष दरों से कर लगता है।	कुल आय पर लागू आय-कर की दर से कर लगता है।
(३) फर्म की आय में साझेदारों का भाग	रजिस्टर्ड फर्म की आय में साझेदारों का भाग उनके निजी कर निर्धारण में उनकी कुल आय में शामिल किया जाता है तथा उस पर साझेदार अपनी आय आय के साथ कर भी देते हैं चाहे फर्म पर कर लगा हो अथवा नहीं।	अनरजिस्टर्ड फर्म की आय में साझेदारों का भाग उनके निजी कर निर्धारण में उनकी कुल आय में शामिल किया जाता है परंतु साझेदार फर्म की आय के अपने भाग पर कर तभी देते हैं जबकि फर्म पर कर न लगा हो, वरना यदि फर्म द्वारा कर देय है तो साझेदारों के निजी कर-निर्धारण में फर्म की आय के भाग पर कर नहीं लगता है, यद्यपि वह दर बढ़ाने के लिए कुल आय में अवश्य शामिल होता है।
४) आय-कर की छूट	यदि फर्म पर आय कर लग चुका है तो प्रत्येक साझेदार को अपने निजी कर निर्धारण में फर्म द्वारा दिये हुए आय कर के अपने भाग पर अपनी कुल आय पर लागू आय कर की औसत दर से आय-कर की छूट दी जाती है।	यदि फर्म द्वारा आय कर देय है तो प्रत्येक साझेदार को अपने निजी कर-निर्धारण में फर्म की आय के अपने भाग पर अपनी कुल आय पर लागू आय-कर की औसत दर से आय कर की छूट दी जाती है।

(५) फर्म की हानि की पूर्ति	फर्म की हानि के अपने भाग को साझेदार अपनी आय आय से पूरा कर सकते हैं।	फर्म की हानि को केवल फर्म की आय से ही पूरा किया जा सकता है साझेदार फर्म की हानि के अपने भाग को अपनी आय आय से पूरा नहीं कर सकते हैं।
(६) फर्म की हानि की पूर्ति के लिए आगे ले जाना	फर्म की हानि का साझेदार का अपना भाग यदि उस कर निर्धारण वर्ष में, जिसमें हानि हुई थी, साझेदार की आय आय से पूरा न हो सके तो साझेदार उस शेष हानि को आगे ले जा सकता है और भविष्य में ८ वर्ष तक अपनी 'व्यापार शीपक' की आय से इसे पूरा कर सकता है।	फर्म की हानि जो उस वर्ष निर्धारण वर्ष में जिसमें हानि हुई थी, फर्म की आय आय से पूरी न हो सके उस शेष हानि को फर्म भविष्य में ८ वर्ष तक अपनी 'व्यापार शीपक' की आय से पूर्ति करने के लिए आगे ले जा सकती है परंतु साझेदार इस हानि को आगे नहीं ले जा सकते हैं।
(७) स्थिति (Status) परिवर्तन	रजिस्टर्ड फर्म कभी अनरजिस्टर्ड नहीं मानी जा सकती है।	अनरजिस्टर्ड फर्म को धारा १८३ (ब) के अंतर्गत रजिस्टर्ड माना जा सकता है।

Illustration 4

The Profit and Loss Account for 1964 of a firm consisting of three partners A, B and C (with shares 4 3 and 1) showed a net loss of Rs 16 000 after charging the following items

Interest on capital A Rs 3,000, B Rs 2,000 C's Salary Rs 3 000

A's taxable income from other sources is Rs 5 000 while B and C have no other income Explain how the assessment would be made (a) when the firm is registered, (b) when it is unregistered

Solution

Loss as per Profit and Loss Account		Rs	16,000
Less Items not allowed	Rs		
Interest on Capital	5 000		
Salary to C	3 000		8,000
	<u> </u>		<u> </u>
	Total's Loss	Rs	<u>8 000</u>

Allocation amongst Partners

	A	B	C
	Rs	Rs	Rs
Interest on Capital	3,000	2 000	—
Salary	—	—	3 000
Share of Firm's loss	-3 000	-6 000	-3 000
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	<u>-5 000</u>	<u>-4,000</u>	<u>1 000</u>

(a) When the firm is registered

A can set off his share of the firm's loss of Rs 5 000 against his other income of Rs 5 000 thus leaving his total income to be nil

As B has no other income, he will carry forward his share of the firm's loss (i.e. Rs 4 000) to be set off against his future share of profits from the firm or against any other business profits. It can be carried forward upto 8 years at the most.

C is not liable to tax as his total income is Rs 1 000 only

(b) When the firm is unregistered

The unregistered firm itself can carry forward for 8 years its loss of Rs 8 000 to be set off against its own future profits

A cannot set off his share of the firm's loss against his other income. He will be liable to pay tax on his other income of Rs 5,000

B cannot carry forward his share of the firm's loss and C is not liable to pay tax

Illustration 5

A firm having two equal partners A and B, suffered a loss of Rs 30,000 during its accounting year ended 31st March, 1965 as under

Business Profits after paying Rs 10,000 as interest on A's Capital	Rs	50 000
Loss from a leasehold property		-80 000
		<u> </u>
Net Loss	Rs	<u>-30,000</u>

Partner A had that year an income of Rs 25,000 from house property and partner B, who had no income that year claimed a loss of Rs 10,000 brought forward from the preceding year from his individual cloth business which had been closed on 31st March, 1964

Compute the total income of each partner, assuming the firm to be (a) registered, and (b) not registered, nor assessable under Sec 183 (b)

Solution

	<i>Rs</i>	
Profit as per Profit and Loss Account	50 000	
Add Interest on Capital	10 000	
	60 000	
Less Loss from leasehold property	-80,000	
	-20,000	<i>Rs</i>
Firm's Net Loss		

Allocation amongst Partners

	<i>A</i>	<i>B</i>
	<i>Rs</i>	<i>Rs</i>
Interest on Capital	10 000	—
Balance of business income	25,000	25,000
	35 000	25,000
Less Loss from leasehold property	-10 000	-40,000
	-5 000	-15 000
Partner's share of Firm's Loss		

(a) When the firm is registered

A can set off his share of the firm's loss (Rs 5,000) against his property income of Rs 25,000 and his total income will be only Rs 20,000

B can carry forward for 8 years his share of the firm's loss (Rs 15 000) for future set off against his share of the profits from the same firm or against any other business profits. He cannot carry forward the loss of Rs 10 000 brought forward from the preceding year from his individual cloth business as the same has been closed

(b) When the firm is unregistered

The unregistered firm itself can carry forward for eight years its loss of Rs 20 000 to be set-off against its own future profits

A cannot set off his share of the firm's loss against his other income. He will be liable to pay tax on his other income of Rs 25 000. B's total income will be nil and he cannot carry forward his share of the firm's loss

Illustration 6

A registered firm consisting of three partners A, B and C, sharing profits and losses in the proportion of 1 3 6 has a total income of Rs 1,50,000 during the previous year 1964 65, computed as under

	Rs	Rs
Property income		30,000
Income from other sources		20,000
Business income		50,000
Salary paid to A	10,000	
Interest paid to B	10,000	
Interest paid to C	30,000	50,000
Total Income	Rs	1,50,000

A and B have no other income, while C has his own business income of Rs 40,000. Calculate (a) the tax payable by the firm, and (b) the amount on which rebate of tax is to be given to each partner in his respective assessment.

Solution

(a) Computation of tax payable by the firm

	Rs
On Rs 1,00,000	5,500
„ Rs 50,000 @ 12%	6,000
	11,500
Add Surchage @ 20% on Rs 11,500	2,300
Total tax payable by the firm	Rs 13,800

(b) Calculation of amounts on which rebate of tax is to be given to each partner in his individual assessment

	Rs
A $\frac{1}{10}$ of 13,800 =	1,380
B $\frac{3}{10}$ of 13,800 =	4,140
C $\frac{6}{10}$ of 13,800 =	8,280
	13,800

The partners shall get rebate of income tax on the above amounts in their respective assessments at the average rate of income tax applicable to their respective total incomes.

Illustration 7

The Profit and Loss Account of a registered firm of Chartered Accountants consisting of two equal partners (A and B) showed a professional income of Rs 50,000 after charging the following items for the year 1964

	Rs
Salary paid to A	5 000
Bonus paid to A	6,000
, , , B	4 000

Calculate (a) the tax payable by the firm, (b) the share of each partner which is to be included in his total income, and (c) the amounts on which the rebate of tax is to be given to each partner in his respective assessment

Solution*Firm's Total Income*

		Rs
Profit as per Profit and Loss Account		50 000
Add Items not allowed		
	Rs	
Salary paid to A	5 000	
Bonus paid to A	6,000	
, , , B	4 000	
	<u>15 000</u>	
Total Income of the firm	Rs	<u><u>65,000</u></u>

(a) Computation of Income tax payable by the Firm

	Rs
On Rs 50,000 of total income	1,500
On the next Rs 15,000 of total income @ 8%	1 200
	<u>2 700</u>
Add Surcharge @ 10% on Rs 2,700	270
Total tax payable by the firm	Rs <u><u>2 970</u></u>

(b) Share of each partner to be included in his total income

	A	B
	Rs	Rs
Salary	5 000	—
Bonus	6 000	4 000
Balance of Profits	25,000	20 000
	<u>36,000</u>	<u><u>29 000</u></u>

(c) The partners are entitled to get a rebate of income tax on the following amounts of income tax paid by the firm at the average rate of income tax applicable to their respective total incomes

	Rs
A (1/2 of Rs 2 970)	1 485
B (1/2 of Rs 2 970)	1,485
	Rs 2,970

Illustration B

Following are the particulars of income of a registered firm consisting of two equal partners (A and B) for the assessment year 1965 66

	Rs
1 Interest on Securities (gross)	10,000
2 Profits of Business	8,000
3 Income from Profession	20,000

Calculate (a) the tax payable by the firm, (b) the share of each partner which is to be included in his total income, and (c) the amounts on which the rebate of tax is to be given to each partner in his respective assessment

Solution

Computation of Firm's Total Income

	Rs
1 Interest on Securities	10 000
2 Profits of Business	8,000
3 Income from Profession	20,000
Total Income	38 000

(a) Computation of tax payable by the firm

	Rs
On Rs 25,000	Nil
On the next Rs 13 000 @ 6%	780
	780
Add Surchage @ 10% of Rs 780	78
Total tax payable by the firm	Rs 858

(b) Share of each partner to be included in his Total Income

	A Rs	B Rs
1 Interest on Securities	5 000	5 000
2 Profits of Business or Profession	14,000	14 000
	<u>19 000</u>	<u>19,000</u>

(c) The partners are entitled to get rebate of income tax on the following amounts of income tax paid by the firm at the average rate of income tax applicable to their respective total incomes

	Rs
A ($\frac{1}{2}$ of Rs 858)	429
B ($\frac{1}{2}$ of Rs 858)	429
	<u>858</u>

- Notes
- 1 Tax deducted at source in respect of interest on securities would be 20% of Rs 10 000, i.e., Rs 2,000. Each partner shall get a credit for Rs 1,000 on account of his income tax deducted at source.
 - 2 As more than 51% of the total income of the firm consists of professional income, the rate of surcharge applicable in this case is 10 per cent instead of 20 per cent.

Illustration 9

The total income of an unregistered firm consisting of two equal partners for the year 1964 was Rs 20 000. Partners' individual incomes are A—Rs 80,000 and B—Rs 1,00,000. How will the firm be assessed to tax?

Solution

In this case if the firm is taxed as an unregistered firm the tax payable on Rs 20 000 will be lesser than the one payable if the firm were registered as the individual incomes of the partners are very high. Hence this firm will be treated as a registered firm under Sec 183 (b) and taxed accordingly.

फर्म के संगठन में परिवर्तन (Change in the Constitution of a Firm)

धारा १८७ (२) के अनुसार फर्म के संगठन में परिवर्तन से निम्न आशय है

(1) एक या एक से अधिक साझेदारों का फर्म का सदस्य न रहना अथवा एक या एक से अधिक नए साझेदारों का प्रवेश करना फर्म के संगठन

म परिवर्तन कहलाता है, बशर्ते कि पुराने साझेदारों में से कम से कम एक साझेदार परिवर्तन के बाद भी साझेदार रहे।

(11) जब सब पुराने साझेदार ही रहें, लेकिन उनका अथवा उनमें से कुछ के भागों में परिवर्तन हो जाये तो यह भी फर्म के संगठन में परिवर्तन कहलाता है।

धारा १८७ (१) के अनुसार जब किसी फर्म के संगठन में परिवर्तन हो जाय तो कर निर्धारण के समय जो उस फर्म का संगठन है उसी पर कर-निर्धारण किया जाता है परन्तु गत वर्ष की आय उन्हीं साझेदारों की कुल आय में बाँटकर शामिल की जायेगी जो वास्तव में उस आय को प्राप्त करने के अधिकारी थे। यदि साझेदारों पर लगाया गया कर किसी साझेदार से वसूल न हो सके तो यह कर निर्धारण के समय संगठित फर्म से वसूल किया जायेगा।

मृतक साझेदार (Deceased Partner)—धारा १८७ (२) के अन्तर्गत, साझेदार के फर्म में न रहने में, साझेदार की मृत्यु ही जाना भी शामिल है। जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवन काल में उसकी आय पर यदि कोई कर चुकाने से रहे गया हो तो उसके कानूनी उत्तराधिकारियों पर उस आय पर कर लगता है जिस पर मरने वाले को देना चाहिए था। अतः यदि वह मृतक व्यक्ति किसी फर्म का साझेदार था और उसके फर्म की आय के भाग पर अभी कर नहीं दिया गया है तो उसके उत्तराधिकारियों फर्म की आय के भाग पर भी कर देंगे।

यदि फर्म को छोड़ने वाले अथवा मृतक साझेदार का फर्म में भाग हानि है तो यह साझेदार अपनी अथवा उसका उत्तराधिकारी मृतक साझेदार की अथवा आय से इस हानि की पूर्ति कर सकता है। फर्म का इस हानि की पूर्ति करने का अधिकार नहीं है। इस हानि का न फर्म और न फर्म छोड़ने वाला साझेदार आगे ले जा सकता है।

एक फर्म का स्वामित्व दूसरी फर्म पर चला जाना (Succession of one firm by another firm)—धारा १८८ के अन्तर्गत, जहाँ व्यापार अथवा पेशा करने वाली एक फर्म का स्वामित्व दूसरी फर्म पर चला जाता है तो पहली फर्म पर स्वामित्व का हस्तान्तरण होने से पहले की आय पर तथा दूसरी फर्म पर ऐसा हस्तान्तरण होने के बाद की आय पर प्रत्येक-प्रत्येक कर-निर्धारण किया जाता है। इसके सम्बन्ध में धारा १७० में दिया हुए सब नियम लागू होते हैं।

फर्म का विघटन अथवा व्यापार का बन्द होना (Dissolution of a Firm or Discontinuance of Business)

इस सम्बन्ध में निम्न नियम हैं

(१) धारा १८९ के अन्तर्गत, जब एक फर्म द्वारा किया जाने वाला

व्यापार अथवा पेशा बन्द कर दिया जाता है अथवा फर्म का विघटन हो जाना है तो आय-कर अधिकारी फर्म की कुल आय पर कर निर्धारण इस प्रकार करेगा जैसे कि मानो व्यापार अथवा पेशा बन्द न हुआ हो अथवा फर्म का विघटन न हुआ हो ।

(२) व्यापार के बन्द होने के समय अथवा फर्म के विघटन होने के समय जो व्यक्ति उस फर्म के साझेदार थे उनका तथा मृतक साझेदार के कानूनी उत्तराधिकारी का, समुक्त रूप से तथा पृथक् रूप से, कर, दण्ड अथवा अथ कोई देय रकम, को चुकाने का दायित्व होता है ।

(३) यदि किसी कर निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में कायवाही प्रारम्भ हो जाने के बाद फर्म का व्यापार बन्द किया जाता है अथवा फर्म का विघटन किया जाता है तो यह कायवाही उपर्युक्त (२) में वर्णित व्यक्तियों के विरुद्ध जारी रखी जा सकती है ।

Illustration 10

A, B and C are equal partners in a registered firm which closes its accounts on 31st December each year. A retired from the firm on 1st July, 1964 and other partners continued the business without changing their proportion of sharing profits.

The net profit of the firm as shown by its Profit and Loss Account for the year ended 31st December 1964 was Rs 21,000 after charging a commission of Rs 1,000, Rs 3,500 and Rs 4,500, and a salary of Rs 500, Rs 800 and Rs 1,000 to A, B and C respectively.

Allocate the above amongst the partners and compute the partners' total income if their other incomes were A—Rs 10,000, B—Rs 6,000 and C—Rs 4,000.

Solution

Computation of Firm's Total Income

	Rs
Profit as per Profit and Loss Account	21,000
Add Commission to Partners	9,000
Salary to Partners	2,300
	<hr/>
Total Income	R 32,300

Allocation amongst Partners on the assumption that profits have been earned evenly throughout the year

	A	B	C
	Rs	Rs	Rs
Commission	1 000	3,500	1 500
Salary	500	800	1,000
Balance of Profits			
For 1st half year ($\frac{1}{2}$ of $\frac{1}{3}$ of 21 000) to each partner (A B and C)	3 500	3 500	3 500
For 2nd half year ($\frac{1}{2}$ of $\frac{1}{3}$ of 21,000) to each partner (B and C)	—	5 250	5 250
Share of each partner	Rs 5 000	13 050	14,250

Partners Total Income

	A	B	C
	Rs	Rs	Rs
Share of Income in reg'd firm	5 000	13,050	14,250
Other Income	10 000	6 000	4 000
Total Income	Rs 15,000	19,050	18,250

Illustration 11

The Profit and Loss Account of a registered firm for the year ending 31st December, 1964 is given below

Profit and Loss Account

To Office Expenses	Rs 2 000	By Gross Profit b/d	Rs 50,000
, General Expenses	3 000		
„ Int on Capital			
A	1,000		
B	900		
C	600		
„ Salary to A	500		
Net Profit	42 000		
	Rs 50,000		Rs 50 000

C retired from the firm on 1st May, 1964, when D was admitted into the partnership with $\frac{1}{3}$ share of profits. A, B and C shared the profits in the ratio of $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{4}$ and $\frac{1}{2}$ respectively. Compute the firm's total income for the assessment year 1965-66 and allocate it amongst the partners assuming that the old partners continued to share profits and losses in the same proportion as before the retirement of C and admission of D.

Solution**Computation of Firm's Total Income**

	Rs	
Profit as per Profit and Loss Account		42,000
<i>Add</i> Items not allowed		
	Rs	
Interest on Capital A	1,000	
" B	900	
" C	600	
Salary to A	500	3,000
Firm's Total Income		Rs 45,000

Allocation amongst Partners assuming that the profits have been earned evenly throughout the year

	A	B	C	D
	Rs	Rs	Rs	Rs
Interest on Capital	1 000	900	600	—
Salary to A	500	—	—	—
Balance of Profits				
For 1st 4 months $\frac{1}{3}$ of 42 000 in the ratio of $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{4}$ and $\frac{1}{4}$ to A B and C	7,000	3 500	3,500	—
For last 8 months $\frac{2}{3}$ of 42 000 in the ratio of $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{4}$ and $\frac{1}{4}$ to A B and D	14 000	7 000	—	7 000
Share of Firm's Income	22 500	11 400	4 100	7,000

Illustration 12

A, B and C are partners in an unregistered firm sharing profits and losses in the proportion of 3 2 1. The firm sustained a loss of Rs 12,000 in the previous years which is being brought forward by the firm. The firm keeps its accounts on the basis of calendar year. A died on 1st July, 1964 when his son D was admitted into the partnership with the same share of profits as his father A had in the firm. B, C and D then continued to carry on the business of the firm.

The profits for the year ending 31st December 1964 were Rs 18,000 only. On what income would you assess the firm for the assessment year 1965-66 and what would be the share of each partner in the firm?

Solution

Assuming that the firm earned its profits evenly throughout the year the profits of the firm till the death of A would be Rs 9 000 out of which A's share would be Rs 4 500 which can be utilised to set off a part of his share of loss brought forward from the previous years (viz Rs 12 000) Out of A's share of loss of Rs 6 000 (being $\frac{1}{2}$) Rs 4 500 would be set off by the firm against its profit of Rs 18 000 and the balance of Rs 1,500 cannot be claimed to be set off by the firm As regards the losses of B and C amounting to Rs 6 000 in all they can be set off against the firm's profits of Rs 18,000 Thus the firm's income for the assessment year 1965 66 would be as follows

	Rs
Profits for 1964	18,000
Less Losses brought forward	
A	4,500
B	4 000
C	2,000
Firm's Total Income	Rs 7,500

The share of income of the partners would be as follows

	A	B	C	D
	Rs	Rs	Rs	Rs
Profits for 1st half year	1,500	3 000	1,500	—
Profits for 2nd half year	—	3,000	1,500	4,500
Gross Share of Profits	4,500	6,000	3 000	4,500
Less Losses b/fd	4 500	4,000	2 000	—
Net Share of each partner	Nil	2,000	1,000	4,500

व्यक्तियों का अन्य समुदाय (Other Association of Persons)

जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी सम्पत्ति को आय प्राप्त करने के उद्देश्य से प्राप्त करते हैं अथवा आय कमाने के लिए कोई विशेष काम करते हैं तो व्यक्तियों का ऐसा समूह जो एक अविभाजित हिंदू परिवार, फर्म, कम्पनी अथवा स्थानीय सत्ता न हो, 'व्यक्तियों का अन्य समुदाय' कहलाता है। जब किसी भवान सम्पत्ति के दो या दो से अधिक समुचन स्वामी हों और उनका हिस्सा निश्चित न हो तो वह व्यक्तियों का अन्य समुदाय माना जाएगा।

‘व्यक्तियों व अन्य समुदाय’ पर एक व्यक्ति की तरह कर लगाया जाता है और इस समुदाय के सदस्यों को समुदाय की आय का जो भाग मिलता है वह एक अनरजिस्टर्ड फर्म की आय के भाग की तरह में सदस्यों की कुल आय में जोड़ा जायगा।

QUESTIONS

- 1 Distinguish between a ‘registered’ and an ‘unregistered’ firm
रजिस्टर्ड और ‘अनरजिस्टर्ड’ फर्म में अंतर बताइए।
- 2 Explain the difference in the assessment of the profits of a registered firm and an unregistered firm
रजिस्टर्ड फर्म और अनरजिस्टर्ड फर्म के लाभों पर कर निर्धारण के सम्बन्ध में अंतर समझाइए।
- 3 Describe the procedure of getting a firm registered under Section 184 of the Income Tax Act
आय कर अधिनियम की धारा १८४ के अन्तर्गत एक फर्म को रजिस्टर्ड कराने की विधि का वर्णन कीजिए।
- 4 Discuss the rules regarding set off and carry forward of losses of registered and unregistered firms
रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड फर्मों की हानियों की पूर्ति एवं उन्हें आगे ले जाने के सम्बन्ध में नियमों का वर्णन कीजिए।
- 5 As an income tax expert you are approached by your client for a considered opinion as to whether he should register his firm or not. What is your advice and what arguments would you give in support of your advice?
इनकम टैक्स विशेषज्ञ होने के नाते आपका मुकद्विक्ल आपकी सम्मति लेने आया है कि वह अपनी फर्म को रजिस्टर्ड कराने अथवा नहीं। आपकी क्या सलाह है और आप अपनी सलाह के पक्ष में क्या दलीलें देंगे?
- 6 In what respects is the treatment of registered firms different from that of the unregistered firms under the Indian Income Tax Act?
भारतीय आय कर अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड तथा अनरजिस्टर्ड फर्म में क्या अंतर है?

कर-निर्धारण करने की कार्य-विधि

[PROCEDURE FOR ASSESSMENT]

आय कर अधिनियम, १९२० के अंतर्गत, कर निर्धारण करने की कार्य विधि में सबसे प्रथम आय-कर अधिकारी को धारा २२ (१) के अंतर्गत एक सावजनिक सूचना, अपने क्षेत्र में प्रचलित समाचार पत्रों में, इस आशय की देनी होती थी कि जिन कर-दाताओं की गत वर्ष की आय कर योग्य सीमा से अधिक हो वह अपनी आय का नक्शा आय कर कार्यालय में दाखिल (File) कर दें परन्तु आय कर अधिनियम १९६१ के अनुसार इस प्रकार की सूचना देना बाद कर दी गयी है। अब सब कर दाताओं का, जिनकी गत वर्ष की आय कर योग्य सीमा से अधिक हो, स्वयं ही अपनी गत वर्ष की आय का नक्शा दाखिल करना होता है।

आय का नक्शा (Return of Income)

नक्शा दाखिल (File) करने की अवधि—धारा १३६ (१) के अंतर्गत, प्रत्येक व्यक्ति को, जिसकी गत वर्ष की कुल आय कर न लगाने की अधिकतम सीमा से अधिक हो, अपनी गत वर्ष की आय का नक्शा निर्धारित फॉर्म में तथा निर्धारित ढंग से प्रमाणित करके आय कर कार्यालय में दाखिल करना होता है। यह नक्शा निम्न समय के अन्दर दाखिल करना होता है

(अ) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति का, जिसकी कुल आय में व्यापार अथवा पेशे की आय शामिल है गत वर्ष के बाद ६ माह के अन्दर अथवा कर निर्धारण वर्ष में ३० जून तक (जो भी दोनों में से बाद में हो) अपनी गत वर्ष की आय का नक्शा दाखिल कर देना चाहिए। यदि किसी कर-दाता के कई गत वर्ष हैं तो ६ माह की अवधि उस गत वर्ष की समाप्ति से गिनी जायेगी जो कर निर्धारण वर्ष प्रारम्भ होने से पूर्व सबसे बाद में समाप्त हुआ हो उदाहरणार्थ, यदि किसी व्यक्ति के विभिन्न व्यापारों के गत वर्ष ३० जून, १९६१, ३० सितम्बर १९६१ व ३१ जनवरी, १९६२ को समाप्त होते हैं तो सब व्यापारों की आय का नक्शा ३१ जुलाई, १९६२ तक दाखिल कर देना होगा।

(ब) अ य व्यक्तिया का कर निर्धारण वष की ३० जून से पहले यह नक्शा दाखिल करना होता है ।

(२) नक्शा दाखिल (File) करने की अवधि में वृद्धि (Extension)— निर्धारित फाम में प्रार्थना पत्र देने पर आय-कर अधिकारी यदि उचित समझे ता नक्शा दाखिल करने की अवधि में वृद्धि कर सकता है । इस सम्बन्ध में निम्न नियम है

- (1) उन व्यक्तिया के लिए, जिनकी गत वष की आय में व्यापार अथवा पेशे की आय शामिल हो तथा जिनका गत वष कर निर्धारण वष से पूर्व ३१ दिसम्बर तक समाप्त हो जाता हो, तथा अ य व्यक्तिया के लिए जिनकी गत वष की आय में व्यापार अथवा पेशे की आय न हो, कर निर्धारण वष की ३० सितम्बर तक यह अवधि, बिना कोई ब्याज लगाये, बढ़ायी जा सकती है ।
- (ii) उन व्यक्तिया के लिए, जिनकी गत वष की आय में व्यापार अथवा पेशे की आय शामिल हो तथा जिनका गत वष कर निर्धारण वष से पूर्व ३१ दिसम्बर के बाद समाप्त होता हो, कर निर्धारण वष की ३१ दिसम्बर तक यह अवधि, बिना कोई ब्याज लगाये बढ़ायी जा सकती है ।
- (iii) उपर्युक्त वर्णित तिथियों से आगे यह अवधि किसी भी सीमा तक बढ़ायी जा सकती है, परन्तु उपर्युक्त (1) में वर्णित व्यक्तियों के लिए कर-निर्धारण वष की १ अक्टूबर से तथा उपर्युक्त (ii) में वर्णित व्यक्तियों के लिए कर निर्धारण वष की १ जनवरी में, नक्शा दाखिल करने की तिथि तक ६ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लिया जायेगा । यह ब्याज एक रजिस्टर्ड फम की दशा में कर की उस रकम पर लिया जायेगा जो इम एण्ड अनरजिस्टर्ड फम की तरह स कर-निर्धारण होने पर देनी होती, तथा अ य कर-दाता की दशा में उसकी कुल आय पर देय कर की रकम में से अग्रिम भुगतान की हुई अथवा उद्गम स्थान पर कटी हुई कर की रकम घटाकर जो शेष रहेगा उस रकम पर यह ब्याज लिया जायेगा । वित्त अधिनियम १९६३ के अनुसार यदि आय-कर अधिकारी द्वारा निर्धारित कर की रकम, वास्तु में भूल सुधार, अपील अथवा पुनर्विचार के आदेशानुसार कम कर दी जाती है ता उसके अनुसार ब्याज भी कम कर लिया जायेगा तथा यदि अधिक ब्याज चुका दिया गया है ता ऐसा आधिक्य वापस कर लिया जायेगा ।

वित्त अधिनियम, १९६३ के अनुसार आय-कर अधिकारी का यह अधिकार होगा कि वह निर्धारित परिस्थितियाँ म किसी व्यक्ति द्वारा देय ब्याज कम अथवा माफ भी कर सकता है।

(३) आय कर अधिकारी द्वारा आय का नक्शा मागने का नोटिस— धारा १३६ (२) के अंतर्गत, आय-कर अधिकारी की सम्मति म यदि कोई व्यक्ति कर योग्य है तो सम्बंधित कर निर्धारण वष की समाप्ति से पूर्व आय-कर अधिकारी उस व्यक्ति को यह नोटिस दे सकता है कि वह इस नोटिस की प्राप्ति के ३० दिन के अंदर अपनी गत वष की आय का नक्शा निर्धारित फॉर्म पर तथा निर्धारित ढग से दाखिल कर दे।

यदि उस व्यक्ति द्वारा निर्धारित फॉर्म पर नक्शा दाखिल करने की अवधि मे वृद्धि कराने का प्रार्थना पत्र देने के फलस्वरूप आय कर अधिकारी उपर्युक्त वर्णित अवधि मे वृद्धि कर दे और यदि प्रारम्भ से नियत तिथि अथवा बढामी हुई तिथि उस कर निर्धारित वष की ३० सितम्बर अथवा ३१ दिसम्बर (जैसी भी स्थिति हो) के बाद पडती है तो धारा १३६ (१) के अंतर्गत लगने वाला ब्याज इस व्यक्ति को भी चुकाना होगा।

(४) हानि का नक्शा—धारा १३६ (३) के अंतर्गत, यदि किसी व्यक्ति को, जिस धारा १३६ (२) मे नोटिस नहीं दिया गया है, गत वष म 'व्यापार अथवा पेशे के लाभ अथवा 'पूजी लाभ के घीपको मे हानि होती है और उसे वह आगे ले जाना चाहता है तो उसे धारा १३६ (१) के अंतर्गत स्वीकृत अवधि के अंदर निर्धारित फॉर्म पर तथा निर्धारित ढग मे हानि का नक्शा दाखिल कर देना चाहिए। यदि हानि का नक्शा दाखिल नहीं किया जायगा तो यह हानि आगे नहीं ले जायी जा सकती है।

(५) कर निर्धारण से पूर्व आय का नक्शा दाखिल करने की अवधि की अधिकतम सीमा—यदि कोई व्यक्ति धारा १३६ (१) अथवा (२) के अंतर्गत स्वीकृत समय के अंदर अपनी आय का नक्शा दाखिल नहीं करता है तो वह कर निर्धारण से पूर्व, किसी भी समय सम्बंधित कर निर्धारण वष के बाद चार कर निर्धारण वर्षों की समाप्ति से पूर्व, किसी भी गत वष की आय का नक्शा दाखिल कर सकता है परंतु धारा १३६ (१) के अंतर्गत लगने वाला ब्याज इसे भी चुकाना होगा।

(६) आय का संशोधित नक्शा (Revised Return of Income)—यदि किसी व्यक्ति का, धारा १३६ (१) अथवा (२) के अंतर्गत आय का नक्शा दाखिल करने के बाद यह पता चलता है कि उक्त नक्शे म उससे कोई छूट अथवा गलती हो गयी है तो धारा १३६ (५) के अंतर्गत कर निर्धारण से पूर्व वह अपनी आय का संशोधित नक्शा दाखिल कर सकता है।

स्वयं कर निर्धारण (Self Assessment) — वित्त अधिनियम, १९६४ के अनुसार धारा १४० A के अंतर्गत यह एक नया आयोजन है। धारा १३६ के अंतर्गत दाखिल किये हुए आय के नक्शों के आधार पर देय कर म से पूर्व चुकाय गये कर को घटाकर बची हुई देय रकम यदि ५०० रुपये से अधिक हो तो कर दाता को कर की यह देय रकम नक्शा दाखिल करने के बाद ३० दिन के अंदर चुकानी होगी।

अस्थायी कर-निर्धारण (Provisional Assessment)

(१) धारा १४१ (१) के अंतर्गत, आय कर अधिकारी आय का नक्शा दाखिल होने के बाद किसी भी समय, कर दाता द्वारा दाखिल किये हुए नक्शों, हिसाब तथा अन्य प्रपत्रों के आधार पर अस्थायी कर निर्धारण कर सकता है।

(२) धारा १४१ (३) के अंतर्गत, उपर्युक्त कर निर्धारण करते समय आय कर अधिकारी पिछले वर्षों से आये हुए अशोधित ह्रास तथा हानियों का ध्यान रखेगा।

(३) धारा १४१ (३) के अंतर्गत, यदि किसी फर्म के साझेदार ने अपना स्वयं का नक्शा दाखिल न किया हो परंतु फर्म ने अपनी आय का नक्शा दाखिल कर दिया हो तो आय कर अधिकारी ऐसे साझेदार पर उसके फर्म की आय के भाग पर अस्थायी कर निर्धारण कर सकता है।

(४) धारा १४१ (४) के अंतर्गत यदि कोई फर्म निम्न शर्तों का पूरा नहीं करती है तो आय कर अधिकारी उस फर्म पर अनरजिस्टर्ड फर्म की तरह से अस्थायी कर निर्धारण कर सकता है और यदि वह निम्न शर्तों को पूरा कर देती है तो उस पर रजिस्टर्ड फर्म की तरह से अस्थायी कर निर्धारण किया जा सकता है।

(अ) यदि अंतिम समाप्त हुए कर निर्धारण में फर्म पर रजिस्टर्ड फर्म की भांति कर-निर्धारण हुआ है तथा आय कर अधिनियम के अध्याय XVI B में दी हुई अवधि के अंदर फर्म ने उस कर निर्धारण वर्ष के लिए जिसमें अस्थायी कर निर्धारण होना है रजिस्ट्रेशन के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया है अथवा धारा १८८ (७) के अंतर्गत घोषणा दे दी है।

(ब) जिस कर निर्धारण वर्ष के लिए अस्थायी कर निर्धारण होना है उससे पूर्व किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए फर्म पर नियमित कर निर्धारण नहीं हुआ है तथा फर्म ने अधिनियम के अध्याय XVI B में दी हुई अवधि के अंदर उन कर निर्धारण वर्ष के लिए जिसमें अस्थायी कर निर्धारण होना है रजिस्ट्रेशन के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया है अथवा धारा १८४ (७) के अंतर्गत घोषणा दे दी है।

(५) धारा १४१(५) के अंतगत, अस्थायी कर निर्धारण म दिय गय कर की रकम नियमित कर निर्धारण के सम्बन्ध मे दी गयी मानी जाती है और यदि अस्थायी कर निर्धारण मे दी गयी कर की रकम नियमित कर निर्धारण के अनुसार दय कर की रकम से अधिक होती है तो यह आधिक्य कर दाता को वापस कर दिया जाता है ।

(६) धारा १४१ के अंतगत हुए अस्थायी कर निर्धारण के कारण या उसके फलस्वरूप किये गय काय नियमित कर निर्धारण के समय उत्पन्न किसी भी मामल का उसके गुणा क आधार पर निवटाने म बाधक नहीं होंगे ।

(७) धारा १४१ (७) के अंतगत, अस्थायी कर निर्धारण के विरुद्ध अपील करने का अधिकार नहीं होता है ।

नियमित कर-निर्धारण (Regular Assessment)

नियमित कर निर्धारण धारा १४३ अथवा १४४ के अंतगत किया जाता है । धारा १४३ क अंतगत कर निर्धारण

(i) आय के नक्शे क आधार पर हा सकता है, अथवा

(ii) आय के सम्बन्ध म दिय गय सबूतों के आधार पर हो सकता है ।

(iii) धारा १४४ के अंतगत सर्वोत्तम नियम कर निर्धारण (Best Judgment Assessment) हा सकता है ।

(1) आय के नक्शे क आधार पर कर निर्धारण (Assessment on the basis of Return of Income)—यदि आय कर अधिकारी की सम्मति म कर दाता द्वारा दाखिल किया हुआ आय का नक्शा सही तथा पूण है तो वह धारा १४३ (१) के अंतगत इसी के आधार पर कर निर्धारण कर दता है ।

(ii) आय के सम्बन्ध मे दिये गये सबूतों के आधार पर कर निर्धारण (Assessment on the basis of evidence furnished in connection with the Income)—यदि आय कर अधिकारी कर दाता द्वारा दाखिल किय गय आय के नक्शे से मतुष्ट नहीं है ता वह धारा १४३ (२) क अंतगत कर दाता का एक निश्चित तिथि पर अपने कार्यालय म उपस्थित हान क लिए अथवा आय के नक्शे के सम्बन्ध म सबूत प्रस्तुत करन अथवा करवाने क लिए नोटिस दे दता है ।

इसके अतिरिक्त धारा १४० के अंतगत उपयुक्त बर्णित कर दाता से एक निश्चित तिथि पर आय कर अधिकारी, उसके एस हिसाब किताब, प्रपन अथवा अन्य बाइ सूचना भी मांग सकता है जा वह कर निर्धारण के सम्बन्ध मे आवश्यक समझता हा ।

इस सम्बन्ध म यह आवश्यक है कि यदि वह कर-दाना की सम्पत्तियों तथा दायित्वा का विवरण, जो लेखों म शामिल नहीं है मांगता है तो इस्पिक्टिंग

असिस्टेण्ट कमिश्नर की पूव स्वीकृति लेनी होगी। आय कर अधिकारी गत वष से पूव के तीन वर्षों से अधिक का हिसाब किताब नहीं माग सकता है।

धारा १४३ (२) के अतगत जारी किये गये नोटिस मे दी हुई नियि पर अथवा उसके बाद शीघ्रातिशीघ्र, आय कर अधिकारी, कर दाता द्वारा प्रस्तुत सबूतों की मुनकर तथा स्वय द्वारा एकत्रित सब सम्बन्धित सामग्री को ध्यान मे रखकर, धारा १४३ (३) के अतगत, कर दाता की कुल आय अथवा हानि का निधारण लिखित आदेश द्वारा करेगा तथा ऐसे कर निर्धारण के आधार पर उसके द्वारा चुकायी जाने वाली रकम अथवा उसे वापस होने वाली रकम की गणना करेगा।

(iii) सर्वोत्तम निणय के आधार पर कर निर्धारण (Best Judgment Assessment)—धारा १४४ के अतगत, जब एक व्यक्ति

(1) धारा १३६ (२) के अतगत जारी किये गये नोटिस के बावजूद भी अपनी आय का नक्शा दाखिल नहीं करता है तथा धारा १३६ (४) के अतगत नक्शा अथवा धारा १३६ (५) के अतगत सशोधित नक्शा दाखिल नहीं करता है या

(ii) धारा १४२ (१) के अतगत जारी किये गये नोटिस की सब बातों को पूरा नहीं करता है या

(iii) आय का नक्शा दाखिल करने के बाद, धारा १४३ (२) के अतगत जारी किये गये नोटिस की सब बातों को पूरा नहीं करता है

तो आय कर अधिकारी, स्वय द्वारा एकत्रित की हुई सब सम्बन्धित सामग्री को ध्यान मे रखकर, उसकी कुल आय अथवा हानि का अपने सर्वोत्तम निणय के अनुसार कर निर्धारण करना है तथा ऐसे कर निर्धारण के आधार पर कर दाता द्वारा चुकायी जाने वाली अथवा उसे वापस हान वाली कर की रकम की गणना करता है।

उपर्युक्त परिस्थितियां मे किया गया कर निर्धारण सर्वोत्तम निणय कर निर्धारण (Best Judgment Assessment) कहलाता है।

सर्वोत्तम निणय कर निर्धारण मे आय-कर अधिकारी को वास्तव मे सर्वोत्तम निणय ही करना चाहिए, अर्थात् उसे कर दाता की कुल आय का अनुमान ईमानदारी से, उसके गत वष से पूव के कर निर्धारणों को, उसी तरह के ध्यापार करन वाले आय कर दाताओं की गत वष की कुल आय का, उसके ध्यापार की स्थिति को तथा प्रस्तुत आय सामग्री को ध्यान मे रखकर करना चाहिए। यदि ऐसे कर निर्धारण की अपील ही जाय तो आय-कर अधिकारी का अपील अधिकारी के सम्मुख अपने द्वारा किये हुए एस सर्वोत्तम निणय का आधार स्पष्ट करना हाता है। अत उसे बिना किसी आधार के अनुचित रूप से

अत्यधिक आय का अनुमान नहीं करना चाहिए। ऐसे कर निर्धारण का एक पक्षीय कर निर्धारण (Ex parte Assessment) कहत है।

सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण के विरुद्ध उपाय (Remedies Against Best Judgment Assessment)

सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण के विरुद्ध निम्न दो उपाय है

(1) सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण का पुन खुलवाना, अर्थात् नया सिर स कर निर्धारण करवाना, तथा

(11) ऐसे कर निर्धारण का विरुद्ध अपील करना।

(1) सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण को पुन खुलवाना—कर दाता ऐसे कर निर्धारण के विरुद्ध, धारा १४६ क अतगत, माँग के नोटिस की प्राप्ति के बाद एक माह के अंदर आय-कर अधिकारी का, धारा १४४ म किय गय कर निर्धारण को रद्द करने के लिए प्राथना पत्र द सक्ता है। यह प्राथना पत्र निम्न आधारों पर दिया जा सक्ता है

(अ) वह धारा १३६ (२) क अतगत अपनी आय का नक्शा पर्याप्त कारणों के हान के कारण नहीं दाखिल कर सका था, अथवा

(आ) धाराएँ १४२ (१) अथवा १४३ (२) के अतगत जारी किया गया नोटिस उसे प्राप्त ही नहीं हुआ था, अथवा

(इ) धाराएँ १४२ (१) अथवा १४३ (२) के अतगत जारी किय गय नोटिस की पूर्ति करने का उसे उचित अवसर नहीं था अथवा पर्याप्त कारणों के हाने के कारण वह उक्त नोटिसों की पूर्ति नहीं कर सका था।

यदि आय कर अधिकारी की सम्मति म कर दाता का आधार ठीक है तो वह सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण को रद्द करके पुन नया सिर स कर निर्धारण कर सक्ता है।

(11) अपील करना—यदि आय कर अधिकारी कर दाता द्वारा दिया गया धारा १४६ के अतगत प्राथना पत्र स्वीकार नहीं करता है अर्थात् सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण को रद्द नहीं करता है, अथवा यदि कर दाता की सम्मति म आय-कर अधिकारी ने ऐसे कर निर्धारण म अनुचित रूप से अत्यधिक कर लगा दिया है तो कर-दाता को अधिकार है कि वह अपीलेट जसिस्टेंट कमिश्नर के यहाँ अपील कर सक्ता है।

पुन कर-निर्धारण (Re-assessment)

यदि आय-कर अधिकारी के पास यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि कर दाता द्वारा किसी कर निर्धारण वष के लिए जाम का नक्शा न दाखिल करने के कारण अथवा उस वष के अपन कर निर्धारण के सम्बन्ध मे सब

जावश्यक तथा को पूणतया तथा सही सही न बताने के कारण, काई कर-योग्य आय कर निर्धारण होने से छूट गयी है, अथवा यदि आय कर अधिकारी के पास अपनी किसी सूचना के आधार पर विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि कर दाता की कोई आय कर लगने से छूट गयी है तो चाहे कर दाता न इस सम्बन्ध में कोई भूल न की है ता भी आय-कर अधिकारी ऐसी आय का धारा १४७ के अन्तगत पुनः कर निर्धारण कर सकता है। यह कर उसी दर से लगाया जायगा जो उस कर निर्धारण वष में लागू थी जिसमें यह आय कर लगने से छूट गयी थी।

पुनः कर निर्धारण के सम्बन्ध में निम्न परिस्थितियों में भी कर योग्य आय कर निर्धारण में बची हुई आय समायोजित जायगी

- (i) जहाँ कर योग्य आय कम निर्धारित हो गयी है, अथवा
- (ii) जहाँ ऐसी आय पर कम दर से कर लगा हो, अथवा
- (iii) जहाँ ऐसी आय पर अधिक छूट दी गयी है, अथवा
- (iv) जहाँ हानि अथवा ह्रास भत्ते की अधिक गणना हो गयी है।

पुनः कर निर्धारण करने से पहले आय कर अधिकारी कर दाता का धारा १४८ के अन्तगत, धारा १३६ (२) की सब या कुछ आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए नोटिस देगा। ऐसा नोटिस देने के लिए निम्न समय सीमा है

(अ) यदि कर दाता की भूल से कोई आय कर लगने से बच गयी है या किसी आय पर कम कर लगा है तो सम्बन्धित कर निर्धारण वष के बाद ८ वर्षों के अन्दर अथवा यदि कर निर्धारण से बची हुई कर योग्य आय ५०,००० रु० से अधिक है या अधिक होने की सम्भावना हो तो उस वष के बाद १६ वर्षों के अन्दर यह नोटिस दिया जा सकता है।

(आ) यदि बिना कर दाता की भूल के कोई आम कर लगने से रह गया है या किसी आय पर कम कर लगा है तो सम्बन्धित कर निर्धारण वष के बाद ४ वर्षों के अन्दर यह नोटिस लिया जा सकता है। [धारा १४६]

कर-निर्धारण अथवा पुनः कर-निर्धारण समाप्त करने की समय-सीमा (Time Limit for Completion of Assessment and Re-assessments)

(१) धाराएँ १४३ अथवा १४४ के अन्तगत किया हुआ कर निर्धारण निम्न समय के अन्दर समाप्त हो जाना चाहिए

- (i) जिस कर निर्धारण वष में आय पर प्रारम्भ में कर लगना चाहिए या उसके बाद ४ वर्षों के अन्दर, अथवा
- (ii) यदि कर दाता ने जान-बूझकर, आय का नक्शा न दाखिल किया है अथवा मांग हुए सबूत न प्रस्तुत किये हैं अथवा कोई आय

छिपायी हा तो जिस कर निर्धारण वष मे आय पर प्रारम्भ म कर लगना चाहिए था उसके ८ वर्षों के अन्दर, अथवा

- (iii) धारा १३६ (४) के अतगत दालिल बिय हुए नक्शे या धारा १३६ (५) के अतगत दालिल बिय हुए आय के सशाधित नक्शे की दालिल करने की तिथि क बाद एक वष के अन्दर,

जा भी उपयुक्त अवधि सबसे बाद म अत होती हा ।

(२) धारा १४७ के अतगत किया हुआ कर निर्धारण अथवा पुन कर निर्धारण निम्न समय क अन्दर समाप्त हो जाना चाहिए

- (i) यदि कर-दाता की भूल के कारण किसी आय पर कर लगन स छूट गया है अथवा कम कर लगा है तो जिस कर निर्धारण वष मे धारा १८८ का नोटिस दिया गया था उसके बाद ४ वर्षों के अन्दर, तथा
(ii) यदि बिना कर दाता की भूल से कोई आय कर लगान से छूट गयी हो अथवा उस पर कम कर लगा हा तो जिस कर निर्धारण वष म आय पर प्रारम्भ म कर लगना चाहिए था उसके बाद ४ वर्षों क अन्दर अथवा धारा १४८ के नोटिस की प्राप्ति की तिथि से एक वष क अन्दर, जो भी दोनो मे बाद मे हा । [धारा १५३]

प्रतिनिधियो पर कर-निर्धारण (Assessment on Representatives)

प्रतिनिधिया पर कर निर्धारण करन के सम्बन्ध मे अधिनियम म धाराएँ १५६ से १६६ तक दी गयी ह । धारा १५६ मृतक व्यक्ति क कानूनी उत्तराधिकारी पर प्रतिनिधि क रूप म कर लगाने के सम्बन्ध मे है और शेष धाराएँ अन्य प्रतिनिधिया के लिए है । अन्य प्रतिनिधि विदेशी, अवयस्क, पागल, कम बुद्धि वाले व्यक्तियो, आदि के लिए होत है । इस अधिनियम क लिए प्रति निधिया को कर दाता माना जाता है ।

मृतक का कर-निर्धारण (Assessment of the Deceased)

(१) धारा १५६ के अतगत, एक व्यक्ति की मृत्यु क बाद उसका कानूनी प्रतिनिधि वह सब रकम देन का दायी होता है जा उस मृतक व्यक्ति को देनी हाती, यदि उसकी मृत्यु न हुई होती ।

(२) मृतक की आय पर कर निर्धारण करने के लिए तथा कानूनी प्रति निधि पर कर लगाने के लिए

- (अ) मृतक के विरुद्ध उसकी मृत्यु स पहले की गयी कायवाही कानूनी प्रतिनिधि क विरुद्ध की गयी मानी जायेगी तथा वह उस स्थिति स आगे, कानूनी प्रतिनिधि के विरुद्ध, जारी रखी जायेगी जहाँ वह कायवाही मृतक की मृत्यु के समय थी,

(आ) कोई एसी कायवाही, जा मृतक के विरुद्ध की जा सकती थी यदि वह जीवित रहता, वानूनी प्रतिनिधि के विरुद्ध की जा सकती है, तथा

(इ) इस अधिनियम के सब आयाजन इसी प्रकार लागू होंगे ।

(३) मृतक का वानूनी प्रतिनिधि, इस अधिनियम के लिए कर-दाता माना जायगा ।

(४) वानूनी प्रतिनिधि का दायित्व मृतक द्वारा छापी गयी सम्पत्ति के मूल्य से अधिक नहीं हो सकता है ।

भारत छोड़ने वाले व्यक्तियों का कर-निर्धारण (Assessment of Persons Leaving India)

(१) धारा १७४ के अंतर्गत, यदि आय-कर अधिकारी की सम्मति में कोई व्यक्ति चालू कर निर्धारण वर्ष में अथवा उसके समाप्त हान के कुछ समय बाद ही भारत से जा रहा है और इस समय उसका भारत वापस आने का इरादा नहीं है तो ऐसे व्यक्ति की, उस कर निर्धारण वर्ष से सम्बंधित गत वर्ष के अंत से उसके भारत से जाने की सम्भावित तिथि तक की कुल आय पर उमी कर निर्धारण वर्ष में कर लगाया जायेगा । यह नियम धारा ४ में दिये हुए इस नियम का अपवाद है कि कर गत वर्ष की आय पर लगाया जाता है ।

(२) धारा १७४ (१) के अंतर्गत, कर निर्धारण करने के लिए आय-कर अधिकारी कर दाता का कम से कम ७ दिन का एक नोटिस इस बात का देगा कि वह उपयुक्त अवधि की अपनी कुल आय के अनुमान का नक्शा दाखिल करे ।

(३) यदि उपयुक्त वर्णित व्यक्ति पर धाराएँ १३६ (२) अथवा १४८ (१) के अंतर्गत कोई नोटिस जारी किये हुए हैं तो उनके सम्बंध में भी आय-कर अधिकारी आय का नक्शा इतने समय में माग सकता है जितना वह उचित समझे, बशर्त कि यह समय ७ दिन से कम नहीं होना चाहिए ।

ऐसे व्यक्तियों का कर-निर्धारण जो कर बचाने के उद्देश्य से अपनी सम्पत्ति का हस्तांतरण करने वाले हैं (Assessment of Persons likely to Transfer Property to avoid Tax)

धारा १७५ के अंतर्गत, यदि आय-कर अधिकारी का यह पता लग कि किसी चालू कर निर्धारण वर्ष में कोई व्यक्ति कर बचाने के उद्देश्य से अपनी सम्पत्ति का हस्तांतरण करने वाला है तो ऐसे व्यक्ति की, उस कर निर्धारण वर्ष से सम्बंधित गत वर्ष के अंत से इस धारा के अंतर्गत कायवाही प्रारम्भ करने की तिथि तक की कुल आय पर चालू कर निर्धारण वर्ष में ही कर लगाया जायेगा और इस सम्बंध में धारा १७४ के सब नियम लागू होंगे ।

व्यापार अथवा पेशे के बन्द होने पर कर-निर्धारण (Assessment on Discontinuance of Business or Profession)

(१) धारा १७६ के अन्तगत, यदि कोई व्यापार अथवा पेशा किसी कर-निर्धारण वर्ष में बन्द हो जाता है तो उस कर निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित गत वर्ष के अन्त से व्यापार बन्द होने की तिथि तक की आय पर आय-कर अधिकारी की इच्छा पर उसी कर निर्धारण वर्ष में कर लगाया जाता है।

(२) किसी व्यापार अथवा पेशे को बन्द करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह आम कर अधिकारी को व्यापार बन्द होने की सूचना बन्द होने के १५ दिन के अन्दर दे दे। यदि वह ऐसा न करे तो आय-कर अधिकारी उस पर कर की रकम तक जुर्माना कर सकता है।

(३) यदि कोई पेशा किसी वर्ष में पेशा करने वाले व्यक्ति के अवकाश ग्रहण करने अथवा उसकी मृत्यु हो जाने के कारण बन्द हो जाता है तो पेशा बन्द होने के बाद प्राप्त की हुई रकम प्राप्तकर्ता की प्राप्त होने वाले वर्ष की आय मानी जायेगी और इस प्रकार से उस पर कर लगेगा जस कि यदि यह रकम उस व्यक्ति का पेशा बन्द होने से पहले प्राप्त होने पर उसकी कुल आय में शामिल हुई होती।

भूल सुधार (Rectification of Mistake)

धारा १५४ के अन्तगत, आय-कर अधिकारी, अपीलेंट असिस्टेंट कमिश्नर अथवा कमिश्नर को अपन दिये हुए निणय में यदि कोई भूल पता चलती है तो वह उक्त निणय की तिथि के चार वर्ष के अन्दर उसे सुधार सकता है। यह सुधार सम्बन्धित अधिकारी स्वयं कर सकता है, अथवा कर-दाता द्वारा इस सम्बन्ध में प्राथना पत्र देने पर कर सकता है अथवा यदि वह अधिकारी अपीलेंट असिस्टेंट कमिश्नर है तो आय कर अधिकारी द्वारा कोई भूल बताने पर अपीलेंट असिस्टेंट कमिश्नर सुधार कर सकता है। इस धारा के अन्तगत यदि कोई सुधार किया जाये तो सुधार करने वाला अधिकारी इस सम्बन्ध में लिखित आदेश देगा।

यदि भूल सुधार इस प्रकृति का हो कि उससे कर-दाता का दायित्व बढ़ जायेगा (चाहे कर की रकम बढ़ने से अथवा वापसी की रकम कम होने से) तो सुधार करने वाले अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह सुधार करने से पहले कर-दाता को ऐसा सुधार करने के अपन इरादे की सूचना देव ताकि दाता का सुनने का उचित अवसर प्रदान करे।

यदि भूल सुधार करने से कर निर्धारण घट जाता है तो आय-कर अधिकारी कर-दाता द्वारा दी हुई अधिक रकम को उस वापस कर देगा, जो कि भूल सुधार से कर निर्धारण बढ़ जाता है अथवा वापसी की रकम घट जाती है तो आय-कर अधिकारी उस पर माँग का नोटिस जारी करेगा।

मांग का नोटिस (Notice of Demand)

इस अधिनियम के अंतगत यदि किसी आदेश के फनस्वरूप काइ कर, ब्याज, दण्ड, जुर्माना अथवा अ य काई रकम (वार्षिकी जमा सहित) दय है ना आय कर अधिकारी निर्धारित फॉर्म पर कर-दाता का मांग का नोटिस देगा तथा उसमे दय रकम का उल्लेख करगा ।

अथ-दण्ड (Penalties)

जब कोई कर दाता निम्नलिखित भूलें करता है ता उस पर निम्न प्रकार अथ-दण्ड लगाया जाता है

(१) धारा ६८ (६) के अंतगत जारी किये गय नोटिस के अनुसार प्रतिभूतिया के सम्बंध म मागी हुई सूचना बिना पर्याप्त कारण के निर्धारित समय के अ-दर न देने पर कर-दाता पर ५०० रुपय तक का अथ दण्ड लग सकता है और इसके बाद जब तक यह भूल चलती रह ५०० रुपय प्रतिदिन के हिसाब से यह दण्ड लग सकता है । [धारा २७०]

(२) यदि आय-कर अधिकारी अथवा अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर किसी कायवाही के चलते म यह ममयता है कि किसी व्यक्ति ने

- (अ) बिना पर्याप्त कारण के धाराएँ १३६ (१) १३६ (२) अथवा १४८ के अंतगत मागा हुआ जाय का नक्शा दाखिल नहीं किया है, अथवा
- (आ) बिना पर्याप्त कारण के धाराएँ १४२ (१) अथवा १४३ (२) के अंतगत जारी किये हुए नोटिस की पूर्ति नहीं की है, अथवा
- (इ) अपनी आय क विवरण को छिपाया है अथवा अपनी आय का गलत विवरण दिया है,

तो वह उस व्यक्ति को निम्न जय दण्ड देन का आदेश दे सकता है

- (I) उपयुक्त (अ) मे वर्णित दशाओ मे, प्रति माह के लिए जब तक चूक (default) जारी रहे कर की देय रकम पर ० प्रतिशत परंतु यह दण्ड किसी भी दशा मे दय कर के आधे से अधिक नहीं हाना चाहिए
- (II) उपयुक्त (आ) मे वर्णित दशाओ मे यदि नक्शे मे लिखी हुई आय का सही मान लिया जाता तो जो कर बच जाता उसका कम से कम १० प्रतिशत और अविच से अधिक ५० प्रतिशत,
- (III) उपयुक्त (इ) मे वर्णित दशाओ मे यदि नक्शे म लिखी हुई आय को सही मान लिया जाता तो जो कर बच जाता उसका कम से कम २० प्रतिशत तथा अधिक स अधिक डेड गुना ।

स्पष्टीकरण—यदि किसी व्यक्ति ने अपनी आय के नक्शे मे आय-कर अधिकारी द्वारा निर्धारित कुल आय के ८० प्रतिशत से कम आय दिखायी है

तो उपयुक्त वाक्यांश (इ) के सम्बन्ध में यह माना जायेगा कि उसने अपनी आय छिपायी है अथवा अपनी आय का गलत विवरण दिया है जब तक कि वह यह सिद्ध न कर दे कि उसने यह गलत आय बपट द्वारा अथवा जान बूझकर वापसवाही से नहीं दिखायी है। इस सम्बन्ध में कुल आय में आशय उस आय से है जो आय कर अधिकारी द्वारा निर्धारित की गयी हो तथा उसमें से वे व्यय घटा दिये गये हों जो कर दाता ने यह आय कमाने के सम्बन्ध में वास्तव में व्यय किये हों तथा जो आय कर अधिनियम के अंतर्गत अस्वीकृत कर दिये गये हों।

(३) धारा १३६ (१) के अंतर्गत आय का नक्शा न दाखिल करने की दशा में उस व्यक्ति पर कोई दण्ड नहीं लगाया जायेगा जिसकी कुल आय उसके सम्बन्ध में यूनान कर योग्य सीमा से १,५०० रुपये से अधिक न हो।

(४) यदि किसी व्यक्ति की कोई कर योग्य आय न हो और वह धारा १३६ (२) अथवा १४८ के अंतर्गत जारी किये हुए नोटिस की पूर्ति न करे तो उस पर अधिक से अधिक २५ रुपये तक अथ दण्ड लगाया जा सकता है।

(५) धारा २८५ A के अंतर्गत, उन व्यक्तियों को, जो ५०,००० रु० से अधिक मूल्य के ठेके भवन निर्माण अथवा माल दान के सम्बन्ध में लेते हैं, सम्बन्धित आय-कर अधिकारी को ठेका लेने के १ माह के अंदर ठेके के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना देनी होगी। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो आय-कर अधिकारी उन पर अधिक से अधिक ५० रु० प्रतिदिन के हिसाब से उतने दिन का जुर्माना लगा सकता है जितने दिन वे इस सूचना के दान में चूक करेंगे। इसके अतिरिक्त जुर्माना किसी भी दशा में ठेके के मूल्य के २५ प्रतिशत से अधिक का नहीं हो सकता है।

(६) ऐसे व्यक्ति पर जिम पर एक विदेशी के अभियन्ता (agent) के रूप में धारा १६० (१) (1) के अंतर्गत कर लगना है उपर्युक्त (अ), (आ), (इ) में की हुई चूका के लिए कोई दण्ड नहीं लगाया जायेगा।

(७) धारा १४० A (जो वित्त अधिनियम १९६४ में दी गयी है) के अंतर्गत यदि कर दाता आय का नक्शा दाखिल करने के बाद ३० दिन के अन्दर देय कर की रकम (जो ५०० रु० से अधिक होनी चाहिए) नहीं चुकाता है तो आय-कर अधिकारी जितना उचित समझे अथ दण्ड लगा सकता है परन्तु यह अथ दण्ड देय कर की रकम के आधे से अधिक नहीं हो सकता है। उपर्युक्त वर्णित ३० दिन के अन्दर यदि अस्थायी अथवा नियमित कर निर्धारण हो जाता है तो यह अथ दण्ड नहीं लगाया जायेगा। यह अथ-दण्ड लगाने से पूर्व कर दाता को इस भूत का कारण बताने का उचित अवसर अवश्य दिया जायेगा।

(८) एक रजिस्टर्ड फर्म के सायेंदार द्वारा फर्म की आय में अपना भाग गलत दिखाने से यदि कम कर लग जाता तो उसके द्वारा दिखाये हुए भाग की सही मान लेने से जो कर बच जाता उसके डेढ़ गुने तक उस पर अथ दण्ड लगाया जा सकता है।

(९) यदि कोई व्यक्ति व्यापार बंद करने का नोटिस, आय-कर अधिकारी को व्यापार बंद होने के १५ दिन के अंदर नहीं देता है तो उस पर, व्यापार बंद होने की तिथि तक की व्यापार की आय पर लगे हुए कर का कम से कम १० प्रतिशत तथा अधिक से अधिक कर की रकम के बराबर, अथ दण्ड लग सकता है।

(१०) यदि नियमित कर निर्धारण की बायवाही के चलते में आय कर अधिकारी इस बात से सतुष्ट हो जाये कि कर दाता ने कर के अग्रिम भुगतान के सम्बन्ध में धारा २१२ के अंतगत अपनी आय का जान बूझकर गलत अनुमान दिया है अथवा धारा २१२ (३) के अंतगत बिना पर्याप्त कारण के अपनी आय का अनुमान दाखिल नहीं किया है तो आय कर अधिकारी निम्न अथ दण्ड लग सकता है

(१) आय का गलत अनुमान देने की दशा में

कर दाता द्वारा चुकाया हुआ कर का अग्रिम भुगतान, नियमित कर निर्धारण में निकाले हुए कर की रकम के ७५ प्रतिशत से जितना कम हो उसका कम से कम १० प्रतिशत और जितक से अधिक डेढ़ गुना अथवा यदि धारा २१० के अंतगत नोटिस जारी किया गया हो तो उसके अनुसार देय कर की रकम का कम से कम १० प्रतिशत और जितक से अधिक डेढ़ गुना (जो भी दोनों में कम हो) अथ दण्ड लगाया जा सकता है।

(११) धारा २१२ (३) के अंतगत आय का अनुमान दाखिल न करने की दशा में

जिस रकम पर धारा २१७ के अंतगत ब्याज देय है उसका कम से कम १० प्रतिशत और अधिक से अधिक डेढ़ गुना अथ-दण्ड लगाया जा सकता है।

सजाएँ (Prosecutions)

(१) धारा १७८ (१) व १७८ (३) के आयोजना की पूर्ति न करने की दशा में

(१) यदि एक कम्पनी का लिक्वीडेटर अपनी नियुक्ति के बाद ३० दिन के अंदर अपनी नियुक्ति की सूचना आय-कर अधिकारी को नहीं देता है, अथवा

(११) धारा १७८ (३) के अंतगत आवश्यक राशि सुरक्षित नहीं करता है अथवा

(iii) धारा १७८ (३) के आयोजना के विरुद्ध कम्पनी की कोई सम्पत्ति त्याग देना है

ता उम कम से कम ६ माह तथा अधिक से अधिक २ वर्ष तक की कड़ी सजा होगी । [धारा २७६ A]

(२) धारा १३२ (३) के अंतर्गत दिये गये आदेश का उल्लंघन करने की दशा में

धारा १३२ (३) के अंतर्गत एक अधिकृत अधिकारी द्वारा दिये गये आदेश का जो कोई भी उल्लंघन करेगा उसे अधिक से अधिक २ वर्ष तक की कड़ी सजा होगी तथा वह अथ दण्ड का भी दायी होगा । यह आदेश बहीखाते, धन, सोना, चाँदी, जेवर अथवा अन्य मूल्यवान वस्तुओं को बिना उस अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के किसी को हस्तांतर न करने का होता है ।

[धारा २७५ A]

(३) झूठी घोषणा देने की दशा में

यदि कोई व्यक्ति किसी झूठी बात को जानते हुए भी कि यह झूठ है उसके सही होने की घोषणा करता है तो उसे कम से कम ६ माह तथा अधिक से अधिक २ वर्ष तक की कड़ी सजा होगी । [धारा २७७]

(४) झूठी घोषणा देने अथवा आय का झूठा नक्शा दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित करने की दशा में

यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को उसकी कर योग्य आय के सम्बन्ध में झूठी घोषणा देने अथवा आय का झूठा नक्शा दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित करता है जिस वह स्वयं जानता है कि यह झूठा है अथवा उसे सही नहीं समझता है तो उसे कम से कम ६ माह तथा अधिक से अधिक २ वर्ष तक की कड़ी सजा होगी । [धारा २७८]

QUESTIONS

1. Indicate the procedure step by step for income tax assessment right from the time of the issue of notice upto final assessment by the Income tax Officer, including steps that may have to be taken by him on the assessee's failure in refusing to comply with the requirements under the Act

आय कर निर्धारण की वाय विधि आय-कर अधिकारी द्वारा दिया गया नोटिस से अंतिम कर निर्धारण तक क्रमवार लिखिए तथा साथ ही यह भी बताइए कि यदि कर दाता इस अधिनियम की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करे अथवा इनकार करे तो आय कर अधिकारी को क्या करना पड़ता है ?

- 2 What is meant by the expression 'Best Judgment Assessment' ? Under what circumstances can recourse be had to this method of assessment ? Are there any remedies open to the assessee against such assessment ?

‘सर्वोत्तम निणय कर निर्धारण क क्या अथ है ? कर निर्धारण की इस पद्धति को किन परिस्थितियों में अपनाया जाता है ? क्या ऐसे कर निर्धारण के विरुद्ध कर दाता के पास कोई उपाय है ?

- 3 State the disadvantages and penalties to which a tax payer may expose himself by the following

(a) Failure to file a return of income

(b) Failure to produce accounts and documents called for by the Income tax Officer

(c) Maintaining incomplete accounts from which income, profits and gains cannot be correctly deduced

उन हानियों तथा अव दण्डों का वर्णन कीजिए जिनके लिए एक कर-दाता निम्न के कारण स्वयं का जोखिम में डाल देता है

(अ) आय का नक्शा दाखिल करने में चक से ।

(ब) आय कर अधिकारी द्वारा मागे हुए हिसाब तथा प्रपत्रों को प्रस्तुत करने में चूक से ।

(इ) अपूर्ण हिसाब रखने से, जिससे आय तथा लाभ ठीक प्रकार से न निकाले जा सकें ।

- 4 Are there any exceptions to the general rule that assessments are made on the income of the previous year ? If so discuss them

क्या इस सामान्य नियम के कोई अपवाद हैं कि कर निर्धारण गत वर्ष की आय पर हात है ? यदि है, तो उनका वर्णन कीजिए ।

- 5 What are the provisions of the Indian Income Tax Act in respect of income escaping assessment ?

कर निर्धारण से बची हुई आय के सम्बन्ध में आय कर अधिनियम के क्या आयोजन हैं ?

- 6 Write short notes on

(a) Best Judgment Assessment

or

Ex parte Judgment

or

Ex parte Assessment

(b) Emergency Assessment

(c) Provisional Assessment

(d) Rectification of Mistakes

कर को एकत्र, वसूल एव वापस करना

[COLLECTION, RECOVERY AND REFUND OF TAX]

कर को एकत्र करना (Collection of Tax)

कर को एकत्र करने के विषय के अतगत निम्न का वर्णन किया जायेगा

(१) उद्गम स्थान पर कर की कटौती,

(२) कर का अग्रिम भुगतान अथवा "चुकाओ जसे कमाओ" योजना ।

(१) उद्गम स्थान पर कर की कटौती (Deduction of Tax at Source)

वतन, प्रतिभूतियों पर व्याज, लाभांश तथा विदेशियों को आय भुगतान के सम्बन्ध में उद्गम स्थान पर कर काटने का नियम है । वतन तथा प्रतिभूतियाँ पर व्याज पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती करने के सम्बन्ध में अधिनियम में दिये हुए नियमों का वर्णन अर्थात् ५ व ६ में क्रमशः किया जा चुका है ।

लाभांश के सम्बन्ध में, धारा १६४ के अतगत एक कम्पनी के प्रमुख अधिकारी का यह दायित्व है कि वह भारत में लाभांश (पूर्वाधिकार अर्थात् के लाभांश सहित) चुकाने से पहले उस लागू होने वाली निर्धारित दरा से आय कर की कटौती कर ले । यदि कोई अशुद्धाधीन आय कर अधिकारी से इस बात का प्रमाणपत्र ले ले कि उसकी कुल आय "यूनितम कर योग्य सीमा से कम होगी" तो कम्पनी का प्रमुख अधिकारी ऐसे अशुद्धाधीन को देय लाभांश की रकम में कर की कटौती नहीं करेगा ।

यदि विदेशियों को प्रतिभूतियाँ पर व्याज तथा लाभांश के अतिरिक्त आय कोई भुगतान किया जाये तो उस पर लागू होने वाली दरा से भुगतान करने वाले का, आय-कर काट लेना चाहिए सिवाय उस परिस्थिति के जबकि वह स्वयं उस विदेशी के अभिवर्ता के रूप में उस भुगतान पर आय-कर देने का दायी है ।

उद्गम स्थान पर कर की कटौती के सम्बन्ध में अन्य महत्वपूर्ण नियम—
(१) जिस कर दाता की किसी आय में से उद्गम स्थान पर कर की कटौती हा जाती है उसके लिए यह कटी हुई रकम उसकी आय मानी जाती है ।

(२) उदगम स्थान पर काटा हुआ कर कर दाता की ओर से चुकाया हुआ कर माना जाता है और उसके नियमित कर निर्धारण में इस रकम की उमको क्रेडिट (credit) दी जाती है।

(३) प्रत्येक दशा में कर काटने वाले का यह दायित्व है कि वह काटे हुए कर की रकम को निश्चित अवधि के अन्दर केन्द्रीय सरकार के कोष में जमा कर दे।

(४) यदि वेतन, प्रतिभूतियां पर ब्याज, लाभांश अथवा विदेशिया का आय भुगतान करने वाला व्यक्ति धाराएँ १६२ से १६५ तक में दिये गये नियमों के अनुसार कर नहीं काटता है या काटने के बाद मरकरारी कोष में जमा नहीं करता है तो वह कर के सम्बन्ध में चूक (default) में कर दाता माना जायेगा और वह उसे चुकाने के लिए दायित्व रूप से दायी होगा। यदि वह जान बूझकर ऐसी चूक करता है तो उस पर दण्ड भी लगाया जा सकता है।

(५) कर काटने वाले प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह उस व्यक्ति को, जिसकी आय में से कर काटा है कर की कटौती का एक प्रमाण पत्र देवे। इस प्रमाण पत्र में काटी हुई कर की रकम, वह दर जिससे कर काटा गया है तथा अन्य आवश्यक विवरण लिखा जायगा।

(६) ऐसी प्रतिभूतियां अथवा अंश पर दाय ब्याज अथवा लाभांश में से कर की कटौती नहीं की जाती है जो सरकार अथवा रिजर्व बैंक के पास, स्वामी के रूप में अथवा जिनमें उनका हित हो रखी हुई है।

(७) कर दाता के प्रायता पत्र देने पर यदि आय कर अधिनारी इस बात में सन्तुष्ट हो जाय कि कर दाता की कुल आय ऐसी है जिस पर कर की कटौती नहीं होनी चाहिए या कम दर से होनी चाहिए तो वह जैसा उचित समझे, कर दाता का प्रमाण पत्र दे देता है। ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर भुगतान करने वाला व्यक्ति या तो कर बिना काट या कम दर से काटकर उस व्यक्ति को भुगतान कर देगा।

(२) “चुकाओ जैसे कमाओ” योजना अथवा कर का अग्रिम भुगतान (“Pay As You Earn” Scheme or Advance Payment of Tax)

“चुकाओ जैसे कमाओ” योजना का तात्पर्य यह है कि कर-दाता जैसे जैसे आय कमाता जाता है उस पर वैसे वैसे ही कर देना जाता है अर्थात् यह कर चालू वर्ष की आय पर उसी वर्ष में दे दिया जाता है। वार्षिक में यह कर पेशगी के रूप में लिया जाता है इसलिए आय-कर अधिनियम में इस कर का

कर को एकत्र, वसूल एवं वापस करना

[COLLECTION, RECOVERY AND REFUND OF TAX]

कर को एकत्र करना (Collection of Tax)

कर का एकत्र करने के विषय के अन्तगत निम्न वा वणन किया जायेगा

(१) उद्गम स्थान पर कर की कटौती,

(२) कर का अग्रिम भुगतान अथवा चुकाया जैसे कमाया याजना ।

(१) उद्गम स्थान पर कर की कटौती (Deduction of Tax at Source)

वेतन, प्रतिभूतिया पर व्याज लाभांश तथा विदेशिया को अ य भुगतान के सम्बन्ध में उद्गम स्थान पर कर काटने का नियम है । वेतन तथा प्रतिभूतिया पर व्याज पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती करने के सम्बन्ध में अधिनियम म निय हुए नियमा का वणन अध्याय ५ व ६ में क्रमश किया जा चुका है ।

लाभांश के सम्बन्ध में, धारा १९४ के अन्तगत एक कम्पनी के प्रमुख अधिकारी का यह दायित्व है कि वह भारत में लाभांश (पूर्वाधिकार अशो के लाभांश महित) चुकान से पहले उम लागू हान वाली निर्धारित दरा से आय कर की कटौती कर ल । यदि कोई अशकारी आय कर अधिकारी से इस बात का प्रमाणपत्र ले ले कि उसकी कुल आय नूनतम कर योग्य सीमा से कम होगी तो कम्पनी का प्रमुख अधिकारी ऐने अशकारी को देय लाभांश की रकम में से कर की कटौती नहीं करेगा ।

यदि विदेशिया को प्रतिभूतिया पर व्याज तथा लाभांश के अतिरिक्त अय कोई भुगतान किया जाये तो उम पर लागू होने वाली दरो में भुगतान करने वाले को आय कर काट लेना चाहिए सिवाय उस परिस्थिति क जबकि वह स्वयं उस विदेशी के अभिकता क रूप में उस भुगतान पर आय-कर देने का दायी हा ।

उद्गम स्थान पर कर की कटौती के सम्बन्ध में अय महत्वपूर्ण नियम—

(१) जिस कर दाता की किसी आय में से उद्गम स्थान पर कर की कटौती हा जाती है उसके लिए यह कटौती हुई रकम उसकी आय मानी जाती है ।

(२) उदगम स्थान पर काटा हुआ कर कर दाता की ओर से चुकाया हुआ कर माना जाता है और उसके नियमित कर निर्धारण में दस रकम की उमको क्रेडिट (credit) दी जाती है।

(३) प्रत्येक दशा में कर काटने वाले का यह दायित्व है कि वह काटे हुए कर की रकम को निश्चित अवधि के अंदर केंद्रीय सरकार के कोष में जमा कर दे।

(४) यदि वेतन, प्रतिभूतियां पर ब्याज, लाभांश अथवा विदेशियों का आय भुगतान करने वाला व्यक्ति धाराएँ १६२ से १६५ तक में दिये गये नियमों के अनुसार कर नहीं काटता है या काटने के बाद सरकारी कोष में जमा नहीं करता है तो वह कर के सम्बन्ध में चूक (default) में कर दाता माना जायेगा और वह उसे चुकाने के लिए दायित्व रूप से दायी होगा। यदि वह जान बूझकर ऐसी चूक करता है तो उस पर दण्ड भी लगाया जा सकता है।

(५) कर काटने वाले प्रत्येक व्यक्ति का यह वनव्य है कि वह उस व्यक्ति को जिसकी आय में से कर काटा है, कर की कटौती का एक प्रमाण पत्र देवे। इस प्रमाण पत्र में काटी हुई कर की रकम, वह दर जिससे कर काटा गया है तथा अन्य आवश्यक विवरण लिखा जायेगा।

(६) ऐसी प्रतिभूतियां अथवा अंशों पर देय ब्याज अथवा लाभांश में से कर की कटौती नहीं की जाती है जो सरकार अथवा रिजर्व बैंक के पास स्वामी के रूप में अथवा जिनमें उनका हिस्सा हो, रखी हुई है।

(७) कर-दाता के प्राथमिक पत्र देने पर यदि आय-कर अधिकारी इस बात से सन्तुष्ट हो जाय कि कर दाता की कुल आय ऐसी है जिस पर कर की कटौती नहीं होनी चाहिए या कम दर से होनी चाहिए तो वह, जैसा उचित समझे, कर-दाता को प्रमाण पत्र दे लेता है। ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर भुगतान करने वाला व्यक्ति या तो कर बिना काट या कम दर से काटकर उस व्यक्ति को भुगतान कर देगा।

(२) "चुकाओ जैसे कमाओ" योजना अथवा कर का अग्रिम भुगतान ("Pay As You Earn" Scheme or Advance Payment of Tax)

'चुकाओ जैसे कमाओ' योजना का तात्पर्य यह है कि कर दाता जैसे जैसे आय कमाता जाता है उस पर जैसे जैसे ही कर देना जाता है। अर्थात् यह कर चालू वर्ष की आय पर उसी वर्ष में दे दिया जाता है। वास्तव में यह कर पेशगी के रूप में दिया जाता है इसलिए आय कर अधिनियम में इस कर का

अग्रिम भुगतान (Advance Payment of Tax) कहा गया है। इसके सम्बन्ध में नियम धारा २०७ से २१६ तक दिये गये हैं।

धारा २०७ के अन्तर्गत, कर का अग्रिम भुगतान, पूजा लाभों को छोड़कर, अथवा सब शीपका की कर योग्य आय पर करना होता है।

अग्रिम कर चुकाने के दायित्व की शर्तें (Conditions of liability to pay advance tax)—धारा २०८ के अन्तर्गत, कर का अग्रिम भुगतान एक वित्तीय वर्ष में निम्न स्थिति में करना होता है

(अ) जब किसी कर दाता की ऐसे गत वर्ष की कुल आय (पूजा लाभों को छोड़कर), जिसका नियमित कर निर्धारण सबसे अन्त में हुआ हो (Latest assessed previous year), न्यूनतम कर योग्य सीमा (Minimum taxable limit) से २५०० रुपये से अधिक निर्धारित की गयी हो अथवा

(ब) जब किसी कर दाता पर पहले कभी कर निर्धारण न हुआ हो और उसका अनुमान है कि अगले कर निर्धारण वर्ष में सम्बन्धित गत वर्ष में उसकी कुल आय (पूजा लाभों को छोड़कर) न्यूनतम कर योग्य सीमा से २,५०० रुपये से अधिक होगी।

अग्रिम कर की गणना (Computation of Advance Tax)—एक वित्तीय वर्ष में किसी कर दाता द्वारा देय अग्रिम कर की रकम की गणना निम्न प्रकार की जाती है

(अ) पहले उसकी उस गत वर्ष की कुल आय ली जायेगी जिसका नियमित कर निर्धारण सबसे अन्त में हुआ हो अथवा धारा २१२ के अन्तर्गत कर दाता द्वारा किया हुआ उस वित्तीय वर्ष की कुल आय का अनुमान लिया जायेगा।

(आ) ऐसी कुल आय में यदि कोई पूजा लाभ शामिल है तो उसे घटाकर जो रकम शेष बचेगी उस पर उस वित्तीय वर्ष की दरों से आय-कर निकाला जायेगा।

(इ) इस प्रकार निकाले हुए आय कर की रकम में से उस वित्तीय वर्ष में उसकी कुल आय में सम्मिलित किसी आय पर, उदगम म्यान पर कटने वाली आय कर की रकम घटा दी जायेगी।

(ई) इस प्रकार शेष बची हुई शुद्ध आय कर की रकम अग्रिम कर के रूप में देय होगी।

स्पष्टीकरण—यदि कर-दाता किसी रजिस्टर्ड फर्म में साझेदार है और यदि फर्म का किसी ऐसे गत वर्ष का कर निर्धारण समाप्त हो गया हो जो कर दाता के अन्तिम कर निर्धारित गत वर्ष (Latest

assessed previous year) से बाद का हो तो फर्म के ऐसे गत वर्ष की आय में उसका भाग, उसकी कुल आय में, उपयुक्त (अ) व (आ) के लिए, शामिल किया जायेगा।

आय-कर अधिकारी द्वारा आदेश (Order by Income tax Officer)

(१) जब किसी व्यक्ति पर नियमित कर निर्धारण पहले हो चुका है तो आय कर अधिकारी वित्तीय वर्ष में १ अप्रैल को या उसके बाद लिखित आदेश द्वारा उपयुक्त नियमों के अनुसार निकाली गयी अग्रिम कर की रकम केन्द्रीय सरकार के कौष में जमा करने के लिए कह सकता है। इस आदेश के अनुसार जारी किये गये माँग के नोटिस में उन किस्तों का उल्लेख किया जायेगा जिनमें अग्रिम कर चुकाना है।

(२) यदि उपयुक्त आदेश देने के बाद तथा उस वित्तीय वर्ष में १५ फरवरी से पहले कर दाता का (अथवा उस रजिस्टर्ड फर्म का जिसमें कर दाता साझेदार है) जिस गत वर्ष की आय के आधार पर अग्रिम कर निकाला गया है, उसके बाद के किसी गत वर्ष का नियमित कर निर्धारण अथवा अस्थायी कर निर्धारण पूरा हो जाय तो आय-कर अधिकारी नये कर निर्धारण के अनुसार अग्रिम कर की रकम निकालकर उसमें से पहले आदेश के अनुसार चुकाये हुए अग्रिम कर की रकम घटाकर जो शेष रकम निकलेगी उसका एक किस्त में भुगतान माँग सकता है अथवा यदि नये कर निर्धारण होने के बाद एक से अधिक किस्तें देने को बाकी हो तो शेष रकम उन किस्तों में बराबर-बराबर बाँटकर मागी जा सकती है। यदि नये कर निर्धारण के आधार पर निकाली हुई अग्रिम कर की रकम पहले आदेश के अनुसार चुकायी गयी रकम से कम पड़े तो जितनी ज्यादा रकम चुकायी जा चुकी है उसे आय कर अधिकारी कर दाता को वापस कर देगा।

अग्रिम कर की किस्तें (Instalments of Advance Tax)—(१) एक वित्तीय वर्ष में अग्रिम कर की बराबर बराबर किस्तें १ जून, १ सितम्बर, १ दिसम्बर व १ मार्च को देय होती हैं।

(२) यदि कर दाता की आय के किसी स्रोत का गत वर्ष ३१ दिसम्बर के बाद तथा ३० अप्रैल से पहले समाप्त होता हो तो आय के उस स्रोत पर अग्रिम कर तीन बराबर किस्तों में १ सितम्बर, १ दिसम्बर व १ मार्च को देय होगा।

(३) यदि धारा २१० के आदेश के अनुसार धारा १५६ में जारी किया हुआ माँग का नोटिस कर दाता को माँग के नोटिस में लिखी हुई किस्ता की तारीखों में से किसी तारीख के बाद प्राप्त हो, तो अग्रिम कर माँग के नोटिस के प्राप्त होने के बाद आने वाली किस्तों में बराबर बराबर चुकाया जायेगा।

(४) यदि नाटिस १ दिसम्बर के बाद प्राप्त हो, तो सब रकम १ माच को इक्की चुवायी जायेगी ।

कर दाता का अनुमान (Estimate by Assessee)—धारा २१२ के अ तगत, अग्रिम कर चुकाने के सम्बन्ध में एक कर दाता निम्न परिस्थितियां में अगले कर निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित गत वर्ष की आय का अपना अनुमान दे सकता है

(I) जब कर दाता की सम्पत्ति में उसकी उक्त गत वर्ष की कुल आय उस गत वर्ष की कुल आय में कम होगी जिसके आधार पर उस पर अग्रिम कर लगाया गया है तो वह अन्तिम विस्तार देय होन से पूर्व उक्त गत वर्ष की आय का अपना अनुमान आय कर अधिकारी को भेज सकता है । कर दाता को अपनी आय के अनुमान के साथ धारा २०६ के अनुसार देय अग्रिम कर का भी अनुमान भेजना होता है तथा अपने अनुमान के अनुसार आग जात वाली किस्ता की तारीखों पर, अग्रिम कर बराबर बराबर किस्तों में चुकाना होता है ।

(II) उपयुक्त कर दाता को यह भी अधिकार है कि यदि वह अपने पहले दिये गये अनुमान में कोई सशोधन करना चाहता है तो वह सशोधित अनुमान किस्ता की देय तिथियों से पूर्व आय-कर अधिकारी को भेज सकता है और इस सशोधन के अनुसार यदि कुछ अग्रिम कर अधिक या कम दिया गया है तो बाद की किस्ता में उसका उचित समायोजन किया जा सकता है ।

(III) जब किसी कर दाता पर पहले कभी कर निर्धारण न हुआ हो और उसका अनुमान है कि अगले कर निर्धारण वर्ष में सम्बन्धित गत वर्ष में उसकी कुल आय (पूजी लाभों को छोड़कर) न्यूनतम कर योग्य सीमा से २५०० रुपये से अधिक होगी, तो वह वित्तीय वर्ष में १ माच से पहले आय-कर अधिकारी के पास उस गत वर्ष की कुल आय (पूजी लाभों को छोड़कर) का अनुमान भेजेगा और उसके साथ धारा २०६ के अनुसार देय अग्रिम कर का भी अनुमान भेजना होता है । अपने अनुमान के अनुसार देय अग्रिम कर की रकम धारा २११ में दी हुई एसी तारीखों पर जो तब तक बीती न हो, बराबर की किस्तों में चुकाया जायेगा । ऐसे कर-दाता को उपयुक्त (II) में दिये हुए नियम के अनुसार अपने उपयुक्त अनुमान में सशोधन करने का भी अधिकार है ।

किस्ता के भुगतान के लिए अवधि में वृद्धि (Extension of time for payment of instalments)—किस्ता के भुगतान के लिए अवधि में वृद्धि नहीं की जाती है परन्तु यदि कर दाता की आय में ऐसा कमीशन भी शामिल है जो उसे सामयिक (periodically) मिलता है तो वह उस कमीशन के

सम्बन्ध में अग्रिम कर का भुगतान उस समय तक के लिए टाल सकता है जबकि वह कमीशन सामान्यतया प्राप्त हावे, परंतु यदि वह कमीशन प्राप्त होने के १५ दिन के अन्दर उसका अग्रिम कर नहीं चुकाता है तो उस अग्रिम कर के साथ कमीशन की प्राप्ति की तिथि से अग्रिम कर चुकाने की तिथि तक ६ प्रतिशत प्रति वष के हिसाब से साधारण ब्याज भी देना होगा।

सरकार द्वारा देय ब्याज (Interest payable by Government)— यदि अग्रिम कर की चुकायी गयी कुल रकम नियमित कर निर्धारण के अनुसार निर्धारित कर की रकम से अधिक हो तो ऐसे जाधिक्य पर, केंद्रीय सरकार कर-दाता को उस वित्तीय वर्ष के बाद जान वाली १ अप्रैल से नियमित कर निर्धारण की तिथि तक की अवधि के लिए ६ प्रतिशत प्रति वष की दर से साधारण ब्याज देगी।

यदि अग्रिम चुकाये हुए कर का कोई भाग कर दाता को वापस कर दिया हो तो ऐसे भाग पर ब्याज केवल वापस करने की तिथि तक का दिया जायगा।
कर-दाता द्वारा देय ब्याज (Interest payable by Assessee)

(१) जब किसी वित्तीय वर्ष में कर दाता ने अग्रिम कर अपन अनुमान के आधार पर दिया हो, और यदि चुकाया हुआ अग्रिम कर नियमित कर निर्धारण में निर्धारित कर (उद्गम स्थान पर कर की कटौती घटाने के बाद) की रकम के ७५ प्रतिशत से कम हो तो इस ७५ प्रतिशत से कमी पर, अगले वित्तीय वर्ष की १ अप्रैल से नियमित कर निर्धारण की तिथि तक की अवधि पर, कर-दाता को ६ प्रतिशत प्रति वष की दर से साधारण ब्याज चुकाना होगा।

(२) किसी ऐसे कर दाता ने जिस पर पहले कभी कर निर्धारण नहीं हुआ है अपनी किसी वर्ष की आय का अनुमान आय कर अधिकारी को नहीं भेजा है अथवा अग्रिम कर लगाने की यूनतम सीमा से कम अनुमान लगाया है और यदि उस वर्ष के नियमित कर निर्धारण करने पर आय कर अधिकारी का यह पता चलता है कि कर-दाता का अनुमान गलत था और उसे अग्रिम कर देना चाहिए था तो उस पर नियमित कर निर्धारण पर लगन वाले कर (उद्गम स्थान पर कर की कटौती को घटाकर) के ८५ प्रतिशत पर, उस वित्तीय वर्ष (जिसमें अग्रिम कर देना था) के बाद की १ अप्रैल से नियमित कर निर्धारण की तिथि तक की अवधि के लिए ६ प्रतिशत प्रति वष की दर से साधारण ब्याज देना होगा।

उपर्युक्त दाना नियमों के सम्बन्ध में, नियमित कर निर्धारण जान घाने कर निर्धारण वर्ष के लिए यदि कर की दर में परिवर्तन हो जाय तो इस परिवर्तन के कारण यदि अग्रिम चुकाय कर में कोई कमी पड़े तो उस कमी पर कोई ध्यान नहीं दिया जायेगा।

कर दाता द्वारा दिया गया ऐसा ब्याज एक स्वीकृत व्यय नहीं है, परंतु कर दाता को ऐसा प्राप्त ब्याज कर योग्य आय है।

अग्रिम कर के लिए क्रेडिट (Credit for Advance Tax)

धारा २१६ के अंतर्गत, अग्रिम चुकाये कर का नियमित कर निर्धारण में क्रेडिट (credit) दिया जाता है।

कर की वसूली (Recovery of Tax)

कर दाता को माँग का नोटिस प्राप्त होने के बाद ३५ दिन के अंदर नोटिस में लिखी हुई रकम, नोटिस में दिये हुए व्यक्ति को, दिये हुए स्थान पर चुकानी होती है। यदि आय-कर अधिकारी के पास यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि पूरे ३५ दिन की अवधि देने से सरकारी आय में हानि हो सकती है तो वह इन्स्पेक्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर की पूर्व अनुमति से माँग के नोटिस में देय रकम ३५ दिन से कम की अवधि में माँग सकता है।

यदि माँग के नोटिस में लिखी हुई रकम नोटिस में दी हुई अवधि के अंदर न चुकायी जाये तो कर दाता को, उक्त अवधि के समाप्त होने के बाद की तिथि से भुगतान करने की तिथि तक, ६ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज देना होगा। माँग के नोटिस में दी हुई अवधि के समाप्त होने से पूर्व, यदि कर-दाता मागी हुई रकम चुकाने की अवधि मंजूर कराने के लिए अथवा किन्तो म चुकाने के लिए प्रार्थना पत्र देता है, तो आय कर अधिकारी यह अवधि बढ़ा सकता है अथवा भुगतान को किन्तो म देना स्वीकृत कर सकता है। इस सम्बन्ध में आय कर अधिकारी ऐसी शर्तें लगा सकता है जो उन परिस्थितियों में वह उचित समझे।

यदि स्वीकृत समय के अंदर मागी हुई रकम का भुगतान न हो तो कर दाता को भुगतान की चूक (default) में माना जाता है तथा उस पर लगातार चूक करने पर दण्ड (penalty) लगाया जा सकता है, जो अधिक से अधिक देय कर की रकम तक हो सकता है। यह दण्ड लगाने से पूर्व कर दाता को सुनने का उचित अवसर दिया जायेगा।

यदि मागी हुई रकम को किन्तो म चुकाने की स्वीकृति दे दी गयी है और कर दाता किसी एक किन्तो म को समय पर नहीं चुका पाता है तो वह कर दाता उस समय शेष अप्राप्त सब रकम के लिए भुगतान की चूक (default) में माना जायेगा, और बची हुई सब किन्तो म उसी दिन प्राप्य (due) मानी जायेंगी जिस दिन चूक वाली किन्तो म प्राप्य थी, अर्थात् कर-दाता को शेष सब किन्तो म की रकम एक साथ चुकानी होगी।

वसूली के तरीके (Modes of Recovery)

कर, ब्याज, जुमाना, दण्ड अथवा अ य कोई रकम, जा इस अधिनियम के अ-तर्गत किसी आदेश के अनुसार देय हो, निम्न तरीको से वसूल की जा सकती है

(१) धारा २२२ के अ-तर्गत, जब कोई कर दाता भुगतान के लिए चूक (default) में हो तो आय कर अधिकारी अपन हस्ताक्षर से एक प्रमाण पत्र टैक्स रिकवरी ऑफिसर (Tax Recovery Officer) को, कर-दाता द्वारा देय रकम का उल्लेख करते हुए, भेजेगा। टैक्स रिकवरी ऑफिसर (Tax Recovery Officer) ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद, कर दाता से प्रमाण पत्र में लिखी हुई रकम वसूल करने के लिए, निम्न तरीको में से कोई एक अथवा एक से अधिक तरीके अपनायेगा

- (अ) कर दाता की चल अथवा अचल सम्पत्ति की कुटकी (Attachment) कराके उसकी बिक्री करना,
- (आ) कर दाता का गिरफ्तार करके जेल में बन्द कराना,
- (इ) कर दाता की चल तथा अचल सम्पत्तिया के प्रबंध के लिए रिसीवर (Receiver) नियुक्त करना।

आय कर अधिकारी उपयुक्त वर्णित प्रमाण पत्र उस दशा में भी द सकता है जबकि उसने वसूली के लिए कोई अ-य तरीके की कायवाही कर दी हो।

(२) धारा २२६ के अ-तर्गत आय कर अधिकारी वसूली के लिए निम्न तरीको में से कोई एक अथवा एक से अधिक तरीका भी अपना सकता है, चाहे भले ही उसने टैक्स रिकवरी आफिसर (Tax Recovery Officer) के पास प्रमाण पत्र भी क्या न भेज दिया हो

(1) यदि कर दाता कहीं नौकरी करता है तो आय-कर अधिकारी उसके मालिक का यह नोटिस दे सकता है कि यदि वह इस नोटिस की प्राप्ति के बाद कर दाता को कोई भुगतान कर तो उसमें से पहले कर-दाता पर शेष कर दण्ड, जुर्माना आदि की रकम काट ले और उस केन्द्रीय सरकार के कोष में जमा करा दे, बशर्ते कि यह रकम देतन के उस भाग में से नहीं काटी जा सकती है जो सिविल न्यायालय की किसी डिक्री के अनुसार अटैचमेंट (Attachment) से मुक्त हो।

(ii) आय-कर अधिकारी किसी भी समय या समय-समय पर ऐसे व्यक्तियों का, जिनके पास कर-दाता की कोई रकम जमा है अथवा जिन्हें कर दाता का, कोई रकम देनी है अथवा भविष्य में जमा होगी या देनी होगी, लिखित सूचना दे सकता है कि वे कर-दाता पर शेष कर, दण्ड, जुर्माना आदि की रकम को आय कर अधिकारी को भुगतान कर दे।

(iii) यदि किसी यायालय के पास कर दाता को भुगतान हाने वाली कोई रकम जमा है तो आय कर अधिकारी ऐसे यायालय का यह लिख सकता है कि वह कर दाता पर घेप कर आदि की रकम का भुगतान (अपने पास की जमा रकम में से) उसे (आय कर अधिकारी को) कर दे।

(iv) कमिश्नर द्वारा अधिकृत हां जाने पर आय-कर अधिकारी कर दाता की चल सम्पत्ति का, बर आदि वमूल करने क लिए हकवावर बेच भी सकता है।

कर चुकाने का प्रमाण पत्र (Tax Clearance Certificate)

धारा २३० बं ज तगत जब कोई व्यक्ति जा भारत मे domiciled नहीं है जथवा यदि वह भारत छोडने के समय भारत मे domiciled भी है तो यदि जाय कर अधिकारी की सम्मति म उसका भारत लौटने वा इरादा नहीं है भारत से वाहर जाता है तो उमे जान स पूव इस आशय वा एक प्रमाण पत्र निधागित अधिकारी से लेना होता है कि उसन उस समय तक अपने द्वारा देय सम्पूण कर की रकम चुका दी है अथवा यदि उसकी आय कर योग्य सीमा मे कम है तो उस मुक्ति वा प्रमाण पत्र (Exemption Certificate) लेना हाता है।

कर की वापसी

(Refund of Tax)

धारा २३७ के अ तगत, यदि कोई व्यक्ति आय-कर अधिकारी को इम बात से सन्तुष्ट कर दे कि किसी कर निधारण बप के लिए उसके द्वारा जथवा उसकी ओर से किसी के द्वारा, जा कर चुवाया गया है वह उम रकम स अधिक है जो इस अधिनियम क अन्तगत उस उम बप के लिए उचित रूप से दना चाहिए था तो वह व्यक्ति एमे जाधिक्य की वापसी वा अधिकारी है।

कुछ विशेष परिस्थितियो मे वापसी माग्ने का अधिकारी (Person Entitled to Claim Refund in Certain Special Cases)

धारा २३८ के अ तगत

(१) जब एक व्यक्ति की जाय दूसरे व्यक्ति की कुल जाय म शामिल की जाती है ता ऐसी जाय ब सम्बन्ध म वापसी माग्ने का अधिकारी वह दूसरा व्यक्ति है जिसकी कुल आय म यह आय शामिल की गयी है।

(२) जब मृत्यु, जयाग्यता, दिवाला अथवा समापन के कारण कोई व्यक्ति वापसी नहीं माग सकता है तो उसकी ओर से उसका कानूनी प्रति निधि ट्रस्टी, सरक्षक अथवा रिसीवर (receiver) एमी माग कर सकता है।

साधारणतया बर की वापसी निम्न कारण स उदय हाती है

(अ) अधिक दर से उदगम स्थान पर बर की कटौती हो जाने से,

(आ) किसी भूल के सुधारन स,

(इ) अपील के निणयानुसार, तथा

(ई) अग्रिम कर अधिक्त लगने से।

वापसी माँगने की काय-विधि (Procedure for Claiming a Refund)

धाराएँ २३६ व २४० के अंतर्गत, वापसी माँगने की काय विधि निम्न प्रकार है

(१) वापसी की माँग निर्धारित फॉर्म पर निर्धारित ढग से प्रमाणित करके प्रमाण-पत्र देने से हाती है।

(२) जिस कर निर्धारण वर्ष में वापसी से सम्बन्धित आय कर-व्याज थी उससे बाद ४ वर्षों के अन्दर वापसी की माँग की जा सकती है।

(३) यदि इस अधिनियम के अंतर्गत की हुई किसी अपील अथवा अ य किसी कायवाही के सम्बन्ध में दिये हुए आदेश के फलस्वरूप वापसी की माँग उदय हाती है ता आय-कर अधिकारी बिना किसी प्राथमता पत्र के, यह रकम कर दाता का वापस कर दगा।

वापसी को रोकने का अधिकार (Power to Withhold Refund)

धारा २४१ के अंतर्गत यदि वापसी के आदेश के सम्बन्ध में अपील कर दी गयी हो अथवा कोई अ य कायवाही चल रही हो, तथा आय कर अधिकारी की सम्मति में वापसी स्वीकार करने से सरकारी आय का हानि हान की सम्भावना है तो आय कर अधिकारी, इ स्पेक्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर की पूव अनुमति से, वापसी को तब तक रोक सकता है जब तक के लिए कमिश्नर कह दे।

वापसी में देरी होने पर ब्याज (Interest on Delayed Refunds)

धारा २४३ के अंतर्गत, यदि आय कर अधिकारी

(1) किसी ऐसे कर दाता की वापसी, जिसकी कुल आय में केवल प्रति भूतियों पर ब्याज अथवा लाभांश ही नहीं है, उसकी कुल आय निर्धारित होने की तिथि के बाद तीस माह के अन्दर नहीं स्वीकार करता है, तथा

(ii) अ य किसी दशा में, वापसी की माँग की तिथि के बाद ६ माह के अन्दर नहीं स्वीकार करता है,

तो केन्द्रीय सरकार कर दाता को उक्त दशाओं में ३ माह अथवा ६ माह (जैसा भी हा) के बाद से वापसी स्वीकार करने की तिथि तक की अवधि के लिए ६ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज दगी।

धारा २४४ के अनुसार, यदि इस अधिनियम के अंतर्गत की हुई किसी अपील अथवा किसी कायवाही के सम्बन्ध में दिये हुए आदेश के फलस्वरूप वापसी की माँग उदय हुई हा और आय कर अधिकारी ऐसे आदेश की तिथि

के ६ माह के अंदर वापसी की स्वीकृति नहीं देता है तो केन्द्रीय सरकार कर-दाता को ६ माह की अवधि के अंत से वापसी की स्वीकृति की तिथि तक की अवधि के लिए ६ प्रतिशत प्रति वष की दर से साधारण ब्याज देगी।

यदि उपयुक्त वर्णित धारा २४१ के अंतगत, वापसी का रोक दिया गया हो तो वापसी की जो रकम अंतिम रूप से निर्धारित होगी उस पर वापसी रोकने की तिथि से वापसी स्वीकृत करने की तिथि तक की अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार कर-दाता को ६ प्रतिशत प्रति वष की दर से ब्याज देगी।

न चुके हुए कर की रकम से वापसी की पूर्ति (Set off of Refunds against Tax Remaining Payable)

धारा २४५ के अंतगत यदि किसी कर-दाता द्वारा इस अधिनियम के अंतगत कोई कर चुकाना शेष है जोर आय कर अधिकारी, अथवा अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर अथवा कमिश्नर के आदेशानुसार उस कोई वापसी भी मिलनी है तो वापसी का आदेश देने वाला अधिकारी वापसी की पूर्ति, न चुके हुए कर की रकम से कर सकता है। परंतु ऐसी पूर्ति करने से पहले कर-दाता को लिखित सूचना देनी होगी।

कर-जमा-पत्र (Tax Credit Certificates)

वित्त अधिनियम १९६५ की एक प्रमुख विशेषता भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए कर-जमा पत्रों के निगमन का आयोजन है। कर-जमा-पत्रों के मूल्य से कर-दाता द्वारा देय कर की राशि कम कर दी जायगी। यदि कर-दाता को स्वीकृत कर-जमा पत्रों का मूल्य उसके द्वारा देय कर की रकम से अधिक है तो कर-दाता इस अधिक राशि को वापस पान का अधिकारी होगा।

अधिनियम के अनुसार कर-जमा पत्रों का निगमन निम्न पाँच दशाओं में होगा

- (१) कुछ साधारण अशुधारियों को,
- (२) किसी उद्योग उद्यम को शहरी क्षेत्र से हटाने के सम्बन्ध में
- (३) निर्माण अथवा उत्पादन करने वाली कुछ कम्पनियों को कुछ विशेष दशाओं में,
- (४) माल के निर्यात के सम्बन्ध में, तथा
- (५) माल के बड़े हुए उत्पादन के सम्बन्ध में।

QUESTIONS

- 1 Write a short essay on 'Deduction of Tax at Source'
उदगम स्थान पर कर की कटौती पर एक सक्षिप्त निबंध लिखिए।
- 2 What do you understand by 'pay as you earn scheme'
'चुकाओ जैसे कमाओ' योजना से आप क्या समझते हैं ?

- 3 When does the claim for refund arise and what is the procedure relating to application for refund? Describe in detail

वापसी की मांग कब उदय होती है तथा वापसी के लिए प्राथना पत्र देने की क्या काय विधि है? विस्तार में वर्णन कीजिए।

- 4 Describe the procedure for obtaining refund of tax already paid. What are the circumstances and limitations under which such a claim is allowed?

चुकाये गये कर की वापसी लेने के लिए काय विधि का वर्णन कीजिए। वे कौनसी परिस्थितियाँ तथा सीमाएँ हैं जिनके अंतर्गत ऐसी मांग स्वीकृत की जाती है?

- 5 Write notes on

(i) 'Pay as you earn' scheme

(ii) Refund of tax

निम्न पर टिप्पणियाँ लिखिए

(i) 'धुकाओ जैसे कमाओ' योजना।

(ii) कर की वापसी।

- 6 What do you understand by the term 'Advance Payment of Tax'? Why was it introduced? State clearly the important provisions of the Income Tax Act regarding it

'कर के अग्रिम भुगतान' से आप क्या समझते हैं? यह क्यों लागू किया गया था? इस सम्बन्ध में आय-कर अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की स्पष्ट व्याख्या कीजिए।

अपील तथा पुनर्विचार

[APPEALS AND REVISION]

आय कर के सम्बन्ध में प्रारम्भ में सब आदेश आय कर अधिकारी द्वारा दिये जाते हैं। यदि कोई कर दाता आय कर अधिकारी द्वारा दिये हुए आदेश अथवा निणय से सन्तुष्ट न हो तो वह ऐसे आदेश अथवा निणय के विरुद्ध अपील कर सकता है। कर दाता का यह भी अधिकार है कि यदि वह अपील न करना चाहे या अपील करने का समय निम्न जाय तो वह कमिश्नर के यहाँ पुनर्विचार (revision) के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है।

अपील (Appeals)

सबप्रथम आय कर अधिकारी के निणयों के विरुद्ध अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर के यहाँ अपील की जा सकती है।

अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर (Appellate Assistant Commissioner) के यहाँ अपील

अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर के यहाँ अपील करने की शक्तें—(१) धारा २४६ (१) के अन्तर्गत प्रत्येक अपील निम्नलिखित काम पर, निर्धारित ढंग से प्रमाणित किये की जाती है।

(२) धारा २४६ (२) के अन्तर्गत निम्न तिथि के बाद ३० दिन के अन्दर अपील की जा सकती है

- (अ) उदगम स्थान पर कर की कटौती के सम्बन्ध में कर भुगतान करने की तिथि, अथवा
- (ब) कर निर्धारण अथवा जय दण्ड के सम्बन्ध में तत्सम्बन्धित मांग के नोटिस प्राप्त की तिथि, अथवा
- (स) अन्य किसी मामले में, उस आदेश की प्राप्ति की तिथि, जिसके विरुद्ध अपील करनी है।

(३) धारा २६८ (३) के अन्तर्गत अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर उक्त अवधि के भीतर मान पर भी अपील कर सकता है यदि वह इस बात से सन्तुष्ट

हो जाये कि अपील करने वाला पर्याप्त कारणों से निर्धारित समय के अन्दर अपील नहीं कर सका था।

अपील की काय विधि—(१) धारा २५० (१) के अंतर्गत, अपीलेंट असिस्टेण्ट कमिश्नर अपील सुनने के लिए एक तारीख तथा स्थान नियत करेगा तथा कर-दाता और सम्बन्धित आय-कर अधिकारी को इस तारीख एवं स्थान की सूचना देगा।

(२) धारा २५० (२) के अंतर्गत अपील की सुनवाई में निम्न को सुनाने दिया जायेगा—ज्यादा गिनत व्यक्तियों को अपील के सम्बन्ध में प्रस्तुत होकर बोलने का अधिकार है

(अ) अपील करने वाला, चाहे स्वयं अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि

(ब) आय-कर अधिकारी, चाहे स्वयं अथवा उसका प्रतिनिधि।

(३) धारा २५० (३) के अंतर्गत अपीलेंट असिस्टेण्ट कमिश्नर को यह अधिकार है कि वह अपील की सुनवाई समय समय के लिए टाल (adjourn) सकता है।

(४) धारा २५० (४) के अंतर्गत अपीलेंट असिस्टेण्ट कमिश्नर अपील का अंतिम निणय देन में पहले, जैसी उचित समझे, जांच कर सकता है अथवा आय-कर अधिकारी को जांच करने का आदेश दे सकता है जिसके परिणाम की रिपोर्ट उसे अपीलेंट असिस्टेण्ट कमिश्नर को देनी होगी।

(५) धारा २५० (५) के अंतर्गत, अपीलेंट असिस्टेण्ट कमिश्नर, अपील की सुनवाई के समय, अपील करने वाले को अपील के ऐसे आधारों पर भी बोलने के लिए स्वीकृति दे सकता है जो अपील के फॉर्म में न लिखे गये हों, बशर्ते कि अपीलेंट असिस्टेण्ट कमिश्नर इस बात से सन्तुष्ट हो कि वह आधार अपील के फॉर्म में संज्ञान बूझकर अथवा अनुचित रूप में नहीं छोड़े गये हैं।

(६) धारा २५० (६) के अंतर्गत, अपीलेंट असिस्टेण्ट कमिश्नर का अपील के निणय का आदेश लिखित होगा चाहे वह तथा उसमें उन कारणों का उल्लेख होना चाहिए जिनके आधार पर उसने अपना निणय दिया है।

(७) धारा २५० (७) के अंतर्गत, अपीलेंट असिस्टेण्ट कमिश्नर अपील के निणय के आदेश की प्रतिलिपि कर-दाता को तथा कमिश्नर को भेजेगा।

अपीलेंट असिस्टेण्ट कमिश्नर के अधिकार—धारा २५१ के अंतर्गत अपील के सम्बन्ध में अपीलेंट असिस्टेण्ट कमिश्नर के निम्न अधिकार हैं

(अ) कर निर्धारण में विरुद्ध हुई अपील के सम्बन्ध में वह कर निर्धारण को सम्पुष्ट, कम, रद्द अथवा बढ़ा सकता है, अथवा आय-कर अधिकारी को अपने निर्देशानुसार फिर से कर निर्धारण करने का आदेश दे सकता है।

(आ) अथ दण्ड के विरुद्ध अपील के सम्बन्ध में वह ऐसे आदेश को सम्पूर्ण अथवा रद्द कर सकता है अथवा अथ दण्ड को कम या अधिक कर सकता है।

(इ) अथ किसी प्रकार की अपील के सम्बन्ध में वह जैसा उचित समझे निर्णय दे सकता है।

अपील में कर दाता पर दायित्व बढ़ाने का आदेश तभी दिया जा सकता है जबकि कर दाता को इसके विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर दे दिया जाय।

अपीलेट ट्रिब्यूनल (Appellate Tribunal) में अपील

धारा २५३ के अन्तर्गत अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील करने के सम्बन्ध में निम्न नियम हैं

(१) जब कोई कर दाता अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर के निर्णय से सन्तुष्ट न हो तो उस निर्णय की प्राप्ति के बाद वह ६० दिनों के अन्दर अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है।

(२) अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर के निर्णय में यदि आय-कर कमिश्नर को कोई आक्षेप हो तो वह आय-कर अधिकारी को अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील करने का निर्देश दे सकता है। आय-कर अधिकारी के लिए भी यह आवश्यक है कि वह ऐसी अपील अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर के निर्णय की प्राप्ति के बाद ६० दिनों के अन्दर ही ट्रिब्यूनल में कर सकता है।

(३) कर दाता द्वारा अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील करने के लिए उसे १०० रुपये की फीस भी देनी होती है जो यदि आय-कर अधिकारी अपील करे तो उसे नहीं देनी पड़ती।

(४) यह अपील प्रत्येक दशा में निर्धारित फॉर्म पर निर्धारित ढंग से प्रमाणित करके की जाती है।

(५) अपीलेट ट्रिब्यूनल में कमिश्नर के पुनर्विचार (revision) सम्बन्धी आदेश के विरुद्ध भी अपील की जा सकती है।

(६) आय-कर अधिकारी अथवा कर दाता इस नोटिस की प्राप्ति पर, कि अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर के निर्णय के विरुद्ध दूसरे पक्ष द्वारा अपील कर दी गयी है अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर के आदेश के किसी भाग के विरुद्ध क्रॉस ऑब्जेक्शन (cross-objection) का लेखा ३० दिनों के अन्दर ट्रिब्यूनल में प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे लेखे (Memorandum) को अपील की तरह मानकर निबटारा जायेगा।

(७) अपीलेट ट्रिब्यूनल एक अपील अथवा लेखा (Memorandum) निर्दिष्ट समय के भीत जाने पर भी ले सकता है बशर्त कि वह इस बात से सन्तुष्ट हो जाये कि उन्हें समय के अन्दर प्रस्तुत न करने के पर्याप्त कारण हैं।

अपीलेट ट्रिब्यूनल का आदेश—(१) अपीलेट ट्रिब्यूनल अपील के दोनो पक्षो को सुनने का अवसर देने के बाद, जैसा उचित समझे, आदेश दे सकता है।

(२) ट्रिब्यूनल अपना आदेश देने के बाद ४ वर्ष के अंदर कोई भूल सुधारने के लिए अपने मूल आदेश में सशोधन भी कर सकता है। यह भूल, ट्रिब्यूनल के नोटिस में कर-दाता अथवा आय-कर अधिकारी द्वारा जारी जा सकती है। यदि उपर्युक्त सशोधन से कर दाता का दायित्व बढ़ता हो तो बिना कर-दाता को सुनने का उचित अवसर दिये ऐसा सशोधन नहीं किया जा सकता है।

(३) ट्रिब्यूनल अपने आदेश की प्रतिलिपि कर-दाता तथा कमिश्नर को भेजेगा।

(४) यदि ट्रिब्यूनल के आदेश में कोई कानूनी प्रश्न उदय न हो जाये तो ट्रिब्यूनल का आदेश अंतिम (final) होता है। [धारा २५४]

अपीलेट ट्रिब्यूनल की कार्य विधि—(१) अपीलेट ट्रिब्यूनल का महापति ट्रिब्यूनल को कई बेंचों में बाँट देता है और ये बेंचें, पृथक् पृथक् ट्रिब्यूनल के अधिकारों का प्रयोग एवं कतव्यों का पालन करती हैं।

(२) साधारणतया एक बेंच में एक जुडीशियल सदस्य और एक एकाउण्टेण्ट सदस्य होता है परन्तु निम्न स्थितियों में बेंच के संगठन में परिवर्तन हो सकता है

(i) ऐसे कर-दाता की अपील के सम्बन्ध में, जिनकी आय कर अधिकारी द्वारा निर्धारित कुल आय २५,००० रुपये से अधिक न हो, केवल एक सदस्य की ही बेंच हो सकती है।

(ii) किसी विशेष अपील के सम्बन्ध में तीन सदस्यों की बेंच नियुक्त की जा सकती है, जिनमें कम से कम एक जुडीशियल और एक एकाउण्टेण्ट सदस्य होना आवश्यक है।

(iii) किसी मामले में यदि बेंच के दोनो सदस्यों में मतभेद हो तो ट्रिब्यूनल का महापति एक तीसरा सदस्य नियुक्त कर देगा। तीसरा सदस्य भी उस मामले की सुनवाई करेगा, और तब तीनों सदस्यों की सम्मति में से जिसका बहुमत होगा उसी के अनुसार निणय दिया जायेगा।

(३) अपने अधिकारों के प्रयोग एवं कतव्यों के पालन से सम्बन्धित मामलों के लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल अपनी तथा अपनी बेंचों की कार्यविधि का स्वयं नियमित कर सकता है।

(४) अपीलेट ट्रिब्यूनल को अपने कतव्यों को पूरा करने के लिए वे सब अधिकार होंगे जो आय कर पदाधिकारियों को होते हैं तथा ट्रिब्यूनल के सामने जितनी कार्यवाही होती है वह सब जुडीशियल कार्यवाही मानी जाती है।

उच्च न्यायालय को रेफरेन्स (Reference to High Court)

धारा २५६ के अंतर्गत, अपीलेंट ट्रिब्यूनल का आदेश प्राप्त होने के बाद ६० दिन के अंदर, कर दाता अथवा कमिश्नर निर्धारित फॉर्म में ट्रिब्यूनल को प्रार्थना पत्र दे सकता है कि उसके निणय में कानूनी प्रश्न सन्निहित (involved) है अतः वह उसे उच्च न्यायालय को रेफर (refer) कर दे। यदि ऐसा प्रार्थना-पत्र कर दाता द्वारा दिया जाता है तो उसे प्रार्थना पत्र के साथ १०० रुपये फीस के भी देने होंगे। ऐसा प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के बाद १२० दिन के अंदर ट्रिब्यूनल उस मामले का विवरण तैयार करके उच्च न्यायालय को रेफर (refer) कर देता है।

यदि ट्रिब्यूनल की सम्मति में किसी मामले में कानूनी प्रश्न सन्निहित नहीं है तो वह उच्च न्यायालय को रेफर करने के लिए मना कर सकता है। कर-दाता अथवा कमिश्नर को यह अधिकार है कि ऐसा मना का आदेश प्राप्त होने के बाद ६ माह के अंदर उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र दे सकता है और यदि हाईकोर्ट ट्रिब्यूनल के निणय को सही नहीं मानता है तो वह ट्रिब्यूनल को यह आदेश दे सकता है कि वह उस मामले का विवरण तैयार करके उच्च न्यायालय को रेफर (refer) कर दे। ऐसा आदेश प्राप्त होने पर ट्रिब्यूनल उस मामले को उच्च न्यायालय को रेफर (refer) कर देता है।

उच्च न्यायालय में ऐसे मामले की सुनवाई कम से कम दो जजों की बेंच द्वारा होती है। इसका निणय उनकी बहु-सम्मति से होता है। उच्च न्यायालय अपने निणय की एक प्रतिलिपि ट्रिब्यूनल को भेज देता है जो उसका अनुसार अपने पूर्व आदेश में संशोधन कर देता है।

सर्वोच्च न्यायालय को सीधा रेफरेन्स (Direct reference to the Supreme Court)

किसी मामले में रेफरेन्स के लिए प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में यदि अपीलेंट ट्रिब्यूनल की सम्मति में कानून का कोई ऐसा प्रश्न है जिसके सम्बन्ध में उच्च न्यायालय (High Courts) के निणय भिन्न भिन्न हैं तो यदि वह उचित समझे तो उस मामले का विवरण तैयार करके अपने अध्यक्ष द्वारा सीधे सर्वोच्च न्यायालय को रेफर (refer) कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय में अपील (Appeal to the Supreme Court)

धारा २६१ के अंतर्गत, उच्च न्यायालय को रेफर (refer) किए हुए किसी मामले पर दिए गये उच्च न्यायालय के निणय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में अपील की जा सकती है यद्यपि कि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर देता है कि यह मामला (case) सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के योग्य (fit) है। यदि सर्वोच्च न्यायालय अपील में उच्च

न्यायालय के निणय मे परिवतन कर देता है तो सर्वोच्च न्यायालय के निणय के अनुसार अपीलेंट ट्रिब्यूनल अपने पूव आदेश मे उचित मशोधन कर देता है ।

कमिश्नर द्वारा पुनर्विचार

(Revision by the Commissioner)

ऐसे आदेशो पर पुनर्विचार जो सरकारी आय के लिए अहितकर है
(Revision on Orders Prejudicial to Revenue)

धारा २६३ के अतगत, इस अधिनियम के अतगत की गयी किसी भी कायवाही का रिकार्ड (record) कमिश्नर मांगकर उसकी जांच कर सकता है, और यदि वह यह समझता है कि आय-कर अधिकारी द्वारा दिया हुआ कोई आदेश गलत है तथा सरकारी आय के लिए अहितकर (prejudicial to revenue) है तो वह उचित पूछनाछ करने के बाद तथा कर दाता को सुनने का उचित अवसर देने के बाद, मामले की परिस्थितिया के अनुसार उचित आदेश दे सकता है, जिसमे कर निर्धारण को बढ़ाना अथवा उसमे मशोधन करना अथवा रद्द करना और नये कर निर्धारण का निर्देश देना भी सम्मिलित है ।

कमिश्नर ऐसे किसी भी आदेश पर पुनर्विचार नहीं कर सकता है जिसे २ वर्ष से अधिक बीत चुके हों अथवा जो धारा १४७ के अतगत पुनः कर निर्धारण का आदेश हो ।

अन्य आदेशो पर पुनर्विचार (Revision of Other Orders)

धारा २६४ के अतगत, कमिश्नर, उपर्युक्त वर्णित आदेशों को छोड़कर, अन्य ऐसे आदेशों के सम्बन्ध में जो उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी ने दिये हों, अपने आप अथवा कर दाता द्वारा पुनर्विचार के लिए प्रार्थना पत्र देने पर इस अधिनियम के अतगत की गयी किसी ऐसी कायवाही का रिकार्ड (record) मांग सकता है जिसमें ऐसा आदेश दिया गया था तथा इन सम्बन्ध में उचित पूछ-ताछ करने के बाद उचित आदेश दे सकता है बशर्ते कि वह आदेश कर दाता के अहित में न हो ।

इस धारा के अतगत कमिश्नर अपने आप ऐसे आदेशों पर पुनर्विचार नहीं कर सकता जिन्हें एक वर्ष से अधिक बीत चुका हो ।

इस धारा के अतगत, यदि कर दाता पुनर्विचार के लिए प्रार्थना पत्र देता है तो उसे यह प्रार्थना पत्र उस आदेश के प्राप्त होने के एक वर्ष के अन्दर प्रस्तुत करना चाहिए । कर-दाता को अपने प्रार्थना-पत्र के साथ २५ रुपये फीस के भी देने होते हैं ।

निम्न परिस्थितियों में कमिश्नर किसी आदेश पर पुनर्विचार नहीं कर सकता है

(१) जबकि उस आदेश के विरुद्ध अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील हो सकती है परन्तु न तो कर दाता ने यह अपील की है और न यह अपील करने का समय बीता है अथवा ट्रिब्यूनल में अपील करने के सम्बन्ध में कर-दाता ने अपना अपील करने का अधिकार नहीं छोड़ा है।

(२) जबकि वह आदेश अपीलेट असिस्टेण्ट कमिश्नर के यहाँ की गयी अपील में विचाराधीन (pending) पड़ा है।

(३) जबकि उस आदेश के विरुद्ध अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर दी गयी है।

धारा २६३ के अन्तर्गत किये गये पुनर्विचार (revision) के फलस्वरूप दिये हुए कमिश्नर के आदेश की ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकती है। परन्तु अब किसी दशा में कमिश्नर का पुनर्विचार (revision) का आदेश अन्तिम (final) होता है।

QUESTIONS

1 Describe briefly the procedure for filing an appeal to the Appellate Tribunal against the order of an Appellate Assistant Commissioner

अपीलेट असिस्टेण्ट कमिश्नर के आदेश के विरुद्ध अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील करने की काय विधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

2 Describe briefly the procedure of an appeal to the Appellate Assistant Commissioner

अपीलेट असिस्टेण्ट कमिश्नर के यहाँ अपील की काय विधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

3 Describe how the Income tax Appellate Tribunal is constituted and discuss its functions Under what circumstances may the Tribunal be required to refer an appeal to the High Court?

इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के संगठन तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। किन किन परिस्थितियों में ट्रिब्यूनल को एक अपील हाईकोर्ट को रेफर (refer) करनी पड़ती है?

4 (a) What are the functions of the Income tax Appellate Tribunal?

(b) What are the circumstances under which appeals lie to the High Court and to the Supreme Court?

(अ) इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के क्या कार्य हैं?

(ब) वे कौनसी परिस्थितियाँ हैं जिनमें अपीलें हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती हैं?

कर की गणना

[COMPUTATION OF TAX]

आय कर अधिनियम में कर योग्य आय निकालने तथा निर्धारण करने की विधि तथा तत्सम्बन्धित नियम दिये हैं। वास्तविक करों की गणना वित्त अधिनियम (Finance Act) में दी हुई दरों से की जाती है। यह वित्त अधिनियम प्रति वर्ष लोकसभा द्वारा पास किया जाता है। साधारणतया वित्त अधिनियम मार्च अथवा अप्रैल में पास हो जाता है परन्तु यदि इसका पास होने में देर हो जाये तो, जब तक वित्त अधिनियम पास न हो, आय कर अधिनियम की धारा २६४ के अन्तर्गत पिछले वित्त अधिनियम के आधार पर अथवा प्रस्तावित वित्त बिल के आधार पर, जो भी दोनों में कर-दाता के पक्ष में हो, कर की गणना की जाती है।

करारोपण की विधियाँ (Methods of Taxation)

करारोपण की दो विधियाँ हैं

- (१) आय के अनुसार करारोपण (Step System of Taxation),
- (२) विभाग के अनुसार करारोपण (Slab System of Taxation)।

(१) आय के अनुसार करारोपण (Step System of Taxation)—इस विधि में एक व्यक्ति की आय को विभिन्न भागों में बाँटा जाता है। प्रत्येक भाग के लिए अलग अलग दरें होती हैं। बढ़ती हुई आय पर बढ़ती हुई दरें होती हैं। एक व्यक्ति की आय जिस भाग में पड़ती हो उसी भाग पर लागू दर से वह व्यक्ति अपनी कुल आय पर कर देता है, अर्थात् इस पद्धति में कुल आय की पूरी रकम पर एक ही दर से कर लगाया जाता है। यह पद्धति ३१ मार्च, १९३६ तक चालू थी, परन्तु १ अप्रैल, १९३६ से यह समाप्त कर दी गयी है। १ अप्रैल, १९४६ से ३१ मार्च १९४८ तक यह पद्धति पूजी लाभा के सम्बन्ध में अपनायी गयी थी। इस पद्धति में दरों की अनुसूची निम्न प्रकार दी जाती है (आय के विभाग के दरें मानी हुई हैं)

आय-कर की दरें

प्रति रुपया

२,००० रुपये तक की आय पर	कुछ नहीं
२,००० रु० से अधिक तथा ५,००० रु० तक की आय पर	६%
५,००० रु० से अधिक तथा १०,००० रु० तक की आय पर	१०%
१०,००० रु० से अधिक तथा १५,००० रु० तक की आय पर	१५%
१५,००० रु० से अधिक की आय पर	२०%

दरा की उपयुक्त अनुसूची के अनुसार यदि एक व्यक्ति की आय १२,००० रु० है तो वह कुल १२,००० रु० पर १५ प्रतिशत की दर से आय-कर देता है।

इस पद्धति में उन व्यक्तियों के साथ आय-कर होता है जिनकी कुल आय उस सीमा से कुछ ही अधिक होती है जहाँ पर दरें बदलती हैं। यह पद्धति 'व्याप्य' (equitable) नहीं है। इन्हीं कारणों से १ अप्रैल, १९३६ से यह पद्धति समाप्त करके विभागानुसार करारोपण (Slab System of Taxation) की पद्धति अपनायी गयी है।

(२) विभाग (खण्डों) के अनुसार करारोपण (Slab System of Taxation)—इस विधि में कुल आय का भिन्न भिन्न खण्डों में बाँट दिया जाता है। प्रत्येक खण्ड के लिए कर की जलग दर होती है। प्रत्येक खण्ड पर बढ़ती हुई दर से कर लगता है। इस पद्धति में कुल आय पर कोई एक दर लागू नहीं होती है। वर्तमान काल में आय कर लगाने के लिए यही पद्धति चालू है। आय-कर के सम्बन्ध में वित्त अधिनियम, १९६५ की प्रमुख विशेषताएँ (Salient Features of the Finance Act, 1965 in relation to Income tax)

वित्त अधिनियम १९६५ द्वारा आय कर के सम्बन्ध में निम्न प्रमुख संशोधन किये गये हैं

(१) कर दाताओं पर कर भार की गणना सरल करने के उद्देश्य से अधि-कर को आय-कर में मिला लिया गया है तथा कर की एक दर की अनुसूची बनायी गयी है।

(२) पूर्व वर्षों में कर की दरा की तालिका में आय का प्रथम खण्ड जो कर मुक्त होता था अब हटा दिया गया है और उसके स्थान में व्यक्तियों तथा हिन्दू अविभाजित परिवारों का व्यक्तिगत छूट देने के लिए कर की कटौती दी जायेगी। एक अविवाहित व्यक्ति की दशा में यह व्यक्तिगत छूट १०० रु० होगी। एक विवाहित व्यक्ति के लिए यह छूट १७५ रु० होगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक आश्रित बच्चे के लिए २० रु० की छूट जोर दी जायेगी परन्तु

एक से अधिक आश्रित बच्चे की दशा में यह छूट अधिक से अधिक ४० रु० की हो सकती है। एक हिन्दू अविभाजित परिवार की दशा में यदि परिवार में कोई अवयस्क सहभागी नहीं है तो यह व्यक्तिगत छूट १७५ रु० होगी तथा इसके जतिरिक्त प्रति अवयस्क सहभागी के लिए २० रु० की छूट और दी जायेगी परन्तु एक से अधिक अवयस्क सहभागी की दशा में यह छूट अधिक से अधिक ४० रु० की हो सकती है। व्यक्तिगत छूट की ये कटौतियाँ तब भी दी जायेंगी जबकि एक व्यक्ति अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार की कुल आय २०,००० रु० से अधिक हो। (अब तक विवाह तथा बच्चों की छूट केवल २०,००० रु० तक की कुल आय की दशा में दी जाती थी)

(३) अनुपाजित आय पर सरचाज न लगने की सीमा १०,००० रु० से बढ़ाकर १५,००० रु० कर दी गयी है। व्यक्तियाँ तथा हिन्दू अविभाजित परिवारों की दशा में सरकारी प्रतिभूतियाँ का व्याज उपाजित आय मानी जायेगी।

(४) विदेशियों की भारत में कर योग्य आय पर कर उसी प्रकार लगाया जायगा जिस प्रकार निवासियों पर लगता है परन्तु उह व्यक्तिगत छूट की कटौती नहीं दी जायेगी।

(५) रजिस्टर्ड फर्म की दशा में सरचाज लगाने की पद्धति बदल दी गयी है। आय कर पर सरचाज की दर सामान्यतया २० प्रतिशत है परन्तु यदि एक रजिस्टर्ड फर्म की कुल आय में कम से कम ५१% आय ऐसी है जो किसी पक्ष से उदय हुई है तो उसकी कुल आय पर देय आय-कर पर सरचाज १० प्रतिशत से लगाया जायेगा।

(६) सहकारी समितियों के लिए आय-कर की दरों की पृथक् अनुसूची निर्धारित की गयी है क्योंकि वित्त अधिनियम १९६४ के अनुसार इन पर अधिक कर रियायती दर से लागू होता था।

(७) कम्पनियों के लिए आय-कर की दर ८०% निर्धारित की गयी है परन्तु इसमें से भिन्न भिन्न प्रकार की आयों के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न छूटें दी जायेंगी। ये छूटें उसी प्रकार की हैं जैसी वित्त अधिनियम १९६४ के अन्तर्गत अधि-कर के सम्बन्ध में मिलती थी।

(८) वित्तीय वर्ष १९६५-६६ में विदेशियों की आय पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती ३०% अथवा उस आय पर लागू दर (दोनों में जो अधिक हो) से की जायेगी। वित्त अधिनियम १९६४ के अन्तर्गत यह दर ४८-३७ प्रतिशत थी।

(९) एक विदेशी प्रविधित की दशा में जिसे निर्माण अथवा उत्पादन सम्बन्धी क्रियाओं का अथवा खान अथवा शक्ति के उत्पादन अथवा वितरण के

सम्बन्ध में विशेष पान तथा अनुभव है तथा जिम्मा भारत में आने के बाद ३६ माह तक का वेतन कर मुक्त होता है, यदि इन ३६ माह के बाद उसके सेवा काल में वृद्धि कर दी जाय और उसके वेतन पर देय कर उसका मालिक चुकाता है तो ६० माह तक मालिक द्वारा दिया हुआ कर उस प्रविधिन के लिए कर मुक्त हागा जगते कि उसके सेवा काल की वृद्धि केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित हो। पहले यह कर केवल २४ माह तक कर मुक्त होता था।

(१०) एक व्यक्ति अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार को जीवन बीमा प्रीमियम प्रावीडेंट फण्ड में अशदान, डाकघान के Cumulative Time Deposit Account में जमा की गयी राशि, आदि के सम्बन्ध में कुल आय पर लागू कर की औमत दर से छूट दी जाती थी परन्तु अब यह पद्धति बदल कर दी गयी है और इसके स्थान में निर्धारित सीमा तक ऐसे भुगतानों के प्रथम ५००० रु० का ६० प्रतिशत तथा शेष ऐसे भुगतानों का ५०% कर-दाता की कुल आय में से घटा दिया जायेगा। इस नयी पद्धति से कर की गणना सरल हो जायेगी। इस भुगतानों के लिए एक व्यक्ति की दशा में निर्धारित मुद्रा सीमा १०,००० रु० से बढ़ाकर १२,५०० रु० कर दी गयी है तथा एक हिन्दू अविभाजित परिवार की दशा में यह सीमा २०,००० रु० से बढ़ाकर २५,००० रु० कर दी गयी है।

(११) नयी धारा ८० B के अन्तगत, एक व्यक्ति अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार की कुल आय में से उसके द्वारा अपने किसी असमय आश्रित के इलाज अथवा देख रेख पर व्यय की गयी राशि की कटौती दी जायेगी बशर्ते कि वह आश्रित उस व्यक्ति का रिश्तेदार हो अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार का सदस्य हो तथा वह उस पर आश्रित हो।

(१२) एक नयी धारा ८० C के अन्तगत ऐमी रजिस्टर्ड फर्मों के साझेदारों को जो चाटड एकाउण्टेंट, वस्तुशिल्पी (architects), सानिसिटर अथवा वकीला का पेशा करते हैं किसी स्वीकृत वार्षिकी योजना के अन्तगत जीवन वार्षिकिया खरीदने पर व्यय की गयी राशि तथा निवृत्ति लाभ (Retire ment benefit) की व्यवस्था करने वाली किसी स्वीकृत निधि में दिये गये अशदान की राशि की कटौती उनकी कुल आय में से दी जायेगी। किसी भी दशा में कटौती की राशि ५००० रु० अथवा कर दाता की कुल आय के ५% भाग जो दोनों में कम हो से अधिक नहीं होगी।

(१३) एक कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों में परिवार नियोजन को प्रोत्साहन देने के लिए जो व्यय किया जायेगा वह कम्पनी के "व्यापार अथवा पेशे के लाभों" के शीपक की आय में से घटा दिया जायेगा। यदि यह व्यय पजीगत प्रवृत्ति का हो तो यह पांच वर्ष की अवधि में समान वार्षिक किस्तों में घटाया जायेगा।

(१४) वित्त अधिनियम १९६५ द्वारा विकास सम्बन्धी छूट के सम्बन्ध में भी सशोधन किये गये हैं। इस सशोधन के अनुसार कुछ विशेष वस्तुओं के निर्माण अथवा उत्पादन के व्यापार के लिए ३१ मार्च, १९६५ के बाद लगायी गयी मशीन अथवा प्लाण्ट के सम्बन्ध में उसकी वास्तविक लागत पर २५% की दर से विकास सम्बन्धी छूट दी जायेगी। अब किसी मशीन अथवा प्लाण्ट के सम्बन्ध में जो ३१ मार्च, १९६५ के बाद तथा १ अप्रैल, १९६७ से पूर्व लगायी जाये विकास सम्बन्धी छूट उसकी वास्तविक लागत पर २०% से दी जायेगी तथा यदि यह ३१ मार्च, १९६७ के बाद लगायी जाय तो यह छूट १५% से दी जायेगी।

(१५) धारा ३३ में उप धारा (६) नयी जोड़ी गयी है। इस सशोधन के अनुसार ३१ मार्च, १९६५ के बाद किसी कार्यालय भवन अथवा रहने के मकान (अतिथि भवन सहित) में लगायी गयी किसी मशीन अथवा प्लाण्ट पर कोई विकास सम्बन्धी छूट नहीं दी जायेगी।

(१६) आय कर अधिनियम में एक नयी धारा ३३ A जोड़ी गयी है। इस धारा के अन्तर्गत भारत में चाय के उत्पादन अथवा निर्यात के व्यापार की कुल आय में से चाय की झाड़ियाँ के सम्बन्ध में विकास सम्बन्धी छूट की कटौती दी जायेगी। यह कटौती नये क्षेत्रों में चाय की झाड़ियाँ लगाने के सम्बन्ध में पौधे लगाने की वास्तविक लागत पर ४० प्रतिशत की दर से तथा पुरानी बेकार अथवा मृतक झाड़ियों के बदले में नयी झाड़ियाँ लगाने की दशा में पौधे लगाने की वास्तविक लागत पर २० प्रतिशत की दर से दी जायेगी।

(१७) बोनस अशो के सम्बन्ध में पूँजी लाभ पर कर इन अशो के अंकित मूल्य पर १२½ प्रतिशत से अथवा इस पूँजी लाभ पर कर की राशि से, जो दोनों में कम हो, कम कर दिया जायेगा।

(१८) अग्रिम देय कर के सम्बन्ध में सरकार अथवा कर दाता द्वारा देय ब्याज की दर ४ प्रतिशत से बढ़ाकर ६ प्रतिशत कर दी गयी है। इसी प्रकार देर में कर चुकाने के सम्बन्ध में तथा सरकार द्वारा देर में कर की वापसी करने के सम्बन्ध में ब्याज की दर ४ प्रतिशत से बढ़ाकर ६ प्रतिशत कर दी गयी है।

(१९) आय कर अधिनियम में कुछ दशाओं में कर-दाताओं को कर-जमा पत्र देने की व्यवस्था की गयी है।

(२०) वित्त अधिनियम १९६५ में ऐसी आया का एन्चिज्वर उद्घाटन (Voluntary disclosure) करने की व्यवस्था की गयी है जो एक ब्यक्ति न किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए १ मार्च, १९६५ से पूर्व दाखिल किये गये आय व नवसे में नहीं दिखायी है अथवा जो किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए १ मार्च, १९६५ से पूर्व समाप्त हुए कर निर्धारण से छूट गयी है। यह उद्घाटन

माच, अप्रैल तथा मई १९६५ तक की अवधि में किसी भी समय किया जा सकता है। इस याजना के अंतगत जो राशि बतायी जायेगी उस पर ६० प्रतिशत की दर से आय कर लगगा परंतु यदि यह कर माच १९६५ में चुका दिया जाये तो यह कर ५७ प्रतिशत की दर से लगगा। इस राशि के सम्बन्ध में कर-दाता पर अथ कोई कर दायित्व नहीं रहेगा।

आय कर की दरें (Rates of Income tax)

१९६५-६६ कर निर्धारण वर्ष के लिए आय कर की दरें निम्न हैं

(क)

प्रत्येक व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, अनरजिस्टर्ड फर्म अथवा व्यक्तियों के अथ समुदाय के लिए

दरें

(१) जबकि कुल आय ५,००० रु० से अधिक न हो	कुल आय का ५ प्रतिशत,
(२) जबकि कुल आय ५,००० रु० से अधिक हो परंतु १०,००० से अधिक न हो	२५० रु० तथा ५,००० रु० से अधिक आय पर १० प्रतिशत,
(३) जबकि कुल आय १०,००० रु० से अधिक हो परंतु १५,००० रु० से अधिक न हो	७५० रु० तथा १०,००० रु० से अधिक आय पर १५ प्रतिशत,
(४) जबकि कुल आय १५,००० रु० से अधिक हो परंतु २०,००० रु० से अधिक न हो	१,५०० रु० तथा १५,००० रु० से अधिक आय पर २० प्रतिशत,
(५) जबकि कुल आय २०,००० रु० से अधिक हो परंतु २५,००० रु० से अधिक न हो	२,५०० रु० तथा २०,००० रु० से अधिक आय पर ३० प्रतिशत,
(६) जबकि कुल आय २५,००० रु० से अधिक हो परंतु ३०,००० रु० से अधिक न हो	४,००० रु० तथा २५,००० रु० से अधिक आय पर ४० प्रतिशत,
(७) जबकि कुल आय ३०,००० रु० से अधिक हो परंतु ५०,००० रु० से अधिक न हो	६,००० रु० तथा ३०,००० रु० से अधिक आय पर ५० प्रतिशत,
(८) जबकि कुल आय ५०,००० रु० से अधिक हो परंतु ७०,००० रु० से अधिक न हो	१६,००० रु० तथा ५०,००० रु० से अधिक आय पर ६० प्रतिशत,
(९) जबकि कुल आय ७०,००० रु० से अधिक हो।	२८,००० रु० तथा ७०,००० रु० से अधिक आय पर ६५ प्रतिशत।

व्यक्तिगत छूट

एक व्यक्ति अथवा हिंदू अविभाजित परिवार की दशा में उपर्युक्त दर से निकाले गये कर की राशि में से व्यक्तिगत छूट के सम्बन्ध में निम्न कटौती दी जायगी

(अ) एक अविवाहित व्यक्ति के लिए १०० रु०

(आ) एक विवाहित व्यक्ति के लिए जिस पर आश्रित कोई बच्चा नहीं है तथा एक हिंदू अविभाजित परिवार के लिए जिसमें कोई अवयस्क सहभागी नहीं है १७५ रु०

(इ) एक विवाहित व्यक्ति के लिए जिस पर आश्रित एक बच्चा है अथवा एक हिंदू अविभाजित परिवार के लिए जिसमें एक ऐसा अवयस्क सहभागी है जो परिवार की आय पर आश्रित है १६५ रु०

(ई) एक विवाहित व्यक्ति के लिए जिस पर आश्रित एक से अधिक बच्चे हैं अथवा एक हिंदू अविभाजित परिवार के लिए जिसमें एक से अधिक ऐसे अवयस्क सहभागी हैं जो परिवार की आय पर आश्रित हैं २१५ रु०

स्पष्टीकरण—उपर्युक्त व्यक्तिगत छूटा के लिए विवाहित व्यक्ति में विधवाएँ तथा विधुर भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्ति भी विवाहित व्यक्ति की श्रेणी में ही आते हैं जो कभी विवाहित थे चाहें बाद में उनकी शादी भंग हो क्या न हाँ गयी हो, बशर्ते कि उनके पोषण (support) करने के लिए बच्चे हों।

न्यूनतम कर-योग्य सीमा (Minimum Taxable Limit)

उपर्युक्त तालिका में वर्णित कर ऋताओं की ऐसी कुल आय पर आय कर नहीं लगता है जो निम्न सीमा से अधिक नहीं है।

(१) ६,००० रुपये, ऐसे हिंदू अविभाजित परिवार के लिए जो गत वर्ष के अंत में निम्न में से कोई एक शत पूरी करता हो

(अ) उसमें कम से कम दो सदस्य ऐसे हों जो १८ वर्ष की आयु से कम नहीं हैं तथा जिन्हें विभाजन कराने का अधिकार है अथवा

(ब) उसमें कम से कम दो सदस्य ऐसे हों जिन्हें विभाजन कराने का अधिकार है तथा जो आपस में एक-दूसरे की गतान न हों और जो परिवार के किसी अन्य जीवित सदस्य की सत्ता न हों,

(11) ₹ ००० रुपये अथवा दशांश म।

सीमांत छूट (Marginal Relief)—जब कर-दाता की कुल आय ₹ २०,००० ₹ से अधिक न हो तो देय कर की राशि उम्मीद की कुल आय के न्यूनतम कर योग्य सीमा पर आधिक्य के ४० प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, अर्थात् कर-दाता की कुल आय न्यूनतम कर योग्य सीमा से जितनी अधिक है उसके ४० प्रतिशत से अधिक कर देय नहीं होगा।

व्यवहार में सीमांत छूट का नियम निम्न आय तक लागू होगा

(i) एक अविवाहित व्यक्ति के लिए ₹ १,१४२ ₹ तक की कुल आय पर,

(ii) एक हिन्दू अविभाजित परिवार के लिए जिसमें कोई अवयस्क सहभागी नहीं है ₹ ६,५८० ₹ तक की कुल आय पर,

(iii) एक हिन्दू अविभाजित परिवार के लिए जिसमें एक अवयस्क सहभागी हो ₹ ६,५१५ ₹ तक की कुल आय पर,

(iv) एक हिन्दू अविभाजित परिवार के लिए जिसमें एक से अधिक अवयस्क सहभागी हों ₹ ६,४४६ ₹ तक की कुल आय पर तथा

(v) एक जॉर्जिस्टिक फर्म के लिए ₹ ३,४२६ ₹ तक की कुल आय पर।

आय कर पर सरचाज (Surcharge on Income-tax)

(क) अनुपाजित आय के सम्बन्ध में—₹ १५,००० ₹ तक की अनुपाजित आय पर कोई सरचाज नहीं लगता है। ₹ १५,००० ₹ से अधिक अनुपाजित आय की दशा में सरचाज निम्न दरों से लगेगा

दरें

(i) प्रथम ₹ १५,००० ₹ की अनुपाजित आय पर आय-कर पर

शून्य

(ii) अगले ₹ ३५,००० ₹ की अनुपाजित आय पर आय-कर पर

२० प्रतिशत,

(iii) शेष अनुपाजित आय पर आय-कर पर

२५ प्रतिशत।

इस सम्बन्ध में अनुपाजित आय पर आय कर की गणना यह मानकर की जायेगी कि यही कुल आय है। एक व्यक्ति अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार के लिए सरकारी प्रतिभूतियों पर व्याज की आय सरचाज के सम्बन्ध में उपाजित आय मानी जायेगी।

(ख) उपाजित आय के सम्बन्ध में—एक लाख रुपये तक की उपाजित

आय पर कोई सरचाज नहीं लगेगा। एक लाख रुपये में अधिक उपाजित आय की दशा में सरचाज निम्न दरों से लगेगा

	दरें
(I) प्रथम १ लाख रुपये की उपाजित आय पर आय-कर पर	शून्य
(II) अगले १ लाख रुपये की उपाजित आय पर आय कर पर	५ प्रतिशत,
(III) अगले १ लाख रुपये की उपाजित आय पर आय-कर पर	१० प्रतिशत,
(IV) शेष उपाजित आय पर आय-कर पर	१५ प्रतिशत।

इस सम्बन्ध में उपाजित आय पर आय कर की गणना यह मानकर की जायेगी कि यही कुल आय है।

(ख)

सहकारी समिति के लिए	दरें
(१) जबकि कुल आय ५,००० रु० से अधिक न हो	कुल आय का ५ प्रतिशत,
(२) जबकि कुल आय ५,००० रु० से अधिक हो परन्तु १०,००० रु० से अधिक न हो	२५० रु० तथा ५,००० रु० से अधिक आय पर १० प्रतिशत,
(३) जबकि कुल आय १०,००० रु० से अधिक हो परन्तु १५,००० रु० से अधिक न हो	७५० रु० तथा १०,००० रु० से अधिक आय पर १५ प्रतिशत,
(४) जबकि कुल आय १५,००० रु० से अधिक हो परन्तु २०,००० रु० से अधिक न हो	१,५०० रु० तथा १५,००० रु० से अधिक आय पर २० प्रतिशत,
(५) जबकि कुल आय २०,००० रु० से अधिक हो परन्तु २५,००० रु० से अधिक न हो	२,५०० रु० तथा २०,००० रु० से अधिक आय पर २५ प्रतिशत,
(६) जबकि कुल आय २५,००० रु० से अधिक हो	३,७५० रु० तथा २५,००० रु० से अधिक आय पर ४१ प्रतिशत।

आय कर पर सरचाज—यदि कुल आय २५,००० रु० से अधिक हो तो इससे अधिक आय पर देय आय कर पर ६½ प्रतिशत से सरचाज लगाया जायेगा।

(ग)

रजिस्टर्ड फर्म के लिए—आय-कर की दरें "फर्म के कर निर्धारण" के अध्याय में दी गयी हैं।

(घ)

स्थानीय सत्ता के लिए—कुल आय पर आय कर ४५ प्रतिशत से तथा आय कर पर सरचाज १० प्रतिशत से लगाया जायगा।

(ङ)

कम्पनी के लिए—कुल आय पर आय कर ८० प्रतिशत की दर से लगाया जायेगा परंतु भिन्न भिन्न प्रकार की कम्पनियों की दशा में भिन्न भिन्न प्रकार की आयों के लिए भिन्न भिन्न दरों से आय कर की छूट दी जायेगी जो ८० प्रतिशत में निकाली गयी आय कर की राशि में घटा दी जायेगी।

वतन की आय—यदि कम्पनी को छोड़कर अथवा किसी करदाता की कुल आय में वेतन शीपक की आय शामिल है तो १९६४-६६ कर निर्धारण बप के लिए वेतन की आय पर देय आय कर की वह राशि होगी जिसका करदाता की कुल आय पर वित्त अधिनियम १९६४ की दरा के अनुसार, देय आय कर तथा अधि कर की कुल राशि से वही अनुपात हो जो वेतन की आय का उसकी कुल आय में है।

नोट—वित्त अधिनियम १९६४ के अनुसार आय कर तथा अधि-कर की दरें पुस्तक के अंत में परिशिष्ट (Appendix) में दी गयी हैं।

वार्षिकी जमा योजना (Annuity Deposit Scheme)

यह योजना Finance Act, 1964 द्वारा लागू की गयी है। यह भारत के नागरिक व्यक्तियों, अविभाजित हिंदू परिवार अथवा रजिस्टर्ड फर्म व्यक्तियों के अथवा समुदाय तथा कृत्रिम व्यक्तियों पर लागू होती है। रजिस्टर्ड फर्म तथा कम्पनियों को वार्षिकी जमा नहीं करनी होगी। १५,००० रु० तक की कुल आय पर यह योजना लागू नहीं होगी। १५,००० रु० से अधिक कुल आय होने पर 'समायोजित कुल आय' (Adjusted Total Income) पर वार्षिकी जमा की रकम की गणना की जायेगी।

समायोजित कुल आय (Adjusted Total Income)

समायोजित कुल आय से अभिप्राय कुल आय में से (बिना वार्षिकी जमा की रकम घटाये) निम्न का योग घटाने के बाद शेष बची हुई रकम से है

- (i) वतन में सम्मिलित प्रमाणित प्रॉवीडेंट फण्ड के हस्तांतरित शेष का कर योग्य भाग,
- (ii) पुरानी बचाया वेतन की प्राप्ति अथवा पेशगी प्राप्त वेतन जिम्मे

सम्बन्ध में कमबारी धारा ८६ (१) के अंतर्गत छूट के लिए प्राथना पत्र दे सकता है,

- (iii) यदि जमा करन वाला ऐसी अंतरजिस्टर्ड फर्म में साझेदार है जिसे सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष के लिए वार्षिकी जमा करनी है तो फर्म में उसके लाभ का हिस्सा,
- (iv) यदि जमा करने वाला, व्यक्तियों के किसी ऐसे समुदाय का सदस्य है (अविभाजित हिन्दू परिवार अथवा फर्म छोड़कर) जिसे सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष के लिए वार्षिकी जमा करनी है तो वह उस समुदाय में जो रकम प्राप्त करने का अधिकारी है,
- (v) धारा २८ (ii) के अंतर्गत प्राप्त क्षति-पूर्ति की रकम अथवा अथ कोई रकम, तथा
- (vi) 'पूजी लाभ के शीपक में कर योग्य आय, तथा
- (vii) धारा २८० D के अंतर्गत, वार्षिकी की प्राप्य अथवा प्राप्त रकम।

वार्षिकी जमा की दरें (Rates of Annuity Deposits)

वार्षिकी जमा (Annuity Deposit) की रकम की गणना 'समायोजित कुल आय' (Adjusted Total Income) पर निम्न दरों से की जायेगी

	दरें
(१) जमा करने वाले की कुल आय ₹५,००० रु० से अधिक न होने की दशा में	शून्य
(२) जमा करने वाले की कुल आय ₹५,००० रुपये से अधिक परन्तु ₹२०,००० रु० से अधिक न होने की दशा में	५%
(३) जमा करने वाले की कुल आय ₹२०,००० रुपये से अधिक परन्तु ₹४०,००० रु० से अधिक न होने की दशा में	७½%
(४) जमा करने वाले की कुल आय ₹४०,००० रुपये से अधिक परन्तु ₹७०,००० रु० से अधिक न होने की दशा में	१०%
(५) जमा करने वाले की कुल आय ₹७०,००० रु० से अधिक होने की दशा में	१२½%

सीमांत छूट (Marginal Relief)

किसी भी दशा में वार्षिकी जमा की रकम निम्न के योग से अधिक नहीं होगी

- (i) जमा करने वाले की कुल आय उपयुक्त दरों के जिस खण्ड में पड़ती है उस खण्ड से ठीक पूर्व खण्ड की अधिकतम राशि पर उस पर लागू दर से निकाली गयी राशि, तथा
- (ii) जमा करने वाले की कुल आय उपयुक्त (i) में वर्णित पिछले खण्ड की अधिकतम राशि से जितनी अधिक हो उसकी आधी राशि।

कुल आय म मे वार्षिकी जमा की राशि घटाकर जो शेष रहगा उम पर आय-कर लगाया जायगा। वार्षिकी जमा की राशि वेतन शीपक की कर-योग्य आय मे से घटायी जायेगी और यदि इस शीपक म वार्ड कर योग्य आय न हो अथवा वार्षिकी की जमा की राशि इस आय मे अधिक हा तो पूण अथवा शेष बची हुई वार्षिकी जमा की राशि कर ाता की आय उपाजित आय मे से घटायी जायगी तथा यदि वार्षिकी जमा की रकम उपाजित आय से अधिक हो तो शेष रकम कर दाता की अनुपाजित आय म से घटायी जायगी।

कर-निर्धारण की गणना

(Computation of Assessment)

किसी कर-दाता की कर निर्धारण की गणना निम्न प्रकार की जाती है

- (१) कर-दाता की कुल आय निर्धारित कीजिए।
- (२) कुल आय मे से प्रावीडेण्ट फण्ड म अशदान जीवन बीमा प्रीमियम आदि, के सम्बन्ध म निर्धारित भीमा तक की राशि का निर्धारित प्रतिशत घटाए।
- (३) उपयुक्त (२) मे वर्णित राशि घटाने के बाद शेष बची हुई राशि मे से कर दाता द्वारा जमा की गयी वार्षिकी की राशि घटाइए तथा शेष बची हुई कुल आय पर आय कर तथा सरचाज निकालिए।
- (४) आय कर की औसत दर निकालिए।
- (५) कुल आय म सम्मिलित ऐसी रकमों छांटिए जो आय-कर से मुक्त हैं।
- (६) कर मुक्त रकमा पर आय कर की औसत दर से अथवा निर्धारित दर से छूट की गणना कीजिए।
- (७) उपयुक्त (३) मे निकले हुए कर की सकल राशि मे से निम्न घटाइए
 - (i) उपयुक्त (६) म निकली हुई छूट की रकम,
 - (ii) उदगम स्थान पर कटे हुए कर की रकम
 - (iii) अभिम चुकाया गया कर, तथा
 - (iv) कर दाता को मिले हुए कर जमा पत्रा की राशि।
- (८) उपयुक्त (७) मे दी हुई रकमों को घटाकर जा शेष बचेगा वही उम कर दाता द्वारा देय शुद्ध कर होगा अथवा यदि उपयुक्त (७) मे घटायी जाने वाली रकमों का जोड़ (३) मे निकले हुए कुल कर की रकम से अधिक हो तो वह आधिक्य उस कर दाता द्वारा प्राप्त वापसी की रकम होगी।
- (९) कर दाता द्वारा देय शुद्ध कर की रकम के साथ उमे वह अथ दण्ड, जुर्माना आदि भी चुकाना होगा जो उम पर इस अधिनियम के अन्तगत लगे हा।

Illustration 1

From the information given below find out the amount of tax payable for the assessment year 1965 66

(a) An unmarried individual Taxable Income from house property Rs 5,000

(b) A married individual with one child Taxable Income from house property Rs 5,000

(c) A widow with two children Taxable Income from house property Rs 5,000 and income from business Rs 4,000

(d) An unregistered firm Taxable Income from business Rs 18,000 and taxable income from house property Rs 10 000

Solution

Assessment Year 1965 66

(a) Total Income	Rs 5 000		
	<u> </u>		
			Rs
	Income tax on Rs 5,000 @ 5%		250
	Deduct Personal Allowance		100
			<u> </u>
	Income tax payable		Rs 150
			<u> </u>
(b) Total Income	Rs 5 000		
	<u> </u>		
			Rs
	Income tax on Rs 5,000 @ 5%		250
	Deduct Personal Allowance		195
			<u> </u>
	Income tax payable		Rs 55
			<u> </u>
(c) <i>Statement of Total Income</i>			Rs
1	Income from House Property		5 000
2	Income from Business		4 000
			<u> </u>
	Total Income		Rs 9 000
			<u> </u>
			Rs
	Income tax on Rs 9 000 will be Rs 250		
	plus 10% of Rs 1,000		650
	Deduct Personal Allowance		215
			<u> </u>
	Income tax payable		Rs 435
			<u> </u>

(d) *Statement of Total Income*

	Rs
1 Income from House Property	10 000
2 Income from Business	18,000
Total Income	Rs 28 000
Annuity Deposit @ 7½% on Rs 28 000	=Rs 2 100
Reduced Total Income = Rs (28 000 - 2 100)	=Rs 25 900
Income tax on Rs 25,900 will be Rs 4 000 plus 40% of Rs 900	=Rs 4 360

Illustration 2

Mr X an unmarried individual has the following taxable income for the previous year ended 31st March, 1965

House Property	Rs 20 000
Business	Rs 20 000

Prepare his assessment for the year 1965 66 and calculate the net tax payable by him

*Solution**Assessment of Mr X for the year 1965 66**Statement of Total Income*

	Rs
1 Income from House Property (Unearned)	20 000
2 Income from Business (Earned)	20 000
Total Income	Rs 40 000
Annuity Deposit @ 7½% of Rs 40 000	Rs 3 000
Balance of Total Income = Rs 40 000 - 3 000	=Rs 37 000
Income tax on Rs 37 000 will be Rs 6 000 plus 50% of Rs 7 000	Rs 9 500
Deduct Personal Allowance	Rs 100
	Rs 9 400
Surcharge on income tax on unearned income of Rs 20 000 will be calculated as under	
Income tax on the first Rs 15 000 of unearned income	R 1 500
Income tax on the balance of Rs 5 000 of unearned income @ 20%	Rs 1 000
Hence surcharge @ 20% on Rs 1 000 will be Rs 200	
Thus total tax payable = Rs 9 400 + 200 =	Rs 9 600

Illustration 3

The taxable income of a married individual is Rs 1,20,000 from Business and Rs 10,000 from House Property for the previous year ended 31st Dec, 1964. Prepare his assessment for the relevant assessment year.

Solution

Assessment for 1965-66
Statement of Total Income

	Rs
1 Income from house property (unearned)	10,000
2 Income from business (earned)	1,20,000
Total Income	Rs 1,30,000
<hr style="border: 1px solid black;"/>	
Annuity Deposit @ 12½% of Rs 1,30,000	Rs 16,250
<hr style="border: 1px solid black;"/>	

(In this case the adjusted total income shall also be Rs 1,30,000 as there is nothing deductible.)

Balance of Total Income = Rs 1,30,000 - 16,250 = Rs 1,13,750

(Earned income Rs 1,03,750 plus unearned income Rs 10,000)

Income tax on Rs 1,13,750 will be Rs 28,000 plus 65% on the excess over Rs 70,000, i.e., Rs 28,000 + 65% of Rs 43,750

Rs 56,437 50

Less Personal Allowance

Rs 215 00

Rs 56,222 50

Surcharge on income tax on earned income of Rs 1,03,750 will be calculated as under

Income tax on the first Rs 1 lakh of earned income

Rs 47 500

Income tax on the balance of earned income of Rs 3,750 @ 65 per cent

Rs 2 437 50

Hence surcharge @ 5% on Rs 2,437 50 will be Rs 121 87

Thus, total tax payable = Rs 56,222 50 plus Rs 121 87

- Rs 56 344 37

Illustration 4

An unmarried individual has an income of Rs 3,125 from his business for the previous year ended 31st March, 1965. Find out the net tax payable by him for the assessment year 1965-66.

Solution

In this case the income tax payable will be the lower of the following amounts viz,

(a) Income tax calculated on the total income of Rs 3,125 at 5% less personal allowance or	
(b) 40% of the excess of Rs 3,125 over Rs 3,000	
Income tax on Rs 3,125 @ 5%	=Rs 156 25
Less Personal Allowance	Rs 100 00
	Tax Payable Rs 56 25

As Rs 56 25 is more than 40 per cent of the excess of Rs 3,125 over Rs 3,000, i.e., 40% of Rs 125 = Rs 50 the amount of income tax payable will be Rs 50.

Illustration 5

For the year ended 31st December 1964 a married individual with more than one child had an income of Rs 21,000 from business. Calculate the amount of tax payable by him for the assessment year 1965-66.

Solution

As regards annuity deposit, it is a case of marginal relief as the income of Rs 21,000 just exceeds Rs 20,000. The normal Annuity Deposit @ 7½% on Rs 21,000 would be Rs 1,575 which is more than 5% of Rs 20,000 plus half the excess over Rs 20,000 i.e. Rs 1,000 ÷ 2 = Rs 500. Hence the lower of the two amounts, i.e. Rs 1,500 will be paid as Annuity Deposit.

Balance of Income = Rs 21,000 - 1,500 = Rs 19,500

Income tax on Rs 19,500 will be Rs 1,500 plus 20% of Rs 4,500

	=Rs 2,400
Less Personal Allowance	Rs 215
	Net tax payable Rs 2,185

Illustration 6

The particulars of income of an unmarried individual for the previous year ended 31st March 1965, are as under

	Rs
1 Taxable Income from house property	10,000
2 Profits and gains of business	20 000
3 Capital gain in respect of short term capital assets	5 000
4 Capital loss in respect of long term capital assets	15,000

Find out the tax payable by him for the assessment year 1965 66

Solution*Assessment for 1965 66**Statement of Total Income*

	Rs
1 Income from house property	10,000
2 Profits and gains of business	20 000
3 Capital gains in respect of short term capital assets	5,000
Total Income	<u>Rs 35 000</u>

Adjusted total income for the purpose of calculating Annuity Deposit = Rs (35,000 - 5 000) = Rs 30 000

Annuity Deposit @ 7½% of Rs 30 000 = Rs 2 250

Balance of income = Rs (35 000 - 2,250) = Rs 32,750

Income tax on Rs 27 250 at the rate applicable to Rs 27,250 = Rs 1,000 plus 10% of Rs 2 250 = Rs (1 000 + 900) = Rs 1,900

Income tax on short term capital gain of Rs 5 000 at the rate applicable to Rs 32 750 = $\frac{5\,000 \times 7\,375}{32,750}$ = Rs 1,126

(Income tax on Rs 32 750 = Rs 7,375)

Thus total amount of income tax on the total income of Rs 32 750 = Rs (4 900 + 1,126) = Rs 6 026

Less Personal Allowance Rs 100

Net tax payable Rs 5 926

- Notes**
- 1 As the earned income does not exceed Rs 1 lakh and the unearned income does not exceed Rs 15,000 no surcharge will be payable in this case.
 - 2 Capital loss in respect of long term capital assets can be set off only against the Capital gains in respect of long term capital assets. In the above case the assessee will not be entitled to set off the loss of Rs 15 000 in respect of long term capital assets against capital gains in respect of short term capital assets. This loss will be carried forward but for not more than 4 succeeding assessment years.

Illustration 7

The following are the particulars of income of a married individual with more than one child for the previous year ended 31st March, 1965

- (1) Salary Rs 6 000
- (2) Taxable Income from house property Rs 4 000
- (3) Taxable Income from business Rs 5,000

Find out the amount of tax payable by him for the assessment year 1965 66

Solution*Statement of Total Income*

		Rs
1	Income from Salary	6 000
2	, , House Property	4 000
3	, , Business	5,000
Total Income		Rs 15,000

The Finance Act 1965 provides that the income chargeable under the head salaries will be charged to tax at the average rate applicable to the total income at the rates prescribed by the Finance Act 1964

As the total income does not exceed Rs 15 000 nothing will be payable as annuity deposit

$$\begin{aligned} \text{Income tax on Rs 15 000 at 1964 rates} &= \text{Rs } 1\,560 \\ \text{Hence proportionate income tax on Rs 6 000} &= \frac{6\,000 \times 1\,560}{15\,000} \\ &= \text{Rs } 624 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Income tax on Rs 15 000 at 1965 rates} &= \text{Rs } 750 + 15\% \text{ on Rs } 5,000 = \text{Rs } 1\,500 \\ \text{Less Personal Allowance} & \text{Rs } 215 \end{aligned}$$

$$\text{Net amount of tax} \quad \text{Rs } 1\,285$$

$$\begin{aligned} \text{Hence proportionate income tax on Rs 9 000} &= \frac{9\,000 \times 1\,285}{15\,000} \\ &= \text{Rs } 771 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Thus, total amount of income tax payable by the assessee} &= \text{Rs } (624 + 771) \\ &= \text{Rs } 1\,395 \end{aligned}$$

Note No surcharge will be payable either as per Finance Act 1964 or as per Finance Act 1965 as the income does not exceed the prescribed limit for the purpose

Illustration 8

The total income of a married individual with no child for the assessment year 1965-66 consists of the following

	Rs
(1) Income from Business	70 000
(2) One third share from Unregistered Firm	50 000
(3) One fourth share from Registered Firm	40 000
(4) Income from House Property	30 000
(5) Bank Interest	10 000
Total Income	Rs 2,00,000

Find out the tax payable by him for the assessment year 1965-66. Rebate on proportionate tax payable by the Registered Firm need not be calculated.

Solution

	Total Income	Rs 2 00,000
<i>Less</i> $\frac{1}{3}$ Share from Unregistered Firm as the firm is liable to pay Annuity Deposit		Rs 50,000
	Adjusted Total Income	Rs 1,50 000
Annuity Deposit payable @ $12\frac{1}{2}\%$ of Rs 1 50,000		Rs 18 750
Balance of Total Income = Rs 2,00 000 - 18,750 =		Rs 1,81 250

This consists of

Earned Income

	Rs
(1) Income from business (Rs 70 000 - 18,750)	51 250
(2) $\frac{1}{4}$ Share from Registered Firm	40 000
	91 250
and <i>Unearned Income</i> (Balance)	90 000
	Rs 1 81 250

Income tax on Rs 1 81 250 will be Rs 28 000		
+65% of Rs 1 11 250 =	Rs 1 00 312 50	
<i>Less</i> Personal Allowance	Rs 175 00	
	Rs 1 00,137 50	

As the earned income does not exceed Rs one lakh, no surcharge is payable on income tax on earned income

Surcharge on income tax on unearned income of Rs 90,000 will be calculated as under

	Rs
Income tax on Rs 90 000	41,000
Less Income tax on Rs 15 000	1,500
	39 500
Difference	Rs 39 500

As the amount of the difference exceeds Rs 14 500 the surcharge will be Rs 2 900 plus 25% of the amount by which the difference aforesaid exceeds Rs 14,500

Hence, surcharge on income tax on unearned income will be Rs 2 900 plus 25% of Rs 25 000 = Rs 9 150

Thus, total tax payable = (Rs 1 00 137 50 plus 9 150)
= Rs 1 09 287 50

Note Surcharge has been calculated strictly according to the method laid down in the Finance Act 1965

Illustration 9

Mr X is a married individual with two dependent children His income during the previous year 1964 65 was as under

	Rs
Income from Salary	5,000
Income from House Property	12,000
Income from Business	2,000
	Rs 19 000

He paid life insurance premium of Rs 2,000 on his own life and contributed 8% to the provident fund which is recognised His employer also contributed a similar amount Find out the amount of tax payable by him for the assessment year 1965 66

Solution

Assessment year 1965 66

Total Income Rs 19 000

In this case the adjusted total income shall also be the same as nothing is deductible from the total income for this purpose. Hence annuity deposit @ 5% on Rs 19 000—Rs 950

Reduced Total Income = Rs (19 000—950) = Rs 18 050

It consists of

Earned Income

	Rs
1 Salary (5 000—950)	1 050
2 Business	2 000
	6 050
<i>Unearned Income (Property)</i>	12 000

Total Taxable Income Rs 18 050

(The amount of annuity deposit has been deducted from the income from salary under Section 280 O (2) of the Income Tax Act)

Income tax on income from salary will be charged at the rates prescribed by the Finance Act 1961 applicable to the reduced total income of Rs 18 050

Income tax on Rs 18 050 at 1964 rates = Rs 2,170

Proportionate amount of income tax on Rs 1 050

$$= \frac{4 050 \times 2 170}{18 050}$$

$$= \text{Rs } 486 90$$

Income tax on Rs 18 050 at 1965 rates = Rs 1 500 + 20% of

3 050 = Rs 1 500 + 610

$$= \text{Rs } 2,110$$

Less Personal Allowance

$$= \text{Rs } 215$$

Net amount of tax Rs 1 895

Hence proportionate amount of income tax on Rs 14 000

$$= \frac{14 000 \times 1 895}{18 050}$$

$$= \text{Rs } 1 469 80$$

Gross amount of income tax on the total income

$$= \text{Rs } (186 90 + 1 469 80)$$

$$= \text{Rs } 1 956 70$$

No surcharge is payable either on earned income or on unearned income as it does not exceed the prescribed limits for the purpose

Amounts entitled to rebate of income tax

	Rs
Employee's contribution to Recognised Provident Fund	100
Life Insurance Premium	2 000

Total Rs 2 400

$$\text{Rebate} = \frac{2\,400 \times 1,936\,70}{18\,000} = \text{Rs } 260\,17$$

Hence net amount of income-tax payable would be
 Rs (1 936 70 - 260 17) = Rs 1 696 53

Illustration 10

An individual who is married and has more than one dependent child has the following sources of income for the assessment year 1965-66

	Rs
(1) Income from Salary	25,000
(2) Income from House Property	40,000
(3) Income from Business	10 000
(4) Dividends from specified new industrial companies exempt under Section 85	5,000

He has paid life insurance premium of Rs 10 000 and donated a sum of Rs 5 000 to an approved institution. Calculate the tax payable by the assessee for the assessment year 1965-66

Solution

Assessment Year 1965-66

Total Income Rs 80 000

In this case the adjusted total income shall also be the same as nothing is deductible from the total income for this purpose

Annuity Deposit @ 12½% of Rs 80 000 = Rs 10 000

Reduced Total Income = Rs (80 000 - 10 000) = Rs 70 000

It consists of

Earned Income

	Rs
1 Salary (25 000 - 10 000)	15 000
2 Business	10 000
	<u>25 000</u>

Unearned Income

	Rs
1 Income from House Property	10 000
2 , , Dividend	5 000
	45 000
	45 000

Income tax on income from salary of Rs 15 000 will be charged at the rates of income tax and super tax prescribed by the Finance Act 1964 applicable to the total income of Rs 70,000

Income tax on Rs 70 000 at 1964 rates = Rs 15,240

Super tax on Rs 70 000 at 1964 rates = Rs 16 250

Total Tax as per Finance Act, 1964 R 31 490

Proportionate amount of income tax on the salary of

$$\text{Rs } 15\,000 = \frac{15\,000 \times 31,490}{70\,000} = \text{Rs } \underline{6\,718}$$

Income tax on Rs 70 000 at 1965 rates Rs 28 000

Less Personal Allowance 215

Net amount of tax Rs 27 785

Proportionate amount of income tax on Rs 55 000

$$= \frac{55\,000 \times 27\,785}{70\,000} = \text{Rs } \underline{21\,831}$$

Surcharge on income tax on unearned income of Rs 45 000 shall be calculated as under

	Rs
Income tax on Rs 45 000	13 500
Less Income tax on Rs 15 000	1 500
	12 000
Difference	Rs 12 000

Hence surcharge on income tax on unearned income will be 20% of Rs 12 000 = Rs 2 400

Thus gross amount of income tax payable will be

$$\text{R } (6\,718 + 21\,831 + 2\,400) = \text{R } \underline{30\,949}$$

Amounts entitled to rebate of income tax

	Rs
(1) Life Insurance Premium	10 000
(2) Donations under Section 88	5,000
(3) Dividends from newly established industrial undertaking under Section 85	5,000
	<u>20 000</u>

$$\begin{aligned} \text{Rebate of income tax} &= \frac{20\,000 \times 30\,979}{70\,000} \\ &= \text{Rs } 8\,851 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Hence net income tax payable} &= \text{Rs } (30\,969 - 8,851) \\ &= \text{Rs } 22\,128 \end{aligned}$$

QUESTIONS

- 1 Explain the difference between Step system and Slab system of taxation
आय-कर लगाने की श्रेणी प्रणाली तथा खण्ड प्रणाली में अंतर समझाइए।
- 2 Describe briefly the salient features of the Finance Act, 1965
वित्त अधिनियम, १९६५ की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

हल सहित क्रियात्मक प्रश्न

(PRACTICAL QUESTIONS WITH SOLUTIONS)

.....

(1) INDIVIDUALS

Q 1 Harish Mohan is a director of a public limited company, drawing a salary of Rs 2 000 per month. In his return for the previous year ended 31st March, 1965 he shows the following items of income besides the salary of Rs 24,000

	Rs
(a) Director's Fees	1,000
(b) Value of medical bills reimbursed by the company	2,000
(c) Company's contribution to recognised provident fund	2 400
(d) Interest on provident fund account balance at the rate of 6 per cent per annum	3,000
(e) Grant for the education of children	4,000
(f) Value of free transport given by the company	1,800
(g) Entertainment allowance given since 1950	10 000

Harish Mohan claims that all the above items are exempt from tax. Which claims will you allow and why?

Solution

- (a) Director's fees is taxable under the head 'Income from other sources', hence it will not be allowed as an exemption.
- (b) Value of medical bills reimbursed by the company is not taxable vide Instructions of Central Board of Direct Taxes.
- (c) Company's Contribution to Recognised Provident Fund is not taxable as it is not more than 10% of the employee's salary.
- (d) Interest on provident fund account balance is not taxable as it is neither more than one third of employee's salary nor the rate of interest is more than 6%.
- (e) Grant for the education of children is a perquisite taxable under the head 'salaries' as the assessee is a

director in the company It will not be exempt from tax

- (f) Value of free transport given by the Company is a perquisite taxable under the head salaries, as the company is not a Transport Company
- (g) Entertainment Allowance of Rs 10,000 shall first be included in Total Income under the head 'salaries' and then a deduction of Rs 4,800 will be allowed from it as the allowance is being given to him since 1950. The amount of deduction is restricted to 1/5th of salary or Rs 7,500, whichever is less. Here 1/5th of salary comes to Rs 4,800, which is less than Rs 7,500 and hence Rs 4,800 will be allowed as a deduction, and the remaining Rs 5,200 will therefore, be taxable

Q 2 Following are the particulars of the income of an individual for the previous year ended 31st March, 1965

- (a) Salary Rs 3,000 per month and a conveyance allowance of Rs 500 per month the whole of which was spent by him for the purpose of performing his duties
- (b) His contribution to a provident fund was at 8% of salary, the employer also contributing a similar amount
- (c) Interest credited to his provident fund account at 9% per annum Rs 4,500
- (d) He is provided by his employer with a rent free (unfurnished) house of the Annual Value of Rs 3,500
- (e) Proceeds of an endowment policy Rs 10,000

He paid Rs 8,000 as premium on a policy on his own life and Rs 600 as professional tax to the State Government

Find out his total income for the assessment year 1965-66 if (i) the provident fund is recognised and (ii) it is unrecognised stating the amount on which he is entitled to a rebate of income tax

Solution

(1) <i>When the Provident Fund is recognised</i>	Rs
Salary	36,000
Value of rent free (unfurnished) house being less than 10% of salary	3,500
Interest credited to provident fund account in excess of 6%	1,500
	<hr style="width: 100%;"/>
	41,000
<i>Less</i> Professional tax paid to State Government	600
Income from salary being total income	<hr style="width: 100%;"/> Rs 40,400 <hr style="width: 100%;"/>

Amounts entitled to rebate of income tax

	Rs
Provident fund contribution	2 880
Life insurance premium (provident fund contribution and premium taken together not to exceed 25% of total income or Rs 10 000, whichever is less)	7,120
	Rs 10,000
	Rs 10,000

(2) *When the Provident Fund is unrecognised*

	Rs
Salary	36 000
Value of rent free (unfurnished) house being less than 10% of salary	3 500
	39,500
<i>Less</i> Professional tax paid to State Government	600
	Rs 38,900
	Rs 38,900

Amount entitled to rebate of income tax

Life insurance premium (being less than 25% of Total Income) Rs 8,000

- Notes*
- (i) The proceeds of the endowment life policy are not to be included in the total income as it is a capital receipt
 - (ii) Professional Tax paid to State Government is an allowable expenditure.

Q 3 From the following particulars of Mr X compute his total income for the assessment year 1965-66 appending notes where necessary

	Rs
1 Salary Rs 3,000 per month for the year ending 31st March, 1965	36,000
2 Bonus	6 000
3 Dearness Allowance	1 800
4 Entertainment Allowance (never given before)	5,000
5 Employer's contribution to Recognised P F	4,000
6 Employee's Contribution to Recognised P F	4,000

7	Interest on P F @ 4%	2,000
8	Education expenses of Mr X son met by the employer	1,000
9	Rent free unfurnished house provided by the employer, whose rental value is	6,000
10	Mah and Waterman engaged by the employer for many years for maintaining the garden in the residence of Mr X. Total salary @ Rs 100 per month was paid to them by the employer	1,200
11	Medical expenses of the employee and free refreshment during office hours	600
12	Gas and electricity bills of the assessee paid by employer	400
13	Life Insurance Premium paid by employer on a policy of the assessee	1,000

Solution

*Computation of Total Income of Mr X
for the Assessment Year 1965 66*

	Rs	Rs
Income from Salary		
(i) Salary proper	36,000	
(ii) Bonus	6,000	
(iii) Dearness Allowance	1,800	
	<hr/>	43,800
(iv) Annual accretion to P F in excess of 10% of salary (for this purpose salary includes dearness allowance, but does not include any other allowances as provided in Rule 2 (h) of Part A of Fourth Schedule to the Income tax Act, 1961)		
Salary	=Rs 37,800	
Hence, 10% thereof	=Rs 3,780	
Excess	=Rs (4,000—3,780)	220
(v) Entertainment Allowance (the entire sum will be taxed as it was never received before)		5,000

Perquisites

(vi)	Value of rent free unfurnished house provided by the employer restricted to 10% of the salary (salary for this purpose includes all pay and allowances, payable monthly or other wise, except dearness allowance, employer's contribution to P F, and allowances which are exempt from tax under this Act) Hence the salary for this purpose will be Rs 36 000 + 6 000 + 5 000 = 47 000	10% thereof	4,700
(vii)	Education expenses of the assessee's son met by the employer		1,000
(viii)	Gas and electricity bills of the assessee paid by the employer		400
(ix)	Life Insurance Premium on the policy on the life of the assessee paid by the employer		1,000
Total Income			Rs 56,120

- Notes*
- Salaries of mali and waterman paid by the employer for maintaining the garden in the residence of the employee are not taxable as perquisite under Instructions of the Central Board of Direct Taxes
 - Medical expenses of the assessee borne by the employer and the value of refreshments during office hours are not to be treated as perquisite vide Instructions of Central Board of Direct Taxes
 - As no part of the entertainment allowance is deductible in this case the whole amount has been included in salary for the purpose of calculating the value of rent free house

Q 4 Mr X is employed in a factory on a monthly salary of Rs 2,000. In addition to the salary, he received a bonus of two months' salary during the year 1964. The factory has provided the assessee with a rent free unfurnished accommodation. The fair rental value of the accommodation is Rs 8,000 but its rental value according to municipal records is Rs 5,000. One son of the assessee is studying in U S A and his expenses are borne by the employer, which for the accounting year amount to Rs 7,000. He is provided with a car of more than 16 horse power rating by the employer. All the expenses in respect of the car are paid by the factory. He is getting entertainment allowance @ Rs 400 per month since 1st April, 1959. Find out his taxable income from salary for the assessment year 1965-66.

Solution*Computation of Taxable Income from Salary*

	Rs
(i) Salary proper @ Rs 2,000 p m	24,000
(ii) Bonus for 2 months	4,000
(iii) Entertainment Allowance ¹	4,800
(iv) Value of Perquisites	
(a) Rent free house ²	4,720
(b) Education expenses of the assessee's son met by the employer ³	7,000
(c) Free Conveyance ⁴	3,000
	47,520
Taxable Income from Salary	Rs 47,520

Notes 1 As the assessee did not receive any entertainment allowance before 1-4-1955 no deduction will be allowed in this connection

- 2 Value of rent free house according to municipal records is Rs 5,000 only whereas the fair annual rental value of the same is Rs 8,000. For calculating the amount of perquisite the higher of the two figures is to be adopted. The perquisite on account of unfurnished rent free house is normally 10% of the salary but where the fair rent exceeds 20% of the salary of the employee the excess over 20% is to be included in the value of perquisite on this account. For this purpose salary is to include all the pay and allowances payable monthly or otherwise except dearness allowance, employer's contribution to Provident Fund, and allowances which are exempt from tax under this Act. Hence the salary for this purpose will be Rs 24,000 + 4,000 + 4,800 = Rs 32,800 in this case.

10% of salary	Rs 3,280
Add Excess of fair rent over 20% of salary	
	Rs
Fair Rent	8,000
Less 20% of salary	6,560
	1,440
Value of Rent free House	Rs 4,720

- 3 Education expenses of the assessee's son met by the employer are taxable as a perquisite in the hands of the assessee.
- 4 The value of perquisite in the case of a car of more than 16 horse power rating is Rs 250 per month provided the expenses of its maintenance and running are met by the employer as is the case here. [vide Rule 2 of the Income tax (Second Amendment) Rules 1964]

Q 5 The following are the particulars of A's income for previous year ended 31st March, 1965

Salary Rs 1 000 per month

Bonus Rs 1,500 per annum

A rent free house (whose annual value is Rs 1,000 per annum)

Contributions to a provident fund by the employce at 10 per cent of his salary

Employer's contributions to the provident fund at 15 per cent of the salary

Interest credited to the provident fund at 8 per cent per annum is Rs 800

Life insurance premium paid on A's life is Rs 4,000 on a policy of Rs 36,000

Income from other sources Rs 1,500

Find out A's taxable liability if the provident fund in question is (a) a statutory provident fund, (b) a recognised provident fund, and (c) an unrecognised provident fund

Solution

(a) *Computation of Total Income of Mr A if the Provident Fund is statutory*

	Rs	Rs
Salary	12,000	
Bonus	1,500	
Value of rent free house	1,000	
	<u>14,500</u>	
Income from other sources		1,500
	Total Income	Rs <u>16,000</u>

Amounts entitled to rebate of income tax

	Rs
Employee's contribution to Provident Fund	1,200
Life Insurance Premium	2 800
	<u>4 000</u>
Restricted to 1/4th of Total Income	Rs <u>4 000</u>

Mr A will, therefore, pay tax on Rs 12,000 at the average rate of income tax applicable to the total income of Rs 16 000

(b) *Computation of Total Income of Mr A, if the Provident Fund is recognised*

	Rs	Rs
Salary	12,000	
Bonus	1,500	
Value of rent free house	1,000	
Employer's contribution to Provident Fund in excess of 10% of salary	600	
Interest on P F in excess of the prescribed rate of 6% p a	200	
	<hr/>	
Income from other sources		15 300
		<hr/> 1,500
		<hr/>
Total Income	Rs	16 800
		<hr/> <hr/>
<i>Amounts entitled to rebate of income tax</i>		Rs
Employee's contribution to Provident Fund (being less than 1/5 of salary or Rs 8 000 whichever is less)		1,200
Life Insurance Premium		<hr/> 3,000
Restricted to 1/4th of Total Income	Rs	<hr/> 4,200

Mr A will, therefore, pay tax on Rs 12 600 at the average rate of income tax applicable to the total income of Rs 16,800

(c) *Computation of Total Income of Mr A, if the Provident Fund is unrecognised*

	Rs	Rs
Salary	12,000	
Bonus	1 500	
Value of rent free house	1 000	
	<hr/>	
Income from other sources		14 500
		<hr/> 1,500
		<hr/>
Total Income	Rs	16 000
		<hr/> <hr/>
<i>Amount entitled to rebate of income tax</i>		Rs
Life Insurance Premium (although the actual amount is not more than 1/4 of Total Income yet it should also not be more than 10% of the Policy Amount hence it is restricted to 10% of Policy Amount)		3,600

Mr A will, therefore, pay tax on Rs 12,400 at the average rate of income tax applicable to the total income of Rs 16,000

Q 6 The following are the investments of the Upper India Trading Company. You are required to calculate their income from securities

Investments on 1st April, 1964

- (a) Rs 60,000 4% U P Government Loan
- (b) Rs 30,000 5% Calcutta Improvement Trust Debentures
- (c) Rs 15,000 6% Preference Shares of Cotton Mill Co
- (d) Rs 20,000 5% Free of Tax Government Loan
- (e) Rs 40,000 6% Debentures of the Imperial Trading Company

On 1st September, 1964, the company sold the above Rs 40,000, 6% Debentures of the Imperial Trading Company Cum Int, and purchased Rs 70,000 6½% Debentures Cum Int of the Eastern Bengal Jute Co Ltd. The additional sum of Rs 30,000 needed for the purpose was borrowed from the bank at 7½% interest. The Banker of the company charged commission on selling and buying of the investments at the rate of 6½ per cent and on the collection of interest and dividend @ 25 paise per cent calculated on the gross amount. Interest or dividend on investments is payable half yearly on 1st July and 1st January each year.

Solution

Computation of Income from Securities

	Rs
Rs 60,000 4% U P Government Loan	2,400
Rs 30,000 5% Calcutta Improvement Trust Debentures	1,500
Rs 20,000 5% Free of Tax Government Loan	1,000
Rs 40,000 6% Debentures of the Imperial Trading Co, (half year)	1,200
Rs 70,000 6½% Debentures of the Eastern Bengal Jute Co, (half year)	2,270
	Rs 8,370
<i>Less</i> Expenses allowed	
Interest on Loan (on Rs 30,000)	
@ 7½% for 7 months	Rs 1,312.50
Bank Commission	Rs 20.94
	1,333.44
Taxable Income from Securities	Rs 7,041.56

- Notes*
- 1 Commission paid to Bank on selling and buying of investments at the rate of 6.25 per cent will not be allowed as it is a capital expenditure
 - 2 Bank Commission of Rs 20.94 has been calculated on Rs 8,375 at the rate of 25 paise per cent
 - 3 Rs 15,000 6% Pref shares of a Cotton Mill Co have not been included in Securities. Dividend on these shares will be taxed under the heading Income from other sources

Q 7 A professor in a college gets a salary of Rs 800 per month. He contributes $6\frac{1}{2}$ per cent of his salary to a recognised provident fund to which the college also contributes an equivalent amount. The interest on his provident fund account for the year ended 31st March, 1965 (at 5% per annum) amounted to Rs 672.

He is also the owner of two houses built in 1953, one (municipal valuation Rs 800) occupied by him for his own residence and the other (municipal valuation Rs 1,000) let at Rs 100 per month. His expenses for the two houses were

Municipal taxes Rs 180, *Land revenue for the house let* Rs 40, *Interest on loan taken to repair the residential house* Rs 200, *Fire insurance premium* Rs 120, *Cost of extension of electric fitting in his residence* Rs 250

Ascertain his taxable income from the property, his total income and the amounts exempt from income tax for the previous year ending 31st March, 1965. Assume that the house let remained vacant for two months and that he paid Rs 850 as premium on his life policy of Rs 8,000.

Solution

Statement showing Taxable Income from Property

	Rs
Annual rental value of the 2nd house	1 200
Less $\frac{1}{2}$ Municipal Taxes ($\frac{1}{2}$ of 100)	50
Annual Value	Rs 1 150
Annual value of residential house on the basis of municipal valuation	800
Less $\frac{1}{2}$ Municipal Taxes ($\frac{1}{2}$ of 80)	40
	760
Less $\frac{1}{2}$ Statutory allowance	380
Annual Value	Rs 380

	Rs	
Hence, Annual Value of both the houses		1,530
	Rs	
<i>Less</i> $\frac{1}{2}$ Repair Allowance	255	
Land Revenue	40	
Interest on Loan	200	
Fire Insurance Premium	120	
Vacancy Allowance	192	807
		<hr/>
Taxable income from property	Rs	723
		<hr/>
<i>Statement of Total Income</i>		Rs
1 Income from Salary		9,600
2 Income from House Property		723
		<hr/>
Total Income	Rs	10,323
		<hr/>
<i>Amounts entitled to rebate of income tax</i>		Rs
Employee's contribution to Provident Fund		600
Life insurance premium (restricted to 10% of the policy amount)		800
		<hr/>
	Rs	1 400
		<hr/>

Note Cost of extensions of electric fittings in his residence is an inadmissible item as it is of a capital nature

Q 8 Mr H Murthy has the following income for the year ending 31st March 1965

(a) Salary Rs 500 per month. He has contributed 6 $\frac{1}{4}$ % of his salary to a Recognised Provident Fund, to which an equal amount has been contributed by his employers. The interest at 4 $\frac{1}{2}$ % per annum on his Provident Fund amounts to Rs 300

(b) He owns three houses having municipal valuations of Rs 1,800, Rs 6,000 and Rs 3,000 respectively. The following further details are available about these houses

(i) The first house built in 1952 has been let out on a rent of Rs 175 per month and he has incurred the following expenses in respect thereof: Interest on the mortgage of property, Rs 1,200; Land Revenue Rs 40; Premium for fire insurance, Rs 150; Interest on loan taken to repair the house, Rs 600; Municipal taxes Rs 50. The house remained vacant for two months during the year.

- (ii) The second house built in 1955 is used by him for his own residence and he has spent Rs 300 on its repairs and has paid Rs 100 as fire insurance premium
- (iii) The third house is also let out on Rs 200 per month and the construction of this house was completed in March, 1954

Ascertain (a) the taxable income from house property, (b) the total income and (c) the exempted income for the assessment year 1965-66

Solution

Statement showing Taxable Income from Property

First House

	Rs	Rs
Rental Value	2,100	
Less $\frac{1}{2}$ Municipal Taxes	25	
	<hr/>	
Annual Value	2,075	
	Rs	
Less $\frac{1}{2}$ for repairs	346	
Interest on Mortgage	1,200	
Land Revenue	40	
Premium for Fire Insurance	150	
Interest on Loan	600	
Vacancy Allowance	346	2,682
	<hr/>	
Loss from the First House		-607

Second House

Annual Value restricted to 1/10 of the Total Income	850*	
Less $\frac{1}{6}$ for repairs	142	
Fire Insurance Premium	100	242
	<hr/>	
Assessable Income from Second House		608

Third House

	Rs	
Municipal Valuation	3,000	
Less $\frac{1}{2}$ for Municipal Taxes	Not known	
	<hr/>	
Annual Value	3,000	
Less $\frac{1}{2}$ for repairs	500	2,500
	<hr/>	
Taxable Income from House Property	Rs	<u>2,501</u>

Statement of Total Income

	Rs
1 Income from Salary	6,000
2 Income from House Property	2 501
	Rs 8,501

Amount entitled to rebate of income tax

	Rs
Employee's contribution to P F	375

*Note Calculation of Annual Value of the second house

	Rs
Municipal Valuation	6 000
Less Statutory Allowance	1 800
	Rs 4 200

As Rs 4 200 is not to exceed 10% of the Total Income hence

$$\frac{6}{55} (6\,000 + 2\,500 - 607 - 100) - \frac{6}{55} \times 7\,793 = \frac{46\,758}{55} = \text{Rs } 850 \text{ approx}$$

Q 9 A is the owner of a house property in Delhi. The house was built in 1953. It has been let out for Rs 90,000. The tax payable by the owner comes to Rs 10,000 but the landlord has taken an agreement from the tenant stating that the tenant would pay the tax direct to the municipality. The landlord however, bears the following expenses on tenant's amenities:

- Water charges Rs 1,000
- Lift maintenance Rs 1,000
- Salary of gardener Rs 1,200
- Lighting of stairs Rs 800

The landlord claims the following deductions:

- Repairs Rs 30,000
- Land Revenue Rs 1,000
- Collection charges Rs 2,000

Compute the taxable income from house property for the assessment year 1965-66

Solution

The value of the property is calculated as under

	Rs
Rent realised	90,000
Add Owner's share of municipal taxes paid by the tenant	5 000
	95 000

Less Value of tenant's amenities provided by the landlord

	Rs	
(i) Water charges	1 000	
(ii) Lift maintenance	1,000	
(iii) Salary of gardener	1 200	
(iv) Lighting of stairs	800	
	4 000	
Annual Value		91,000

Less Admissible Deductions

	Rs	
(i) $\frac{1}{2}$ Repairs Allowance	15 167	
(ii) Land Revenue	1 000	
(iii) Collection charges being less than 6% of Annual Value	2 000	
	18 167	

Taxable Income from Property Rs 72,833

Q 10 Mr X, a Government employee and a citizen of India is sent to London on office duty on 1st June, 1964. He stays there upto 31st January, 1965. The salary and allowances drawn by him during this period are as given below

	Rs
4 months' salary in India	4,000
8 months' salary in London	8 000
Overseas allowance	2 000
Car allowance while in London (actual expenditure on car Rs 1,000)	2,500
Free residence in London (rent Rs 100 per month for 8 months)	800

The full amount of 8 months' salary was spent in London and nothing was brought to India. He owns property in Delhi

which was built in 1954 and which he uses for his residence. During the period of his stay in London the house was occupied by his wife and children. Annual rental value of the house is Rs 3,000. Municipal taxes paid in respect of this house during the year 1964-65 were Rs 600 and ground rent paid Rs 200.

His gross income from dividends was Rs 2,000.

He paid Rs 2,000 donation to a charitable institution to which Section 83 applies. Compute his Total Income.

Solution

*Computation of Total Income of Mr X
for the Assessment Year 1965-66*

1	Income from salary	Rs	Rs
	4 months' salary received in India	4,000	
	8 months salary received in London	8,000	
		<hr/>	12,000
2	Income from House Property		
	Residential House	Rs	
	Annual Rental Value	3,000	
	Less 1/2 Municipal Taxes	500	
		2,700	
	Less 1/2 Statutory Allowance	1,350	
		<hr/>	1,350
	Less 1/2 Repair Allowance	225	
	Ground Rent	200	425
		<hr/>	<hr/>
			925
3	Income from other sources		
	Dividends (Gross)		2,000
			<hr/>
	Total Income	Rs	14,925
			<hr/>

Notes 1 Overseas allowance of Rs 2,000, excess of car allowance over actual expenditure of Rs 1,500 and value of the rent free house Rs 800 are not taxable in this case as all allowances and perquisites paid outside India by the Government to a citizen of India for rendering service outside India are not to be included in the total income of an employee under Section 10 (7).

2 Rebate on donations to an institution to which Section 88 applies is restricted to 10% of the total income as reduced by the amounts exempt from tax. Rebate of income tax will therefore be allowed on Rs 1,492 only.

Q 11 A married individual with two children gave the following information for the assessment year 1965-66

- (a) For the year ended 31st March, 1965, he received a net salary of Rs 10,057 after deduction of (i) income tax Rs 1,093 and (ii) his own contributions to a recognised provident fund Rs 1,500 to which his employer contributed the same amount
 - (b) During that year he received interest of (i) Rs 3,000 on a fixed deposit with a bank, (ii) Rs 500 from the post office savings bank account, (iii) Rs 24,000 from government securities held as an investment, (iv) Rs 4,000, credited to his provident fund account at 5% per annum, and (v) Rs 1,700 from 4½% National Defence Bonds, 1972
 - (c) He owned a motor car and the Income tax Officer agreed to allow Rs 1,000 and Rs 500 respectively for maintenance and wear and tear for the use of the car for purposes of his employment
 - (d) He paid Rs 5,000 as premium on an insurance policy on his own life for Rs 40,000
- Compute his total income and state amounts on which he is entitled to rebate

Solution

Statement of Total Income

	Rs	Rs
1 Income from Salary		
Salary Rs (10,057 + 1,093 + 1,500)	12,650	
Employer's contribution to recognised provident fund (in excess of 10% of employee's salary)	235	
	<u>12,885</u>	
Less Maintenance charges and wear and tear of motor car used for purposes of employment	<u>1,500</u>	11,385
2 Interest on Securities		
(i) Interest on government securities (gross) $\left(\frac{24,000 \times 10}{8}\right)$	30,000	
(ii) Interest on 4½% National Defence Bonds	<u>1,700</u>	31,700
3 Income from other sources		
Interest on Fixed Deposits		<u>3,000</u>
Total Income	Rs	<u><u>46,085</u></u>

<i>Amounts entitled to rebate of income tax</i>	Rs
Contributions to a recognised provident fund	1,500
L I Premium being 10% of the sum assured	4,000
(P F contribution and L I premium taken together being less than 25% of total income)	
	Rs 5,500

Note Under the proviso to Section 193 income tax is not to be deducted at source from any interest payable on 4 1/4% National Defence Bonds 1972 hence the interest of Rs 1 700 received on these bonds has not been grossed up

Q 12 The following are particulars about the income of Mr X of Allahabad University

(a) He was employed at the starting salary in the grade of Rs 500 30 800 plus D A at 10% of the salary

(b) He is a member of Statutory Provident Fund and contributes 8% of the salary towards his Provident Fund while the University contributes 12%

(c) As a Proctor of the University he received

(i) An allowance of Rs 100 per month

(ii) House allowance Rs 540 per annum

(iii) An orderly who was paid Rs 35 per month by the University

(iv) A motor car allowance of Rs 45 per month

(d) His income from examinership amounted to Rs 1,150 and of royalty to Rs 750

(e) He holds 50 shares of Rs 100 each in the Upper India Trading Company Ltd on which he received a dividend of 12% less tax

(f) He received a prize of Rs 300 in a crossword competition

He paid Rs 1,520 as premium on his life insurance policy

You are required to prepare his assessment for the year 1965-66 Actual amount of tax payable by him need not be calculated

Solution

<i>Total Income of Mr X</i>		Rs
Salary	Rs	Rs
	6 000	
Dearness Allowance	600	
Proctor's Allowance	1,200	
House Allowance	540	
Motor Car Allowance	540	
	Total Salary	8,880

Other Sources

Examinership	1,150	
Royalty	700	
Dividend	600	2,500
	<hr/>	<hr/>
Total Income	Rs	11,300

Amounts entitled to rebate of income tax	Rs
Provident Fund contribution by the employee	100
Life Insurance Premium	1,520
	<hr/>
Rs	2,000

Notes (1) Prize of Rs 350 received in a crossword competition is a casual income (2) The salary of orderly Rs 35 is also excluded because it is a necessary expenditure for performing his duties as a proctor of the University (3) Motor car allowance has been included in total income as nothing is mentioned in the question regarding any expenditure on this account otherwise only the excess of the allowance over the actual expenditure would have been included in the total income

Q 13 The following are the particulars of the income of a professor of Vikram University

- 1 Salary Rs 1,200 per month from which 8 per cent is deducted for provident fund to which the University contributes 12 per cent
- 2 Wardenship allowance Rs 1,200 per annum
- 3 Rent free bungalow of which the annual letting value is Rs 720
- 4 5% (tax free) dividend on 50 shares of Rs 100 each in a limited company
- 5 4 per cent interest on Government Loan of Rs 5,000
- 6 Income from house property let Rs 1,200
- 7 Interest on Postal Savings Bank Deposit Rs 500
- 8 Capital profit on sale of old car Rs 2,500 and house property Rs 8,000
- 9 Income from sale of his works Rs 2,000
- 10 Examinership remuneration Rs 3,700

During the year he paid Rs 1,900 as life insurance premium of which Rs 500 was paid on a joint life policy. He also purchased books worth Rs 650 during the same year.

Find out his total income, taxable income and exempted income for the previous year 1964-65

Solution

Statement of Total Income

	Rs	Rs
1 Income from Salary		
(i) Salary	11,400	
(ii) Wardenship Allowance	1,200	
(iii) Value of rent free bungalow (being less than 10% of salary)	720	
	<u>16,320</u>	
Less Cost of books purchased during the year	500 ¹	15,820
2 Interest on Securities		
4% Interest on Government Loan of Rs 5,000		200
3 Income from House Property	Rs	
Rent Received	1 200	
Less $\frac{1}{2}$ Repair Allowance	200	1 000
	<u>1 000</u>	
4 Capital Gains		7,500
5 Income from Other Sources		
(i) 5% (tax free) dividend on 50 shares of Rs 100 each, grossed up ² $\left(\frac{250 \times 10}{8} \right)$		312 50
(ii) Examinership remuneration		3,700
		<u>3,700</u>
Total Income	Rs	<u>28,532 50</u>
or say, Rs		<u>28 533</u>

Amounts entitled to rebate of income tax

	Rs
(i) Employee's contribution to P F	1,152
(ii) Life Insurance Premium	1 900 ¹
	<u>3,052</u>

- Notes**
- Under Section 16 (i) cost of books purchased by an employee is allowed as a deduction upto Rs 500 only
 - Assuming the capital gains to be long term capital gains only the excess over Rs 5 000 has been included in the total income
 - There cannot be any tax free dividend of a company. It is assumed that the company has paid tax on dividends on behalf of shareholders without deducting it from this 5 per cent
 - It is assumed that the joint life policy is taken on the lives of the assessee and his wife. If it were on the life of the assessee and some outsider it would not have been exempted

Q 14 The following are the particulars of the income of Dr Robinson, a medical practitioner employed as a professor in a Medical College in Rajasthan for the year ended 31st December, 1964

- (a) Salary Rs 750 per month plus house allowance of Rs 150 per month
- (b) Share in a Chemist's shop in which he is a partner Rs 6 000. The chemist's business has been assessed as an unregistered firm
- (c) One fourth share in a bungalow, the net income of which after deducting all allowances comes to Rs 6,000
- (d) Dividends received from (i) Delhi Cloth Mills Ltd Rs 6 000 and (ii) Agricultural Products Ltd Rs 7 000 (50% of the income being taxed)
- (e) He and his wife are insured for Rs 20 000. The annual premium come to Rs 3,000
- (f) His investments in the previous year were (i) Rs 5 000 in 5% tax free Government Securities and (ii) Rs 2,000 in Post Office Savings Bank A/c (Interest Rs 30)

His wife had received Rs 50 000 from her father and had invested the same in the Chemist's shop and her share in its profits was 25% amounting to Rs 6 000. He paid Rs 200 per month as rent of the house occupied by him for his residence

Ascertain the total income assessable income and exempted income of Dr Robinson

Solution

Computation of Total Income of Dr Robinson

	Rs	Rs
1	Income from Salary	
	(i) Salary	9 000
	(ii) House Allowance	900 ¹
		<hr style="width: 10%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>
2	Interest on Securities	
	5% Tax free Interest	250
3	Income from House Property	
	($\frac{1}{4}$ of Rs 6 000)	1,500
4	Profits of Business or Profession	
	Own share of profits in unregistered firm	6,000
5	Income from Other Sources	
	(i) Wife's share of profits in unregistered firm	6 000 ²

(ii) Dividends from Delhi Cloth Mills

$$\left(\frac{6,000 \times 100}{80}\right) = \text{Rs } 7,500 \quad 7,500$$

(iii) Dividends from Agricultural Products Ltd

$$\left(\frac{7,000 \times 100}{80}\right) = \text{Rs } 8,750^3 \quad 8,750$$

Total Income Rs 39,900

Amounts entitled to rebate of income tax

Rs

Share of Profits in Unregistered Firm (Taxed) 12,000

Tax free Interest⁴ 250

L I Premium restricted to 10% of the Policy Amount 2,000

Total Rs 14,250

Notes 1 Under Rule 2 A of I T Rules 1962 the least of the following amounts shall be excluded from the total income of the assessee in respect of house rent allowance received by him from his employer

(a) the actual amount of such allowance received by him or (b) the excess of actual rent paid by him over $\frac{1}{10}$ of his salary or (c) $\frac{1}{5}$ of the salary due to the assessee if the house is situated at Delhi Calcutta Bombay or Madras or (d) $\frac{1}{10}$ of the salary due to the assessee if the house is situated at any other place or (e) a sum calculated at Rs 300 p m

In this case $\frac{1}{10}$ of salary due to the assessee works out to Rs 900 which is the least of all other alternatives hence Rs 900 have been excluded from the total income and the balance of Rs 900 of house allowance have been included in his total income

2 Wife's share of profit in the Unregistered Firm will be included in the husband's income as both are partners in the same firm. It has been assumed that husband's income was greater than that of his wife

3 Entire dividend is fully taxable in the hands of the shareholder even if a part of the income of the company is non taxable. Hence the entire dividend of Agricultural Products Ltd has been grossed up

4 The rebate on tax free interest shall be given at the average rate of income tax applicable to his total income or at the rate of 25% whichever is less

Q 15 The following are particulars of the income of a University professor

(a) Salary, Rs 1,200 per month from which 8 per cent is deducted for provident fund to which the University contributes 12 per cent

- (b) Rent free bungalow of the annual letting value of Rs 960
 (c) Wardenship allowance of Rs 1,200 per annum
 (d) 4 per cent tax free interest on Government Loan of Rs 5 000
 (e) Income from house property Rs 1,800
 (f) Interest on Postal Savings Bank Deposit Rs 300
 (g) Royalty from books Rs 2,500
 (h) Examinership remuneration Rs 3,500
 (i) Amount received on Prize Bonds Rs 500

During the year he paid Rs 2,400 as life insurance premium on his own policies and spent Rs 600 on books purchased for his own use. Find out his total income and exempted income for the year 1965-66

Solution

Statement of Total Income

	Rs	Rs
1 Income from Salary		
(i) Salary	14,400	
(ii) Wardenship Allowance	1,200	
(iii) Value of rent free bungalow (being less than 10% of salary)	960	
	<u>16,560</u>	
Less Cost of books purchased during the year	500	
		<u>16,060</u>
2 Interest on Security 4% tax free interest on Government Loan		200
3 Income from House Property Rent received	1 800	
Less ½ Repair Allowance	<u>300</u>	1,500
4 Income from Other Sources Royalty	2 500	
Examinership remuneration	<u>3 500</u>	6 000
	Total Income	Rs <u>23 760</u>

Exemption from income tax

	Rs
Tax free interest on Government Loan	200
Life Insurance Premium	2 400
Employee's contribution to Provident Fund	<u>1,152</u>
	Rs <u>3,752</u>

- Notes*
- 1 Amount received on prize bonds is casual income hence it is not taxable
 - 2 The rebate on tax free interest on Government Loan shall be given at the average rate of income tax applicable to his total income or at the rate of 25% whichever is less

Q 16 From the following particulars prepare an assessment statement of Mr B A Nanda for the year 1965-66

(a) Salary Rs 450 per month with effect from 1st July, 1964 Contribution to unrecognised provident fund 5% his own, 5% employer's

(b) His investments were as follows

(i) Rs 6,000 in 6% preference shares of a company, dividends being declared tax free

(ii) Rs 2,000 in 2% fixed deposit in a bank

(iii) Rs 4,000 in 4% tax free War Bonds

(iv) Rs 10,000 in 3½% 10-Year Treasury Savings Deposit Certificates He paid collection charges Rs 10

(c) He owns a house built in 1953, half of which is occupied by his son for his residence and the other half is let at Rs 50 p m Insurance premium Rs 15, ground rent Rs 12, local taxes Rs 26

(d) He has income from a registered firm, Rs 2,000, from an unregistered firm, Rs 3,000, and from Hindu undivided family, Rs 10,000 He is an equal partner in each firm

(e) He paid Rs 750 as life insurance premium for the year

Solution

Statement of Total Income

	Rs	Rs
1 Income from Salary		
Salary for 9 months		4,050
2 Interest on Securities		
4% tax free War Bonds		160
3 Income from House Property		
Rental value of the ½ portion of the house let @ Rs 50 per month	600	
Rental value of the remaining ¼ portion of the house occupied by his son on the basis of the portion let	600	
	<hr/>	
Rental value of the whole house	1,200	
Less one half local taxes	13	
	<hr/>	
Annual Value		1,187

Less Deductions

	Rs		
$\frac{1}{8}$ Repair allowance	198		
Insurance Premium	15		
Ground Rent	12	225	
	<hr/>	<hr/>	
Taxable Income from house property			962
4 Profits of business or profession			
(i) Share of income in registered firm		2,000	
(ii) Share of income in unregistered firm		3,000	5,000
		<hr/>	
5 Income from other sources			
(i) 6% (tax free) dividend on Rs 6,000 preference shares, grossed up $\frac{360 \times 10}{8}$		450	
(ii) Interest on fixed deposit		40	490
		<hr/>	<hr/>
		Total Income Rs	<u>10 662</u>

Amounts entitled to rebate of income tax

	Rs
1 Life insurance premium	750
2 Tax free interest on securities	160
3 Share of income in unregistered firm	3 000
	<hr/>
	Rs 3 910

- Notes*
- 1 Interest on Treasury Savings Deposit Certificates is not to be included in total income as it is totally exempt from tax
 - 2 Share of income from Hindu undivided family is also totally exempt from tax in the hands of its members as such it is not included in his total income
 - 3 Dividends cannot be tax free it simply means that the tax on dividends has been paid by the company on behalf of the shareholders over and above the amount of dividends declared as such the dividends have been grossed up
 - 4 House occupied by the son of the assessee is not regarded as residential house on the assumption that the son is living separate from his father
 - 5 The rebate on tax free interest on securities shall be given at the average rate of income tax applicable to his total income or at the rate of 25% whichever is less

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Summary

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

200-200 of 200 200 200 200 200 200
 200 200 200 200 200 200 200
 200 200 200

Total amount for 2000

Amounts entitled to rebate of income tax

	Rs
(i) Tax free Interest on Securities	100 ¹
(ii) Share of profits in Unregistered Firm	15,000
(iii) Dividends from Co operative Society	500
(iv) Charitable Donations	890 ²
Total Rs	<u>16,490</u>

- Notes*
- The rebate on tax free interest on securities shall be given at the average rate of income tax applicable to his total income or at the rate of 25 / whichever is less
 - Charitable Donations are exempt upto 10% of Total Income as reduced by amounts exempt from income tax Thus 10% of [Rs 24 498 minus (100+15 000+500)]=10% of 8 898 = Rs 889 8 or say Rs 890

Q 18 Q an employee of a firm, has furnished the following information for the year ended 31st March 1965

- Salary from 1 4 1964 to 30 9 1964 @ Rs 1,000 per month He is also getting a travelling allowance of Rs 200 per month out of which he spent Rs 400 on travelling during the period 1 4 64 to 30 9 64
- Entertainment allowance from 1 4 1964 to 30 9 1964 at Rs 250 per month Prior to 1 4 1955 he was receiving an entertainment allowance of Rs 150 per month from the same firm
- Premium of Rs 500 paid by the firm direct to a life insurance company on a policy taken out on his life and for his benefit
- Interest on bank deposits Rs 360
- Interest on national plan certificates encashed during the year Rs 4,000
- Own house in his home town (built in 1957) and it is occupied by his uncle free of rent The annual rental value of the house is Rs 2 000 and the municipal taxes paid for the year were Rs 400
- On 30 9 1964, he received from the firm, a retiring gratuity of Rs 10 000 equal to 12 months average pay
- While in service the firm provided him with a free car for his private use

Work out his total income for the assessment year 1965 66 and state the amount on which he is entitled to a rebate of income tax

Solution*Statement of Total Income*

	Rs	Rs
1	Salary for 6 months	6 000
	Entertainment Allowance for 6 months	1,500
	Insurance Premium paid by the firm	500
		8,000
	Less Entertainment Allowance	900
		7,100
2	Income from house property	
	Annual Rental Value	2,000
	Less $\frac{1}{2}$ Municipal Taxes	200
		1 800
	Less $\frac{1}{8}$ for Repairs	300
		1,500
3	Income from other sources	
	Interest on bank deposits	360
	Excess of travelling allowance over actual expenditure	800
		1,160
	Total Income	9,760

He is entitled to a rebate of income tax on life insurance premium of Rs 500

- Notes*
- 1 The admissible deduction from salary on account of entertainment allowance is restricted to the lowest of the following amounts—(a) $\frac{1}{5}$ of salary or (b) Rs 7 500 or (c) the actual amount of entertainment allowance received during the previous year or (d) the actual amount of entertainment allowance received from the present employer prior to 1 4 1955
 - 2 Interest on National Plan Certificates is not taxable at all
 - 3 Gratuity is not taxable as it is less than Rs 24 000 or 15 months pay whichever is less it being assumed that he has served for at least 24 years as 12 months pay can be exempted as gratuity only if it is at the rate of not exceeding $\frac{1}{2}$ month's pay per completed year of service
 - 4 Free car for his private use is an amenity provided by the employer but it is not taxable as a perquisite because the employer is not a company and Mr Q's salary is not more than Rs 18 000

Q 19 The following are the particulars of income of Shri Ram Gopal for the year ended 31st March, 1965

(a) His salary was Rs 1,000 per month, and his travelling allowance bills for the year amounted to Rs 2 000 the actual expenditure incurred by him in travelling being Rs 1,500

(b) He contributed 10 per cent to a provident fund to which the Provident Fund Act of 1925 applies, and his employer contributed 12¹ per cent. Interest on his provident fund for the year amounted to Rs 1,000

(c) He owns two houses, one of which is let at Rs 200 per month, and the other (whose annual value is Rs 1,000) cannot actually be occupied by him by reason of the fact that, owing to his employment at Bombay, he has to reside at Bombay and the residential house is not actually let and no other benefit therefrom is derived by him. The two houses are subject to local taxes of Rs 300 and Rs 120 per year respectively

(d) He received Rs 500 interest from tax free Government securities and Rs 600 (gross) as dividend

(e) He is insured and pays an annual premium of Rs 4 000 on his life policy of Rs 60 000

Ascertain his total income and exempted income for the assessment year 1965 66

Solution

Statement of Total Income

	Rs	
1 Income from Salary		12,000
2 Interest on Securities		
Tax free Interest		500
3 Income from House Property	Rs	
(i) Rental Value of the house let	2,400	
Less $\frac{1}{2}$ Local Taxes	150	
Annual Value	2,250	
Less $\frac{1}{2}$ Repair Allowance	375	
Taxable Income	1 875	
(ii) Annual Value of the residential house to which the provisions of Section 23 (3) apply ¹	Nil	
		1 875

¹ Under Section 23(3), where the property in the occupation of the owner consists of one residential house only and it cannot actually be occupied by the owner by reason of the fact that owing to his employment business or profession carried on at any other place he has to reside at that other place in a building not belonging to him the annual value of such house shall, if the house was not actually occupied by the owner during the whole of the previous year, be taken to be Nil

4 Income from other sources

	Rs	
(i) Dividend	600	
(ii) Excess of Travelling Allowance over actual expenditure	500	
	— — —	1,100
Total Income	Rs	15,475

Exemptions

		Rs
1 Employee's contribution to Provident Fund		1,200
2 Life Insurance Premium (restricted to $\frac{1}{4}$ of Total Income)		2,669
3 Tax free Interest (at the average rate or 25% , whichever is less)		500
		Rs 4,369

Q 20 Compute the total income of an individual from the following details for the purpose of determining his tax liability for the assessment year 1965-66

- (a) Salary Rs 10,000 fair rent of furnished accommodation provided to him by the employer Rs 2,250 rent borne by the employee, Rs 750
- (b) Interest from $3\frac{1}{2}$ per cent National Plan Loans of Rs 75,000 and 3 per cent tax free National Plan Loans of Rs 50,000, expenses incurred on purchase of these securities amount to 1 per cent and those on collection of interest to $1\frac{1}{2}$ per cent
- (c) Income from property let out Rs 2,500, residential house owned and occupied by him valued at Rs 3,000 per annum expenses incurred thereon Rs 750 including Rs 250 spent on repairs
- (d) Dividend income received from a Jute Mill Co Ltd Rs 800

The individual pays Rs 2,000 per annum on an insurance policy taken for his wife. Is he entitled to any relief? If so, to what extent?

*Solution**Statement of Total Income*

	Rs	Rs
1	Income from Salary	
	Salary proper	10,000
	Value of Concessional Rent	500 ¹
		<hr/> 10 500 00
2	Interest on Securities	
	3½% National Plan Loans	2 625 00
	Less 1½% collection charges on Rs 2,100 (Net Interest Received) ²	31 50
		<hr/> 2 593 50
	3% Tax free National Plan Loans (Tax free Interest)	1 500 00
	Less 1½% Collection charges on Rs 1,500 ³	22 50
		<hr/> 1,477 50
3	Income from House Property	
	Rental Value of the house let out	2,500 00
	Less ½ Repair Allowance	416 66
		<hr/> 2 083 34
	Value of Residential House	3 000
	Less ¼ Statutory Allowance	1,500
		<hr/> 1 500
	Annual Value	1 500
	Less ½ Repairs 250	
	Other Expenses 500	750
		<hr/> 750 00
4	Income from other sources	
	Dividend received Rs 800	
	Gross Value = $\left(\frac{800 \times 10}{8}\right)$	1 000 00
		<hr/> 18 404 34
	Total Income	Rs 18 404 34
	Or say,	Rs <u>18,404</u>

Yes, the individual is entitled to a rebate of income tax on the premium paid on the life of his wife. The whole of Rs 2 000 will be exempt from income tax as it is within the

permissible limit of $\frac{1}{3}$ of total income or Rs 10,000 whichever is less

The individual is also entitled to a rebate of income tax on tax free interest of Rs 1,477.50 at the average rate of income tax applicable to his total income or at the rate of 25%, whichever is less

Ans 1 Value of Concessional Rent has been calculated in the following manner

Fair Rent of the house restricted to	Rs
12.5% of the annual salary	1,250
Less: Rent paid by the employee	750
	<hr/>
Value of Concessional Rent	Rs 500

2 Collection charges are paid only on the amount actually received after deduction of tax at source. Amount of interest received has been calculated as under

$$\text{Rs } \left(\frac{2,625}{10} \times 8 \right) = \text{Rs } 2,100$$

3 In the case of tax free interest collection charges have been calculated on Rs 1,500 as here no deduction of tax at source is made

Q 21 Shri P is the Chief Administrative Officer in the J. K. Mills Ltd, Kanpur. He is paid a salary of Rs 24,000 per annum. He is provided with a rent free unfurnished bungalow by the mills. The municipal annual valuation of this bungalow is Rs 6,000. The mills have also provided him with an Ambassador car (13 horse power) for both his personal and official use. The expenses of the car are met by the mills. Shri P contributes Rs 200 per month to the Mill Officers Provident Fund (recognised under the Income Tax Act) and the mills also contribute a like amount. A sum of Rs 2,400 was also credited as interest to his P.F. Account. He paid life insurance premium of Rs 1,100, out of which Rs 300 was on the policy in the name of his wife.

Besides the above he derived an annual rental income of Rs 1,200 from a property let out. He also received net dividend income of Rs 1,500 after the company had deducted a tax of Rs 500.

Compute his total income for assessment giving brief reasons for the inclusion or exclusion of each item and also state the reliefs, if any, available to him against the tax liability.

Solution

Statement of Total Income

	Rs	Rs
1	Income from Salary	
	Salary proper	24 000
	Perquisites	
	(i) Value of rent free house	3,600
	(ii) Value of free use of car supplied by the employer	1,800
		29,400
2	Income from House Property	
	Rental Income	1,200
	Less $\frac{1}{3}$ Repair Allowance	200
		1,000
3	Income from other sources	
	Dividends	2,000
		2,000
	Total Income	32,400

Notes 1 Value of rent free house has been calculated as under

Fair rent of the house restricted to 10% of salary	Rs	2 400
Add Excess of fair rent over 10% of salary		
	Rs	
Fair rent	6 000	
Less 20% of Salary	4 800	1 200
	3 600	3 600

Value of rent free house Rs

- 2 The value of perquisite in the case of a car upto 16 horse power rating is Rs 150 per month provided the car is supplied by the employer partly for the personal use of the employee and partly for business purposes and that the entire expenses of maintenance and running of the motor car are borne by the employer. In this case all the above conditions are fulfilled hence the value of this perquisite is calculated at Rs 150 per month which amounts to Rs 1 800 for the year. Besides this it is taxable in this case as the employee is getting more than Rs 18 000 as salary.
- 3 Employer's contribution to recognised provident fund has not been included in total income as it does not exceed 10% of the employee's salary. Similarly interest on provident fund has been omitted as it does not exceed one third of salary. The rate of interest cannot be determined as the accumulated amount to the credit of provident fund account of the employee is not known. Hence it has been assumed that it does not exceed 6 per cent.
- 4 The assessee will get rebate of income tax on his own contribution to provident fund viz Rs 2 400 and life insurance premium paid by him viz Rs 1 100. Thus he will be entitled to rebate of income tax on an aggregate amount of Rs 3 500 as it does not exceed one fourth of total income or Rs 10 000 whichever is less.

Q 22 From the following Profit and Loss Account of a merchant for the year ended 31st December, 1964 ascertain his taxable profit from business and also his total income

Profit and Loss Account

	Rs		Rs
To Office Salary	4,800	By Gross Profit	35,532
„ General Expenses	2,550	„ Commission	1,205
„ Bad Debts written off	2,100	„ Discounts	751
Reserve for Bad Debts	3,000	„ Sundry Receipts	202
„ Fire Insurance Premium	450	„ Rent of Buildings	2,610
„ Advertising	2,500	„ Profit on sale of Investments	3,000
„ Interest on Capital	1,000		
„ Interest on Bank Loan	1,550		
„ Loss of Building by fire	3,875		
„ Depreciation	1,200		
„ Net Profit	20,305		
	43,330		43,330

The amount of depreciation allowable is Rs 1,000

Solution

Taxable Profits from Business for the Assessment Year 1965-66

	Rs	Rs
Net profit as per Profit and Loss Account		20,305
<i>Less</i> Items not taxable under the head of Business		
1 Rent of buildings	2,640	
2 Profit on sale of investments	3,000	5,640
	5,640	14,665
<i>Add</i> Items not allowed as deductions	Rs	
1 Reserve for Bad Debts	3,000	
2 Interest on Capital	1,000	
3 Loss of Buildings by Fire (being Capital Loss)	3,875	
4 Excess Depreciation not allowed	200	8,075
	8,075	22,740
Taxable Profits from Business	Rs	22,740

Statement of Total Income

Income from House Property	Rs	
Rent Received	2 640	
Less $\frac{1}{2}$ Repair allowance	<u>440</u>	2,200
Business Profits		<u>22,740</u>
Total Income	Rs	<u><u>24 940</u></u>

Note Assuming investment to be long term asset the Capital Gain of Rs 3 000 is exempt being below Rs 5 000

Q 23 Mr Ram prepared the following Profit and Loss Account of his cloth shop for the year ended 31st March 1965 Find out his total income

Profit and Loss Account*For the year ended 31st March 1965*

	Rs		Rs
To Salaries and Wages	12 400	By Gross Profit	34 625
, Rent, Rates etc	1 600	, Discount received	375
, Household Expenses	2,000		
, Income tax	900		
, Advertisements	800		
, Postage and Telegrams	600		
, Gifts and Presents	900		
, Fire Insurance premia	400		
, Life Insurance premia	1 100		
, Reserve for Bad Debts	800		
, Interest on Capital	600		
, Audit Fees	400		
, Net Profit transferred to Capital Account	12 500		
Total	Rs <u>35,000</u>	Total	Rs <u><u>35 000</u></u>

Solution*Computation of Total Income*

	Rs	Rs
Net Profit as per Profit and Loss Account		12,500
Add Inadmissible Items		
1 Household expenses	2 000	
2 Income tax	900	
3 Gifts and presents	900	
4 Life Insurance Premia	1 100	
5 Reserve for Bad Debts	800	
6 Interest on Capital	<u>600</u>	6 300
		<u>18 800</u>
Less 60% of Life Insurance Premia		660
Total Income	Rs	<u><u>18 140</u></u>

Q 24 From the following Profit and Loss Account of a business for the period ended 31 3 1965 ascertain the taxable profits from business, and the total income for the assessment year 1965 66

Profit and Loss Account

	Rs		Rs
To Office Salaries	10,000	By Gross Profit	58,000
„ Proprietor's Salary	5 000	„ Profit on sale of	
„ Interest on Proprietor's Capital	2,000	residential house	20,000
„ General Expenses	5 000	„ Bad Debts recovered	5,000
„ Bad Debts	2 000	(not allowed as deduction by I T O	
„ Advertisements	4,500	in previous year for lack of proof)	
„ Fire Insurance Premium	2 000	„ Interest from Govt Securities	4 000
„ Depreciation	4,000	„ Dividends from agricultural companies	
„ Reserve for future losses	10,000	(Entire income exempt)	2,000
„ Income tax on last assessment	1,000	„ Interest from Post Office Cash Certificates and 3½% National Savings Certificates	2 000
„ Advance Income tax paid	2,000		
„ Donations to Delhi University	1,000		
„ Legal charges for defending a suit for alleged breach of a trading contract	500		
„ Motor car expenses	1,000		
„ Net Profit	38 000		
	Rs 91,000		Rs 91,000
	Rs 91,000		Rs 91,000

General Expenses include Rs 1 000 paid as compensation to an old employee whose services were terminated as his continuance in service was considered detrimental to the profitable conduct of the company's business and Rs 200 by way of help to a poor university student. The depreciation is found to be in excess by Rs 1,800. The advertisement cost includes one New Sign Board Rs 500. Calendars and Diaries Rs 1,500. Motor car expenses include Rs 500 as motor car expenses for private use of the car.

Solution*Computation of Taxable Profits from Business*

	Rs	Rs
Net Profits as per Profit and Loss Account		38 000
<i>Less</i> Items not taxable under this head		
(i) Profit on residential house	20,000	
(ii) Interest from Government Securities	4,000	
(iii) Dividends	2,000	26 000
		12,000
<i>Less</i> Items not taxable at all		
(i) Bad Debts recovered (as they were not allowed as a deduction in the past)	5,000	
(ii) Interest from Post Office Cash Certificates and 3½% National Savings Certificates	2,000	7,000
		5,000
<i>Add</i> Expenses not allowed		
(i) Proprietor's Salary	5,000	
(ii) Interest on proprietor's Capital	2 000	
(iii) Charity to a poor student included in General Expenses	200	
(iv) Cost of new Sign Board	500 ¹	
(v) Excess Depreciation	1,800	
(vi) Reserve for future losses	10,000	
(vii) Income tax on last assessment	4,000	
(viii) Advance Income tax	2 000	
(ix) Donations to Delhi University	1 000 ²	
(x) Motor car expenses in relation to private use	500	27 000
		27 000
Taxable Profits from Business	Rs	32 000

Statement of Total Income

	Rs
1 Interest on Securities	
Interest from Government Securities assumed to be net, hence grossed up $\frac{4\ 000 \times 10}{8}$	5,000
2 Profits of Business	32 000

3 Capital Gains

Profit on Sale of Residential House (assuming that Sec 54 is not applicable here) 15,000³

4 Income from other sources

Dividends assumed to be received,
hence grossed up $\frac{2,000 \times 10}{8}$ 2,500⁴

Total Income Rs 54,500

- Notes 1 Cost of calendars and diaries is assumed to be an annual feature hence allowed
- 2 Charitable Donations are not an allowable deduction in computing taxable profits but they will be entitled to rebate of income tax at the average rate
- 3 Assuming the profit on sale of residential house to be a long term capital gain only the excess over Rs 5,000 has been included in the total income
- 4 Dividends from agricultural companies whose entire income is exempt from tax is taxable in the hands of the shareholders and the company must have deducted tax at source before payment of these dividends hence they have been grossed up

Q 25 The following is the Income and Expenditure Account of a Vakil for the year ending 31st March 1965. You are requested to prepare a statement showing his assessable income

Income and Expenditure Account

For the year ending 31st March, 1965

	Rs		Rs
To Household Expenses	9,500	By Legal Fees	26,030
„ Office Expenses	7,300	„ Income from acting as special commission	400
„ Charity	500	„ Gains on race course	2,790
„ Income tax	900	„ Dividends on shares (net)	1,620
„ Loss on shares sold	2,800	„ Profit on sale of Govt securities (Long term)	1,010
„ Gratuity to one of his disabled clerks	600	„ Interest on Advances	890
„ Net Income	14,250 14,205	„ Presents from a client	1,000
		„ Director's Fees	300
		„ Bank interest	335
		„ Interest on Postal Savings Bank	430
		„ Dividends from Co-operative Societies declared out of profits	1,000
Total Rs	<u>35,805</u>	Total Rs	<u>35,805</u>

Solution*Statement showing Assessable Income*

	Rs	Rs
1 Professional Income		
Legal Fees	26,030	
Income from acting as special commission	400	26 430

Less Office Expenses		7,300

Taxable Income from Profession	Rs	19 130

2 Income from other sources

1	Dividends (grossed up)	$\frac{1,620 \times 10}{8}$	2,025	
2	Interest on Advances		890	
3	Director's Fees		300	
4	Bank Interest		335	
5	Dividends from co operative societies (included for rate purposes but exempt from income tax)		1,000	4,550
			_____	_____
	Total Income		Rs	23,680

Notes 1 Gains on race course Profit on sale of Government securities (being below Rs 5 000) Presents from a client and Interest on Postal Savings Bank are not taxable

2 Household expenses Charity Income tax Loss on shares sold (being capital loss) Gratuity to one of his disabled clerks (being in the nature of personal gift and not on account of any contractual liability) are not allowable expenses

Q 26 From the following Profit and Loss Account of Shri Bishan Lal for the year 1964, find out his taxable income from business and also his total income

Profit and Loss Account

	Rs		Rs
To Office Salaries	4,700	By Gross Profit	35,672
„ General Expenses	1,300	„ Discount	751
„ Bad Debts written off	2,100	„ Commission	1,205
„ Reserve for Bad Debts	3,000	„ Bad Debts recovered	150
„ Fire Insurance Premium	450	„ Interest on 5% Govt Bonds	2,500
„ Advertising	2,500	„ Profit on sale of investments (Long term)	3,000
„ Income tax	2,375	„ Sundry receipts	52
„ Loss on sale of motor car	1,200		
„ Interest on Capital	1,000		
„ Interest on Bank Loan	1,550		
„ Charity	150		
„ Loss of Buildings by fire (uninsured)	1,500		
„ Depreciation On Building 1 000			
„ On Furniture 200	1,200		
„ Net Profit	20,300		
Total Rs	43,330	Total Rs	43,330

The motor car was used equally for business purposes and for the proprietor's private purposes

The amounts of depreciation allowable on the basis of the written down value, in respect of Building and Furniture, were Rs 800 and Rs 150 respectively. Included in advertising is a sum of Rs 1,700 expended on a special advertising campaign undertaken during the year in respect of a new product placed on the market.

Solution

Computation of Taxable Income of Shri Bishan Lal from Business

	Rs	Rs
Net Profit as per Profit and Loss Account		20 305
Less Items not taxable under this head		
1 Interest on 5% Government Bonds	2,500	
2 Profit on sale of Investments	3 000	5,500
	5,500	14 805

Add Items disallowed

(i) Reserve for Bad Debts	3,000	
(ii) Special advertising campaign expenses	1,700	
(iii) Income tax	2,375	
(iv) † loss on sale of motor car (personal)	600	
(v) Interest on capital	1,000	
(vi) Charity	150	
(vii) Loss of Building by fire (Capital loss)	1,500	
(viii) Excess depreciation	250	10,575
		<hr/>
Taxable Income from Business	Rs	<u>25,380</u>

Statement of Total Income

		Rs
(1) Interest on Securities $\left(\frac{2,500 \times 10}{8}\right)$		3,125
(2) Profits of Business		25,380
		<hr/>
Total Income	Rs	<u>28,505</u>

- Notes*
- 1 Profit on sale of investments is a long term capital gain but is not taxable as it is below Rs 5,000
 - 2 Loss on sale of motor car (1/2) is allowed as terminal depreciation
 - 3 Interest on 5 per cent Government Bonds is assumed to be net in the question

Q 27 C P & Co, Calcutta a firm, carries on the business of manufacture and sale of plastic goods. Its accounting year is the year ended 31st March. It purchased new machinery and plant on 15th October 1958, for its factory at a cost of Rs 12,00,000 out of which Rs 2,00,000 was met by it from a grant received by the firm from the Government for the purchase thereof. The machinery and plant were installed and brought into use on and from 1st April 1959. These were subsequently destroyed by fire which broke out in the factory on 1st July, 1964. The firm received Rs 3,00,000 as a claim from H General Insurance Co Ltd with whom the machinery and plant were insured and Rs 4,000 by sale of scrap.

The prescribed rate of depreciation in respect of machinery and plant used in the manufacture of plastic goods is 12%.

Work out the profit or loss to the firm in consequence of destruction of the machinery and plant by fire and state how

such profit or loss would be dealt with in the income tax assessment of the firm for the year 1965-66

Solution

The written down value of machinery and plant destroyed by fire is arrived at as follows

	Rs
Cost of machinery and plant	12,00,000
<i>Less</i> Amount received as Government grant	2,00,000
	<hr/>
Actual Cost of machinery and plant to the assessee	10,00,000
<i>Less</i> Depreciation for assessment year 1960-61 @ 12 per cent	1,20,000
	<hr/>
Written down value on 1-4-60	8,80,000
<i>Less</i> Depreciation for assessment year 1961-62 @ 12 per cent	1,05,600
	<hr/>
Written down value on 1-4-61	7,74,400
<i>Less</i> Depreciation for assessment year 1962-63 @ 12 per cent	92,928
	<hr/>
Written down value on 1-4-62	6,81,472
<i>Less</i> Depreciation for assessment year 1963-64 @ 12 per cent	81,777
	<hr/>
Written down value on 1-4-63	5,99,695
<i>Less</i> Depreciation for assessment year 1964-65 @ 12 per cent	71,963
	<hr/>
Written down value on 1-4-64	Rs 5,27,732
	<hr/>

The amount of loss to the firm in consequence of destruction of the machinery and plant by fire is worked out as below

	Rs
Written down value on the date of fire	5,27,732
<i>Less</i> Amount received from insurance company and from the sale of scrap (3,00,000+4,000)	3,04,000
	<hr/>
Loss or Terminal depreciation for the assessment year 1965-66	Rs 2,23,732
	<hr/>

The loss of Rs 2,23 732 shall be allowed as a deduction in computing the profits of the firm for the assessment year 1965 66

(2) HINDU UNDIVIDED FAMILIES

Q 28 A Hindu undivided family carrying on business in gold silver, money lending brokerage and share dealings showed the following particulars in a statement filed for the previous year ended 31st December 1964

Rs		Rs	
Loss in silver	70,000	Profit in gold	2 00,000
Loss on sale of securities	50,000	Income from money lending business	40 000
Loss in share dealings	30 000	Income from brokerage	2 00,000
Legal charges	10,000	Interest on Securities and Dividends (Gross)	60,000
Bad Debts	40 000		
Establishment charges	30 000		
Net Profit	2 70 000		
	<hr/>		
	5 00 000		<hr/>
	<hr/>		5,00 000

On inquiry and examination of account books the following further information was obtained

- (a) A loss of Rs 60 000 in hedging contract and a loss of Rs 40,000 in speculation were found debited to Silver Account
- (b) Legal charges included expenses of Rs 1,000 incurred in a criminal case connected with alleged purchase of smuggled gold
- (c) Bad debts included loss of cash of Rs 5 000 by theft from *Tyori* (Iron Safe) of the business premises and Rs 10,000 as an irrecoverable loan given without interest to his brother in law, whose business failed
- (d) Establishment charges included salary of Rs 5,000 paid to the son of the *Karta* who actually worked in the business and Rs 2,000 for purchase of a motor cycle on 1st July, 1964 claimed to enable him to attend office

Compute the total income of the H U F for the assessment year 1965 66

Solution

*Computation of Total Income of H U F
for the Assessment Year 1965 66*

	Rs	
Net Profit as per statement	2,70,000	
<i>Less</i> Interest on Securities and Dividends treated separately	60,000	
	2,10,000	
	Rs	
<i>Add</i> (i) Legal charges incurred in a criminal case, not allowed	1,000	
(ii) Speculation loss not allowed to be set off against other business income	40,000	
(iii) Cash lost by theft, not being incidental to business	5,000	
(iv) Irrecoverable loan given with out interest (being not given as part of money lending business)	10,000	
(v) Cost of motor cycle, being capital expenditure	2,000	58,000
	58,000	
<i>Less</i> Depreciation for full year @ 20% as motor-cycle was used for more than 180 days	400	
Income from Business	2,67,600	
Interest on Securities and Dividends	60,000	
Total Income	Rs 3,27,600	

Note Salary of Rs 5,000 paid to the son of the *Karta* has been allowed as he actually worked in the business

(3) FIRMS

Q 29 A, B and C are the partners of the firm styled ABC & Co. It carries on the business of manufacture and sale of pharmaceutical products. The partners share profits and losses equally. The Profit and Loss Account of the firm for the year ended 31st March 1965 disclosed a net profit of Rs 3,00,000 only. This was arrived at by debiting *inter alia* the following expenses

(i) Rs 6,000 paid as salary to A, a partner, who is a chemist and was incharge of the firm laboratory

(ii) Rs 3,000 paid as rent to C, another partner, for a godown owned by C and used by the firm for storing raw materials and finished products

(iii) Rs 25,000 paid as the cost of scientific instruments purchased on the 1st October 1964, for the firm's laboratory, set up for carrying out research for improving the quality of the firm's products and for finding out a cure for insanity and other mental diseases

(iv) Rs 1,500 incurred as law charges in connection with a suit instituted by the firm against B Chemicals Ltd for infringing the firm's trade mark

The firm has been registered by the Income tax Officer under Section 184 of the Income Tax Act, 1961, for the assessment year 1965-66

Compute the total income of the firm for the assessment year 1965-66, giving reasons for any adjustment that you may consider in making the computation. Also, allocate the total income of the firm to the partners

Solution

Net Profit as per Profit and Loss Account	Rs 3,00,000
<i>Add Items disallowed</i>	
Salary to A	6,000
4/5th Capital expenditure on scientific research	20,000
Total Income of the firm	Rs 3,26,000

Allocation amongst Partners

	A Rs	B Rs	C Rs
Salary	6,000	—	—
Balance (shared equally)	1,06,667	1,06,667	1,06,666
Share of each partner	1,12,667	1,06,667	1,06,666

Notes 1. Rent paid by the firm to any of its partners is an admissible expenditure

2. Under Section 35 (2) (i) only one fifth of the capital expenditure incurred during the previous year on scientific research related to the business carried on by the assessee is to be allowed as deduction for that previous year and the balance of 4/5th is to be disallowed in that year but it will be allowed in equal instalments in each of the four immediately succeeding previous years

- 3 Legal expenses incurred to defend the assessee's title to his trade mark is an admissible expenditure as it is an expenditure to preserve or maintain an asset

Q 30 Raja Ram and Din Dayal are partners in a registered firm sharing profits and losses in the proportion of two third and one third respectively. Their Profit and Loss Account for the year ended on 31st December, 1964 was as follows

	Rs		Rs
To Sundry Expenses	22,800	By Profit on sale of	
" Charity	570	goods	55,600
" Reserve for Bad		" Commission received	620
Debts	1,430		
" Legal Charges	860		
" Interest on Capital			
Raja Ram	1,280		
Din Dayal	750		
" Profit			
Raja Ram	19,020		
Din Dayal	9,510		
	Total Rs 56,220		Total Rs 56,220

The item of Sundry Expenses includes salary of Raja Ram Rs 1,800 and that of Din Dayal Rs 1,200. It also includes Rs 1,500 in respect of the rent of the residential house of the two partners. The house is shared by two partners—half and half—according to terms of agreement. Legal charges were incurred in recovering the amount due from a customer. Depreciation on Plant and Machinery, which is calculated at Rs 3,340, and accrued interest on loan which amounts to Rs 1,060 have not been provided for in the Profit and Loss Account above.

The other taxable income of the two partners is as follows

	Raja Ram Rs	Din Dayal Rs
Interest on Securities	400	2,100
Income from Property	600	
Foreign income of which only Rs 2,000 is remitted		7,700
Interest on Post Office Savings Bank Account	27	
	1,027	9,800

You are required to calculate the taxable income of the firm and to prepare the assessments of Raja Ram and Din Dayal

The amount of tax payable by the two partners need not be calculated

Solution

Computation of Firm's Taxable Income

	Rs	Rs
Profit as per Profit and Loss Account		28,530
<i>Add</i> Items not allowed		
(i) Charitv	570	
(ii) Reserve for Bad Debts	1,430	
(iii) Interest on Capital	2,030	
(iv) Salaries to partners	3,000	
(v) Rent of the Residential House of the partners	1,500	8,530
	<hr/>	<hr/>
		37 060
<i>Less</i> Items allowed but not charged in Profit and Loss Account		
(i) Depreciation	3,340	
(ii) Interest on Loan	1 060	4,400
	<hr/>	<hr/>
Taxable Income of the Firm	Rs	<u>32,660</u>

Allocation amongst the Partners

	Raja Ram Rs	Din Dayal Rs
Interest on Capital	1,280	750
Salaries to partners	1 800	1 200
Rent of Residential House shared equally	750	750
Balance of Profits (2 : 1)	17,420	8,710
	<hr/>	<hr/>
Each partner's share in the Firm	21,250	11 410
	<hr/>	<hr/>

Statement of Total Incomes of Raja Ram and Din Dayal

	Raja Ram Rs	Din Dayal Rs
1 Interest on Securities	400	2 100
2 Income from Property	600	—
3 Share of profit from Registered Firm	21,250	11 410
4 Foreign Income	—	7 700
	<hr/>	<hr/>
Total Income	22,250	21 210
	<hr/>	<hr/>

- Notes**
- 1 As the total income of the firm is more than Rs 25,000 it will be liable to pay income tax at the special rates prescribed for this purpose
 - 2 In their individual assessments Raja Ram and Din Dayal will get rebate of income tax on their portion of income tax paid by the firm at the average rate applicable to their respective total incomes
 - 3 As per question the other income of the partners is taxable income hence neither interest on securities has been grossed up nor 1/6 repair allowance has been given on income from property

Q 31 A and B are active partners and C and D are sleeping partners in a firm. A Profit and Loss Account, drawn for the year ending 31st March, 1965, shows a profit of Rs 25,000. The profit has been arrived at after allowing salary and interest to partners as follows

	A	B	C	D
	Rs	Rs	Rs	Rs
Salary	5,000	3,000	—	—
Interest	2,000	4,000	6,000	3,000

The partners' shares in profit or loss are equal

The private incomes of the partners are as follows

A—earned income, Rs 15,000

B—unearned income, Rs 6,000

C—unearned income, Rs 8,000

D—half share in an unregistered firm, Rs 22,000

You are required to show the assessment of the firm if it is unregistered and the assessment of the partners if the firm is registered. Tax payable is not to be calculated.

Solution

Assessment of the firm if it is unregistered

		Rs	Rs
Net Profit as per Profit and Loss Account			25,000
Add	Rs		
(i) Salary to A	5,000		
" to B	3,000	8,000	
(ii) Interest to A	2,000		
" to B	4,000		
" to C	6,000		
" to D	3,000	15,000	23,000
		Total Income	Rs 48,000

Solution*Computation of Firm's Total Income*

		Rs
Profit as per Profit and Loss Account		65 000
<i>Add</i> Items not allowed		
	Rs	
Salary to B	4,800	
Interest on Capital		
A	2,750	
B	1,490	
C	650	
Commission to C	4,300	
Interest on loan taken from A	700	
	14 690	
Firm's Total Income	Rs	79 690

Allocation amongst the Partners

	A	B	C
	Rs	Rs	Rs
Salary	—	4,800	—
Interest on Capital	2,750	1,490	650
Commission	—	—	4 300
Interest on Loan	700	—	—
Share of profit in the Firm	21,666	21,667	21,667
Partners' share in the firm Rs	25,116	27,957	26,617

Q-33 Ramesh, Mahesh and Naresh are three partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4 : 3 : 1. The Profit and Loss Account of the firm for the year 1964 showed a net loss of Rs 20 000 after charging the following items

Interest on Capital

Ramesh Rs 4 000, Mahesh Rs 3,000 and Naresh Rs 2 000

Salary

Ramesh Rs 1 000, Mahesh Rs 800 and Naresh Rs 2 000

Taxable income of Ramesh from other sources was Rs 8 000 while Mahesh and Naresh had no other income

Explain how assessment would be made (a) when the firm is registered, and (b) when it is unregistered

Solution

	Rs	Rs
Loss as per Profit and Loss Account		20,000
<i>Less</i> Items not allowed		
Interest on Capital	9,000	
Salaries to partners	3,800	12 800
Firm's Loss		Rs 7,200

Allocation amongst the Partners

	Ramesh	Mahesh	Naresh
	Rs	Rs	Rs
Interest on Capital	4,000	3,000	2 000
Salaries to partners	1,000	800	2,000
Share of Firm's Loss	-10,000	-7,500	-2,500
Partners share in the Firm Rs	- 5 000	-3 700	+1,500

(a) When the Firm is Registered

Ramesh can set off his share of the firm's loss of Rs 5,000 against his other income of Rs 8,000, thus leaving Rs 3 000 only which is not taxable

Mahesh will carry forward his share of the firm's loss of Rs 3,700 to be set off against his future share of profits from the firm or against any other business profits. It can be carried forward upto 8 years at the most

Naresh's total income is Rs 1,500 only which is not taxable

(b) When the Firm is Unregistered

The unregistered firm itself can carry forward for 8 years its loss of Rs 7 200 to be set off against its own future profits

Ramesh cannot set off his share of the firm's loss against his other income. He will be liable to pay tax on his other income of Rs 8,000

Mahesh cannot carry forward his share of the firm's loss

Naresh is not liable to pay tax

Sol **Q 34** A registered firm with three partners A, B and C and sharing profits equally had the following income for the year ended 31st March, 1965

	Rs
Property	20 000
Business (including Rs 20 000 on account of salary and interest to partners)	40,000
Other sources	40,000
Total Rs	1 00 000

Calculate the amount of income tax payable by the firm for the year 1965 66, and the amount on which the partners are entitled to get rebate of income tax in their individual assessment. Assume that the partners have no other income.

Solution

Firm's Assessment for 1965 66
Statement of Total Income

		Rs
1	Income from House Property	20,000
2	Income from Business	40 000
3	Income from other sources	40 000
	Total Income Rs	1 00,000
		Rs
	Income tax on Rs 1,00,000	5 500
	Add Surcharge @ 20 per cent of Rs 5,500	1,100
	Total tax payable by the firm	Rs 6,600

Calculation of amounts on which rebate of tax is to be given to each partner in his individual assessment

		Rs
A	$\frac{1}{3}$ of Rs 6,600	2,200
B	$\frac{1}{3}$ of Rs 6,600	2,200
C	$\frac{1}{3}$ of Rs 6,600	2,200
	Rs	6 600

The partners shall get rebate of income tax on the above amounts in their respective assessments at the average rate of income tax applicable to their respective total incomes.

APPENDIX

EXTRACTS FROM THE FINANCE ACT, 1964

Rates of Income tax

I In the case of every individual who is married and every Hindu undivided family whose total income does not exceed Rs 20,000

Slabs of total income	(a)* Rs	(b)* Rs	(c)* Rs	Rate
(1) First	3,200	3,600	4,000	Nil
(2) Next	1,800	1,400	1 000	6%
(3) Next	2 500	2,500	2 500	10%
(4) Next	5,000	5,000	5,000	15%
(5) Next	7,500	7,500	7,500	20%

(a)* Where the individual has no child wholly or mainly dependent on him or where the Hindu undivided family has no minor coparcener

(b)* Where the individual has one child wholly or mainly dependent on him or where the Hindu undivided family has one minor coparcener

(c)* Where the individual has more than one child wholly or mainly dependent on him or where the Hindu undivided family has more than one minor coparcener

II In the case of every individual who is not married and every individual or Hindu undivided family whose total income in either case exceeds Rs 20,000 and in the case of every unregistered firm or other association of persons or body of individuals whether incorporated or not, or every artificial juridical person

	Rate
(1) On the first Rs 1,000 of total income	Nil
(2) On the next Rs 4,000 of total income	6%
(3) On the next Rs 2,500 of total income	10%
(4) On the next Rs 5,000 of total income	15%
(5) On the next Rs 7 500 of total income	20%
(6) On the balance of total income	25%

Explanation (1) For the purposes of the above tables 'married individual' includes widows and widowers. In addition, persons who have been married but whose marriages have subsequently been dissolved, are also included in married individuals, provided they have children to support

(2) In the above tables, Rs 1,000 is the personal allowance Rs 2,200 is marriage allowance Rs 400 per child upto a maximum of two children is children allowance, but the marriage and children allowances are available only if the total income does not exceed Rs 20 000

Minimum Taxable Limit For the purposes of the above tables, no income tax shall be payable on a total income which does not exceed the limit specified below

(i) Rs 6,000 in the case of every Hindu undivided family which as at the end of the previous year satisfies either of the following conditions

- (a) that it has at least two members entitled to claim partition who are not less than 18 years of age, or
- (b) that it has at least two members entitled to claim partition who are not lineally descended one from the other and who are not lineally descended from any other living member of the family,

(ii) Rs 3 000 in every other case

Marginal Relief If the total income of the assessee referred to in the above tables just exceeds the minimum taxable limit or the total income of married individuals or Hindu undivided families just exceeds Rs 20,000 they are at a loss as compared to those whose total income is upto the aforesaid limits. Hence, in order to do justice in such circumstances, marginal relief is given to the assessee, so that such assessee are not at a loss as compared to those whose total income is upto the aforesaid limits. This marginal relief is as below

(i) The income tax payable shall in no case exceed half the amount by which the total income exceeds the minimum taxable limit

(ii) The income tax payable by an individual who is married or a Hindu undivided family whose total income exceeds in either case Rs 20,000 shall not exceed the aggregate of

- (a) the income tax which would have been payable if the total income had been Rs 20,000 and
- (b) half the excess of total income over Rs 20,000

Surcharge on Income tax

The amount of income tax computed at the aforesaid rates shall be increased by the following surcharge

(a) **In respect of Unearned Income** No surcharge is payable if the unearned income does not exceed Rs 10,000. Where it exceeds Rs 10,000 the surcharge shall be charged at the following rates

- (i) In case of unearned income upto Rs 25,000, a surcharge @ $12\frac{1}{2}\%$ on the amount of income tax on unearned income
- (ii) In case of unearned income exceeding Rs 25,000 but not exceeding Rs 75,000, a surcharge @ 15% on the amount of income tax on unearned income
- (iii) In case of unearned income exceeding Rs 75,000 a surcharge @ $17\frac{1}{2}\%$ on the amount of income tax on unearned income

Marginal Relief In any case the surcharge on unearned income shall not exceed the aggregate of (i) surcharge payable if the unearned income had not exceeded the maximum amount of the preceding group, and (ii) $1/10$ th of the amount by which the unearned income exceeds the maximum limit of the preceding group. Thus, surcharge on income tax in case of an unearned income of Rs 11,000 shall not exceed $1/10$ th of Rs 1,000 i.e., Rs 100 as the surcharge on income tax on unearned income upto Rs 10,000 is nil and $1/10$ th of the excess of 1,000 is Rs 100 only. Similarly surcharge on income tax in case of an unearned income of Rs 26,000 shall not exceed the aggregate of (i) surcharge on income tax on Rs 25,000 @ $12\frac{1}{2}\%$ and (ii) $1/10$ th of Rs 1,000 (which is the excess of unearned income over the maximum amount of the preceding group)

For the purpose of calculating surcharge on income tax, unearned income is deemed to belong to the slab where the earned income ends and if the earned income ends with a particular slab the unearned income shall be deemed to belong to the next slab

(b) **In respect of Earned Income** Surcharge at 10% on income tax on the earned income in excess of Rs 1,00,000

Rates of Super-Tax

In the case of every individual, Hindu undivided family, unregistered firm or other association of persons or body of individuals, whether incorporated or not, or every artificial juridical person

	Rate
On the first Rs 20 000 of total income	Nil
, next Rs 5 000 , ,,	10%
, , Rs 5,000 , ,	15%
,, ,, Rs 20,000 ,, ,	30%
, , , Rs 20,000 , ,, ,,	45%
On the balance of total income	50%

Surcharge on Super-tax

The rates of surcharge on super tax are the same as in the case of surcharge on income tax with the only difference that for the purposes of the marginal relief 1/8th should be substituted for 1/10th

